सप्तम माला खंड 1 अंक 1

बुधवार 26 नवम्बर 1981

5 अग्राहयण 1903 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

सातवाँ सत्र

[खंड 1 में अंक 1 से 11 तक हैं]

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

विषय-सूची

अंक 4, गुरुवार, 26 नवम्बर, 1981/5 अग्रहायण, 1903 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	**1—18**
तारांकित प्रश्न संख्या : 63 से 64, 66 और 68 से 70	
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	**18—194**
तारांकित प्रश्न संख्या 61, 62, 65, 67 और 71 से 80	18—29
अतारांकित प्रश्न संख्या 691 से 811, और 813 से 920	29—194
सभा पटल पर रखे गये पत्र	**194—197**
विलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	**198—220**
आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि	198—220
श्री पी० के० कोडियन	198—202
श्री बृजमोहन महन्ती	—198
श्री राव बीरेन्द्र सिंह	199—220
श्री रेणुपद दास	206—208
श्री नारायण चौबे	204—213
श्री जयपाल सिंह कश्यप	215—218
श्री हन्नान मोल्हा	218—219
मति का निर्वाचन	**220—221**
भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर	
नियम 377 के अधीन मामले	**221—226**
(एक) हरित क्रान्ति के लिये कीटनाशी दवाओं के बढ़ते हुए उपयोग के कारण मलेरिया का फैलना	
श्री चिन्तामणि जैना	221—222
(दो) मध्य प्रदेश में जैन प्रतिमाओं का विकृत किया जाना	
श्री मनीराम बागड़ी	—222

* किसी नाम पर अंकित † चिह्न इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था ।

विषय			पृष्ठ
(तीन) मैसर्स इण्डो-अमेरिकन इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड, दुर्गापुर को तांबे की सप्लाई			
श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर	...	...	222—223
(चार) नारियल के तेल, कोको और कोको पाउडर, जायफल, लौंग और रबड़ के आयात पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता			
श्री जार्ज जोसेफ मुंडाकल	...	...	—223
(पांच) मदुरै और मद्रास के बीच सुपर फास्ट गाड़ियों में और डिब्बे लगाना			
श्री कुमबुम एन० नटराजन	...	...	223—224
(छः) पटना जिला में कृषि श्रमिकों के विरुद्ध कथित दमनकारी कार्यवाही			
श्री रामावतार शास्त्री	...	...	224—225
(सात) भरतपुर किले के चारों ओर सुजान गंगा नहर का तुरन्त साफ किया जाना			
श्री राजेश पाइलट	...	...	—225
(आठ) उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा की सुविधाओं में सुधार करने के लिए प्रभावकारी उपाय करने की आवश्यकता			
श्री बी० डी० सिंह	...	...	225—226
बीड़ी कर्मकार कल्याण उपकर (संशोधन) विधेयक, 1981			
विचार करने का प्रस्ताव	...	...	226—230
श्री पी० वेंकट रेड्डी	...	...	226—230
खंड 2 से 6 और 1	...	...	230—233
पारित करने का प्रस्ताव	...	...	—230
श्री पी० वेंकट रेड्डी	...	...	231—233
श्री रामावतार शास्त्री	...	...	231—233
श्री वृद्धि चन्द्र जैन	...	...	—233
राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक विधेयक, 1981			
विचार करने का प्रस्ताव	...	...	234—266
श्री आर० वेंकटरामन	...	...	234—235
श्री जायनल अबेदिन	...	...	235—239

विषय			पृष्ठ
श्री वाई० एस० महाजन	..	.	239 --241
श्री चन्द्रजीत यादव	...	...	241—247
श्री उमाकान्त मिश्र	...	.	249 -- 253
श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री	...	...	253 —256
श्री प्रताप भानु शर्मा	...	...	256—259
श्री टी० आर० शर्मा	...	...	259—261
श्री चक्रधारी सिंह	...	...	261 —263
श्री कमला मिश्र मधुकर	....	...	263 —265
श्री जेवियर अराकल	...	...	265—266
एयर इण्डिया के विमान के अपहरण के बारे में वक्तव्य	...	...	**247—249**
श्री चन्दूलाल चन्द्राकर	...	...	247—248
राज्य सभा से सन्देश	...	...	**—266**
चीनी उपक्रम (प्रबन्ध अधिग्रहण) संशोधन विधेयक राज्य सभा द्वारा पारित रूप में	...	...	**—267**

लोक सभा

गुरुवार, 26 नवम्बर, 1981/5 अग्रहायण, 1903 (शक)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

अध्यक्ष महोदय : श्री सुबोध सेन, वह यहां नहीं हैं।

श्री जार्ज फर्नान्डीस: श्रीमती जयन्ती पटनायक। वे भी यहाँ पर नहीं हैं।

श्री जगदीश टाईटलर : महोदय यह कितना आश्चर्यजनक है। जब हम प्रश्न करना चाहते हैं और हम ऐसा करते हैं तो समस्त विरोधी दल उठकर सभा की कार्यवाही में विघ्न डालता है। और अब उनके प्रश्न आते हैं तो वे यहाँ नहीं आते। यह इस संसद के साथ मजाक है।

अध्यक्ष महोदय : श्री मोहन टुडु। वह यहां नही हैं। श्री देसाई क्या मुझे आपको यहाँ पर उपस्थित होने के लिए धन्यवाद देना चाहिए ?

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

लखनऊ दिल्ली मेल का 30 अक्तूबर 1981 को लूटा जाना

*63. **श्री बी० वी० देसाई**
श्री मनमोहन टुडु } : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को 30 अक्तूबर, 1981 की रात्रि को लखनऊ-दिल्ली मेल के लूटे जाने की जानकारी है,

(ख) यदि हां, तो क्या उन डकैतों का पता लगा लिया गया है,

(ग) उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई; है और

(घ) देश के विभिन्न रेल मार्गों पर भिन्न-भिन्न रेल गाड़ियों पर रात्रि के दौरान यात्रा करने वाले यात्रियों की रक्षा के लिये क्या सुरक्षा कदम उठाये जायेंगे ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) पुलिस मुठभेड़ में एक डाकू मारा गया तथा उसके दो साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया।

(ग) पुलिस द्वारा जांच पड़ताल की जा रही है।

(घ) राजकीय रेलवे पुलिस, जो गाड़ियों में यात्रा करने वाले यात्रियों तथा उनके सामान की संरक्षा और सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है, गाड़ियों में मार्गरक्षियों की व्यवस्था करके, अपराधियों पर निगरानी रखकर तथा विशिष्ट मामलों में उन्हें गिरफ्तार करके तथा उन पर मुकद्मे चलाकर अपराधों पर नियंत्रण पाने के प्रयास कर रही है। इस संबंध में रेलवे सुरक्षा बल राजकीय रेलवे पुलिस की सहायता कर रहा है।

श्री बी० वी० देसाई : इस विषय पर उस दिन ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के अन्तर्गत विस्तृत चर्चा की गयी थी। इस पर अधिक पूछ ताछ नहीं की जानी है।

अध्यक्ष महोदय : इस पर हमने पर्याप्त चर्चा की है।

श्री बी० बी० देसाई : माननीय मंत्री ने ध्यानाकर्षण के समय काफी बातें स्पष्ट कर दी थीं, परन्तु मैं एक अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहूंगा। 30 अक्टूबर 1981 को हुई केवल लखनऊ दिल्ली मेल में लूट की घटना ही कोई विशेष घटना नहीं है, ऐसी बहुत सी घटनायें हो रही हैं। सरकार कुछ कदम उठाने का प्रयत्न कर रही है, तथापि केन्द्रीय सरकार इसका उत्तरदायित्व राज्य सरकारों पर भी टालने का प्रयत्न कर रही है। जहाँ तक ऐसी घटनाओं का सम्बन्ध है, उनके लिये जिम्मेदारी चाहे यह राज्य सरकारों की हो या केन्द्रीय सरकार की, जनता इन घटनाओं के ढर्रे पर उत्तेजित है। क्या मैं माननीय मंत्री से यह जान सकता हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को अपने सुरक्षा साधनों को कड़ा करने और इन अपराधों से लगे व्यक्तियों को खोजने और दण्ड देने में रेलवे अधिकारियों की मदद करने के लिए कहा है।

श्री मल्लिकार्जुन: राज्य प्राधिकारियों के साथ निरन्तर बैठकें की जा रही हैं जिनमें मुख्य मंत्री, मुख्य सचिव, महानिरीक्षक पुलिस आदि सम्मिलित होते रहे हैं रेलवे तथा राज्य सरकारों के बीच नियमित उचित समन्वय है। राज्य सरकारें, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश, और राजस्थान सरकारें, ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए पर्याप्त कदम उठा रही हैं।

हाल ही में इस घटना विशेष के अतिरिक्त दो ही दिन पहले ऐसी एक और घटना हुई है और उसमें गोरखपुर राजकीय रेलवे पुलिस बस्ती के निकट गाड़ी को रोकने तथा अपराधियों का पीछा करने में सफल हुई तथा वे एक अपराधी को मारने तथा उनमें से कुछ को गिरफ्तार करने में भी सफल हुए।

श्री अशफाक हुसैन : मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि 29-अप की डकैती, जिसके बारे में सवाल किया गया है, क्या वह पहले से प्लान्ड थी ? मैं इसलिए कह रहा हूं कि यह पहले से प्लान्ड थी क्योंकि उस विशेष कम्पार्टमेन्ट में, जो कि गोरखपुर से लगा था, उस दिन रेलवे के एक बड़े अधिकारी जो 9 साल तक गोरखपुर में ब्राड गेज कंस्ट्रक्शन के मुख्य इंजीनियर रहे थे, वे अपने रिटायर्मेन्ट के बाद अपना सारा माल असबाब लेकर, चाहे वह सही तरीके से पैदा किया गया हो या गलत तरीके से पैदा किया गया हो, जा रहे थे और उनके सूटकेस से सोने के बिस्कुट, घड़ियां नेपाल से गलत तरीके से स्मगल किया गया सामान मिला, क्या मन्त्री जी को इस बात की जानकारी है ?

श्री मल्लिकार्जुन : पुलिस ने इसमें एक डकत को मारा और दो को अरैस्ट किया और उसमें जो सामान मिला है उसकी लिस्ट मेरे पास है, 80 हजार के सामान की रिकवरी हुई है। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि गोल्ड बिस्कुट मिले या नहीं तो ऐसा सामान नहीं मिला।

राष्ट्रमंडल सम्मेलन

*64· **श्री अमर राय प्रधान** }
श्री वृद्धि चन्द्र जैन } : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के प्रधान मंत्री ने हाल में हुये राष्ट्रमंडल सम्मेलन में भाग लिया था ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्मेलन के क्या परिणाम निकले ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी हां।

(ख) मुक्त और निःसंकोच वातावरण में हुए इस विचार-विमर्श के फलस्वरूप सामान्यतः उन समस्याओं को जिनका अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को सामना करना पड़ रहा है और विशेष रूप से उन समस्याओं को ज्यादा अच्छी तरह समझा गया जिनका राष्ट्रमंडल के देशों की सामना करना पड़ रहा है। इस सम्मेलन में तनाव-शैथिल्य से संघर्ष की ओर झुकाव पर, बड़े राष्ट्रों को बीच बढ़ते हुए तनाव पर और मानव जाति के अस्तित्व को खतरे में डालने वाले नाभिकीय अस्त्रों के जमाव पर अपनी चिन्ता प्रकट की। सम्मेलन ने उत्तर-दक्षिण वार्ता पर भी पर्याप्त ध्यान दिया और इस सिलसिले में राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों ने मेलबोर्न घोषणा जारी की। इसमें इस बात के महत्व को स्वीकार किया गया है कि घोषणा में जिन राजनैतिक वायदों का उल्लेख है उन्हें व्यावहारिक रूप दिया जाना चाहिए। इस घोषणा में शासनाध्यक्षों का यह संकल्प भी अभिव्यक्त है कि वे अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय की सहायता करेंगे ताकि विकसित और विकासशील देशों के बीच रचनात्मक आर्थिक सम्बन्धों के लिए एक नये युग की शुरूआत हो सके।

सम्मेलन में इस पर आम सहमति थी कि अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय को तनाव शैथिल्य और निरस्त्रीकरण के मार्ग पर लौट आना चाहिए। सम्मेलन ने इस बात को भी स्वीकार किया कि विश्व के मामले में गुट-निरपेक्ष देश महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं। इस सम्मेलन की अन्य उपलब्धियों में शामिल हैं—संयुक्त राष्ट्र संकल्प 435 के आधार पर नामीबिया के प्रश्न के शीघ्र समाधान पर समर्थन प्राप्त करना और खेल-सम्पर्क सम्बन्धी ग्लीन इगल्स करार की पुनः पुष्टि।

मेलबोर्न सम्मेलन में राष्ट्रमंडल के सदस्यों के बीच तकनीकी और आर्थिक सहयोग की भी समीक्षा की। अंत में मैं इतना और बताना चाहूंगा कि राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों की अगली बैठक 1983 के अंत में नई दिल्ली में होगी।

श्री अमर राय प्रधान : सबसे पहले मैं माननीय मंत्री को इतना लम्बा उत्तर तैयार करने के लिए बधाई देता हूं। महोदय, शायद आपको ज्ञात होगा कि मैलबोर्न सम्मेलन से पहले भारत वर्ष के सामने अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति से सम्बन्धित ज्वलन्त प्रश्न कौन-कौन से थे। मैं समझता हूं कि आप मुझसे सहमत होंगे कि भारतीय जनता के मस्तिष्क में सबसे पहला प्रश्न अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को हथियारों के, विशेषकर एफ-16 लड़ाकू विमानों के दिये जाने से सम्बन्धित था और दूसरा, संयुक्त राष्ट्र संघ के हिंन्दमहासागर को शान्ति क्षेत्र घोषित करने सम्बन्धी संकल्प की उपेक्षा करते हुए हिन्दमहासागर में गहन रूप से अमेरिकी आणविक अस्त्रों की उपस्थिति। अतः मैं यह जानना चाहूंगा कि किन कारणों से भारत सरकार राष्ट्रमंडल देशों के सम्मेलन में संयुक्त राज्य अमेरिका की निन्दा करने सम्बन्धी सकंल्प प्रस्तुत करने में असफल रही।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : पहले प्रश्न का उत्तर यह है कि राष्ट्र मंडल सम्मेलन में द्विपक्षीय मामलों पर चर्चा नहीं की जाती। इन पर कोई वाद-विवाद नहीं किया जाता और परिणाम स्वरूप विज्ञप्ति में कुछ भी प्रकट किया जाता।

जहां तक हिन्दमहासागर का मामला है सुरक्षा के वातावरण में सामान्य गिरावट का विज्ञप्ति में उल्लेख दिया गया है। किसी क्षेत्र विशेष का कोई संदर्भ नहीं दिया गया। विज्ञप्ति में बहुत

क्षेत्रों का संदर्भ दिया गया है इसमें कई क्षेत्र तथा शान्ति क्षेत्र आदि आते हैं। उदारण के लिए आप पैरा 26 देखिये।

"शासनाध्यक्षों ने, राष्ट्रमंडल के प्रतिनिधि देशों तथा विभिन्न क्षेत्रों द्वारा अपने अपने क्षेत्रों में शान्ति क्षेत्र बनाने के लिए किये गये आह्वान में निहित प्रवृत्ति को नोट किया"।

अत: यह मामला इसमें आ जाता है। किसी क्षेत्र का विशेष संदर्भ के साथ उल्लेख करना सम्भव नहीं था, क्योंकि राष्ट्रमंडल में 45 देश सम्मिलित हैं और बहुत से क्षेत्र उनसे सम्बन्धित हैं। अत: प्रत्येक क्षेत्र का अलग से उल्लेख नहीं किया गया, परन्तु जैसा कि बतलाया गया है एक इस प्रकार का समग्र स्थिति बताने वाला जोड़ दिया गया था।

श्री अमर राय प्रधान : यदि हम उत्तर को ध्यान से पढ़ें तो हमें ज्ञात होगा कि उसमें नामीबिया के प्रश्न तथा मैलबोर्न घोषणा का उल्लेख किया गया है। यह सब केवल मीठी-मीठी बातों की जादूगरी है। भारत सरकार ने पाकिस्तान की राष्ट्रमण्डल में पुनः प्रविष्टि पर क्यों आपत्ति की? मुझे इसमें कोई औचित्य दिखाई नहीं पड़ता।

मैलबोर्न में हुए राष्ट्रमण्डल सम्मेलन में अफगानिस्तान से विदेशी सेनाओं को हटाने सम्बन्धी मामले पर 41 देश एक मत थे, जिनमें भारत भी सम्मिलित था। परन्तु पिछले राष्ट्रमण्डल के शासनाध्यक्षों के सम्मेलन में जो कि दिल्ली में हुआ था, अफगानिस्तान में विदेशी सेनाओं का कोई उल्लेख भी नहीं था। अत: मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या अफगानिस्तान के बारे में भारत सरकार की विदेश नीति में कोई परिवर्तन आया है?

मैं यह भी जानना चाहूंगा कि क्या भारत सरकार का राष्ट्रमण्डल को छोड़ने का विचार है?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : वस्तुतः मुझसे माननीय सदस्य को यह सूचना देनी रह गयी कि हिन्दमहासागर का भी पैरा 32 में उल्लेख किया गया है और इसकी रचना वैसी ही है जैसी कि हमारी थी।

अफगानिस्तान, कम्पूचिया तथा दक्षिण पूर्व एशिया के सम्बन्ध में मैं सभा को सूचित करना चाहता हूं कि जो योजना यहां बनाई गयी वह नई दिल्ली में आयोजित किए गये राष्ट्रमण्डलीय सम्मेलन में आये निर्गुटीय देशों के विदेश मन्त्रियों की सर्व सहमति के अनुरूप है। इसमें थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है, परन्तु मुख्य रूप से यह उसी आधार पर है।

श्री अमर राय प्रधान : मैं जानना चाहूंगा कि नीति में कोई परिवर्तन है या नहीं।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : अध्यक्ष महोदय, वैस्टर्न कन्ट्रीज की जो ट्रेड एण्ड प्रोटैक्शनिज्म की नीति है, उस नीति को लाने में इस कान्फ्रेंस को किस प्रकार की सफलता मिली?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : अध्यक्ष महोदय, इस मामले में भी पूरा-पूरा इसमें उल्लेख हुआ है। यहां तक यह बात भी की गई कि कॉमन-वैल्थ वाले देशों के कुछ विशेषज्ञ मिलकर इस

बात का पता लगायें, छानबीन-करें, कि इस प्रोटैक्शनिज्म की नीति के कारण हमारे जो विकासशील देशों का कितना नुकसान हो रहा है ।

श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर : आपको ज्ञात होगा कि खालिस्तान आन्दोलन के नेता एक राष्ट्र मण्डल के सदस्य देश अर्थात् कनाडा को हमारे देश की एकता और अखण्डता पर आक्रमण करने के लिए प्रयोग कर रहे हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या प्रधान मंत्री ने इस विषय पर राष्ट्र मण्डल सम्मेलन में चर्चा की है और इस पर अपना आक्रोश प्रकट किया है, क्योंकि वे कनाडा के नागरिक हैं। क्या इस पर चर्चा की गई थी तथा यदि की गई थी तो उसके क्या परिणाम निकले ?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : हमारी सरकार ने इस विषय पर कनाडा सरकार से बातचीत की हैं। मैंने इस विषय पर बहुत से प्रश्नों का उत्तर दे दिया है। माननीय सदस्य कृपया उन उत्तरों को देख लें।

श्री भेरावदन के० गधावी : जनता पार्टी के शासन काल में अन्तर्राष्ट्रीय मंच में भारत की प्रतिष्ठा बहुत अधिक कम हो गयी थी। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या प्रधान मंत्री के इस सम्मेलन में भाग लेने तथा अन्य देशों के दौरे से विभिन्न समस्याओं के बारे में भारतवर्ष की विचार धारा दूसरे देशों को अधिक अकाट्य ढंग से स्पष्ट हो गयी है और अब उनकी प्रतिक्रिया अधिक अच्छी है ;

श्री पी० वी० नरसिंह राव : जी हां, इस दौरे का यही उद्देश्य था; राष्ट्रमण्डल सम्मेलन तथा दूसरे सम्मेलनों में भाग लेने का हमारा यही उद्देश्य था।

श्री एच०के०एल० भगत : मैं अपने प्रधान मंत्री द्वारा राष्ट्रमण्डल सम्मेलन में निभाई गई ठोस भूमिका के लिए बधाई देता हूं। मैं जानना चाहूंगा कि क्या यह सत्य है कि यद्यपि कुछ मामलों पर मतभेद था, परन्तु फिर भी विभिन्न शासनाध्यक्षों द्वारा प्रदर्शित बुद्धिमानी तथा हमारी प्रधान मंत्री की मार्गदर्शी भूमिका के कारण, आस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री तथा अन्य शासनाध्यक्षों ने जिन्होंने सर्वहित के मामलों पर सामान्य रुख अपनाने के महत्त्व पर बल दिया गया था, एक सामान्य विचार धारा बनवा दी जिससे कानकुन सम्मेलन में विकासशील देशों की कुछ हद तक सहायता मिली।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : जी हां। ऐसा कोई नहीं मानता कि किसी भी मामले पर मतभेद नहीं था। परन्तु इन मतभेदों को इस तरीके से दूर किया गया था कि विज्ञप्ति में इन देशों के बीच अधिकतम मामलों में सहमति दर्शायी गयी है। इसका अपना प्रभाव रहा है और अगले कानकुन सम्मेलन पर भी इसका प्रभाव पड़ा है।

श्री गुलाम रसूल कोचक : राष्ट्रमण्डल सम्मेलन के परिणाम विश्वव्यापी बातचीत पर निर्भर करते हैं। कानकुन सम्मेलन में विकासशील देशों के प्रति शक्तिशाली देशों द्वारा दिखाये गये रुख को ध्यान में रखते हुए, क्या विश्वव्यापी बातचीत में सफलता प्राप्त करना सम्भव है ?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : इसका कोई पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। वस्तुतः हम अगले प्रश्न पर आ रहे हैं। मैं कानकुन सम्मेलन सम्बन्धी एक प्रश्न का उत्तर देने जा रहा हूं। मैं सभा के समक्ष यह निवेदन कर सकता हूं कि कानकुन सम्मेलन के परिणाम स्वरूप कुछ प्रगति हुई है, यद्यपि इसको मापा नहीं जा सकता। इसका वास्तविक अनुमान तत्काल नहीं लगाया जा सकता। हम उन चर्चा के परिणामों की प्रतीक्षा कर रहे हैं जो इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ में हो रही हैं।

श्री झारखण्डे राय : विदेश मंत्री जी इस बात को बतायें, भारत की इस राष्ट्रीय भावना का ख्याल करके कि 1929 में लाहौर के कांग्रेस अधिवेशन में एक प्रस्ताव पास किया गया था कि हमारी आजादी का मतलब होगा कि ब्रिटिश लिंक को हम समाप्त कर देंगे, उस बात को ध्यान में रखकर क्या प्रधान मंत्री जी ने किसी स्टेज पर इस बात की चर्चा ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर से की कि भारत अब कामन-वैल्थ से अलग होना चाहता है?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : उस वक्त उद्देश्य यह था कि ब्रिटिश सरकार से जो हमारा साम्राज्यवादी लिंक है, उसका विच्छेद होना चाहिए और वह हो चुका है। कामन-वैल्थ सार्वभौम राष्ट्रों की एक बैठक है, उनका एक सम्मेलन है, इस में ऐसा कोई प्रश्न नहीं उठता है।

वर्ष 1981–82 के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम हेतु रखी गई राशि और उपलब्धि

*** 66. डा० कृपा सिंधु भाई** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1981-82 के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिये कितनी राशि रखी गई है ;

(ख) इस वर्ष अप्रैल से सभी राज्यों द्वारा इस प्रयोजन हेतु कुल कितनी राशि व्यय की गई और प्रत्येक राज्य को अब तक कितनी सफलता प्राप्त हुई ;

(ग) क्या चालू वर्ष में जनसंख्या नियंत्रण में अब तक मिली सफलता लक्ष्य से काफी कम है,

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) परिवार नियोजन कार्यक्रम को और अधिक प्रभावी ढंग से चालू करने के लिए सरकार द्वारा क्या ठोस कदम उठाये गये हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (ङ) सभा पटल पर एक विवरण रख दिया गया है।

[**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या** एल० टी० 2951/81]

डा० कृपा सिंधु भोई : मेरा प्रश्न है:

"वर्ष 1981-82 के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिए कितनी राशि रखी गई है ?"

बजटीय प्रावधानों में छठी पंचवर्षीय योजना के लिए 1400 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है और उत्तर के अनुसार '155 करोड़ रुपये की राशि है'। यह लक्ष्य से कहीं कम है और व्यय भी इसी प्रकार है।

भाग (ग) में मैंने विशेष रूप से पूछा है: "क्या चालू वर्ष में जनसंख्या नियंत्रण में अब तक मिली सफलता लक्ष्य से काफी कम है ?"

इसका उत्तर "नहीं" है और कारणों के संबंध में भाग (घ) का उत्तर है 'प्रश्न ही नहीं उठाता'। संलग्न विवरण में, यदि आप देखें तो नसबन्दी के मामले में अनेक राज्य लक्ष्य से काफी पीछे हैं।

अत: मैं मंत्री महोदय से स्पष्ट रूप से यह जानना चाहता हूं। दूरदर्शन में साक्षात्कार के अनुसार श्रीमती गांधी ने वृद्धि दर 33 प्रति हजार तथा मृत्यु-दर 9 बताई थी। अत: वह इसे घटा कर 21 प्रति हजार करना चाहती हैं। हालांकि अन्तर्राष्ट्रीय मृत्यु-दर 4 से 5 प्रति हजार है। प्रधान मंत्री के दूरदर्शन साक्षात्कार को ध्यान में रखते हुए लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उस लक्ष्य के अनुसार क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सभी राज्यों और विभागों ने लक्ष्य निर्धारित किए हैं और वो कौन से राज्य हैं जिन्होंने प्रधान मंत्री के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया है और क्या विभाग ने प्रधान मंत्री, श्रीमती इंदिरा गांधी के लक्ष्य के बारे में विचार किया है—यह मेरा पहला प्रश्न है।

श्री बी० शंकरानन्द : सच बात तो यह है कि मैंने इस प्रश्न का बहुत विस्तृत उत्तर दे दिया है और विभिन्न राज्यों द्वारा कार्य करने, अच्छा कार्य करने और कार्य न करने के विषय में जो भी सूचना मेरे मित्र ने मांगी है वह उसमें है।

जिन लक्ष्यों का उन्होंने उल्लेख किया है वे उन्हें इस शताब्दि के अन्त तक प्राप्त किया है। महोदय, केवल समय-समय पर अपनायी जाने वाली प्रणाली के संदर्भ में लक्ष्यों की संकल्पना को गलत नहीं समझा जाना चाहिए। पहले बच्चे को देर से जन्म देना, बच्चों के जन्म में अन्तर रखना तथा अन्त में सम्पूर्ण प्रक्रिया को समाप्त कर देना परिवार नियोजन और छोटा परिवार रखने के विभिन्न उपाय हैं।

परन्तु मैं एक तथ्य सभा को बताना चाहता हूं कि इस परिवार नियोजन कार्यक्रम में ढील दे दी गई थी। 1977-81 की अवधि के दौरान इसमें ढील दी गई थी और इसे बुरी तरह से बिगाड़ दिया गया था। इसे पुनर्ज्जीवित करने तथा देश में इसकी विश्वसनीयता कायम करने के लिए हमें काफी प्रयास करना पड़ा और अब यह कार्यक्रम जोर पकड़ रहा है। अत: मैं कहूंगा कि इस तरह से परिणाम बहुत उत्साहजनक है।

डा० कृपा सिंधु भोई : मेरा प्रश्न कुछ और था............(व्यवधान) मेरा प्रश्न था श्रीमती गांधी ने छठी पंचवर्षीय योजन में देश की एक दशक की वृद्धि ,6 प्रतिशत रखी थी। उसको

ध्यान में रखते हुए और चूंकि 1+1 तीन नहीं हो सकते हैं हमें एक अग्रदर्शी दृष्टि कोण अपनाना चाहिए। यह दलगत मामला नहीं है। यह राष्ट्रीय मामला है और 16% की एक दशक की वृद्धि का राष्ट्रीय लक्ष्य है जिसे हमें प्राप्त करना है। इसको ध्यान में रखते हुए, पिछले आधे घंटे की चर्चा में भी मैंने कहा था कि छठी पंचवर्षीय योजना के लिए 1400 करोड़ रुपये का आवंटन बहुत कम है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या स्वास्थ्य मंत्री इस पर वित्त मंत्री के साथ विचार-विमर्श करेंगे और अधिक धनराशि का आवंटन करवाएंगे और क्या इस बजट में वह 16% वृद्धि दर का लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। यह मेरा पहला प्रश्न है............महोदय उन्होंने मेरे प्रश्न का ठीक से उत्तर नहीं दिया है............

अध्यक्ष महोदय : आपने काफी समय ले लिया है।

डा० कृपा सिंधु भोई : मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न यह है कि क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन विभाग में सचिव, परिवार नियोजन आयुक्त, विभिन्न सहायक आयुक्त और उपायुक्तों की नियुक्ति के सम्बन्ध में कोई समान नीति है।

अब वह बदल गई है। परिवार नियोजन के लिए आयुक्त का पद अब नौकरशाह को दिया जाता है। इससे पूर्व, आयुक्त या अतिरिक्त सचिव के पद पर हमेशा ही तकनीकी विदों को नियुक्त किया जाता रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय को इस बात का पता है। **(व्यवधान)** अनुसंधान और विकास की प्रगति कैसी है और क्या मंत्री महोदय पूरे देश में राज्यों के मुख्यालयों में अलग से एक निकाय के रूप में अनुसंधान तथा विकास विभाग बनाएंगे ? यदि ऐसा किया जाता है, तो अनुसंधान और विकास विभाग अच्छी तरह कार्य कर सकता है। जनसंख्या नियंत्रण के टीके की क्या स्थिति है जिसके बारे में पीछे विचार किया गया था।

अध्यक्ष महोदय : काफी लम्बा अनुपूरक प्रश्न है। यदि इसी प्रकार के अनुपूरक प्रश्न चलते रहे तो मुझे नहीं मालूम कि क्या होगा।

डा० कृपासिंधु भोई : जी नहीं श्रीमन्। यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री बी० शंकरानन्द : महोदय, माननीय सदस्य ने तकनीकीविदों और नौकरशाहों के बीच विवाद का उल्लेख किया। इस प्रकार की कोई बात मेरे मंत्रालय में नहीं हो रही है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् में किए गए कार्य के विषय में............**(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या आप उन दोनों में कोई विवाद खड़ा करवाना चाहते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : श्री चटर्जी स्वयं वकील हैं और वह अपनी आय बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं।

श्री बी० शंकरानन्द : महोदय, श्री चटर्जी का भी यही पेशा है। मैं स्वयं भी एक एडवोकेट हूं परन्तु मैं एक गलत मामले की पैरवी नहीं करता।

जहां तक अनुसंधान का प्रश्न है, आई० सी० एम० आर० एक स्वायत्तशासी निकाय है और इस कार्यक्रम की पूर्ति के लिए जो कुछ आवश्यक है उसके लिए वह कार्य कर रहा है।

डा० कृपासिन्धु भोई : अध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि मैंने एक स्पष्ट प्रश्न पूछा ।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है । डा० कर्ण सिंह ।

डा० कृपासिन्धु भोई : महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं । यदि आप सन्तुष्ट हैं तो मैं भी सन्तुष्ट हूं । क्या आप सन्तुष्ट हैं ?

अध्यक्ष महोदय : यह एक लम्बा अनुपूरक प्रश्न है ।

डा० कृपासिन्धु भोई : इन पदों पर पिछले तीन शासन कालों से तकनीकी व्यक्ति काम कर रहे थे । इस पद पर अब एक गैर-तकनीकी अधिकारी कैसे काम कर रहा है ? मेरा यह साधारण सा प्रश्न है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या अब टीका बन गया है ?

एक माननीय सदस्य : मंत्री जी सन्तोषजनक उत्तर नहीं देते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये । अब डा० कर्ण सिंह ।

डा० कर्ण सिंह : अध्यक्ष महोदय, राष्ट्र के भविष्य के लिए परिवार नियोजन एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम है । मेरे विचार में यह एक सर्वमान्य तथ्य है और सभी इसे स्वीकार करते हैं । महोदय, जहाँ तक भाग (ग) का सम्बन्ध है अर्थात् इस प्रश्न का कि क्या इस वर्ष की उपलब्धि लक्ष्य से कम रही, मंत्री जी ने नकारात्मक उत्तर दिया है ।

बहरहाल, अगर आप नसबन्दी के विवरणों को देखें तो आप पांएगे कि हमारा इस वर्ष का कुल लक्ष्य 29 लाख का था । सात महीनों में केवल 11 लाख नसबन्दी की गई जो कि कुल लक्ष्य का लगभग एक तिहाई है । इस प्रकार मन्त्री जी द्वारा दिए गए विवरण के अनुसार भी अब तक अर्थात् अक्टूबर के अन्त तक उपलब्धि लक्ष्य से कम रही ।

मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय इस मुद्दे को स्पष्ट करें । भारतीय जनसंख्या के सम्बन्ध में तीन अनुमान लगाए गए हैं । सर्वाधिक आशावादी अनुमान यह है कि इस शताब्दि के अन्त तक भारत की जनसंख्या 85 करोड़ हो जाएगी और बीच का अनुमान यह है कि आबादी बढ़कर 92.5 करोड़ हो जाएगी और सबसे निराशावादी अनुमान यह है कि आबादी बढ़कर एक अरब हो जाएगी ।

मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय कृपया यह बताएं कि सरकार द्वारा जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, उनका उद्देश्य निम्न लक्ष्य, बीच का लक्ष्य अथवा उच्च लक्ष्यों में से कौन सा लक्ष्य प्राप्त करना है क्योंकि उन्होंने ठीक ही कहा है कि यह एक संचयी प्रयास है । परन्तु मुझे ऐसा प्रतीत है कि आपने जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं, वे इतने कम हैं कि इस शताब्दि के अन्त तक आबादी एक अरब से कम नहीं होगी । क्या मंत्री महोदय, इन दोनों मुद्दों, अर्थात् पहला यह कि लक्ष्य की तुलना में पिछले सात महीनों में केवल ग्यारह लाख नसबन्दियां कैसे हुईं और इस शताब्दि के अन्त तक का आपका लक्ष्य क्या है ?

श्री बी० शंकरानन्द : महोदय, मैं माननीय सदस्य महोदय स्वयं एक नाजुक समय में स्वास्थ्य मंत्री थे। मैं कहना चाहता हूं कि लक्ष्य निर्धारित करने का यह अर्थ नहीं है कि यह केवल नसबन्दी का लक्ष्य है या नसबन्दी सम्बन्धित है।

डा० कर्ण सिंह : मैंने यह कहा है कि नसबन्दी का आपने बहुत कम लक्ष्य निर्धारित किया है।

श्री बी० शंकरानन्द : महोदय, यदि मननीय सदस्य मैंने जो विवरण प्रस्तुत किया है उसे देखें तो वे पांएगे कि उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे बड़े राज्यों का लक्ष्य राष्ट्रीय औसत से बहुत कम रहा है। और यही कारण है कि इससे छोटे राज्यों की उपलब्धियां प्रकाश में नहीं आ पाती हैं।

डा० कर्ण सिंह : मेरे प्रश्न के दूसरे भाग अर्थात् आप जो लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं क्या वे लक्ष्य इस शताब्दि के अन्त तक के लक्ष्य को प्राप्त करने में पर्याप्त हैं ?

श्री बी० शंकरानन्द : महोदय, मैं जैसा कि पहले कह चुका हूं परिवार नियोजन के कार्यक्रम को धक्का लग़ा था, मैंने इसे पुनः पूरा करने के लिए कुछ काम किया है जिसके फलस्वरूप इसने अब गति पकड़ ली है। इन्हीं बातों को दृष्टि में रखते हुए मैंने ये लक्ष्य निर्धारित किए हैं जब यह और गति पकड़ लेंगे तो लक्ष्यों में संशोधन कर दिया जाएगा।

श्री बीजू पटनायक : महोदय, ऐसा प्रतीत होता है कि माननीय मन्त्री महोदय ने एक अरब का लक्ष्य इसलिए निर्धारित किया है क्योंकि उनके आठ बच्चे होने से वे स्वयं इस लक्ष्य की प्राप्ति में योगदान दे रहे हैं। **(व्यवधान)**

श्री सन्तोष मोहन देव : महोदय, हाल ही में 'जनसंख्या सम्बन्धी एशियाई सम्मेलन' में भाग लेने जब हम चीन गए तो जनसंख्या के क्षेत्र में चीन सरकार द्वारा किए गए कार्य को देखकर हमें अत्यन्त प्रसन्नता हुई। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार यहां दिए जा रहे तदर्थ प्रोत्साहन की बजाय चीन की भांती स्थायी प्रोत्साहन देगी। वहां वे पचास रुपए प्रतिमास, अधिक राशन, अधिक आवास आदि देते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार स्थायी या निरन्तर चलने वाले प्रोत्साहन देने पर विचार कर रही है ? यदि हां तो वे इसे कब और कैसे क्रियान्वित करेगी ?

श्री बी० शंकरानन्द : चीन का राजनीतिक ढांचा हमारे राजनीतिक ढांचे से पूर्व तथा भिन्न है। इस देश के प्रजातान्त्रिक ढांचे को देखते हुए प्रधान मंत्री द्वारा प्रायः ऐसा कहा गया है कि परिवार नियोजन कार्यक्रम को सरकारी कार्यवाही से मुक्ति दिलानी है और इसे जन कार्यक्रम बनाना है। **(व्यवधान)**

श्री सन्तोष मोहन देव : महोदय, प्रोत्साहन का साम्यवाद और लोकतन्त्र से क्या लेना देना ? **(व्यवधान)**

श्री बी० शंकरानन्द : विपक्ष इस गम्भीर समस्या को बहुत ही हलके ढंग से लेता प्रतीत होता है। मेरे विचार में इस समस्या पर गम्भीरता से विचार करने की इच्छा नहीं है। मैं इस मामले पर और अधिक कुछ नहीं कह सकता।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न। सदस्य अनुपस्थित है यह अनुपस्थिति का दिन है। अगला प्रश्न।

नया बोंगईगांव और कलकत्ता के बीच सुपरफास्ट ट्रेन की मांग

*68. **श्री आनन्द पाठक :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उत्तरी बंगाल, आसाम और पूर्वी क्षेत्र के लोग नया बोंगईगांव और कलकत्ता के बीच एक सुपरफास्ट रेल गाड़ी चलाने की मांग लम्बे समय से करते आ रहे हैं,

(ख) क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि रेलवे ने इस तरह की सुपरफास्ट ट्रेन चलाने का निर्णय पहले ही ले लिया था,

(ग) यदि हां, तो ट्रेन को शुरू करने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं, और

(घ) इस तरह की ट्रन कब शुरू की जाएगी और तत्सम्बधी ब्यौरा क्या है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) जी हां।

(ख) से (घ) : न्यू बोंगाईगांव और कलकत्ता के बीच अतिरिक्त एक्सप्रेस गाड़ियां चलाने की जांच की गयी है और सवारी डिब्बों की भारी कमी, मार्गवर्ती खंडों, न्यू बोंगाईगांव तथा सियालदह/हवड़ा पर टर्मिनल क्षमता की कमी के कारण व्यावहारिक नहीं पाया गया है।

श्री आनन्द पाठक : माननीय मंत्री जी का उत्तर वास्तव में अस्पष्ट है। मैं यह जानना चाहता था : सुपरफास्ट रेलगाड़ी के अभाव में हजारों यात्री अत्यधिक असुविधा का सामना कर रहे हैं। कलकत्ता एक बहुत ही महत्वपूर्ण नगर है और यह वाणिज्यिक गतिविधियों का एक अत्यन्त महत्वपूर्ण केन्द्र है। असम, पूर्वी क्षेत्र, उत्तरी बंगाल, सिक्किम, भूटान, नेपाल तथा अन्य कई स्थानों के हजारों लोगों को नया बोंगईगांव तथा नया जलपाई गुड़ी से रेलगाड़ी पकड़नी होती है। परन्तु मौजूदा रेलगाड़ियां इस समस्या के समाधान के लिए बहुत ही अपर्याप्त हैं।

जलपाईगुड़ी से चलने वाली दार्जिलिंग मेल भी लोगों की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाती। इससे भी बढ़कर, जलापईगुड़ी से चलने वाली दार्जिलिंग मेल कलकत्ता कभी भी निर्धारित समय पर नहीं पहुंचती जिस से लोगों को काफी कठिनाइयां होती हैं।

अतः यात्री संघ, विभिन्न संघठन तथा विशिष्ट नागरिक एक लम्बे समय से इस मार्ग पर एक सुपरफास्ट रेलगाड़ी चलाए जाने की मांग करते आ रहे हैं।

इसे दृष्टि में रखते हुए क्या में माननीय मंत्री महोदय से पूछ सकता हूं कि क्या वे इस मामले पर पुनः विचार करने को तैयार हैं और सुपरफास्ट रेलगाड़ी चलाकर इस पिछड़े क्षेत्र के हजारों यात्रियों की कठिनाइयां दूर करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

श्री मल्लिकार्जुन : नया बोंगईगांव से गोहाटी तक ब्राडगेज लाइन का काम पूरा हो जाने के पश्चात् माननीय सदस्य महोदय की इच्छानुसार जो कलकत्ता से नया बोंगाई गांव के बीच नई सुपरफास्ट गाड़ी चलवाना चाहते हैं। इस पर पुनः विचार किये जाने की पूरी सम्भावना है। उसके परिणामस्वरूप टर्मिनल सुविधाएं तथा अन्य चीजें उपलब्ध कराई जाएगी। यह सब नया बोंगईगांव से गोहाटी तक नई ब्राडगेज लाइन बिछाने का कार्य पूरा हो जाने के पश्चात् होगा।

श्री आनन्द पाठक : हमने देखा है कि रेलवे ने 'पर्यटक मौसम' के दौरान कुछ 'ग्रीष्म कालीन विशेष गाड़ियां चलाई थीं। उसी आधार पर सरकार नियमित रूप से एक्सप्रेस गाड़ियां और मेल गड़ियां क्यों नहीं चलाती जिससे इस पिछड़े क्षेत्र की समस्या किसी सीमा तक हल की जा सके ? महोदय, 1980 के लोकसभा चुनावों के तत्काल पश्चात् सरकार ने ऊर्जा मंत्री श्री गनीखाँ चौधरी की छवि बढ़ाने के लिए मालदा से कलकत्ता के बीच एक 'गौर एक्सप्रेस चलाई। क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार इसी गाड़ी को नया जलपाईगुड़ी तक क्यों नहीं बढ़ा रही है ताकि दैनिक यात्रियों की समस्या किसी हद तक हल की जा सके ? इस लाइन का नया जलपाईगुड़ी तक विस्तार बड़ी आसानी से किया जा सकता है। क्या मैं जान सकता हूं कि आपके समक्ष क्या प्रस्ताव है ? क्या सरकार इन दो विकल्पों पर विचार करेगी जिससे किसी सीमा तक इस समस्या को हल किया जा सके ?

श्री मल्लिकार्जुन : 53 और 54 'गौर एक्सप्रैस' को मालदा से नया जलपाईगुड़ी या नया बोंगईगांव तक बढ़ाने के प्रश्न पर भी विचार किया गया, परन्तु हमने देखा कि अब तक इसे बढ़ाना सम्भव नहीं हुआ है।

श्री अमर राय प्रधान : श्रीमन, माननीय सदस्य के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है। आप को मालूम ही नहीं है कि न्यू बोंगईगांव कहां पर है।

श्री मल्लिकार्जुन : मैं पहले ही इस सम्मानित सभा को वता चुका हूँ कि इस सैक्सन में कुछ कठिनाइयां हैं। यही मुख्य कारण है। जब न्यू बोंगईगांव गौहाटी बड़ी लाइन का निर्माण हो जायेगा तो टर्मिनल सुविधाओं की व्यवस्था भी की जायेंगी। इसके बाद हम इस बात पर विचार करने की स्थिति में होंगे कि क्या इसी गाड़ी को बढ़ाया जाये अथवा नई गाड़ी चलाई जायें।

श्री अमर राय प्रधान : श्रीमन, मंत्री महोदय न्यू बोंगईगांव की समस्त भौगोलिक स्थिति से सर्वथा अपरिचित हैं। वह न्यू बोंगईगांव गौहाटी सैक्शन की बात कर रहे हैं। इस क्षेत्र में केवल दो गाडियों न्यू बोंगईगांव से कलकत्ता तक चल रही हैं। उत्तर बंगाल क्षेत्र में लगभग एक करोड़ लोग हैं। जिनके लिए आप केवल दो गाडियां चला रहे हैं। वह न्यू बोंगईगांव, सियाल्दह तथा हावड़ा के लिए टर्मिनल सुविधाओं की बात कर रहे थे। इन स्थानों पर टर्मिनल सुविधाएं उपलब्ध हैं। वहां पर पश्न अतिरिक्त टर्मिनल सुविधाओं का हो सकता है। कुछ समय पूर्व

पश्चिम बंगाल विधान सभा में सर्व-सम्पति से संकल्प पास हुआ था। आपकी पार्टी कांग्रेस (आई) ने भी उक्त संकल्प को समर्थन दिया था कि न्यू कूच-बिहार से सियाल्दह हावड़ा तक एक गाड़ी होनी चाहिए परन्तु मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहता हूं कि हाल ही में दिल्ली तथा पटना क्षेत्र से 48 नई गाडियां चलाई गई हैं। इस क्षेत्र की जनता इस मामले में उत्तेजित है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि कब तक सभा को इस प्रकार के प्रतिक्रियावादी उत्तर दिये जाते रहेंगे। क्या यह कार्य 1985 तक अथवा उसके बाद पूरा होगा।

श्री मल्लिकार्जुन : क्रिया तथा प्रतिक्रिया एक दूसरे का समान रूप से विरोध करती हैं। यदि आप मुझे प्रतिक्रियावादी कहते हैं तो आप स्वयं भी प्रतिक्रियावादी बन जाते हैं। फिर हम प्रतिक्रियावादी नहीं बनना चाहते। इस समय प्रश्न कलकत्ता से न्यू बोंगईगांव तक अति-तीव्र गाड़ी चलाये जाने का है। यदि मैं केवल न्यू बोंगईगांव का नाम ही लेता हूं तथा यदि माननीय सदस्य समझते हैं कि न्यू बोंगईगांव का इस मामले से किस प्रकार संबन्ध है; तो मुझे इस बात पर और कुछ नहीं कहना है। मैंने यह कहा था कि सैक्सन एक में कुछ कठिनाइयां हैं। और टर्मिनल सुविधाओं की अनिवार्य रूप से भावध्यकता है ताकि रेकों की ठीक देखभाल की जा सके। इसके अलावा हमें सवारी डिब्बों की कमी का भी सामना करना पड़ रहा है। विधान सभा द्वारा पारित संकल्प को ध्यान में रखते हुए यह सभी बातें गौण हो जाती हैं। परन्तु जब तक सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। तब तक कलकत्ता से न्यू बोंगईगांव तक सुपर-फास्ट गाड़ी इस प्रकार के दबाव में आकर चलाना संभव नहीं है। आज उत्तर-पूर्व तथा उत्तर बंगाल में 5 गाड़ियां चल रही हैं।

श्री ऊषा वर्मा : फरुखाबाद से बड़ी लाइन शाहजहांपुर और मोहमदी होते हुए गोला जाती है। यहां पर कोई रेलवे लाइन और गाड़ी नहीं है। वहां पर लाखों करोड़ों लोगों का आना जाना रहता है। कोई भी गाड़ी न होने की वजह से लोग असहाय हैं। क्या मंत्री महोदय ने इस बारे में विचार किया है ?

श्री मल्लिकार्जुन : यह प्रश्न सम्बधित नहीं है।

श्री सुनील मैत्रा : श्रीमान् यह अनुपूरक प्रश्न पूछा गया था कि सियालदह स्टेशन से न्यू मालदा स्टेशन तक चलने वाली रेलगाड़ी को न्यू जलपाईगुड़ी तक क्यों नहीं बढ़ाया जा सकता ? न्यू जलपाईगुड़ी तथा बोंगईगांव स्टेशन एक दूसरे से बहुत दूर हैं। मालदा स्टेशन से एक गाड़ी को जलपाईगुड़ी तक बढ़ाये जाने में टर्मिनल सुविधाएं तथा रेकों की उपलब्धि बाधक नहीं बनती। क्या मंत्री महोदय सभा को आश्वासन देंगे कि रेल सेवाएं मालदा स्टेशन से न्यू जलपाईगुड़ी तक बढ़ा दी जाएगी ?

श्री मल्लिकार्जुन : उसी प्रश्न के दोहराये जाने पर मैं पहले कही गई बात को नहीं दोहराऊंगा। इसके अतिरिक्त उत्तर-पूर्वी क्षेत्र को कुछ आवश्यक वस्तुएं अन्य चीजों की सप्लाई भेजनी होती है। इसलिए क्षेत्र में माल-यातायात एक महत्त्वपूर्ण कारक है। फिर भी यात्री परिवहन की अपनी महत्ता है। यह गौण बात है कि 53-54 गौड़ एक्सप्रेस किस मंत्री द्वारा शुरू की गई थी। तथ्य यह है कि मेरे द्वारा उल्लेख की गई कठिनाइयों के कारण उसे बढ़ाया नहीं जा सकता।

अनौपचारिक शिक्षा

*69 श्री पी० राजगोपाल नायडू : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में अनौपचारिक शिक्षा देने की योजना को कार्यान्वित कर रही है ; और

(ख) क्या सरकार इस प्रकार की शिक्षा शुरू करने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को प्रोत्साहित कर रही है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) जी हां प्रारम्भिक शिक्षा को व्यापक बनाने के कार्यक्रम के एक अंग के रूप में, राज्यों/संघीय क्षेत्रों को उन बच्चों के लाभ के लिए गैर-औपचारिक शिक्षा केन्द्र प्रारम्भ करने की सलाह दी गई है जो औपचारिक शिक्षा पद्धति से लाभ नहीं उठा पाए हैं। शैक्षिक रूप से पिछड़े राज्यों को इस प्रयोजन के लिए केन्द्र सरकार द्वारा वित्तीय सहायता दी जाती है। इन राज्यों में स्वैच्छिक संगठन भी गैर-औपचारिक शिक्षा केन्द्र चलाने के लिए सहायता पाने के पात्र हैं। गैर-औपचारिक शिक्षा के क्षेत्र में नवीन और प्रयोगात्मक परियोजनाओं के लिए भी हर राज्य/संघीय क्षेत्र में स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता उपलब्ध होती है।

श्री पी० राजगोपाल नायडू : क्या सरकार स्वैच्छिक संगठनों को उनके द्वारा स्थापित गैर-औपचारिक शिक्षा केन्द्रों के पर्यवेक्षण के लिए कोई सहायता देती है ?

श्रीमती शीला कौल : जैसा मैंने बताया हम स्वैच्छिक संगठनों को सहायता देते हैं परन्तु मुझे यह बताते हुए खेद है कि अभी तक हमारे पास इस बारे में केवल छः आवेदन प्राप्त हुए हैं ; हम स्वैच्छिक संगटनों से और आवेदनों की प्रतीक्षा कर रहें हैं, उन्हें हमारी सहायता के लिए आगे आना चाहिए।

श्री पी० राजगोपाल नायडू : मेरा प्रश्न था 'क्या स्वैच्छिक संगठनों को गैर-औपचारिक शिक्षा केन्द्रों के पर्यवेक्षण के लिए सहायता दी जाती हैं ?

श्रीमती शीला कौल : नहीं श्रीमन्, हम इस तरह की सहायता नहीं देते।

श्री पी० राजगोपाल नायडू : क्या इन केन्द्रों को बच्चों को शिक्षित करने के लिए कोई श्रृव्य-दृश्य शिक्षा उपकरण दिए जाते है ?

श्रीमती शीला कौल : वास्तव में भारत में नौ राज्य, अर्थात, पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, उड़ीसा, उत्तर-प्रदेश, मध्य-प्रदेश राजस्थान, आंन्ध्र प्रदेश, और जम्मू तथा काश्मीर शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े हुए राज्य हैं। जिन राज्यों में निरक्षरों की सरकार देश के कुल मतदाताओं की संख्या 80% है हम उनकी देख भाल कर रहे हैं। हमारे कुछ केन्द्र हैं जो बीच में ही पढ़ाई छोड़ देने वाले

छात्रों पर ध्यान देते हैं । देश में प्राथमिक स्तर के अन्त तक पढ़ाई छोड़ने वाले 63% हैं तथा माध्यामिक स्तर के अंत तक पढ़ाई छोड़ने वाले 77% छात्र हैं । जैसा कि मैंने बताया हमने गैर औपचारिक शिक्षा के लिए केन्द्र स्थापित किये हैं । मानवीय सदस्य ने पूछा है कि क्या हम बच्चों को शिक्षा देने के लिए श्रृव्य-दृश्य सामग्री देते हैं । इस बारे में मुझे पता लगाना पड़ेगा कि क्या हम इन केन्द्रों को ऐसी सहायता देते है या नहीं । तो भी मैं यह बताना चाहती हूँ कि विभिन्न राज्यों द्वारा इन गैर औपचारिक शिक्षा केन्द्रों की देख-भाल भली प्रकार की जाती है। कुछ केन्द्रों की देख भाल केन्द्रीय सरकार करती है तथा कुछ केन्द्रों की देख भाल राज्यों द्वारा की जाती है।

श्री ए० ई० टी० बैरो : श्रीमन, क्या यह है कि अनौपचारिक शिक्षा सम्बन्धी परीक्षण में आठ क्षेत्रीय सलाहकार चौदह कालेज तथा 2000 गाँव संवद्ध किये गये थे तथा परिमाण असंतोषजनक रहे । मैं जानना चाहता हूं कि इस प्रयोग की व्यवस्था अथवा समन्वय किसने किया तथा इस पर कितना धन व्यय हुआ ।

श्रीमती शीला कौल : जैसा कि मैंने अभी बताया था इन केन्द्रों की व्यवस्था केन्द्रों द्वारा तथा राज्यों द्वारा की जा रही है और जो राज्य शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हैं वे इन केन्द्रों को चला रहे हैं ।

श्री ए० ई० टी० बैरो : मेरा प्रश्न यह नहीं है यह कार्य केन्द्र द्वारा किया गया है अथवा राज्यों द्वारा । मेरा प्रश्न उस प्रयोग के बारे में है जो शायद एन० सी० ई० आर० टी० द्वारा किया गया था तथा उसके परिणाम असंतोषजनक रहे । मैं जानना चाहता हूं कि इस प्रयोग पर कितनी राशि व्यय हुई ?

श्रीमती शीला कौल : श्रीमन, हमारे संविधान के अनुच्छेद 45 के अनुसार शिक्षा की सार्वभौमीकरण की अपेक्षा है और उसी उद्देश्य से यह गैर-औपचारिक शिक्षा आरम्भ की गई है । हमने अनुभव किया कि ऐसे छात्रों का जिन्हें अपने बाल्यकाल में शिक्षा प्राप्त करने का अवसर नहीं मिलता, शिक्षित करने का एक मात्र यही उपाय है तथा ये बच्चे अनौपचारिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद सामान्य शिक्षा पाने वाले बच्चों के साथ मिल सकते हैं ।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : माननीय मन्त्री महोदय ने इस प्रश्न के उत्तर में बताया कि स्वैच्छिक संगठनों को हम सहायता देते हैं । उन्होंने वह भी कहा कि नवीन योजनाओं, अनुसन्धानों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को अलग से सहायता देते हैं । मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि स्वैच्छिक संगठनों को जो सहायता दी जाती है वह किस नीति के आधार पर दी जाती है ? हमारे उत्तर प्रदेश का एक बहुत बड़ा संगठन, प्रादेशिक अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग संगठन ने उत्तर प्रदेश के सात जिलों में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम चलाने के लिए आवेदन-पत्र दिया था उसपर आपने क्या कार्यवाही की ? आप यह कह रहे हैं कि स्वैच्छिक संगठनों को सहायता देते हैं लेकिन दरअसल देते नहीं है ।

श्रीमती शीला कौल : श्रीमन, अभी हम अनौपचारिक शिक्षा के मामले को ले रहे हैं और माननीय सदस्य प्रौढ़ शिक्षा के बारे में पूछ रहे हैं । यह दोनों भिन्न मामले हैं । अभी मैंने सोचा कि मुझे गैर-अनौपचारिक शिक्षा पर बोलना है जैसा कि प्रश्न में स्पष्ट रूप से उल्लेख है। परन्तु यदि

वह प्रौढ़ शिक्षा के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो मैं कहूंगी कि प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम काफी पहले शुरू किया गया था। परन्तु उसके बारे में इधर-उधर से कुछ टिप्पणियां की गई थीं, जिनमें से कुछ विश्वासनीय स्रोतों से भी थी कि यह योजना ठीक ढंग से नहीं चल रही है अत: हमें इसे कुछ समय के लिए बन्द करना पड़ा फिर भी हम इसे नये सिरे से शुरू करने की बात सोच रहे हैं।

कैनकुन सम्मेलन

* 70 **श्री रामावतार शास्त्री**†
श्री ए० के० राय : } : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विकासशील तथा विकासित (निर्धन और धनी) देशों के राज्याध्यक्षों का कैनकुन में अक्टूबर में एक शिखर सम्मेलन हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो इन राज्याध्यक्षों के नाम क्या हैं जिन्होंने उक्त सम्मेलन में भाग लिया था ;

(ग) उक्त सम्मेलन में किन विषयों पर चर्चा की गई ; और

(घ) उसमें किये गये निर्णयों का ब्यौरा क्या है ?

श्री पी० वी० नरसिंह राव (विदेश मंत्री) : (क) और (ख) जी हां,। कैनकुन में 22 और 23 अक्टूबर, 1981 को सहयोग और विकास पर एक अन्तर्राष्ट्रीय बैठक हुई थी। जिन देशों के राज्याध्यक्षों शासनाध्यक्षों विदेश मन्त्रियों ने इस बैठक में भाग लिया उनके नामों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। [**ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल टी 2952/81**]

(ग) और (घ) : बैठक की कोई औपचारिक कार्य सूची नहीं थी। लेकिन इस बैठक के लिए विचार-विमर्श की जिस रूपरेखा पर सहमति हुई थी उसमें विकास के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग का भविष्य और विश्व की अर्थव्यवस्था को फिर से सक्रिय करना शामिल था, इसके अलावा खाद्य सुरक्षा और कृषि विकास, पण्य, व्यापार और औद्योगीकरण, ऊर्जा और आर्थिक तथा वित्तीय मसले भी थे। इस बात पर भी सहमति हुई कि बैठक का मुख्य उद्देश्य सार्वभौम वार्ता दौर के बारे में सहमति तैयार करना था।

कैनकुन सम्मेलन वार्ता-मंच नहीं था। वहां कोई निर्णय लिए जाने की आशा नहीं थी। बैठक के परिणाम दोनों सह-अध्यक्षों द्वारा प्रस्तुत पक्षसार में दिए गए हैं, जिसकी प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

[**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल टी 2295/81**]

श्री रामावतार शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, कैनकुन सम्मेलन एक महत्वपूर्ण सम्मेलन कहा जाता है और इसमें 22 राज्याध्यक्षों ने भाग लिया, जो कि इसमें कुछ संभवत: कोई निर्णय नहीं

लिए हैं, लेकिन बहुत सारी बातें कही गई है। एक बात यह कही गई है कि सन् 2000 ई० तक दुनिया से भुखमरी बराबर के लिए मिटा दी जाएगी। मैं यह जानना चाहता हूं कि जितनी बातें इसमें कही गई हैं इनको हासिल करने के लिए दुनिया में शान्ति का होना निहायत ही जरूरी है, लेकिन अभी शीत-युद्ध, जिसे कोल्ड-वार कहते हैं, बहुत उठान पर है और अमरीका द्वारा न्यूट्रांन-बम बनाने और निशस्त्रीकरण के सवाल को नजरअन्दाज या टालने की नीति-क्या इन दोनों सवालों पर वहां कुछ विचार-विनिमय हुआ ? क्या हमारी प्रधान मंत्री ने भी इस सिलसिले में कुछ वार्ता वहां रखी ?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : जी हां। इस द्रविड़-प्रणायम के बदले आप सीधे-सीधे कोल्ड-वार के बारे में पूछ लेते तो अच्छा रहता। इस बारे में भी चर्चा हुई, लेकिन आपको ज्ञात है कि यह सम्मेलन विकास के बारे में था। शान्ति की बात अवश्य आई, लेकिन शान्ति के बारे में यह सम्मेलन नहीं था, विकास के बारे में था। अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक-व्यवस्था को सुधारने के बारे में था। मैं यह पहले ही कह चुका हूं कि शान्ति की बात भी वहां चर्चा में आई थी।

श्री रामावतार शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, दूसरा सवाल यह जैसा कि आपने कहा है कि इसमें विचार-विभिन्नता तो बहुत देखी गई, लेकिन मैं आपके को-चेयरमैन की जो समरी है पृष्ठ संख्या-2 पर, मैं उसको पढ़कर सुना देना चाहता हूं और आपकी इस बारे में राय जानना चाहता हूं ? यह विचार व्यक्त किया गया कि बढ़ती हुई समेकित विज्ञान अर्थ-व्यवस्था में कोई देश अथवा देशों से कोई ग्रुप इस उत्तरदायित्व से बच नहीं सकता आगे जिसके बारे में पूछना चाहता हूं, वह है इस सोवियत संघ की बैठक से अनुपस्थिति पर खेद व्यक्त किया गया। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस बात की आवश्यकता थी कि सोवियत यूनियन पर एक तरह से आक्षेप किया जाए और क्या इस आक्षेप के साथ प्रधान मंत्री सहमत हैं ?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : अध्यक्ष महोदय, इस बार जो गलतफहमी माननीय शास्त्री जी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उसको साफ कर देना चाहता हूं। मैं सबसे पहले तो यह कहूंगा कि जब यह सूची तैयार हुई थी कि किन राज्याध्यक्षों को बुलाया जाए, तब सोवियत यूनियन और चीन दोनों देशों के नामों को इससे जोड़ा गया था। नामों के जोड़ने का काम वियना में विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में किया गया था। भारत को और सबकी हार्दिक इच्छा थी कि सबके साथ-साथ सोवियत यूनियन के नेता भी आगे।

लेकिन जब सोवियत यूनियन ने यह समझा कि इस समय सम्मेलन में नहीं होना चाहिये, तब हमने कोई आक्षेप नहीं किया और इस सम्मेलन ने भी आक्षेप नहीं किया, लेकिन रिग्रेट (खेद) व्यवत किया। उनके नहीं आने से उस सम्मेलन में जो पूर्णता आनी थी, वह नहीं आई।

श्री रामावतार शास्त्री : मैंने यह पढ़ कर सुनाया है—इस सम्बन्ध में सोवियत संघ की बैठक से अनुपस्थिति पर खेद व्यक्त, किया गया।

यह "रिग्रेट" क्या है, इस की आवश्यकता क्या थी ?

अध्यक्ष महोदय : शास्त्री जी, आप इसका गलत अर्थ क्यों लेते हैं। (**व्यवधान**) आप ऐसी बात क्यों लाते हैं जो कि उसमें नहीं है।

श्री रामावतार शास्त्री : रिग्रेट की वहां क्या जरूरत थी। कोई नहीं जाता तो नहीं जाता, कोई जबरदस्ती तो नहीं थी।

———

प्रश्नों के लिखित उत्तर

समाचार माध्यम से साधारण दुर्घटनाओं की सूचना

*61. **श्री सुबोध सेन** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे विभाग ने जोनल रेलवे को साधारण दुर्घटनाओं की सूचना समाचार माध्यमों को न देने के बारे में एक परिपत्र जारी किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री केदार पांडेय) : (क) और (ख) : वर्तमान नियमों के अनुसार रेल प्रैस को ऐसी सभी दुर्घटनाओं की रिपोर्टें दे रही है जिनमें जन-जीवन की हानि अथवा गम्भीर चोट आना अथवा रेल सम्पत्ति की भारी क्षति अथवा जिनके कारण थ्रू यातायात में लम्बे समय तक बाधा उपस्थित हो जाना शामिल है। हाल ही में यह देखा गया है कि कुछ घटनाएं जिनमें कोई जन-हानि नहीं हुई थी, प्रेस ने उनमें भारी जन-हानि होने की रिपोर्ट की है। चूंकि पर्याप्त सूचना के अभाव में दुर्घटनाओं से संबंधित गलत समाचारों के प्रकाशन से जनता के मस्तिष्क में अनावश्यक भय और आशंका पैदा हो सकती है। रेलों को कहा गया है कि वे प्रैस के साथ निकट सम्पर्क स्थपापित करें ताकि यात्री जनता मस्तिष्क में तथ्यों के तोड़-मरोड़ कर पेश करने तथा अनावश्यक आशंका और गलत बातें पैदा करने के अवसरों की रोकथाम हो सके।

पाकिस्तान के राष्ट्रपति की अनाक्रमण समझौते की पेशकश

*62. **श्री जार्ज फर्नांडीज**
श्रीमती जयंती पटनायक } : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान के राष्ट्रपति श्री जिया-उल-हक ने भारत के साथ अनाक्रमण समझौते की पेशकश की है और

(ख) यदि हां. तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) 15 सितम्बर, 1981 को, हथियारों की आपूर्ति और बिक्री से संबद्ध अमरीकी समग्र प्रस्ताव पर औपचारिक स्वीकृति की घोषणा करते

हुए पाकिस्तान सरकार के अधिकारिक प्रवक्ता ने अपने वक्तव्य के अंतिम अंश में संकेत दिया था कि पाकिस्तान "शिमला समझौते की भावना के अनुरूप अनाक्रमण और शक्ति का प्रयोग न करने की पारस्परिक गारंटी देने के उद्देश्य से भारत के साथ तत्काल बातचीत शुरू करने के लिए तैयार हैं"। दो महीने से अधिक का अर्सा गुजर जाने के बाद 22 नवम्बर, 1981 को पाकिस्तान सरकार ने दिल्ली और इस्लामाबाद में हमें अधिकारिक नोट भेज कर पेशकश की पुष्टि की।

(ख) इस बारे में हमारा रुख इस आधार पर रचनात्मक होगा कि पाकिस्तान की यह "पेशकश" वास्तव में भारत की युद्ध न करने की संधि की उस "पेशकश" की पहली बार स्वीकृति है जो वह 1949 से करता आया है तथा यह शिमला समझौते का विस्तार भी होगा। इस बारे में 25 नवम्बर, के दोनों सदनों में एक विस्तृत वक्तव्य दिया गया है।

बिहार में साक्षरता

*65. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार 1971 और 1981 के बीच साक्षरता के प्रतिशत में केवल 6.1 की वृद्धि हुई है जबकि इसका राष्ट्रीय औसत 34 प्रतिशत रहा है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा तथा इसके कारण क्या हैं ; और

(ग) क्या ऐसे पिछड़े राज्यों में साक्षरता की गति बताने के लिये कोई अतिरिक्त उपाय करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) बिहार साक्षरता प्रतिशतता 1971 में 19.94 प्रतिशत के आधार स्तर से 1981 में 26.01 प्रतिशत होकर 30 प्रतिशत तक बढ़ी। समग्र देश की साक्षरता प्रतिशतता 1971 मे 29.45 प्रतिशत के आधार स्तर के मुकाबले में 1981 में 36.17 प्रतिशत होकर 21.1 प्रतिशत तक बढ़ी। यद्यपि समूचे देश की तुलना में बिहार की साक्षरता प्रतिशतता कम थी फिर भी बिहार अपनी साक्षरता प्रतिशतता को सारे देश की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ा रहा है।

(ग) जी, हां। प्रौढ़ शिक्षा तथा अनौपचारिक शिक्षा योजना के अन्तर्गत बिहार और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए आठ राज्यों को सहायता दी जा रही है।

फतेहगढ लोको शेड

*67. **श्री दया राम शाक्य** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फतेहगढ़ रेलवे लोको शेड के हटाये जाने के कारण जिसके फलस्वरूप इंजिनों की मरम्मत तथा कोयले की सप्लाई न होने अथवा मार्ग में इंजन के खराब हो जाने से रेल गाड़ियां प्रायः रद्द कर दी जाती हैं, यात्रियों को हो रही कठिनाइयों के बारे में सरकार को पता है ;

(ख) इस समस्या को हल करने के लिये सरकार द्वारा क्या आवश्यक कदम उठाये गये हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस समस्या को हल करने के लिये फतेहगढ़ रेलवे लोको शेड की पुन: स्थापना करने का है ?

रेल मंत्री (श्री केदार पाण्डेय) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी नहीं ।

"मचगंधा का माधवपुर के समीप डूब जाना"

*71. **श्री बाला साहिब विखेपाटिल : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मचगंधा नामक जहाज जो वेरेवल से बम्बई को चूनापत्थर ला रहा था तटीय क्षेत्र में तूफान के कारण । नवम्बर, 1981 को पोरबन्दर से 25 कि० मी० दूर के माधवपुर के समीप डूब गया ;

(ख) यदि हाँ, तो जहाज में कर्मीदल के सदस्यों की संख्या कितनी थी तथा जहाज डूबने के कारण जान-माल की कितनी क्षति हुई ;

(ग) गत एक वर्ष के दौरान गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों में तूफान के कारण हुई ऐसी अन्य दुर्घटनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उनमें से प्रत्येक दुर्घटना के कारण जान-माल की कितनी क्षति हुई ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, हां ।

(ख) इस जलयान पर कर्मीदल के 18 व्यक्ति थे । इनमें एक व्यक्ति मर गया और दो व्यक्ति लापता हैं । बाकी 15 व्यक्ति सुरक्षित हैं । लगभग 41,625 रुपये के लागत के माल का नुकसान हुआ । इस जहाज की अनुमानित कीमत 13 लाख रुपये है ।

(ग) और (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा ।

अस्पतालों की स्थिति में सुधार करना

*72. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 8 अक्तूबर, 1981 के 'इंडियन एक्सप्रैस' में "होस्पीटल कंडीशंस अपसैट शंकरानन्द" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) वर्तमान परिस्थियों में सुधार करने विशेषकर (एक) बहिरंग व अंतरंग रोगी विभागों में अत्यधिक सफाई रखने पर अधिक जोर देने, (दो) रोगियों को बिना विलम्ब औषधियां उपलब्ध कराने के लिए उपयुक्त व्यवस्था करने और एक्स-रे, ई०सी०जी० के कमरों आदि के सामने लम्बी कतारों को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं; और

(घ) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों के कार्यकरण में सुधार करने के लिए भी क्या कदम उठाये गये हैं क्योंकि उनमें भी स्थिति उससे बेहतर नहीं है जैसी कि समाचार में बताई गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी हां।

(ख) सरकार यह खूब समझती है कि दिल्ली स्थित अस्पतालों को अपनी सेवाएं दक्षतापूर्वक करनी चाहिए और वह अपने सीमित संसाधनों के अन्दर रह कर इन संस्थाओं के काम-काज में सुधार लाने के लिए निरन्तर प्रयत्नशील है।

(ग) अस्पताल परिसरों और लिनेन को साफ-सुथरा रखने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। रोगी परिचर्या के निरन्तर बढ़ते हुए काम को निबटाने के लिए दवाई-वितरण काउन्टरों और कर्मचारियों की संख्या में आवश्यकतानुसार वृद्धि कर दी गई है। इसी भांति, ई० सी०जी० और एक्स-रे संबन्धी सेवाओं को भी सुव्यवस्थित किया जा रहा है।

(घ) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों के काम-काज में सुधार लाने के बारे में भी आवश्यक कदम उठाये गये हैं।

कलाश और मानसरोवर की तीर्थ यात्रा

***श्री मनफूल सिंह चौधरी**
श्री कृष्ण चन्द्र पांडे } : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कैलाश और मानसरोवर, तीर्थयात्रा के स्थानों से हाल में वापस आए यात्री जत्थों या इन जत्थों के किसी सदस्य ने इन तीर्थयात्राओं के समन्वय के लिये कुछ उपाय सुझाए हैं जिससे अच्छे ढंग से तीर्थयात्रा में आसानी हो; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इन सुझावों के संबन्ध में सरकार का निर्णय क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी हां।

(ख) तीर्थ-यात्रा के लिए जाते समय भारत की ओर के मार्ग में रात को ठहरने के लिए, विशेषरूप से ऊपरी क्षेत्रों में, और अच्छी प्रशासनिक व्यवस्थाएं करने के सुझाव प्राप्त हुए हैं। चीन की ओर पड़ने वाले मार्ग के लिए बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था करने के सुझाव दिये गये हैं जिसमें कैलाश और मानसरोवर के शिविर स्थलों पर चिकित्सा सुविधाएं भी शामिल हैं। तीर्थ-यात्रियों ने ये सुझाव रचनात्मक रूप में दिए हैं जिसमें उन्होंने इस तथ्य के प्रति पूर्ण सद्भावना और सहानुभूति व्यक्त की है कि इस वर्ष दोनों पक्षों को बहुत ही कम समय में इसकी व्यवस्था करनी पड़ी थी।

सरकार अगले वर्ष कैलास और मानसरोवर जाने वाले तीर्थ-यात्रियों के लिए बेहतर व्यवस्थायें करने की दृष्टि से सभी सुझावों पर विचार कर रही है

"जेरोथेलमिया" नामक नेत्र रोग का फैलना

*74. श्री डी॰पी॰जदेजा
श्री पी॰ नामग्याल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में विशेषकर गन्दी बस्तियों में "जेरोथेलमिया" नामक नेत्र रोग फैल रहा है;

(ख) क्या यह सच है कि इस रोग से सैंकड़ों बच्चे पीड़ित हैं ;

(ग) इस रोग के फैलने के मुख्य कारण क्या हैं ;

(घ) किन राज्यों में यह रोग फैला हुआ है ; और

(ङ) इस रोग को फैलने से रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी॰ शंकरानन्द) : (क) से (ङ) यह सही है कि गांवों तथा शहरी गन्दी वस्तियों में अनेक बच्चे जेरोथेलमिया नामक रोग से पीड़ित हैं जो विटामिन "ए" की कमी के कारण होता है। इस रोग में कोई वृद्धि हुई है, इसका कोई प्रमाण नहीं मिला है। पंजाब, गोवा और केरल को छोड़कर अन्य सभी राज्यों में यह रोग फैला हुआ है।

सीधे अथवा पूरक आहार के जरिये विटामिन "ए" की कमी पर काबू पाने के लिए जो कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं, वे इस प्रकार हैं :—

1. बच्चों को विटामिन "ए" की कमी होने वाली दृष्टिहीनता से बचाने के लिए विटामिन "ए" का गहन रोग-निवारण कार्यक्रम।

2. एकीकृत बाल विकास योजना।

3. व्यावहारिक पोषाहार कार्यक्रम।

4. विशेष पोषाहार कार्यक्रम।

5. बालवाड़ी आहार कार्यक्रम।

6. प्राथमिक स्कूलों के बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन कार्यक्रम।

"हल्दिया को कलकत्ता बन्दरगाह से अलग करने का प्रस्ताव त्यागने के बारे में ज्ञान"

*75. श्री समर मुखर्जी / श्रीमती गीता मुखर्जी } :क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि पश्चिम बंगाल विधान परिषद् का प्रतिनिधित्व करने वाला एक सर्वदलीय प्रतिनिधि मण्डल नई दिल्ली में प्रधान मंत्री से 4 मई, 1981 को मिला था और हल्दिया डाक कम्प्लैक्स को कलकत्ता बन्दरगाह से अलग करने के निर्णय को त्यागने के आशय का एक ज्ञान दिया था; और

(ख) यदि हां तो, तो पूर्वी क्षेत्र के सम्पूर्ण व्यापार और अर्थ-व्यवस्था के हित में हल्दिया डाक कम्प्लैक्स को कलकत्ता बन्दरगाह से अलग करने का प्रस्ताव त्याग देने के कथित ज्ञापन पर सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) हल्दिया डाक कम्प्लैक्स को कलकत्ता पत्तन से अलग करने के बारे में अभी निर्णय नहीं लिया गया है।

तमिलनाडु एक्सप्रेस दुर्घटना का कारण

*75 श्री चतुर्भुज / श्री जनार्दन पुजारी } : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 14 सितम्बर, 1981 के इंडियन एक्सप्रेस में 'काज आफ तमिलनाडु एक्सप्रेस मिसहैप स्टिल अननोन' (तमिलनाडु एक्सप्रेस दुर्घटना के कारण का अभी तक पता नहीं) शीर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) उठाए गए उपचारात्मक कदमों का ब्यौरा क्या है और इतनी अधिक रेल दुर्घटनाओं के क्या कारण हैं जो एक के बाद एक होती हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी हां।

(ख) रेल प्रशासन को, जिसका सतत प्रयास जनता के लिए सुरक्षित यात्रा की व्यवस्था करना है, किसी दुर्घटना के घटित होने पर भारी चिन्ता होती है। प्रत्येक दुर्घटना की भलीभांति जांच की जाती है ताकि इसके कारणों का पता लगाया जा सके और इस प्रकार की दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति की रोकथाम के लिए आवश्यक उपाय किये जा सकें। 31-8-81 को तमिलनाडु एक्सप्रैस के पटरी से उतर जाने के मामले की रेल संरक्षा आयुक्त, बैंगालूरू, द्वारा जो पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण कार्यरत एक कार्यरत एक स्वतंत्र सांविधिक प्राधिकारी हैं, जांच की गयी है। उन्होंने अपनी प्रारम्भिक रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। उनके अनन्तिम निष्कर्षों के अनुसार, मूलत: रेल कर्मचारियों की गलती के कारण गाड़ी पटरी से उतरी थी।

(ग) रेल संरक्षा के लिए अन्वेषण करना एक सतत प्रक्रिया है। 1960-61 म भारतीय रेलों पर घटित रेलों दुर्घटनाओं की संख्या 2131 थी। पिछले दो दशकों में यह संख्या घट गयी थी और 1980-81 के दौरान 1013 रह गयी थी जो लगभग 52.6% की कमी परिलक्षित करती है। चालू वर्ष अर्थात् 1981-82 के प्रथम 7 महीनों के दौरान रेलों पर 700 दुर्घटनाएं हुई थीं जिनके कारण नीचे दिये गये हैं:—

रेल कर्मचारियों की गलती	-294
रेल कर्मचारियों को छोड़कर अन्य व्यक्तियों की गलती	-59
उपस्करों की खराबी	-174
आकस्मिक	-45
तोड़-फोड़	-8
कारण प्रमाणित न हो सके	-7
जिनकी जांच-पड़ताल की जा रही है	-113
जोड़	700

चूंकि रेल कर्मचारियों की गलती दुर्घटनाओं के लिए एक मात्र सबसे बड़ा कारण है, इसलिए रेलों के संरक्षा संगठन गड़ियों के संचालन से सम्बद्ध कर्मचारियों में संरक्षा के प्रति अधिक जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से तथा इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि कर्मचारी नियमों का उल्लंघन न करें अथवा ऐसे लाघव तरीके न अपनायें जिनसे दुर्घटनाएं हो सकती हों, निरन्तर अभियन चला रहे हैं।

गाड़ियों की जांच तथा सवारी और माल डिब्बा डिपुओं में मौके पर जाकर जांच करने का कार्य गहन कर दिया गया है और रेलपथ के उपयुक्त अनुरक्षण की ओर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। मानवीय तत्व पर निर्भरता कम करने के उद्देश्य से पहियों एवं धुरों, धुरा काउंटरों, रेलपथ परिपथन आदि के लिए पराश्रव्य दोष संसूचकों जैसे परिष्कृत उपकरणों का उत्तरोत्तर प्रयोग किया जा रहा है।

डीजल और बिजली रेल इंजनों तेजमें प्रकाश की व्यवस्था कर दी गयी है। गाड़ी के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने की स्थिति में तेज रोशनी जला दी जाती है ताकि सामने से आ रही गाड़ी के ड्राइवर को सावधान कर दिया जाये और वह गाड़ी को रोक दे। इससे पटरी से उतरी हुई गाड़ी के डिब्बों में दूसरी गाड़ी टकरा सकेगी। श्वास परीक्षण यंत्र द्वारा जांच करना भी आरम्भ कर दिया गया है ताकि कर्मचारी नशे की हालत में ड्यूटी पर न आ सकें।

चल स्टाक तथा रेलपथ के परिचालन और अनुरक्षण को सुदृढ़ रखने के प्रयोजन के लिए रेलवे बोर्ड से एक विशेष संरक्षा दल रेलों का दौरा कर रहा है जो दिन-प्रति-दिन के कार्यसंचालन से सम्बन्धित संरक्षा प्रावधानों की जांच कर रहा है। व्यापक निरीक्षण करने तथा महाप्रबन्धकों को रिपोर्ट देने के लिए रेलों पर भी इसी प्रकार के दलों का गठन किया गया है ताकि तत्काल कार्रवाई की जा सके।

महाप्रबन्धकों ने नवम्बर, 1981 तक सभी ट्रक मार्गों पर विशेष संरक्षा निरीक्षण करने का कार्यक्रम बनाया है।

पिछले तीन महीनों में रेलों में लूटपाट

*77. श्री बाल कृष्ण वासनिक
श्री अशोक गहलोत } : क्या रेल मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे :

(क) 31 अक्तूबर, 1981 को समाप्त होने वाली तिमाही के दौरान चलती रेलगाड़ियों में लूटपाट की कितनी घटनायें हुई;

(ख) इन रेलों में हुई लूटपाटों में कितने मूल्य की सम्पत्ति लूटी गई और कितने व्यक्ति घायल हुए;

(ग) क्या घायल व्यक्तियों को कोई मुआवजा दिया गया है और यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) चलती रेलगाड़ियों में लूटपाट को रोकने के लिए क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं, और

(ङ) चलती रेलगाड़ियों में लूटपाट करने वाले अब तक कितने लुटेरे गिरफ्तार किए गए और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

रेल, तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) अगस्त से अक्तूबर 1981 की अवधि के दौरान चलती गाड़ियों में डकैती/लूटमार के 86 मामलों की रिपोर्ट मिली है।

(ख) लूटी गयी सम्पत्ति का अनुमानित मूल्य 5,53,359/-रुपये है। एक यात्री मारा गया तथा 37 यात्री घायल हुए थे।

(ग) जी नहीं।

(घ) राजकीय रेलवे पुलिस, जो गाड़ियों में यात्रा करने वाले यात्रियों तथा उनके सामान की संरक्षा व सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है, गाड़ियों में मार्गरक्षियों की व्यवस्था करके, अपराधियों पर निगरानी रखकर तथा विशिष्ट मामलों में उन्हें गिरफ्तार करके तथा उन पर मुकदमा चलाकर, रेलों में अपराधों पर नियंत्रण पाने के प्रयास कर रही है। इस संबंध में रेलवे सुरक्षा बल राजकीय रेलवे पुलिस की सहायता कर रहा है।

(ङ) इन मामलों में अभी तक पुलिस द्वारा 100 लुटेरों/डकैतों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस द्वारा जांच पड़ताल की जा रही है।

"दिवाली स्वीट्स पोज हैल्थ हैजर्ड" शीर्षक से समाचार

*78 डा० ए० यू० आजमी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 22 अक्टूबर, 1981 के "इण्डियन एक्सप्रैस" में "दिवाली स्वीट्स पोज हैल्थ हैजर्ड" (दिवाली की मिठाई से स्वास्थ्य को खतरा) शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है कि दिवाली के अवसर पर लोगों को हानिरहित खाने की वस्तुएं उपलब्ध हों ;

(घ) क्या दिल्ली में मिठाइयों, चीनी, वनस्पति घी, रंगों, चाँदी के वरक, बेसन, खाद्य तेलों के नमूने भरे गए थे और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम रहे; और

(ङ) क्या मिठाइयों को बनाने के लिए दानेदार चीनी के स्थान पर सस्ती खंडसारी का प्रयोग किया गया था ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) राजधानी में खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम को कार्यान्वित करने की जिम्मेदारी दिल्ली प्रशासन की है जो इस मामले में काफी सचेत और सतर्क हैं । इसके परिणाम स्वरूप उन्होंने 21 अक्टूबर, 1981 से 31 अक्टूबर, 1981 तक विभिन्न खाद्य पदार्थों के 101 नमूने भरे हैं ।

(घ) जी, हां । 21 अक्टूबर, 1981 से 31 अक्टूबर, 1981 तक भरे गये नमूनों का ब्यौरा इस प्रकार है :—

मिठाइयां	86
वनस्पति	6
घी	4
बेसन	2
खाद्य तेल	3

परीक्षण के परिणाम मिलने में काफी समय लग जाता है और वास्तव में कुछेक परिणाम आने अभी बाकी हैं । वैसे, नमूने भरने की कार्रवाई से भी विक्रेताओं द्वारा मिलावट करने पर रोक लग जाती है ।

(ङ) ऐसी कोई शिकायतें नहीं मिली हैं । वैसे, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अधीन मिठाइयों में खांडसारी के इस्तेमाल पर कोई पाबन्दी नहीं है ।

राणाघाट-बोंगाव सेक्शन के सम्बन्ध में समस्याएं

*79. **श्री मोहम्मद इस्माइल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राणाघाट-बोंगाव सेक्शन (पूर्व रेलवे पर वाष्प इंजन के कारण रेल गाड़ियों के धीरे चलने तथा इस समय केवल एक यात्री रेलगाड़ी के चलने से, जो दैनिक यात्रियों के लिए बहुत ही अपर्याप्त है, दैनिक यात्रियों को होने वाली कठिनाइयों की जानकारी है;

(ख) क्या सरकार को वाष्प इंजन के स्थान पर डीजल इंजन लगाए जाने तथा इस सैक्शन में अतिरिक्त रेलगाड़ी चलाए जाने के सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन/ज्ञापन प्राप्त हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री श्री मल्लिकार्जुन) : (क) राणाघाट-बोंगांव खण्ड पर सभी सात जोड़ी सवारी गाड़ियां भाप रेल इंजनों द्वारा खींची जाती हैं । यातायाता के वर्तमान स्तर की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वे पर्याप्त हैं ।

(ख) जी हां ।

(ग) डीजल रेल इंजन मुख्यत: माल यातायात के संचलन के लिए होते हैं जो कि राष्ट्र की अर्थव्यवस्था के लिए अत्यधिक महत्व का है। चूंकि ये गाड़ियां सभी स्टेशनों पर ठहरती हैं और भाप रेल इंजन की 60 कि० मी० प्रति घंटा रफ्तार की तुलना में डीजल रेल इंजनों की रफ्तार को 65 कि० मी० प्रति घंटा सीमित कर दिया जायेगा, अतएव निकट भविष्य में कम लम्बाई के इस खण्ड पर जहां डीजल रेल इंजनों के उपयोग से कोई विशेष लाभ नहीं होगा भाप रेल इंजन की बजाय डीजल रेल इंजन चलाने का प्रस्ताव नहीं है।

रेलवे जोनों और डिवीजनों की संख्या

*80. **श्री अशफाक हुसैन :** क्या रेल मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय रेलवे जोनों और डिवीजनों की संख्या क्या है;

(ख) प्रत्येक जोन में रेलवे लाइनों की लम्बाई कितने-कितने किलोमीटर है ;

(ग) क्या जोनों और डिवीजनों का पुनर्गठन विचाराधीन है;

(घ) क्या ऐसे दो डिवीजन भी हैं जिनके मुख्यालय एक ही नगर में स्थित हैं ;

(ङ) क्या पूर्वोत्तर रेलवे और उत्तर रेलवे, दोनों के पृथक डिवीजनल मुख्यालय लखनऊ में स्थित हैं ;

(च) क्या उत्तर रेलवे के विस्तृत क्षेत्र को दृष्टि में रखते हुए तथा एक नगर में दो मुख्यालयों की स्थापना से बचने के लिए सरकार का विचार उत्तर रेलवे की लखनऊ डिवीजन को पूर्वोत्तर रेलवे के अधीन लाने का है ; और

(छ) क्या पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य रूटों को बड़ी लाइन में बदलने के बाद इस प्रकार का पुनर्गठन व्यावहारिक नहीं है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (छ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) इस समय 9 रेल क्षेत्र और 54 मण्डल हैं ।

(ख) 31.3. 1980 तो 9 क्षेत्रीय रेलों की मार्ग किलोमीटर लम्बाई इस प्रकार है :—

मध्य रेलवे	6,684.01
पूर्व रेलवे	4,201.94
उत्तर रेलवे	10,853.09
पूर्वोत्तर रेलवे	5,113.11
पूर्वोत्तर सीमा रेलवे	3,628.13
दक्षिण रेलवे	6,629.24
दक्षिण मध्य रेलवे	6,478.08
दक्षिण पूर्व रेलवे	7,006.32
पश्चिम रेलवे	10,339.04

(ग) सरकार द्वारा रेलवे सुधार समिति नामक एक समिति गठित की गयी है जो अन्य बातों के साथ-साथ भारतीय रेलों पर क्षेत्रों और मण्डलों के पुनर्गठन पर भी विचार करेगी। समिति की सिफारिशें प्राप्त होने पर क्षेत्रों/मण्डलों को पुनर्गठित करने के बारे में आगे कार्यवाही की जायेगी।

(घ) और (ङ) जी हां।

(च) और (छ) : फिलहाल, इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

हिन्दी के विकास के लिये अकादमी

691. **श्री भीकू राम जैन : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दी के विकास के लिए दिल्ली में अकादमी बनाने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मलिकार्जुन) : (क) और (ख) दिल्ली प्रशासन से प्राप्त सूचना के अनुसार हिन्दी को प्रोत्साहित करने के लिए उर्दू और पंजाबी अकादमियों की पद्धतियों के अनुसार दिल्ली में एक अकादमी स्थापित की जा रही है। इस अकादमी को सोसायटीज पंजीकरण अधिनियम 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत कराने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

रोजगारों में विकलांगों के लिए आरक्षित कोटा

692. **श्री अर्जुन सेठी : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र और केन्द्र-शासित राज्यों द्वारा रोजगारों में विकलांगों के लिए आरक्षित किये गये कोटे का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सरकार ने विकलांग बच्चों को कम से कम केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के बच्चों को कुछ वजीफा देकर इनकी सहायता करने के प्रश्न पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया है ;

(ग) क्या यह सच है कि सरकार ऐसे बच्चों को मदद देने के प्रति उदासीन है और केवल स्वयं सेवा संगठनों पर ही निर्भर करता है जिनको वह कुछ आर्थिक सहायता देती है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं ; और

(ङ) क्या सरकार इस अन्तर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष के दौरान ऐसे बच्चों को प्राथमिक स्तर से शिक्षा में मदद देने और उनके माता पिताओं को रोजगार देने के लिए कानून बनाने पर विचार कर रही है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) केन्द्रीय सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों तथा केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासनों के अधीन वर्ग "ग" और "घ" वर्गों के 3% पद विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित किए गए हैं। इनमें से 1% दृष्टिहीनों के लिए, 1% बधिरों के लिए तथा 1% अपंगों से लिए आरक्षित हैं।

(ख) से (घ) "दृष्टिहीनों, बधिरों तथा अपंगों के लिए छात्रवृत्तियों" की योजना के अन्तर्गत विकलांग व्यक्तियों को 9 वीं कक्षा से आगे अध्ययन के लिए अथवा व्यावसायिक/तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए छात्रवृत्तियां दी जाती हैं। कक्षा 8 तक अध्ययन के लिए विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों की छात्रवृत्तियों की अपनी योजनाएं हैं अन्य विकलांग बच्चों की तरह केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के विकलांग बच्चे भी ये छात्रवृत्तियां पाने के पात्र हैं।

(ङ) विकलांग व्यक्तियों के आर्थिक पुनर्वास तथा सामाजिक एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए विधायी उपाय करने के औचित्य पर विचार करने के लिए एक कार्यदल स्थापित किया है। दल की रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

राष्ट्रमंडल देशों के सम्मेलन में सैद्धांतिक विचारों को जोड़े बिना सहायता के लिए प्रधानमंत्री का फार्मूला

693. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राट्रमंडल देशों के प्रधान मंत्रियों के सम्मेलन में भारतीय प्रधान मंत्री के इस तर्क का समर्थन किया गया है कि विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं को सहायता देने के प्रश्न के साथ सैद्धान्तिक विचारों को नहीं जोड़ना चाहिए ;

(ख) यदि हां, तो क्या राष्ट्रमंडल देशों के प्रधान मंत्रियों के सम्मेलन में इस बारे में कोई प्रस्ताव पेश किया गया ; और

(ग) यदि हां, तो कितने देशों ने भारत के प्रस्ताव का समर्थन किया, कितनों ने विरोध किया और अन्ततः इसका क्या परिणाम निकला ;

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) यह मुद्दा तन्जानिया के राष्ट्रपति ने उठाया था जो "विश्व आर्थिक स्थिति" पर प्रमुख वक्ता थे। इस विषय पर हस्तक्षेप करते हुए प्रधान मंत्री ने इस बात का समर्थन किया कि बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाओं को सैद्धान्तिक विचारों को वित्तीय मामलों से नहीं जोड़ना चाहिए। सम्मेलन में इस दृष्टिकोण को समर्थन मिला।

(ख) और (ग) शासनाध्यक्षों द्वारा जारी की गई विज्ञप्ति का सम्बन्धित अंश इस प्रकार है :

"शासनाध्यक्षों ने बहुपक्षीय संस्थाओं द्वारा आर्थिक विकास के लिए दिये गये यथेष्ट योगदान को स्वीकार किया और विकासशील देशों के लिए संसाधनों की गति बढ़ाने के लिए उनकी मुख्य भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने स्वीकार किया कि इन संस्थाओं को संसाधनों को मजबूत करने की गति को ऐसे संकटकालीन समय में लड़खड़ाने से रोकने के सुनिश्चय के लिए विशेष प्रयास किये जाने चाहिए। उन्होंने इस बात की आवश्यकता पर बल दिया कि इन संस्थाओं को अपनी संचालन नीतियां निर्धारित करते समय राजनीतिक और सैद्धान्तिक बातों को महत्व नहीं देना चाहिए।

गोपाल नगर स्टेशन में शेड

694. **श्री रेणुपद दास :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने गोपाल नगर स्टेशन के प्लेटफार्म में दैनिक यात्रियों को धूप और वर्षा से बचाने के लिए शेड का निर्माण करने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की है ?

रेल, तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : गोपालनगर स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा के लिए दूसरे दर्जे के एक प्रतीक्षालय के रूप में प्रतीक्षा स्थान की व्यवस्था पहले ही की जा चुकी है जिसे पर्याप्त समझा जाता है। यात्रियों की वर्तमान संख्या को देखते हुए प्लेटफार्म पर छत डालना इस समय औचित्यपूर्ण नहीं समझा जाता।

बहरों के लेडी नौइस स्कूल, नई दिल्ली के कर्मचारियों के वेतनमान

695. **श्री पीयूष तिरकी :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय वेतन आयोग ने नवम्बर, 1949 में बहरों के लेडी नौइस स्कूल, नई दिल्ली के कर्मचारियों के वेतनमान के बारे में सुझाव दिए थे;

(ख) यदि हां, तो सुझाव क्या थे;

(ग) क्या ये सुझाव लागू किए गए थे; और

(घ) यदि नहीं, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) जैसी कि संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) जी हां।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

बहरों और गूंगों के लिए लेडी नौइस स्कूल के संशोधित वेतनमानों की अनुसूची

पद का नाम	वर्तमान वेतनमान	निर्धारित वेतनमान	टिप्पणी
प्रधानाचार्य	150-10-250-/15-400 रुपए	350-25-500-30-590 रुपए	इस पद के लिए अपेक्षित अर्हताएं निम्नलिखित हैं : 1. किसी मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय का स्नातक । 2. बहरों और गूंगों के प्रशिक्षण में किसी भारतीय या विदेशी संस्था से मान्यता प्राप्त डिग्री या डिप्लोमा ।
सैकेण्ड मास्टर	65-5-115-6-175 रुपए	80-5-120-8-200-10-300 रुपए । (120 रुपये आरम्भिक वेतन)	1. किसी मान्यता प्राप्त विश्व-विद्यालय का ग्रेजुएट । 2. बहरों और गूंगों के प्रशिक्षण में किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डिग्री या डिप्लोमा ।
सहायक अध्यापक	50-4-90/5-140 रुपये	(1) 80-5-120-8-200-10/2-220 रु० यदि ग्रेजुएट हों । (2) 68-4-120-5-170 रुपए यदि इंटर मीडिएट हों तो 76 रुपये का आरम्भिक वेतन । (3) 68-4-120-5-170 यदि मैट्रिक हों ।	
बीविंग मास्टर	20 रुपए	68-4-120-5-170 रुपए	
क्लर्क	40-3-70-4-110 रुपए	45-2-55-3-85 द० से० 4-105 रु० (नान मैट्रिक)	
मैट्रन	35 रुपए	55-3-85-4-125-5-130 रु० यदि मैट्रिक हो	
ड्राइवर	3C रुपए	60-5/2-75 रुपए	
चतुर्थ श्रेणी	विभिन्न वेतनमान	30-1/2-35 रुपए	

पर्यटकों के लिये पैलेस ग्रान व्हील्स

696. **श्री के० माल्लना : श्री अशोक गहलोत :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जोधपुर-अजमेर और बीकानेर में रेलवे की वर्कशोप राजपूताना के राज्यों के शासकों के द्वारा प्रयोग में लाए गये आराम देह सैलूनों को पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये पैलेस आन व्हील्स रेलगाड़ियों के रूप में अंतिम रूप देने में व्यस्त है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे यात्री डिब्बों की सख्या, सक्षमता, समय, किराया और पर्यटकों को दी जाने वाली सुविधाएँ क्या हैं; और

(ग) क्या ऐसी रेलों में रेलवे के अधिकारी भी यात्रा कर सकते हैं ?

रेल, तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों और संसदीय कार्य विभाग में उपमत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) 16 डिब्बों (बोगियों) वाली गाड़ी में 124 पर्यटकों के लिए स्थान होगा। पायलट परियोजना में अनन्तिम रूप से दो मार्ग सूचियां बनाने का प्रस्ताव किया गया है। इसमें पहली 7 दिन की अवधि के लिए और दूसरी 2 दिन की अवधि के लिए है। प्रथम मार्ग सूची में दिल्ली-जयपुर-उदयपुर-जोधपुर-जैसलमेर-भरतपुर-आगरा-दिल्ली और दूसरी मार्ग सूची में दिल्ली-जयपुर-आगरा-दिल्ली सम्मिलित होंगे। 124 यात्रियों के लिए सम्पूर्ण गाड़ी चार्टर करने के रेल किराये सहित और राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा खान-पान, दृश्यावलोकन दौरों आदि जैसी सेवाओं का कुल प्रभार प्रथम मार्ग सूची के लिए 9.95 लाख रुपये और दूसरी मार्ग सूची के संबंध में 3.16 लाख रुपये होगा।

(ग) प्रस्तावित सेवा मुख्यतः पर्यटकों के लिए ही होगी।

मजहर ग्राम स्टेशन ऊपरी पुल

697. **श्री मोहम्मद इस्माइल :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मजहर ग्राम स्टेशन के प्लेटफार्म पर ऊपरी पुल के निर्माण का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो कब और इसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो तत्संबंधी कारण क्या है ?

रेल, तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) स्टेशनों पर आने वाले यात्रियों की संख्या, गाड़ी सेवाओं के फेरे, परिचालनिक बाधाओं और धनराशि की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए सामान्यतया स्टेशनों पर प्लेटफार्मों को जोड़ने वाले ऊपरी पैदल पुलों की व्यवस्था की जाती है। मजहूरग्राम स्टेशन पर आने वाले यात्रियों की संख्या कम है, इसलिए इस स्टेशन पर ऊपरी पैदल पुल की व्यवस्था करने का फिलहाल कोई औचित्य नहीं है।

मुरादाबाद मंडल की वरीयता सूची

698. **श्री चिन्तामणि जेना : क्या रेल मंत्री** मुरादाबाद मंडल में क्लर्कों को स्थायी करने के बारे में 17 सितम्बर, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4631 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रश्नाधीन वरीयता सूची कब परिचालित की गयी और आपत्तियां किस तारीख तक माँगी गयी थीं ;

(ख) सूची को अंतिम रूप कब तक दिया गया था, यदि नहीं, तो तत्संबंधी कारण क्या है ;

(ग) यदि सूची को अंतिम रूप दे दिया गया था तो संबंधित क्लर्कों के स्थायीकरण के आदेश किस तारीख को जारी किए गए थे ;

(घ) यदि नहीं, वे तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या वे इस कार्य को पूरा करने के लिए कोई लक्ष्य तिथि निर्धारित करेंगे जिस पर पहले ही बहुत देरी हो गयी है, यदि नहीं तो तत्संबंधी कारण क्या है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) : अधिकांश विभागों में लिपिक वर्गीय कर्मचारियों के संबंध में वरिष्ठता सूचियां अंतिम रूप से तैयार कर ली गयी हैं और 20. 8. 1981 से आगे अलग-अलग तारीखों को परिचालित की जा चुकी हैं। शेष विभागों के संबंध में वरिष्ठता सूचियां शीघ्र ही परिचालित की जायेंगी। परिचालन की तारीख से दो महीने की भीतर आपत्तियों को, यदि कोई हों, भेजने को कहा गया है।

(ग) और (घ) अभ्यावेदनों का निपटान कर लेने के बाद ज्यों ही अंतिम वरिष्ठता सूचियां जारी की जायेंगी त्यों ही कर्मचारियों के स्थायीकरण का काम प्रारम्भ किया जायेगा।

(ङ) लक्ष्य तिथि निर्धारित करना जरूरी नहीं समझा जाता क्योंकि प्राप्त आपत्तियों पर विचार कर लेने और अंतिम वरिष्ठता सूचियां जारी कर देने के बाद कर्मचारियों के स्थायीकरण के लिए अनुवर्ती कार्रवाई शीघ्र शुरू करने की आशा है।

रेलवे के निर्माणाधीन ऊपरी पुल

699. **श्री लक्ष्मण मलिक : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों के रेलवे लाइनों पर कुल कितने उपरी पुल निर्माणाधीन हैं ;

(ख) उन ऊपरी पुलों का निर्माण कब से शुरू किया गया ;

(ग) उनके पूरे होने की निर्धारित लक्ष्य तिथियां क्या हैं ;

(घ) क्या सरकार के पास दक्षिण पूर्वी रेलवे मंडलों में भी कुछ ऊपरी पुलों के निर्माण के प्रस्ताव हैं ;

(ड़) यदि हां, तो क्या कटक रेलवे स्टेशन और दूसरा क्योंझर रेलवे रोड स्टेशन पर उपरी पुल के निर्माण का प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है; और

(च) यदि हां, तो यह प्रस्ताव कब तक क्रियान्वित किया जायेगा ?

रेल, तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (च) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

मुरादाबाद जाने वाली रेलगाड़ियों का विलम्ब से चलना

700. **श्री गुलाम मोहम्मद खान :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि इलाहबाद से सहारनपुर जाने वाली 351 अप पैसेंजर ट्रेन प्राय: विलम्ब से चलती है और रोज मुरादाबाद विलम्ब से पहुंचती है;

(ख) क्या यह भी सच है कि दिल्ली से 3 बजे मध्याह्न के पश्चात् चलने वाली गाड़ी मुरादाबाद 10 बजे से पहले नहीं पहुंचती है; और

(ग) सरकार इन दो रेलगाड़ियों के चलने में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ?

रेल, तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) 351 अप इलाहाबाद-सहारनपुर पैसेंजर और 2 एम० डी० दिल्ली-मुरादाबाद पैसेंजर गाड़ियों का समय-पालन मुख्य रूप से बदमाशों द्वारा खतरे की जंजीर खींचे जाने/होज पाइप अलग किये जाने के कारण संतोषजनक नहीं है। यात्री गाड़ियों के समय-पालन पर कड़ी नजर रखी जाती है। खतरे की जंजीर खींचने होज पाइप अलग करने की बुराई से निपटने के लिए टिकट जांच कर्मचारियों और राजकीय रेलवे पुलिस द्वारा घात लगाकर जांचें की जाती हैं।

बरहामपुर विश्वविद्यालय के अन्तर्गत सरकारी और गैर सरकारी कालेजों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अनुदान

701. **श्री गिरिधर गोमांगो :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980-81 और 1981-82 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने बरहामपुर विश्वविद्यालय उड़ीसा के अन्तर्गत किन सरकारी और गैर-सरकारी किन कालेजों को अनुदान दिया, यह धनराशि कितनी थी और किसलिये दी गई ;

(ख) आदिवासी क्षेत्रों और जिलों में स्थापित कालिजों के नाम क्या हैं और इन कालिजों के विकास के लिये उड़ीसा सरकार और विश्वविद्ययालय अनुदान आयोग ने क्या कार्यक्रम बनाया है ; और

(ग) इस विश्वविद्यालय के अन्तर्गत कुल कितने सरकारी और गैर-सरकारी कालेज हैं और उड़ीसा सरकार ने कौन-कौन से गैर-सरकारी कालेजों के अधिग्रहण का प्रस्ताव किया है और इसके लिये क्या कसौटी अपनाई गई है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) विवरण संलग्न है ।

(ख) आयोग छठी योजना के दौरान जनजातीय क्षेत्रों में स्थिति कालेजों को विशेष सहायता देने तथा जनजातीय छात्रों की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए सहमत हो गया था। ऐसे कालेज आयोग से 4.00 लाख रुपये की अधिकतम सहायता के हकदार होंगे यदि उनमें 5 स्थायी अध्यापक और 100 छात्र हों, जिनमें से कम से कम 35 छात्र अनुसूचित जनजाति अनुसुचित जाति से सम्बन्धित होने चाहिए। आयोग की यह सहायता पुस्तकों, और पत्रिकाओं, उपस्करों की खरीद उपचारी पाठ्यक्रमों, विस्तार सम्बन्धी कार्य कलापों के आयोजन, संकाय सुधार, छात्रों के लिए छात्रावास और अध्यापकों के लिए मकानों आदि की व्यवस्था करने के लिए उपलब्ध होगी। कालेजों द्वारा छठी योजना के दौरान सहायता सम्बन्धी प्रस्ताव तैयार करने के लिए मार्गदर्शी रूप रेखाएं जुलाई 1981 में परिचालित की गई थीं।

जन-जातीय क्षेत्रों में कालेजों के विकास के लिए उड़ोसा सरकार द्वारा पेश किए गए कार्यक्रम उपलब्ध नहीं हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की योजना के अन्तर्गत सहायता प्राप्त करने के पात्र कालेजों के नाम अभी तक आयोग को प्राप्त नहीं हुए हैं।

(ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वि० वि० अनुदान आयोग अधिनियम के खंण्ड 2 (च) के अन्तर्गत अनुरक्षित सूची के अनुसार बरहामपुर विश्वविद्यालय के आधीन 19 कालेज काम कर रहे हैं। इनमें से 8 राजकीय कालेज हैं। 11 गैर-राजकीय कालेजों के नाम इस प्रकार हैं :—

1. अस्का सांइस कालेज, अस्का ।
2. गुनुपुर कालेज, गुनुपुर, जिला : कोरापुट (उड़ीसा)
3. कवि सम्राट उपेन्द्र भंजा कालेज, भंजा नगर (गंजाम)
4. डी० ए० वी० कालेज, कोरापुट (उड़ीसा)
5. गंजाम कालेज, गंजाम ।
6. हिंजलोकट साइंस कालेज हिंजलोकट (गंजाम)

7. नौरंगपुर कालेज, नौरंगपुर।
8. रामचन्द्र मरदराज सांइस कालेज, खोलोकोटे (गंजाम)
9: रायगदा कालेज, रायगदा (कोरापुट)
10. लिंगुराजा विधि कालेज, बरहामपुर ।
11. साइंस कालेज, छत्रपुर गंजाम (उड़ीसा)

राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहण किये जाने वाले प्रस्तावित प्राइवेट कालेजों के नामों अथवा इस प्रयोजन के लिए किन्हीं निर्धारित मानदण्डों से संबंधित कोई सूचना केन्द्रीय सरकार के पास नहीं है ।

विवरण

बरहामपुर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कालेजों को 1980-81 और 1981-82 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दिए गए अनुदानों के ब्यौरे

कालेज का नाम	प्रयोजन	दी गई राशि	
		1980-81	1981-82
1	2	3	4
गैर-सरकारी कालेज		रुपए	रुपए
1. अस्का कालेज, अस्का	अध्यापक शिक्षा वृत्ति	10,100	—
	पुस्तक बैंक	1,500	—
2. कवि सम्राट उपेन्द्र भंजा कालेज, भंजनगर	अध्यापक शिक्षा वृत्ति	12,000	66,764
	अनुसंधान शिक्षा वृत्ति	3,000	—
	पुस्तकालय भवन का निर्माण	2,372	—
3. डी० ए० वी० कालेज कोरापुट	अध्यापक शिक्षा वृत्ति	18,117	—
	प्रौढ़ शिक्षा	5,000	—
4. गंजम कालेज गंजम	अध्यापकों को वित्तीय सहायता	2,500	—
	अध्यापक शिक्षा वृत्ति	25,000	41,000
	छात्रावास सम्बन्धी सुविधाएं	20,000	—
5. हिंजलीकर विज्ञान कालेज, हिंजलीकर	अध्यापक शिक्षा वृत्ति	29,000	—
	अनुसंधान कार्य के लिए अध्यापकों को वित्तीय सहायता	1,250	—
	छात्रावास अध्यापक	50,000	—
6. नौरंगपुर कालेज नौरंगपुर	अध्यापकों को वित्तीय सहायता	8,000	—

(जारी......)

1.	2	3	4
7. रायगडा कालेज रायगडा	पुस्तकें तथा पत्रिकाएं	3,621	—
	अध्यापक शिक्षा वृत्ति	7,000	12,000
8. एल० आर० विधि कालेज, बरहामपुर	भवन	50,000	—
	अध्यापकों को वित्तीय सहायता	4,125	—
9. विज्ञान कालेज, छत्रपुर	पुस्तक बैंक	1,500	—
10. विज्ञान कालेज, अस्का	अध्यापक शिक्षा वृत्ति	—	12,000
11. गुनुपुर कालेज, गुनुपुर	अनुसंधान कार्य के लिए अध्यापकों को वित्तीय सहायता	—	5,000
राजकीय कालेज			
1. राजकीय विज्ञान कालेज, फूलबनी	प्रयोगशाला उपस्करों की खरीद	20,000	—
	पुस्तकें और पत्रिकाएं	20,000	—
	अध्यापक शिक्षावृत्ति	23,000	4,510
2. राजकीय महिला कालेज, बरहामपुर	अध्यापकों को वित्तीय सहायता	1,500	—
	शिक्षक शिक्षा वृत्ति	—	1,500
	पुस्तकें और पत्रिकाएं	—	4,398
3. एम० के० सी० जी० मैडिकल कालेज बरहामपुर	अनुसंधान कार्य के लिए अध्यापकों को वित्तीय सहायता	10,600	2,500
4. एस० के० सी० जी० कालेज पारालेखी मुंडी	अध्यापक शिक्षा वृत्ति	10,500	15,000
	कार्यशाला का निर्माण	4,500	30,000
	पुस्तकालय पुस्तकें और उपस्कर	10,991	—
	अध्यापकों को वित्तीय सहायता	4,500	—
	खेल-मैदानों का विकास	817	—
	प्रौढ़ शिक्षा	5,000	—
5. विक्रम कालेज, जैपुर	भवन	50,000	—
	स्टाफ क्वार्टर	—	10,000
	छात्रावास सुविधाएं	6,000	—
	प्रयोगशाला उपस्कर की खरीद	20,000	—
	कार्यशाला उपस्कर	—	20,000
	पुस्तकें और पत्रिकाओं की खरीद	17,500	—
	प्रौढ़ शिक्षा	4,000	—
	अध्यापक शिक्षावृत्ति	10,000	6,000

6. खाल्ली कोटे कालेज, बरहामपुर	पुस्तकों, प्रयोगशाला उपस्करों की खरीद	34,970	—
	पांचवीं योजना अवधि में उत्तर स्नातक अध्ययनों का सुधार	1,50,000	—
	फुटकर (विविध)	2,334	—
	अध्यापक शिक्षा वृत्ति भवन	25,629	10,000
	कालेज मानविकी सुधार कार्य-क्रम	—	80,000
7. राजकीय संध्या कालेज बरहामपुर	अध्यापक शिक्षा वृत्ति	—	4,500

पश्चिमी रेलवे में चारे के लिये वैगनों की सप्लाई

702. **श्री आर० के० महालगी**
श्री चतुर्भुज } : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी रेलवे, बम्बई सेंट्रल के वरिष्ठ डिवीजनल सुपरिन्टेन्डेंट को अध्यक्ष, थाना जिला घास उत्पादक सहकारी मंडल लि० की तरफ से दिनांक 30 मई, 1981 को चारे के लिये वैगनों की सप्लाई के बारे में ज्ञापन मिला है ;

(ख) उपर्युक्त ज्ञापन में क्या मांगें की गई हैं ;

(ग) इस बारे में रेलवे अधिकारियों ने कार्यवाही की /कर रहे हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो तत्संबंधी कारण क्या है और इस बारे में कब कार्यवाही की जायेगी ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) ज्ञापन में विभिन्न मांगें अर्थात् (1) बोईसर स्टेशन से सूखी घास तथा नमक के लिये माल डिब्बों की सप्लाई, (2) माल उतारने और चढ़ाने के लिए सुविधाओं की व्यवस्था, (3) रेलवे यार्ड का विस्तार, (4) निर्गामी और आवक यातायात के लिए अलग यार्ड की व्यवस्था, (5) निर्गामी यातायात के लिए तारापुर साइडिंग उपयोग में लाया जाना, (6) आवक यातायात की शीघ्र निकासी, (7) यार्ड में पानी के नल की व्यवस्था आदि के संबंध में थीं।

(ग) और (घ) मांगों की प्राथमिकता और वरीयता के अनुसार माल डिब्बों की सप्लाई की जाती है। जनवरी से नवम्बर, 1981 (15 नवम्बर तक) की अवधि में इस यातायात की निकासी के लिए प्राथमिकता 'ई' के अन्तर्गत बोईसर स्टेशन पर कुल 2092 माल डिब्बों का लदान किया गया था। 15. 11. 81 को केवल 15 मांगें, जो दो दिन पुरानी थीं, बकाया थीं। इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि इस यातायात की निकासी तत्काल ही की जा रही है।

पार्टी ने नमक यातायात का कोई लदान नहीं किया है। पार्टी की उपर्युक्त अन्य मांगें, जिनका उल्लेख ऊपर किया गया है, पश्चिम रेलवे प्रशासन के विचाराधीन हैं। 15. 6. 81 को पश्चिम रेलवे ने पार्टी को उत्तर दे दिया है कि वोईसर स्टेशन पर पूरा रेक खड़ा करने के लिए गुड्स प्लेटफार्म को बढ़ाने का प्रस्ताव है।

विकलांग व्यक्तियों के पुर्नवान के लिये काम करने वाली संस्थाओं को अनुदान

703. **श्री एस० बी० सिदनाल : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में विकलांगों के पुर्नवास के लिये काम कर रही संश्थाओं और को चालू वित्त वर्ष के दौरान कितना अनुदान दिया जा रहा है या देने का विचार है ; और

(ख) इन संस्थाओं के राज्यवार नाम क्या हैं और प्रत्येक संस्था को कितना अनुदान राशि दी गई है।

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) विकलांग व्यक्तियों की शिक्षा, प्रशिक्षण और पुनर्वास के क्षेत्र में काम करने वाले स्वयंसेवी संगठनों/संस्थाओं को (1) विकलांगों के लिए स्वयंसेवी संगठनों को सहायता की योजना तथा (2) विकलांग व्यक्तियों को सहायक यंत्र/उपकरण खरीदने/फिट कराने के लिए सहायता की योजना के अन्तर्गत अनुदान दिए जाते हैं। स्वयंसेवी संगठनों/संस्थाओं को 65.39 लाख रुपए की धनराशि दी गई है जब कि 140 लाख रुपए की बजट व्यवस्था की गई थी। विकलांग व्यक्तियों को सहायक यंत्र/उपकरण खरीदने/फिट कराने की सहायता की योजना के अन्तर्गत संगठनों को 22. 23 लाख रुपए की धनराशि मंजूर की गई है जब कि बजट व्यवस्था 25 लाख रुपय की थी।

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इन योजनाओं के अंतर्गत स्वयंसेवी संगठनों/संस्थाओं को दी जाने वाली धनराशियां बताना सम्भव नहीं है क्योंकि अनुदानों का दिया जाना स्वयंसेवी संस्थाओं/संगठनों से मिलने वाले आवेदन पत्रों की संख्या पर निर्भर करता है। इन दो योजनाओं के अन्तर्गत अनुदान पाने वाले संगठनों/संस्थाओं के नाम (प्रत्येक संस्था/संगठन को दी गई धन-राशि सहित) अनुबंध "क" और "ख" पर संलग्न विवरणों में दिए गए हैं। [**ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल टी**-2953/81]

वर्ष 1981-82 के दौरान उड़ीसा को परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिए दी गई केन्द्रीय सहायता

704. **श्री अनादि चरण दास : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1981-82 के दौरान उड़ीसा को परिवार नियोजन कार्यक्रम लागू करने के लिए कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई है ;

(ख) क्या यह सच है कि वर्ष 1981-82 के दौरान देश में परिवार नियोजन कार्यक्रम लागू करने के लिये संयुक्त राष्ट्र आर्थिक सहायता दे रहा है ;

(ग) यदि हां, तो उपर्युक्त काल के दौरान संयुक्त राष्ट्र देश को कितनी राशि देगा;

(घ) यह राशि किन राज्यों में वितरित की जायेगी ;

(ङ) क्या उपर्युक्त राशि में से उड़ीसा को भी आर्थिक सहायता मिलेगी ; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) 755.23 लाख रुपये।

(ख) और (ग) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं के लिए 1981-82 के दौरान जनसंख्या कार्यकलापों के लिए संयुक्त राष्ट्र विधि, युनिसेफ, विश्व स्वास्थ्य संगठन और विश्व बैंक आदि अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों से लगभग 1260.57 लाख रुपये की नकद सहायता तथा लगभग 101.6 लाख रुपये की सामग्री के रूप में सहायता मिलने की संभावना है।

(घ) से (च) इन एजेंसियों द्वारा दी जाने वाली नकद सहायता परिवार कल्याण कार्यक्रम की विभिन्न परियोजनाओं पर केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के जरिये किये जाने वाले खर्च के एक हिस्से की प्रतिपूर्ति है। 1260.57 लाख रुपये की नकद सहायता में से 1038.00 लाख रुपये बिहार, राजस्थान, आन्ध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश में चल रही क्षेत्रीय परियोजनाओं के आंशिक खर्च के लिए होंगे। (यूनाइटेड किंगडम की आंशिक सहायता से एक इसी प्रकार की परियोजना उड़ीसा राज्य के पांच जिलों में चल रही है)। शेष 222.57 लाख रुपये की सामग्री रूपी सहायता सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में चल रही परिवार कल्याण योजनाओं के लिए कार्य निष्पादन/आवश्यकता के अनुसार दी जायेगी।

सरकारी डाक्टरों को प्रैक्टिस-बन्दी भत्ता

705. **श्री हरिहर सोरन :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां डाक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस पर प्रतिबन्ध लगाया गया है और उन्हें प्रैक्टिस-बन्दी भत्ता दिया जा रहा है ;

(ख) क्या सरकार के पास सारे देश में इस प्रथा को लागू करने का प्रस्ताव है ;

(ग) यदि हां, तो इस बारे में विभिन्न राज्यों को भेजे जाने वाले केन्द्रीय मार्ग निर्देशन क्या हैं ; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार मणिपुर, उत्तर प्रदेश, लक्षद्वीप, उड़ीसा, दिल्ली, दादर व नगर हवेली, अण्डमान निकोबार, सिक्किम, अरूणाचल प्रदेश, गोवा, हरियाणा, मिजोरम, नागालैंड, गुजरात,

हिमाचल प्रदेश और राजस्थान ने अपने सरकारी डाक्टरों द्वारा निजी प्रैक्टिस करने पर पाबन्दी लगा दी है। केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल जम्मू व कश्मीर और असम में सरकारी डाक्टरों द्वारा निजी प्रैक्टिस करने पर आंशिक प्रतिबन्ध लगा हुआ है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) ये प्रश्न नहीं उठते।

बम्बई रेलवे सेवा आयोग द्वारा तैयार किया गया पैनल

706. **प्रो० मधु दण्डवते :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई रेलवे सेवा आयोग द्वारा हाल में तैयार किया गया पैनल रेलवे सेवा आयोग द्वारा लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के सम्मिलित परिणाम के आधार पर जैसे पहिले तैयार किया जाता था नहीं बनाया गया बल्कि केवल साक्षात्कार के परिणाम के आधार पर तैयार किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो सामान्य पद्धति में परिवर्तन करने के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या बम्बई रेलवे सेवा आयोग द्वारा ली गई लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के संयुक्त परिणाम के आधार पर नया पैनल लगाने का विचार है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

आसनसोल में रुट रिले सिस्टम

707. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसनसोल रेलवे-स्टेशन के रुट रिले सिस्टम में अब तक क्या प्रगति हुई है ;

(ख) यह कब से कार्य करना आरम्भ करेगा ;

(ग) क्या पूर्वी रेलवे के किसी स्टेशन में रुट रिले इन्टर लोकिंग सिस्टम शुरू करने का कोई प्रस्ताव है ;

(घ) यदि हां, तो इन स्टेशनों के नाम क्या हैं और कब से यह सिस्टम चालू होगा ; और

(ङ) यदि नहीं, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) आसनसोल में रुट रिले अन्तर्पाशन की व्यवस्था का कार्य

अन्तिम चरण में है और सर्किटों की अन्तिम टैस्टिंग का कार्य प्रगति पर है। मार्च, 1982 तक इसको चालू कर दिए जाने की संभावना है।

(ग) जी हां।

(घ) बंडेल जंकशन और ग्रंडाल जंक्शन के लिए रुट रिले अन्तर्पाशन की व्यवस्था का कार्य स्वीकृत कर दिया गया है। बंडेल और ग्रंडाल के कार्य धन की उपलब्धता के अनुरूप प्रगति करेंगे।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

यमुना ऐक्सप्रैस में पड़ी डकैती

708. **श्री ग्राचार्य भगवान देव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीलमपुर और साहिबाबाद के बीच 13 मई, 1981 को यमुना ऐक्सप्रैस में पड़ी डकैती के सम्बन्ध में अब तक किसी अपराधी को गिरफ्तार किया गया है और क्या उससे चोरी का माल बरामद हुआ है;

(ख) यदि गिरफ्तारी हुई हो, तो उनकी संख्या कितनी है और उनसे कितना माल बरामद हुआ है; और

(ग) यदि कोई अपराधी गिरफ्तार नहीं हुआ है तो क्या सरकार जिन लोगों का सामान चुराया गया या जिनको शारीरिक चोटें लगीं क्षतिपूर्ति का भुगतान करेगी यदि हां, तो यह राशि कितनी होगी और कब तक दी जायेगी?

रेल तथा शिक्षा ग्रौर समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) अभी तक न तो किसी अपराधी को गिरफ्तार किये जाने और न ही चुरायी गयी सम्पत्ति के बरामद होने की रिपोर्ट मिली है।

(ग) ऐसे मामलों में कोई क्षतिपूर्ति अनुमेय नहीं है।

उत्तर प्रदेश सरकार की ग्रनौपचारिक शिक्षा योजना

709. **श्री निहाल सिंह** : क्या **शिक्षा ग्रौर समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार की सहायता से एक विशद् ग्रंशकालिक अनौपचारिक शिक्षा योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना की रूप रेखा क्या है और इस पर कितना वार्षिक खर्च आयेगा?

रेल तथा शिक्षा ग्रौर समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) : उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार की सहायता से प्रारंभिक आयु वर्ग के बच्चों के लिए अनौपचारिक शिक्षा की एक योजना तैयार की है।

(ख) विवरण संलग्न है।

विवरण

संविधान के अनुच्छेद 45 में उल्लिखित सर्व सुलभ प्रारम्भिक शिक्षा के लक्ष्य को पूरा करने के लिए अधिकांश राज्यों संघ शासित क्षेत्रों में प्रारम्भिक आयु वर्ग (6-14) के बच्चों के लिए, बड़े स्तर पर अनौपचारिक शिक्षा शुरू कर दी गई है। कई स्थानों पर प्रदान की गई अनौपचारिक अंशकालिक शिक्षा तथा बच्चों की सुविधानुसार दिया जाने वाला उपयुक्त शिक्षा-समय अर्थात लगभग-2-3 घंटे प्रतिदिन केवल उन बच्चों के लिए ही नहीं है जो अध्ययन आरम्भ ही नहीं करते बल्कि ऐसे बच्चों के लिए भी है जो बीच में ही अध्ययन छोड़ जाते हैं।

राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की छठी योजना से संबंधित प्रस्ताव के अनुसार छठी योजना के दौरान परिकल्पित कुल शिक्षार्थी संख्या लगभग 72 लाख है।

आन्ध्रप्रदेश, आसाम, विहार, जम्मू और कश्मीर, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे ऐसे शैक्षिक पर पिछड़े 9 राज्य हैं जिनमें देश के लगभग 80 प्रतिशत स्कूल में दाखिल हुए बच्चे हैं। केन्द्र द्वारा प्रायोजित "प्रारम्भिक आयुवर्ग के बच्चों के लिए अनौपचारिक शिक्षा' 'को योजना के अन्तर्गत, इन 9 राज्यों को अनौपचारिक शिक्षा अंश-कालिक शिक्षा कार्यक्रमों के लिए अनुदान दिये जा रहे हैं। छठी योजना के दौरान इस योजना के लिए 25 करोड़ रुपये का केन्द्रीय क्षेत्र परिव्यय है। यह योजना केन्द्र और राज्यों द्वारा 50:50 के हिस्सेदारी के आधार पर कार्यान्वित की जाती है, संस्वीकृत मानदण्डों के अनुसार, सभी प्रशासनिक एवं शैक्षणिक खर्च शिक्षा मंत्रालय द्वारा 100 प्रतिशत आधार पर वहन किया जाता है, जब कि प्राथमिक तथा माध्यमिक दोनों स्तरों के अनौपचारिक केन्द्रों को चलाने का खर्च, मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित प्रत्येक तीन केन्द्रों में से 3:5 के अनुपात से वहन किया जाता है, और पांच केन्द्रों को चलाने का खर्च राज्य के बजट में वहन किया जाता है।

उत्तर प्रदेश सरकार का 1980-85 के दौरान कुल 8.2 लाख-प्राथमिक 7 लाख और 1.2 लाख माध्यमिक बच्चों को शामिल करने का प्रस्ताव है। स्थापित किए जाने वाले केन्द्रों की संख्या 32,8000 -लाख प्राथमिक 28,000 और 48,000 माध्यमिक है।

अब तक उत्तर प्रदेश को 1.25 करोड़ रुपये की कुल धन राशि दी गई है। उत्तर प्रदेश ने पहले ही 14,4000 केन्द्र, अर्थात प्राथमिक 11,200 और माध्यमिक 3,200 केन्द्र आरम्भ कर दिए हैं।

एशियाड 1982 के टिकटों की दरें

710. **श्रीमती माधुरी सिंह :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एशियाड-1982 के लिये टिकटों की क्या दरें तय की गयी हैं और टिकटों की बिक्री कब से शुरू होगी ;

(ख) क्या कुछ विशेष श्रेणियों के लिये एशियाड-82 के कुछ टिकट आरक्षित किये गये हैं और उनका ब्योरा क्या है ;

(ग) महिलाओं, विशिष्ठ मेहमानों राजनैतिक और मामाजिक कार्यकर्ताओं इत्यादि को दी जाने वाली आरक्षण और अन्य सुविधाओं का ब्योरा क्या है ; और

(घ) क्या कुछ व्यक्तियों के लिये बिना टिकट प्रवेश का भी प्रबंध किया गया है ; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

रेल, तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ख) एशियाई खेल, 1982 के लिए विशेष आयोजन समिति ने इन मामलों के संबंध में अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया है। टिकटों की बिक्री अप्रैल-मई 1982 तक प्रारंभ होने की सभावना है।

पूरा रुपया गिनना

711. **श्री कृष्ण कुमार गोयल :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने पूरा "रुपया गिनना" के सिद्धांत को अपनाया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उस लागत को जो 50 पैसे से अधिक बैठती हो वहां उसे पूरा करके रुपयों में अगले अंक में दिखाया जाता है और 50 पैसे से कम की लागत को रुपयों में पिछले अंक तक पूरा करके नहीं दिखाया जाता ; और

(ग) रेलवे द्वारा अपने किरायों को बढ़ाकर पूर्णांकन करने के क्या कारण हैं ?

रेल, तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ख) यात्री किराये का निम्नलिखित ढंग से पूर्णांकन किया गया है :—

1 (1) दूसरा दर्जा (साधारण)— 200 कि० मी० तक	10 पैसे के अगले उच्चतर गुणक तक।
(2) दूसरा दर्जा (साधारण)— 201 कि० मी० और अधिक के लिए	50 पसे के अगले उच्चतर गुणक तक।
(3) दूसरा दर्जा (डाक/एक्सप्रेस)	50 पैसे के अगले उच्चतर गुणक तक।
(4) वातानुकूल कुर्सी यान, 2-टियर वातानुकूल शयन यान, पहला दर्जा और वातानुकूल पहला दर्जा	अगले उच्चतर रुपये तक।

संशोधित पूर्णांकन नियम लेनदेन के सरलीकरण के दृष्टिकोण से और छोटी रेजगारी के उपलब्ध के न होने के कारण होने वाली असुविधा को दूर करने के लिए किया गया है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति का कार्यान्वयन

712. **प्रो० नारायण चन्द पराशर : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह** बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा 24 जुलाई, 1968 को स्वीकार की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संकल्प के प्रभावी कार्यान्वयन के विचार से शिक्षा को भारत के संविधान की समवर्ती सूची (अनुच्छेद 246 के संदर्भ में सातवीं अनुसूची) में सम्मिलित करने की पेचीदगियों पर सरकार ने विचार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रयोजन के लिये किसी यन्त्र की स्थापना की गई है और क्या संकल्प के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिये कोई कानून बनाया जायेगा ; और

(ग) यदि हां, तो ऐसी किस तारीख तक किया जायेगा ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) भारत सरकार तथा साथ ही राज्य सरकारें सामान्यतः राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 का पालन कर रही हैं और भारत सरकार इसके कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए समवर्ती शक्तियों का उपयोग करना आवश्यक नहीं समझती है। इसलिए इस प्रयोजन के लिए तंत्र स्थापित करने का प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

राष्ट्रीय खेलकूद नीति

713. **श्री केयूर भूषण : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह** बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र सरकार देश में खेल-कूद को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से शीघ्र ही राष्ट्रीय खेलकूद नीति तैयार करने वाली है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में ब्यौरा क्या है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) अखिल भारतीय खेल परिषद् ने राष्ट्रीय खेल नीति का एक मसौदा तैयार किया है जो सरकार के विचारधीन है ।

(ख) नीति के मसौदे की प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं ।

"दिल्ली–रोहतक रोड़ सड़क को गांव मुंडका के निकट चौड़ा किया जाना"

714. **श्री इराका अम्बारासु : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के गांव मुंडका में दिल्ली रोहतक सड़क को दक्षिण किनारे की ओर चौड़ा किया जा रहा है जिसके लिये सैंकड़ों मकानों को गिराया जा रहा है जो अधिकतर बाल्मीक हरिजनों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों के हैं तथा सड़क को उत्तरी ओर चौड़ा नहीं किया जा रहा है जिस ओर गिराया जाने वाले कोई मकान नहीं है :

(ख) क्या यह भी सच है कि उक्त सड़क को दक्षिण की ओर, जिस ओर गांव स्थित है 60 फीट चौड़ा करने का विचार है और उसके दूसरी ओर केवल 15 फुट चौड़ा करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो सड़क को दक्षिण की ओर चौड़ा करने के क्या कारण हैं; जिसके लिये सैंकड़ों मकान गिराने की आवश्यकता है और उत्तर की ओर क्यों नहीं चौड़ा किया जाता जिस ओर कोई मकान नहीं है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ग) मुंडका गांव से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 10 को अपेक्षित स्टैंडर्ड के अनुसार सड़क को 200 फुट तक चौड़ा करने हेतु भूमि अधिग्रहण करने की कार्रवाई शुरू की गयी थी। प्रभावित ग्रामीणों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए सड़क को उत्तर की ओर पहले ही मोड़ दे दिया गया है जिससे कि सड़क के दक्षिण की ओर, जहां गांव स्थित है, अधिक भूमि नहीं लेनी पड़ेगी। इसके बावजूद भी, सड़क के दक्षिण की ओर जो भूमि अधिग्रहण की जाती है; वह भी मौजूदा सड़क की सैंट्रल लाईन से 124 फुट चौड़ी होगी। चूंकि इस चौड़ाई को भूमि के अधिग्रहण से भी बहुत से मकान आ जाते हैं जिनमें हरिजनों के मकान भी हैं ; इसलिए दक्षिण की ओर सड़क की चौड़ाई 124 फुट से घटाकर 76 फुट कर दी है जहां गांव की सीमा के अन्दर के मकान आते हैं। इससे गांव के दक्षिण की ओर केवल 14 फुट चौड़ी भूमि की पट्टी अधिग्रहण करनी पड़ेगी। मंत्रालय ने इस संबन्ध में पहले ही से अनुदेश जारी कर दिए हैं।

"मद्रास में नाविक रोजगार कार्यालय खोलने का प्रस्ताव"

715. **श्री ए० कलानिधि** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई और कलकत्ता की तरह मद्रास में नाविक रोजगार कार्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक खोला जायेगा ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ;

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (ग)

इस समय मद्रास में नाविक रोजगार कार्यालय खोलने के बारे में सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

कानपुर में कार-पार्किंग स्थल का ठेका

716. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंडलीय रेलवे मैनेजर, इलाहाबाद द्वारा कानपुर के कार-पार्किंग स्थल के आवंटन हेतु खुले टेंडर किस तारीख को मांगे गये थे और वह कब खोले गये;

(ख) टेंडर भरने वालों के नाम एवं पते क्या हैं और प्रत्येक द्वारा अलग-अलग कितनी राशि उद्धृत की गई;

(ग) रेलवे ने जमानत की कितनी राशि नियत की थी और प्रत्येक पार्टी द्वारा अलग-अलग कितनी राशि जमा की गई, और

(घ) पहले के टेंडर की दरों की तुलना में वृद्धि की प्रतिशतता कितनी है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) कानपुर स्टेशन पर कार पार्किंग का ठेका देने के लिए मंडल रेल प्रबन्धक, इलाहाबाद द्वारा दिनाक 1.10.81 को मुहरबंद टेंडर मांगे गये थे। ये टेंडर दिनांक 22.10.81 को खोले गये थे।

(ख) और (ग) : एक **विवरण** संग्लन है।

(घ) 85%

विवरण

क्र० सं०	पार्टी का नाम	टेंडर राशि रु०	रेल प्रशासन द्वारा विनिश्चित की गयी जमानत की राशि रु०	पार्टियों द्वारा जमा की गयी जमानत की राशि रु०
1.	श्री टी० पी० मिश्रा, मंत्री रेलवे साइकिल स्टैंड कर्मचारी श्रम संविदा समिति 21, अहमदगंज, इलाहाबाद।	65,111.11	4000/-	सोसाइटी ने वर्तमान ठेके के लिए जमा की गयी राशि को प्रतिभूमि राशि के जरिये समायोजित करने का निवेदन किया है।-
2.	श्री राजेन्द्र सिंह 110/65, जवाहर नगर, कानपुर।	60,111.21	4000/-	4000/-
3.	श्री मोहम्मद सब्बीर खान, 126, शाहगंज, इलाहाबाद।	57,333.33	4000/-	4000/-

कानपुर में साइकिल स्टैंड का ठेका

717. **श्री एन० के शेजवलकर :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानपुर का साइकिल स्टैंड का ठेका तत्कालीन रेल मंत्री द्वारा मैसर्स रेलवे साइकिल स्टैंड कर्मचारी श्रम संविदा सहकारी समिति लिमिटेड, इलाहाबाद को दो वर्ष की अवधि के लिये दिया गया था ;

(ख) टेंडर देने वाली सभी पार्टियों के नाम एवं पते क्या हैं और सफल टेंडर वाले ने किस तारीख से काम करना आरम्भ किया ;

(ग) क्या उपरोक्त समिति ने मासिक लाइसेंस फीस की अदायगी समय पर की और उनके द्वारा संविदा की सारी अवधि के दौरान प्रतिमास जमा किये गये पैसे की रसीदों की क्रम संख्या, जमा कराने की तारीख और जमा की गई राशि के संबंध में ब्यौरे क्या हैं ;

(घ) मंत्रालय द्वारा ठेके का नवीकरण करने के आदेश जारी करने के समय उक्त समिति की ओर कितनी राशि बकाया थी ; और

(ङ) रेल देयतायें समझौते के अनुसार अदा न करने के कारण ठेका समाप्त क्यों नहीं किया गया जैसा कि इलाहाबाद (नगर की तरफ) के साइकिल स्टैंड-एवं-कार पार्किंग ठेके के संबंध में किया गया ?

रेल, तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ङ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

"बड़ी नदियों को राष्ट्रीय नदियां घोषित करना"

718. **श्री जगदीश टाइटलर :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कई बड़ी नदियों को राष्ट्रीय नदियां घोषित करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या उनके विकास पर नजर रखने के लिए अलग से कोई प्राधिकरण गठित किया जाएगा ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) जी हां नीचे लिखे दस जल मार्गों को राष्ट्रीय जल मार्ग बनाने पर विचार करने को उपयुक्त माना गया है :—

(1) गंगा-भागीरथी-हुगली नदी मार्ग

(2) ब्रह्मपुत्र नदी

(3) सुन्दरवन नदी

(4) नर्मदा नदी

(5) ताप्ती नदी

(6) महानदी

(7) गोदावरी नदी

(8) मान्दुली-कुम्वार्जुआ नहर और जुआरो जल मार्ग

(9) कृष्णा नदी

(10) एल्लोरा कोचीन जलमार्ग

(ग) राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति 1980 ने एक "भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग अधिकरण" बनाने की सिफारिश की है जो अन्य कार्यों के साथ, इन जल मार्गों के विकास, अनुरक्षण और प्रबन्ध कार्यों को देख रेख करेगा। सरकार इस सिफारिश पर विचार कर रही है।

"विदेश व्यापार के लिए स्थान आदि की बुकिंग के लिये बन्दरगाहों पर गैर-सरकारी एजेंसियों के कार्यकरण का अध्ययन करने के लिए समिति"

719. **श्री के० टी० कौसलराम : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के बन्दरगाहों पर विदेश व्यापार तथा अन्य सम्बद्ध कार्यों के लिये स्थान आदि की बुकिंग करने के लिए गैर-सरकारी एजेन्सियों के कार्यकरण के अध्ययन हेतु गठित उच्च-शक्ति प्राप्त समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रतिवेदन की मुख्य सिफारिशें क्या हैं और इस प्रतिवेदन पर क्या कार्रवाई की जानी है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) जी हां, ट्रैमा ऑपरेटर्ज कार्य दल ने अभी हाल ही में अपनी रिर्पोट पेश की है। कार्य दल ने सिफारिश की है कि :—

(1) बीच के एजेन्टों को जैसे स्टीमर/शिपिंग एजेन्ट्स, फ्रेट फारवर्डज आदि को लाइसेंस देने का काम नौवहन महानिदेशक या उनके प्रत्यायुक्त अधिकारी द्वारा किया जाना चाहिए। इस प्रयोजन के लिए सरकार को उचित व्यापक नियम बनाने पर विचार करना चाहिए।

(2) बम्बई कलकत्ता, मद्रास और कोचीन के पत्तनों पर स्थायी समितियां बनाई जाएं जिनमें नौवहन महानिदेशक, पत्तन न्यासों, आयकर विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, सीमा शुल्क विभाग वाणिज्य मंत्रालय और सामान्य इंश्योरेंस निगम के प्रतिनिधि हों।

(3) भारत के समुन्द्र पारीय व्यापार में अधिक से अधिक भारतीय नौवहन कम्पनियों को भाग लेना चाहिए :—

(4) सरकार को इन्टरनेशनल मैरिटाईम ब्यूरो की स्थापना करने का समर्थन करना चाहिए।

(5) पोतवाणिक संगठनों को चाहिए कि वे राष्ट्रीय जहाजों को संरक्षण दें।

(6) कानफ्रेंसेज को चाहिए कि वे अपने फ्रेट टैरिफ की सावधिक समीक्षा किया करें और मौजूदा क्रियाविधि के अन्तर्गत किफायती भाड़ा दरें निश्चित करें।

(7) कानफ्रेंसेज विशेष कर भारतीय जहाजी कम्पनियों को विभिन्न देशों को नियमित रूप से अधिकाधिक जहाजी सेवाओं की व्यवस्था करनी चाहिए।

(8) विदेशी जहाज-मालिकों को चाहिए कि वे सीमा शुल्क विभाग को अपनी विश्वसनीयता सेवा आदि के पिछले रिकार्ड सम्बन्धी अपेक्षित सूचना भेजें।

(9) विदेशी टैम्प जहाजों के निरीक्षण और सर्वेक्षण के विषय में समुद्री वाणिज्य विभाग के अधिकारियों को बड़ा सतर्क रहना चाहिए।

(10) भारतीय रिजर्व बैंक को चाहिए कि वह स्टीमर एजेंन्ट द्वारा भेजी रकम को तब तक रोके रखे जब तक कि अपेक्षित पत्तन पर माल डिलीवर नहीं हो जाता है।

(11) भारतीय पोत वाणिकों को भारतीय जहाजों को संरक्षण देना चाहिए।

मंत्रालय उपरोक्त सिफारिशों पर विचार कर रहा है। अन्य मंत्रालयों/ विभागों को लिखा गया है। इस पर सरकार को निर्णय करने में कुछ समय और लगेगा।

ललितपुर स्टेशन पर शायिकाओं का आरक्षण

720. **श्री नन्द किशोर शर्मा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल मंत्रालय को निजामुद्दीन और रायपुर के बीच चलने वाली छत्तीसगढ़ एक्सप्रैस गाड़ी में ललितपुर स्टेशन से दो शायिकाओं के आरक्षण हेतु सुझाव प्राप्त हुए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा उस पर क्या कार्रवाई करने का विचार है ?

रेल, तथा शिक्षा और समाजकल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) जी हां। 1.12.1981 में छः महीने की अवधि के लिए, प्रयोगात्मक आधार पर, 138 अप छत्तीसगढ़ एक्सप्रैस गाड़ी में ललितपुर स्टेशन के लिए दूसरे दर्जे की 2 शायिकाओं का कोटा आवंटित करने का प्रस्ताव है।

संसद सदस्यों से पत्र

721. **श्री डी० एस० ए० शिवप्रकाशन :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंडलीय मैनेजर, मदुरै तथा मुख्य कार्मिक अधिकारी, मद्रास, दक्षिण रेलवे को दिसम्बर 1980 से आज तक संसद सदस्यों से कितने पत्र प्राप्त हुए हैं ;

(ख) सम्बद्ध अधिकारियों द्वारा ऐसे कितने पत्रों के उत्तर भेजे गये ; और

(ग) सम्बद्ध अधिकारियों को संसद सदस्यों से पत्र किस तारीख को प्राप्त हुए और उत्तर किस तारीख को दिये गये ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों और संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) क्रमश: 30 और 14

(ख) क्रमशः 19 और 6 मुख्य कार्मिक अधिकारी द्वारा 3 पत्रों का और मंडल रेल प्रबन्धक, मदुरै द्वारा 2 पत्रों का उत्तर नहीं दिया गया था।

(ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

मण्डल रेल प्रबन्धक, मदुरै		मुख्य कार्मिक अधिकारी, मद्रास	
प्राप्ति की तारीख	उत्तर की तारीख	प्राप्ति की तारीख	उत्तर की तारीख
6-2-1981	22-3-1981	19-2-1981	12-3-1981
9-2-1981	22-3-1981	26-2-1981	16-4-1981
11-2-1981	12-2-1981	13-3-1981	
17-2-1981	12-3-1981	20-3-1981	18-4-1981
16-3-1981	20-5-1981	14-4-1981	इसकी आवश्यकता नहीं
17-3-1981	15-5-1981	21-4-1981	,,
25-3-1981	20-5-1981	24-4-1981	,,
15-4-1981	20-5-1981	8-6-1981	
17-4-1981	20-5-1981	25-7-1981	11-9-1981
21-5-1981		6-8-1981	9-11-1981
26-5-1981	27-5-1981	22-8-1981	29-9-1981
5-6-1981	8-6-1981	25-8-1981	
3-8-1981	6-8-1981	1-11-1981	
18-8-1981		2-11-1981	
31-8-1981	20-11-1981		
19-9-1981	6-10-1981		
30-9-1981			
2-10-1981	10-10-1981		
13-10-1981	20-11-1981		
13-10-1981	इसकी आवश्यकता नहीं		
29-10-1981	29-10-1981		
29-10-1981	इसकी आवश्यकता नहीं		
29-10-1981			
29-10-1981			
4-11-1981	21-11-1981		
4-11-1981	18-11-1981		
4-11-1981			
4-11-1981			
11-11-1981			
17-11-1981			

सेंट्रल ट्रेड यूनियन के संकल्प

722. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारतीय रेलवे के बारे में सेन्ट्रल ट्रेड यूनियन से कोई संकल्प प्राप्त हुए हैं ;

(ख) यदि हां, इन तो संकल्पों में उठाये गये विषयों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उन संकल्पों पर निर्णयों का ब्यौरा क्या है और सरकार की उन पर क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों और संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

21/24-8-81 को हवड़ा में सेंटर आफ इंडियन ट्रेड यूनियन की महापरिषद् की बैठक में पास किये गये प्रस्तावों की एक प्रति सेंट आफ इंडियन ट्रेड यूनियन के सचिव के दिनांक 26-9-81 के पत्र के साथ रेल मंत्री जी को भेजा गया है। इस पत्र में विशेष रूप से निम्नलिखित 6 मुद्दों पर इस मंत्रालय का ध्यान आकर्षित किया गया है।

(1) आम तौर पर कर्मचारी का तथाकथित दमन,

(2) श्रम कानून का तथाकथित उल्लंघन,

(3) भारतीय रेलों पर बढ़ती हुई दुर्घटनाओं पर सेंटर आफ इंडियन ट्रेड यूनियन की गम्भीर चिन्ता,

(4) ठेका श्रमिक (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम को कार्यान्वित करने में भारत सरकार की तथाकथित विफलता,

(5) रेल कर्मचारियों के साथ सेंटर आफ इंडियन ट्रेड यूनियन की पूर्ण एकता की अभिव्यक्ति,

(6) सेंटर आफ इंडियन ट्रेड यूनियन की यह अभिव्यक्ति कि वह रेल इंजन कर्मचारियों के उद्देश्यों के साथ हैं।

2. प्रारम्भ में यह उल्लेखनीय है कि रेल मंत्रीय किसी भी केन्द्रीय श्रमिक संगठन के मामलों को सीधे नहीं निपटाता। भारतीय रेलवेमेंस फैडरेशन और नेशनल फैडरेशन आफ इंडियन रेलवेमेन नामक दो रेलवे की फैडरेशनों को बात चीत करने की सुविधाएं दी गयी हैं और ये फैडरेशन तन्त्र के विभिन्न स्तरों पर रेल प्रसाशन के साथ आवधिक बैठक करती हैं। ये फैडरेशनें विभागीय परिषद् के स्तर पर और राष्ट्रीय परिषद् के स्तर पर संयुक्त परामर्श तन्त्र की बैठकों में भी प्रतिनिधित्व करती हैं। मामलों पर आमने-सामने बैठक कर विचार-विमर्श किया जाता है और समाधान ढूढ़े जाते हैं। उपयुक्त यही होता है कि कर्मचारियों की कोई भी शिकायत इन

मान्यता प्राप्त संगठनों के माध्यम से पहुंचाई जाएं। इस तथ्य के बावजूद कि हम अमान्यताप्राप्त किसी भी संगठन के साथ कोई भी पत्र-व्यवहार नहीं करते, फिर भी, उनके द्वारा भेजे गये किसी भी अभ्यावेदन पर यथोचित विचार किया जाता है और गुण-दोष के आधार पर, जैसा भी उचित होता है ; कार्रवाई की जाती है। इस पृष्ठिभूमि में, मुद्दों पर टिप्पणियां दी गयी हैं जिन पर ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया गया है।

(1) आम तौर पर कर्मचारियों का तथाकथित दमन :

किसी रेल कर्मचारी के विरुद्ध उसकी किसी विशिष्ट भूल-चूक के लिए अनुशासन एवं अपील नियमों की परिधि के अन्दर कार्रवाई की जाती है और सरकार की नीति किसी प्रकार की दमन कारी कार्रवाई करने की नहीं है।

(2) श्रमकानूनों का तथाकथित उल्लंघन :

आम तौर पर रेल प्रशासन ओद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, मंजूरी भुगतान अधिनियम, 1936, ठेका श्रमिक (विनियम एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 की सांविधिक अपेक्षाओं का पालन करते हैं। जब कभी उन्हें इन उपबन्धों के उल्लंघन किये जाने की सूचना दी जाती है, तो इसके लिए निवारक कार्रवाई की जाती है।

(3) भारतीय रेलों पर बढ़ती हुई दुर्घटनाओं पर सेंटर आफ इंडियन ट्रेड यूनियन की गम्भीर चिन्ता :

इस बारे में सरकार को भी चिन्ता है और इस निवारक कार्रवाई करने के लिए मामले पर नियमित रूप से ध्यान दिया जाता है।

(4) ठेका श्रमिक (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम को कार्यान्वित करने में सरकार की तथाकथित विफलता :

ऐसा प्रतीत होता है कि ठेका श्रमिक (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम के कार्यान्वयन में तथाकथिक विफलता का सम्बन्ध रेलों पर कोयला और राख सम्हलाई तथा लोको शेडों में खंगर (सिंडर) चुनने में ठेका श्रमिकों की नियमित किये जाने के निषेध से है जिसकी सिफारिश केन्द्रीय ठेका श्रमिक सलाहकार बोर्ड ने की थी। रेलों ने भाप इंजनों के बदले बिजली और डीजल इंजनों के चलाने में काफी प्रगति की है। इस प्रक्रिया के चलते रहने से निकट भविष्य में एक ऐसा समय आयेगा जबकि भाप इंजन हटा दिये जायेंगे। आप सहमत होंगे कि इस चरण पर कोयला सम्हलाई, राख-खंड की सफाई और सिंडर चुनने के कार्य का विभागीयकरण करना वांछनीय है जबकि भारतीय रेलों पर भाप रेल इंजनों को हटाने के परिणामस्वरूप बहुत से व्यक्ति फालतू होने जा रहे हैं। इसके अलावा ये कार्य चिरस्थाई किस्म के नहीं होते हैं और इनके लिए पूर्णकालिक नियमित रेल कर्मचारियों को नियोजित करने की आवश्यकता नहीं होती।

(5) और (6) रेलकर्मचारियों के साथ सेंटर आफ इंडियन ट्रेड यूनियन की पूर्ण एकता की अभिव्यक्ति, लोको कर्मचारियों के उद्देश्यों के साथ पूर्ण एकता की सहमति :

इन दो प्रस्तावों में अभिव्यक्त विचारों का समर्थन नहीं किया जाता।

त्रिवेन्द्रम कन्नानोर सैक्टर पर अधिक गाड़ियां चलाया जाना

723. **श्री बी० के० नायर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको पता है कि सड़क परिवहन सेवा के नितान्त अपर्याप्त होने के कारण केरल में दैनिक यात्रियों को बहुत असुविधा तथा दिक्कतें होती हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या त्रिवेन्द्रम-कन्नानोर सैक्टर पर दिन में चलने वाली गाड़ियों सहित कुछ और अधिक गाड़ियों को चलने वाली गाड़ियों को चलाने का कोई प्रस्ताव उनके विचाराधीन है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल तथा शिक्षा व समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) केरल में सड़क परिवहन की अपर्याप्तता के बारे में जनता से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) और (ग) कन्नानोर--एर्णाकुलम डे एक्सप्रैस का चालन क्षेत्र बढ़ाकर उसे मंगलौर और तिरुवनन्तपुरम् के बीच चलाने के लिए एक प्रस्ताव की जाँच की गई थी लेकिन कोचिंग स्टाक की कमी के कारण उस पर अमल नहीं किया जा सका।

अगला राष्ट्र मंडल सम्मेलन भारत में आयोजित किया जाना

724. **श्री बागुन सुम्बरूई** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगला राष्ट्र मंडल सम्मेलन भारत में बुलाने का निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन की प्रस्तावित तारीखें क्या है और उस पर कितना व्यय होने का अनुमान है ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी हां। भारत सरकार ने राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों की अगली बैठक की नई दिल्ली में मेजबानी करना स्वीकार किया है।

(ख) यह बैठक 1983 के अन्त में होगी जिसकी निश्चित तारीखों के बारे में अभी निर्णय किया जाना है। इसके खर्च का अनुमान लगाया जा रहा है।

"सड़क दुर्घटनाओं से ग्रस्त होने वालों को मुआवजा

725. **श्री डी० एम० पुत्ते गौडा** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मोटर यान अधिनियम, 1939 की धारा 95 (2) (क) के अनुसार प्रत्येक जख्मी होने वाले अथवा प्रत्येक मरने वाले के उत्तराधिकारियों को बीमा कम्पनी द्वारा मुआवजे के रूप में 20,000 रु० अदा किये जाने होते हैं ;

(ख) क्या उच्चतम न्यायालय के अनुसार सड़क दुर्घटनाओं से ग्रस्त होने वालों की मुसीबतों को दूर करने और मुआवजे को न्यायोचित राशि को अदायगी करने की जरूरत है;

(ग) क्या 500 रु० से 2000 रु० की अनुग्रह पूर्वक अदायगी राज्य का अपने लोगों के प्रति दायित्व को नाम मात्र निबाहना है ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस मामले में क्या कार्रवाई करने का विचार है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) माल के परिवहन में काम आने वाली मोटर गाड़ियों का जो बीमा किया जाता है वह धारा 95 (2) (क) के अनुसार 50,000 रुपये तक की क्षति पूर्ति के लिए होता है। इससे मोटर दुर्घटना में हताहत होने वाले व्यक्तियों या चोट लगने वाले व्यक्तियों के लिए जिनकी संख्या छह तक हो सकती है। (ड्राइवर को छोड़कर) कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 के अधीन दिये जाने वाले मुआवजे की राशि शामिल है।

(ख) जी, हां।

(ग) दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों या उनके वैध उत्तराधिकारियों को जैसी भी स्थिति हो, अनुग्रहपूर्ण भुगतान की राशि राज्य सरकारों द्वारा स्वीकृत की जाती है जो कानून के अन्तर्गत देय मुआवजे की राशि के अतिरिक्त होती है।

(घ) सरकार मुआवजे की राशि बढ़ाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है।

पाकिस्तान का राष्ट्रमंडल में पुनः सम्मिलित किया जाना

726. **श्री रघुनंदन लाल भाटिया** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान को राष्ट्रमडल में पुनः सम्मिलित किये जाने का मामला मेलबोर्न में पिछले राष्ट्रमंडल शिखर सम्मेलन में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से उठाया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो भारत द्वारा इस बारे में शिखर सम्मेलन में अथवा उसके बाहर क्या रुख अपनाया गया ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) राष्ट्रमंडल में पाकिस्तान के पुनः प्रवेश का प्रश्न मेलबोर्न के राष्ट्रमंडल शिखर सम्मेलन में किसी प्रतिनिधिमंडल द्वारा औपचारिक रूप से नहीं उठाया गया था।

(ख) सम्मेलन के बाहर अनौपचारिक बातचीत में हमने यह रुख अपनाया था कि जो देश राष्ट्रमंडल के सदस्य पहले रह चुके हों, उन्हें पुनः प्रवेश देने के प्रश्न पर बहुत सावधानी के साथ विचार किया जाना चाहिए तथा सदस्यों को इस बात की छूट नहीं होनी चाहिए कि वे जब चाहें इसकी सदस्यता त्याग दें और जब चाहें इसमें फिर शामिल हो जाएं। तमाम परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हमने इस बात को संभव नहीं समझा कि राष्ट्रमंडल में पाकिस्तान के पुनः प्रवेश के विचार का समर्थन किया जाय।

अन्तर्राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था का स्थापित करना

727. **श्री जीतेन्द्र प्रसाद :** क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कानकुन में 22 राष्ट्रों के शिखर सम्मेलन में हुई चर्चा को देखते हुए अन्तर्राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था स्थापित करने के लिए क्या विशिष्ट प्रयास किए जा रहे हैं।

विदेश मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : 22 राष्ट्रों का कानकुन शिखर सम्मेलन नई अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना के लिए चल रहे उन प्रयत्नों का एक हिस्सा है जिसकी शुरूआत 1974 में हुई थी, जब संयुक्तराष्ट्र महासभा ने नई अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना के सम्बन्ध में और नई अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना के बारे में दी जाने वाली कार्यवाही के सम्बन्ध में संकल्प पारित किये थे। कानकुन शिखर सम्मेलन में हुई बातचीत का सार सम्मेलन के अन्त में दोनों सह-अध्यक्षों द्वारा प्रस्तुत किया गया। इस प्रलेख के प्रति 26.11.1981 के तारांकित प्रश्न संख्या 70 के उत्तर में सदन की मेज पर रख दी गई थी।

विश्व व्यापी बातचीत शुरू करने के लिए संयुक्त राष्ट्र में इस समय प्रयत्न किये जा रहे हैं। कानकुन शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले शासनाध्यक्षों/राज्याध्यक्षों ने भी विश्व अर्थ-व्यवस्था को फिर से मजबूत बताने की समस्या का सामना करने और विकासशील देशों के विकास कार्य से सम्बद्ध अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा तात्कालिता के आधार पर इन देशों के विकास में तेजी लाने का दृढ़ निश्चय किया है और वे इस कार्य में निरन्तर निजी रूप से ध्यान देते रहेंगे। कानकुन में जिन अन्य बातों पर सहमित हुई थी उन पर अनुवर्ती कार्रवाई उचित मंचों के द्वारा की जायेगी।

भारतीय पुस्तकों का रूसी भाषा में अनुवाद करने के लिए रूसी प्रकाशकों के साथ हुए समझौते का ब्यौरा

728. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय पुस्तक न्यास व भारतीय पुस्तकों का रूसी भाषा में अनुवाद करने के लिए रूसी प्रकाशकों के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो अनुवाद के लिए कौन-कौन सी पुस्तकें चुनी गई हैं ; और

(ग) इन पुस्तकों के चुनाव के लिए क्या कसौटी अपनाई गई है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) राष्ट्रीय पुस्तक न्यास ने 2 से 8 सितम्बर, 1981 तक तीसरे मास्को अन्तर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में भाग लिया तथा रूसी और सोवियत रूस की कुछ अन्य भाषाओं में भारतीय पुस्तकों के अनुवाद के लिए भारतीय प्रकाशकों की ओर से 43 वरणाधिकार (आप्शन, करारों पर हस्तक्षार किये।

(ख) एक विवरण संग्लन है, जिसमें पुस्तकें, लेखक और प्रकाशक बताये गये हैं। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल टी 2954/81]

(ग) मेले में प्रदर्शित पुस्तकों में से सम्बन्धित सोवियत प्रकाशकों ने अनुवाद के लिए पुस्तकें चुनीं।

तेल की सप्लाई के लिए भारत इराक संयुक्त अयोग की बैठक

729. **श्री आर० पी० गायकवाड़ : क्या विदेश मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे। कि :

(क) क्या भारत इराक संयुक्त आयोग की हाल में बगदाद में बैठक हुई थी ;

(ख) क्या इराक भारत को तेल की और सप्लाई करने को सहमत हुआ था ;

(ग) क्या बैठक के दौरान इराक में विभिन्न विकास परियोजनाओं में संलग्न भारतीय कम्पनियों से सम्बद्ध अन्य समस्याओं पर भी विचार किया गया था ; और

(घ) यदि हां, तो इराक सरकार की क्या प्रतिक्रिया थी ?

विदेश मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) भारत-इराक संयुक्त अयोग का सातवां अधिवेशन 21 और 22 अक्तूबर, 1981 को बगदाद में हुआ था।

(ख) विचार-विमर्श के दौरान भारतीय पक्ष ने इराक के इस वक्तव्य पर संतोष व्यक्त किया कि वह भारत की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भविष्य में कच्चे तेल की सप्लाई सुनिश्चित करेगा।

भारतीय तेल निगम 1982 में 35 लाख टन कच्चे तेल की आपूर्ति के लिए इराकी राष्ट्रीय तेल कम्पनी के साथ एक करार पहले ही कर चुका है। 1981 के दौरान आपूर्ति के लिए पहले जो प्रबन्ध किया गया था उसमें केवल 9 लाख मीट्रिक टन कच्चे तेल की आपूर्ति का प्रस्ताव था। 1982 का करार भारत-इराक संयुक्त आयोग के सातवे अधिवेशन से पहले ही किया गया था।

(ग) और (घ) इस बैटक में ईरान-इराक संघर्ष के कारण इराक स्थित भारतीय कम्पनियों के समक्ष उत्पन्न समस्याओं के बारे में इराकी पक्ष के साथ विचार-विमर्श हुआ। इराकी पक्ष की प्रतिक्रिया रचनात्मक थी। उन्होंने लागत-वृद्धि आदि के दावों पर विचार करने के लिए सहमति प्रकट की और भारतीय कम्पनियों को यह परामर्श किया कि वे अपने दावे सम्बद्ध संगठनों के समक्ष पेश करें।

प्रधान मन्त्री का विदेशों का दौरा

730. **श्री गुलाम रसूल कोचक : क्या विदेश मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री ने सितम्बर, अक्तूबर और नवम्बर 1981 में बहुत से देशों का दौरा किया है ;

(ख) यदि हां, तो वे किन-किन देशों में गई थीं ;

(ग) क्या उनके दौरे के दौरान कुछ समझौते भी हुए हैं ;

(घ) यदि हां, तो उनके दौरे के बाद इन देशों में भारत की छवि सुधरी हैं ;

(ङ) यदि हां, तो कितना सुधार हुआ है ?

विदेश मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) जी हां। प्रधान मन्त्री ने इंडोनेशिया, फीजी, टोंगा, आस्ट्रेलिया, फिलिपीन्स, रोमानिया, मैक्सिको, बल्गारिया, इटली और फ्रांस की यात्रा की।

(ग) उनकी इस विदेश यात्रा के दौरान कई द्विपक्षीय समझौताज्ञापनों पर हस्तक्षार हुए।

(घ) और (ङ) प्रधान मंत्री राष्ट्रमंडल शिखर सम्मेलन और अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग और विकास सम्मेलन में भाग लेने के लिए आस्ट्रेलिया और मैक्सिको की यात्रा पर गई थीं। इन बैठकों के सफल निष्कर्ष में योगदान देने के अतिरिक्त प्रधानमन्त्री बहुत से देशों के शासनाध्यक्षों से द्विपक्षीय विचार-विमर्श भी कर सकीं। इन सभी यात्राओं से भारत के लिए सद्भावना पैदा करने में मदद मिली है और इनकी वजह से प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और द्विपक्षीय मसलों पर हमारे दृष्टिकोणों को ज्यादा अच्छी तरह समझा गया है।

प्रधान मंत्री परमाणु ईंधन की सप्लाई के बारे में अमरीका के प्रधान मंत्री से बातचीत

731. **श्री माधवराव सिंधिया** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या जब वे उत्तर दक्षिण के बारे में बातचीत करने के लिये कानकुन गईं तो उन्होंने वहाँ राष्ट्रपति रीगन से भारत और अमरीका के बीच बहुत से द्विपक्षीय मुकद्दमों पर चर्चा करते समय तारापुर परमाणु संयंत्र के लिये समझौते के अन्तर्गत समृद्ध यूरेनियम की पुन: सप्लाई की संभावनाओं पर भी चर्चा की ; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या परिणाम निकले ?

विदेश मंत्री : (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

प्रधान मंत्री का विदेशों का दौरा

732. **डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 18 सितम्बर, 1981 के पश्चात् प्रधान मंत्री कितने दिन देश के बाहर रहीं ;

(ख) जब वे विदेशों के दौरे पर गईं तो उन के साथ कौन-कौन व्यक्ति थे ; और

(ग) प्रधान मंत्री ने किस तारीख को तथा किन किन स्थानों का दौरा किया।

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) 18 सितम्बर, 1981 के बाद प्रधान मंत्री 36 दिन के लिए देश से बाहर रहीं।

(ख) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) प्रधान मंत्री ने 23, 24 सितम्बर को इंडोनेशिया की, 25 से 28 सितम्बर तक फीजी की, 28-29 सितम्बर को टोंगा की, 29 से 3 अक्तूबर तक आस्ट्रेलिया की, 8-9 अक्तूबर को फिलिपीन्स की, 18 से 20 अक्तूबर तक रोमानिया की, 21 से 24 अक्तूबर तक मैक्सिको (कानकुन) की, 6 से 9 नवम्बर तक बल्गारिया की, 9 से 12 नवम्बर तक इटली की और 12 से 15 नवम्बर 1981 तक फ्रांस की यात्रा की। अपनी इस यात्रा के दौरान उन्हें मांट्रियल कनाडा और लन्दन (यू० के०) में भी रूकना पड़ा।

विवरण

18.9.1981 को प्रारम्भ विदेश यात्रा में प्रधानमंत्री के दल के सदस्यों की सूची

(क) इंडोनेशिया, फीजी, टोंगा, आस्ट्रेलिया और फिलिपीन्स

1. डा० पी० सी० एलेक्जेंडर
2. श्री एच० वाई० शारदा प्रसाद
3. श्री के० के० एस० राना
4. श्री एन० एन० झा
5. श्री आर० के० धवन
6. डा० के० पी० माथुर
7. कुमारी ऊषा भगत
8. श्री जे० एस० बीक्यू
9. श्री वाई० दुबे
10. श्री राम किशोर
11. श्री नत्थूराम
12. श्री रायदास

और सुरक्षा कार्मिक, आधिकारिक संवाददाता दल के सदस्य तथा पत्रकार.

(ख) रोमानिया और मैक्सिको

1. श्रीमती सोनिया गांधी
2. डा० पी० सी० एलेक्जेंडर
3. श्री के० के० एस० राना
4. श्री आर० के० धवन
5. श्री के० पी० माथुर
6. कुमारी ऊषा भगत
7. श्री जे० एस० बीक्यू
8. श्री आर० के सीकरी
9. श्री नत्थू राम
10. श्री श्यामलाल

और सुरक्षा कार्मिक, आधिकारिक संवाददाता दल के सदस्य तथा पत्रकार।

(ग) बल्गारिया, इटली और फ्रांस

1. श्रीमती सोनिया गांधी
2. श्रीमती मेनका गांधी
3. श्री एच० वाई० शारदा प्रसाद
4. डा० ए० के० सेन गुप्ता
5. श्री के० के० एस० राना
6. श्री जे० एस० वीक्यू
7. श्री आर० के० धवन
8. डा० के० पी० माथुर
9. कुमारी ऊषा भगत
10. श्री एम० एम० एन० शर्मा
11. श्री राम किशोर
12. श्री श्याम लाल
13. श्री मदन लाल

और सुरक्षा कार्मिक, आधिकारिक संवाददाता दल के सदस्य और पत्रकार ।

नवम्बर 1981 में परिवार नियोजन सप्ताह के दौरान उपलब्धि

733. श्री **धर्मदास शास्त्री : क्या स्वास्थ्य और परिवार** कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली में नवम्बर, 1981 में परिवार नियोजन सप्ताह के दौरान परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत अपनाए गए विभिन्न तरीकों (नसबन्दी और बन्ध्याकरण तथा अन्य गर्भ-निरोधकों) के क्या परिणाम निकले ;

(ख) उक्त सप्ताह के दौरान दिल्ली प्रशासन ने प्रचार आदि पर मद-वार कितनी धन-राशि खर्च की और क्या खर्च की गई कुल धन राशि की तुलना में कथित उपलब्धियां संतोषजनक हैं ; और

(ग) सरकार इस राष्ट्रीय कार्यक्रम को लागू करने के लिए अन्य क्या ठोस उपाय कर रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) प्रारम्भ में 11 अक्तूबर, 1981 से 25 अक्तूबर, 1981 तक दिल्ली में एक परिवार नियोजन पखवाड़ा मनाया गया । बाद में इस कार्यक्रम से उत्साहित होकर इसकी अवधि बढ़ाकर एक मास अर्थात् 11 अक्तूबर, 1981 से 10 नवम्बर, 1981 तक कर दी गई । जैसा कि दिल्ली प्रशासन ने

सूचना दी है ; महिलाओं और पुरुषों के नसबंदी आपरेशनों और अन्य गर्भ-निरोधक तरीकों के बारे में उक्त मास के दौरान हुई उपलब्धियों के आंकड़े (अनन्तिम) इस प्रकार हैं :—

क्रम सं०	तरीका	उपलब्धि
1.	पुरुष नसबंधी आपरेशन	352
2.	महिला नसबंदी आपरेशन	1821
3.	गर्भाशयी गर्भ निरोधक	3653
4.	प्रचलित गर्भ निरोधक उपयोगकर्ता	15,261
5.	खाई जाने वाली गोलियों के उपयोगकर्त्ता	39

(ख) उपर्युक्त मास के दौरान दिल्ली प्रशासन द्वारा प्रचार कार्य पर लगभग 67,520/- रुपये का व्यय किया गया है जिसका ब्यौरा इस प्रकार है :—

कार्यक्रमों की संख्या		खर्च की गई राशि
1. पत्र-पत्रिकाओं द्वारा प्रचार	24	29,800·00
2. लघु विषय परिचायक प्रशिक्षण शिविर/संगोष्ठियां	33	1,980·00
3. सांस्कृतिक कार्यक्रम	30	24,800·00
4. कठपुतली शो	25	1,950·00
5. प्रदर्शनियां	16	
6. हरि कथाएं/भजन	18	990·00
7. सिनेमा स्लाइडें	7 दर्जन	2,000·00
8. बैनर्ज	10	1,000·00
9. जिला स्तरीय विषय परिचायक शिविर	1	1,200·00
10. विषय परिचायक शिविर	19	3,800·00

ये उपलब्धियां संतोषजक हैं। दूसरे प्रचार कार्य और प्रेरणा प्रयासों से जो जागरुकता और जोश पैदा हुआ है, उसका प्रभाव इस पखवाड़े के बाद भी रहेगा और अन्य लोग भी अपने परिवार को छोटा रखने के आदर्शों को अपनाने लगेंगे ।

(ग) दिल्ली में कारगर ढंग से सुरक्षित किए गये लक्ष्य दम्पतियों का स्तर अखिल भारतीय औसत से ऊँचा होने के बावजूद भी परिवार को छोटा रखने के आदर्श को लोकप्रिय बनाने के लिए प्रेरणादायक और शैक्षिक उपायों को यहां विशेषकर झुग्गी झोंपड़ी और गन्दी बस्तियों, श्रमिक बस्तियों और देहाती इलाकों में तेज किया जा रहा है । लोगों को उनके घरों के निकट ही सेवाएं भी सुलभ कराई जा रही हैं ।

1982 में वैगनों की मांग

734. **श्री मुकुंद मंडल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) चालू वर्ष में वैगनों की मांग कितनी है ;

(ख) वर्ष 1982 के लिये वैगनों की अनुमानित मांग कितनी है ; और

(ग) सरकार ने मांग तथा वास्तविक रूप में दिये जाने वाले वैगनों का अंतर दूर करने के लिये क्या उपाय किये हैं ?

रेल, तथा शिक्षा व समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 1981-82 में माल डिब्बों की योजना 18, 000 माल डिब्बे हैं, जबकि पूरी योजना में 1,00,000 माल डिब्बों की व्यवस्था है ।

(ख) और (ग) 31. 10. 81 तक 9, 570 माल डिब्बे तैयार किये गये थे, जबकि यथानुपात में 10, 500 माल डिब्बों की आवश्यकता थी । 922 माल डिब्बों के अन्तर को पूरा करने के लिए उत्पादन स्तर पर पूरी निगरानी रखी जा रही है और माल डिब्बा निर्माताओं तथा संबंधित मंत्रालयों के साथ निकट सम्पर्क रखा जा रहा है ।

कानकुन सम्मेलन में हुए समझौतों का ब्यौरा

735. **श्री डी० पी० यादव** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अभी हाल ही में हुए कानकुन सम्मेलन में समझौते, निर्णय, और विज्ञप्ति, यदि कोई जारी की गई है, का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) कानकुन सम्मेलन का भारत की अति अपेक्षित वित्तीय स्थिरता और वित्तीय आवश्यकता पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

विदेशी मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क)और (ख) 22 देशों के शासनाध्यक्षों/ राज्याध्यक्षों की कानकुन बैठक किसी संधिवार्ता के मंच के रूप में आयोजित नहीं की गयी थी और यह उम्मीद भी नहीं की गयी थी इसमें किसी भी प्रकार का निर्णय लिया जाएगा। इस बैठक का उद्देश्य यह था इसमें कि हिस्सा लेने वाले नेताओं को सहयोग और विकास की समस्याओं के बारे में विचारों के सामान्य आदान-प्रदान का अवसर मिले । इस बात पर पहले से ही सहमति हो चुकी थी कि कानकुन में जो बातचीत होगी उसका सारांश बैठक के दो सह-अध्यक्षों द्वारा अपनी जिम्मेदारी पर प्रस्तुत किया जायेगा । इस बैठक के अन्त में दोनों सह-अध्यक्षों द्वारा दिये गये सारांश की एक प्रति 26. 11. 81 के तारांकित प्रश्न संख्या-70 के उत्तर में सदन की मेज रख दी गई है ।

हालांकि इस बात का मूल्यांकन करना संभव नहीं है कि भारत की वित्तीय अपेक्षाओं और स्थायित्व पर कानकुन बैठक का सीधा और तत्काल क्या प्रभाव पड़ा है लेकिन वहां हुए विचारों के आदान-प्रदान से वित्त आदि के क्षेत्रों में भारत जैसे देशों की समस्याओं को विशेष रूप से ऊर्जा संसाधनों को विकसित करने के लिए अपेक्षित अतिरिक्त राशि के प्रश्न को, ज्यादा अच्छी तरह समझा जा सका है ।

अखिल भरतीय प्रौढ़ शिक्षा सम्मेलन

736. **श्री कमल नाथ** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में पटना में हुए अखिल भारतीय प्रौढ़ शिक्षा सम्मेलन की सिफारिशें क्या हैं ;

(ख) इन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) इन सिफारिशों को लागू करने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) : सरकार ने इन सिफारिशों को नोट कर लिया है।

विवरण

(1) विद्यमान ग्रामीण संस्थाओं को सुदृढ़ किया जाना चाहिए और ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न की जानी चाहिए ताकि निर्णय लेने के कार्य में निर्धन ग्रामीण भी भाग ले सकें।

(2) ग्रामीण क्षेत्रों के विशेष संदर्भ में सभी संस्थाओं, संगठनों और व्यक्तियों को सक्रिय रूप से शामिल करके प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में तीव्रता लाई जानी चाहिए।

(3) विभिन्न ग्रामीण संस्थाओं और संगठनों के सभी कार्मिक को प्रौढ़ शिक्षा से अवगत कराया जाना चाहिए तथा यदि संभव हो तो उन्हें प्रौढ़ शिक्षा के सिद्धान्तों और पद्धतियों में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।

(4) सभी नव-साक्षरों और अर्द्धसाक्षरों को संगठित किया जाना चाहिए ताकि वे अपने शोषण के मूल कारणों का पता लगा सकें और उनके विरूद्ध संघर्ष कर सकें, अपने अधिकारों और दायित्वों का प्रयोग कर सकें, विभिन्न प्रकार की सामाजिक बुराइयों की त्रुटिपूर्ण पुरातन परिधियों को तोड़ सकें तथा भावी शिक्षा समाज में वे अपने आपको शिक्षण व उत्पादन वर्गों के रूप में व्यस्त कर सकें।

(5) प्रौढ़ शिक्षा को पंचायतों और सहकारी समितियों के सदस्यों की शिक्षा की प्रक्रिया में तेजी लाई जानी चाहिए।

(6) ग्राम्य स्तर पर एक स्थायी प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र की स्थापना की जानी चाहिए ताकि आवश्यकता पर आधारित विभिन्न प्रकार के सतत शिक्षा कार्यक्रम आयोजित किए जा सकें।

(7) शिक्षण कार्यकलापों में अधिक से अधिक महिलाओं को भाग लेना चाहिए ताकि वे पंचायत और सहकारी कार्यों में पूरी तरह से भाग ले सकें।

(8) समाज के कमजोर वर्गों को शैक्षिक कार्यक्रमों में शामिल करने हेतु विशेष प्रयास किए जाने चाहिए ताकि सामुदायिक कार्यों में भाग लेने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जा सके।

(9) सहकारी समितियों और पंचायतों का शिक्षण साधनों के रूप में पता लगाया जाना चाहिए तथा सरकार से पर्याप्त वित्तीय सहायता लेकर प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों को आयोजित करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

(10) स्वैच्छिक एजेंसियों के तत्वावधान में देश के विभिन्न भागों में लोक उच्च विद्यालयों को पुनः आरम्भ कर उनकी स्थापना की जानी चाहिए।

(11) 'स्कूल सामुदायिक केन्द्र' की धारण को पुनः लोक प्रिय बनाया जाना चाहिए और उन्हें तत्काल कार्यान्वित किया जाना चाहिए ताकि स्कूलों की विद्यमान अवस्थापना सम्बन्धी सुविधाओं का प्रौढ़ और गैर-औपचारिक शिक्षा के लिए उपयोग किया जा सके।

(12) पुरुष और महिलाओं के लिए विभिन्न विषयों और कलाओं में सतत शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए प्रौढ़ शिक्षा के स्कूल अयोजित् किए जाने चाहिए।

(13) निर्धन ग्रामीणों को सरकार और अन्य एजेंसियों की उन विभिन्न विकास योजनाओं से, जो उन्हीं के लिए बनाई गई हों, अवगत कराने हेतु एक उयुपक्त सूचना कार्यक्रम तैयार किया जाना चाहिए और इन कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए आगे आने हेतु उन्हें प्रेरित किया जाना चाहिए।

(14) प्रौद्योगिकी स्थानान्तरण का एक उपयुक्त कार्यक्रम तैयार किया जाना चाहिए ताकि फार्मों (खेतों) और घरों में कम लागत के उपयुक्त प्रौद्योगिकी अपनाए जा सकें जिसके परिणामस्वरूप समय और श्रम की बचत होगी तथा शिक्षण कार्यकलापों में महिलाओं के भाग लेने को प्रोत्साहन मिलेगा।

(15) प्रौढ़ शिक्षा, जो शिक्षा की एक उप-पद्धति है, विकास और सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया का एक अनिवार्य निवेश है ; और हमारे देश के लिए यह एक सुदृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति और वचन वद्धता पर आधारित एक उच्च प्राथमिकता वाला राष्ट्रीय अभियान होना चाहिए।

परमाणु हथियारों पर रोक के लिए भारत का अभियान

737. **श्री जयनारायण रोट** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने परमाणु हथियारों के फैलाव को रोकने के लिए विदेशों में अभियान शुरू किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इस पर क्या प्रतिक्रिया हुई है ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) भारत सरकार निरन्तर अपने इस सिद्धान्त पर दृढ़ रही और सातवें दशाब्द से ही, जबकि नाभिकीय अस्त्रों के फैलाव को रोकन के प्रश्न पर पहले पहल अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय में गम्भीरतापूर्वक विचार किया गया था, अपनी इस नीति को दोहराती रही है कि अगर इस सवाल का कोई व्यवहार्य, संतोषजनक और प्रभावकारी समाधान खोजना है तो एक ही अन्तर्राष्ट्रीय संधि । प्रलेख की रूपरेखा के अंतर्गत नाभिकीय अस्त्रों के समानांतर और ऊर्ध्वमुखी दोनों प्रकार के फैलाव पर एक साथ विचार करना होगा। भारत सरकार की इस नीति में कोई परिवर्तन नहीं आया है। लेकिन दुर्भाग्य से 1968 में नाभिकीय अस्त्रों पर रोक लगाने की संधि का जो रूप उभरा, वह एक असमान और भेदभावपूर्ण संधि है क्योंकि इसमें

नाभिकीय अस्त्रों के सिर्फ समानान्तर फलाव के निषेध की व्यवस्था है और इसमें वर्तमान नाभिकीय अस्त्रों वाले राज्यों के ऊर्ध्वमुखी फैलाव के पहलू पर कोई विचार नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त नाभिकीय अस्त्रों के फैलाव रोकने की तथाकथित व्यवस्था, जिसका लक्ष्य दूसरी बातों के अलावा गर-नाभिकीय अस्त्रों वाले राज्यों पर ही शान्तिपूर्ण नाभिकीय गतिविधियों के सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था को लागू करना भी है, नाभिकीय अस्त्रों के फैलाव को रोकने की संधि के आधार पर ही स्थापित करने की कोशिश की गई है। नाभिकीय अस्त्रों के फैलाव के प्रश्न पर अपनी बुनियादी नीति के अनुरूप भारत सभी अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर नाभिकीय अस्त्रों के विस्तार-प्रसार को रोकने वाले ऐसे शासन के विरुद्ध अपनी कठोर असहमति हमेशा व्यक्त करता आया है।

प्रस्तावित नई बलसाड-नासिक रेल लाइन

738. **श्री छीतूभाई गामित :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बलसाड से नासिक तक एक नई रेल लाइन बिछाने का प्रस्ताव विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह कार्य कब तक शुरू होने तथा पूरा होने की संभावना है ; और

(ग) इस कार्य पर कतनी धनराशि खर्च होने का अनुमान है ?

रेल, तथा शिक्षा और समाज कल्याण मत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) बलसाड से नासिक तक रेलवे लाइन के निर्माण का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। प्रस्तावित बड़ी लाइन लगभग 140 किलोमीटर लम्बी होगी और इसके निर्माण पर 42.0 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

धनराशि की कमी के कारण रेल मंत्रालय फिलहाल इस प्रस्ताव पर विचार करने में असमर्थ है।

नई रेल लाइनों पर होने वाले खर्च का राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाना

739. **डा० वसन्त कुमार पण्डित :** क्या रेल मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ रेलवे प्रस्तावों, उदाहरणतया नई रेल लाइन बनाना, मार्ग को दोहरा किया जाना, नये यार्डों का निर्माण आदि पर खर्च होने वाली धनराशि के कुछ अंश को वहन करने के लिए रेल विभाग को विभिन्न राज्य सरकारों से कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो भेजे गए प्रस्तावों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है तथा राज्यों ने कितना अंश देने का प्रस्ताव रखा है और इस पर क्या निर्णय लिया गया है ;

(ग) क्या रेलवे बोर्ड राज्य सरकारों के ऐसे प्रस्तावों को स्वीकार नहीं करना चाहता ;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) क्या सरकार का विचार रेलवे विभाग तथा राज्य सरकारों द्वारा नई लाइनों और मार्गों के विस्तार के संयुक्त प्रयास को प्रोत्साहन देने का है ?

रेल तथा शिक्षा व समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) अनुबंध 'क' के रूप में एक विवरण संलग्न है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल टी-2955/81**]

(ग) और (घ) कुछ मामलों में, संबंधित राज्य सरकार द्वारा लागत का अपना भाग वहन करने पर नयी लाइनों का निर्माण किया गया है। समग्र वित्तीय कठिनाई के कारण कुछ नयी परियोजनाओं का निर्माण शुरू करना संभव नहीं हो सका है।

(ङ) हाल ही में गठित की गयी रेल सुधार समिति इस नीति संबंधी मुद्दे पर आर्थिक और औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में नयी रेलवे लाइनों के निर्माण के विशेष संदर्भ में जांच कर रही है।

एशियाई खेलों के लिए प्रशिक्षण शिविर

740. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी**
श्री वीरभद्र सिंह
श्री टी० दामोदर रेड्डी : **क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह**
बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एशियाई खेलों में भाग लेने वाले एथलीटों को प्रशिक्षण देने के लिए देश के विभिन्न भागों में बनाए गए प्रशिक्षण शिविरों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) प्रत्येक खेल के लिए कितने व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) विवरण संलग्न है, जिसमें आवश्यक सूचना दी गई है।

विवरण

खेल का नाम	आयोजित शिविरों की संख्या	प्रत्येक शिविर में औसतन उपस्थिति	शिविरों का स्थान
1	2	3	4
ऐथलिटिक्स	13	38	पटियाला/बंगलौर, हैदराबाद/चण्डीगढ़,
तीरंदाजी	4	21	कलकत्ता/अमरावती-पटियाला,
बैडमिंटन	5	22	पटियाला/बंगलौर/हैदराबाद
केट बॉल	8	22	पटियाला/दिल्ली
बॉक्सिग बॉल	4	32	पटियाला

(जारी…)

1	2	3	4
साइकिल दौड़	5	41	पटियाला
घुड़सवारी	3	104	दिल्ली/मेरठ/जयपुर/बरेली
फुटबॉल	4	33	कलकत्ता/बैरकपुर/सिकन्द्राबाद
जिमनास्टिक्स	11	23	पटियाला
गोल्फ	1	9	दिल्ली/कलकत्ता
हॉकी (पु)	3	64	पटियाला/बंगलौर/कलकत्ता/पुणे/ लखनऊ/जालंधर
हॉकी (म)	3	39	ग्वालियर/पुणे/दिल्ली
हैंडबॉल	3	41	पटियाला/हैदराबाद/नागपुर
लॉन टैनिस	2	22	बंगलौर/पटियाला
तैराकी	3	84	मद्रास/पटियाला
निशाने बाजी	3	33	दिल्ली/अहमदाबाद
टेबल टैनिस	4	20	पटियाला/बंगलौर
वॉलीबॉल	6	25	पटियाला/हैदराबाद/राई
कुश्ती	5	15	पटियाला
भारोत्तोलन	5	21	पटियाला
नौकायन	2	29	बम्बई

निरक्षरों को शिक्षा

741. श्री चित्त महाटा
श्री रूप चन्द पाल
श्री सत्य साधन चक्रवर्ती
: क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जून 1981 तक देश में राज्यवार कितने व्यक्ति निरक्षर थे; और

(ख) सरकार ने छठी पंचवर्षीय योजना में उन्हें शिक्षा देने के लिए क्या उपाय किए हैं ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 1981 की जनगणना के अनुसार, निरक्षरों की राज्यवार अस्थाई संख्या दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) सरकार द्वारा जो कदम उठाए गए हैं उनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित भी शामिल हैं :—

(1) छठी पंचवर्षीय योजना में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रमों में प्रारम्भिक शिक्षा के एक अंग के रूप में शामिल किया गया है।

(2) छठी पंचवर्षीय योजना में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के लिए 128 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई है जिसमें केन्द्रीय क्षेत्र में 60 करोड़ रु० तथा राज्य क्षेत्र में 68 करोड़ रु० शामिल हैं।

(3) यद्यपि छठी योजना की अवधि के लिए कोई विशेष लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं, फिर भी छठी योजना के दस्तावेज में इसकी परिकल्पना की गयी है कि प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत 15–35 आयु वर्ग के सभी शत-प्रतिशत निरक्षर प्रौढ़ों को 1990 तक शामिल किया जाएगा।

विवरण

जनगणना के अनुसार राज्यों में निरक्षर व्यक्तियों की अस्थाई संख्या दर्शाने वाला विवरण

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1981 की जनगणना के अनुसार निरक्षर व्यक्तियों की अस्थाई संख्या
(1)	(2)
राज्य	
आन्ध्र प्रदेश	3,74,14,353
असम	उ० नं०
बिहार	5,16,59,744
गुजरात	1,91,02,830
हरियाणा	82,45,253
हिमाचल प्रदेश	24,60,368
जम्मू और काश्मीर	43,95,763
कर्नाटक	2,28,14,504
केरल	78,31,398
मध्य प्रदेश	3,76,29,654
महाराष्ट्र	3,29,98,177
मणिपुर	8,31,748
मेघालय	8,86,797
नागालैंड	4,48,581
उड़ीसा	1,73,07,429
पंजाब	98,78,208
राजस्थान	2,59,01,297

(जारी···)

1	2
सिक्किम	2,08,902
तमिलनाडु	2,61,85,863
त्रिपुरा	12,03,501
उत्तर प्रदेश	8,05,00,006
पश्चिम बंगाल	3,22,13,693
संघ शासित क्षेत्र	
अण्डमान व निकोबार	91,734
अरुणाचल प्रदेश	5,01,865
चंडीगढ़	158,970
दादर तथा नागर हवेली	76,096
दिल्ली	24,12,803
गोवा, दमन व दीव	4,77,628
लक्ष्य द्वीप	18,219
मिजोरम	1,97,533
पांडिचेरी	2,76,536

"ऋषि विश्व मित्र भारतीय पोत"

742. श्री अटल बिहारी वाजपेयी
श्री सूरज भान
श्री आर० पी० गायकवाड
श्री जितेन्द्र प्रसाद
: क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 25 अक्टूबर 1981 को जब भारतीय पोत ऋषि विश्वमित्र ईरान में बन्दर खोमेनी से चला तो उस पर गोलीबारी की गई जिससे उसके डूब जाने से एक व्यक्ति मरा तथा दो लापता हैं; और

(ख) भारतीय पोत पर गोली चलाने के क्या कारण है और मृत तथा घायल व्यक्तियों के लिए अब तक कितना मुआवजा प्राप्त किया गया है और पोत तथा माल को कितनी हानि हुई ;

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह पाटिल) : (क) श्री ए. ई. एडम, नाविक को हताहत बताया गया है । श्री सी० ऐजारिया द्वितीय इंजीनियर को लापता बताया गया है और सम्भवतः वह हताहत हो गये हैं । यह जहाज डूब नहीं गया था बल्कि यह क्षतविक्षत हो गया था और इसे ईरान के नौसेना अधिकारी बुशायर खे‌ले गये ।

(ख) जहाज पर गोलाबारी करने का कारण नहीं मालूम हुआ है। नाविक संगठनों के साथ हुए करार के अनुसार नौवहन कम्पनी हताहत व्यक्तियों के परिवारों को मुआविजा देने की व्यवस्था कर रही है। पता चला है कि जहाज को भारी नुकशान हुआ और समुद्र यात्रा के योग्य बनाने के लिए शायद इसकी भारी मरम्मत करनी पड़े। पता चला है कि जहाज में जो माल लदा हुआ था उसे कोई नुकशान नहीं हुआ है।

कर्जी-वरवाडीह रेल लाइन

743. **श्री चक्रधारी सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार कब से कर्जी से वरवाडीह रेल लाइन बिछाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है जिसका सर्वेक्षण कार्य पूरा हो चुका है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त रेल लाइन बिछाने में क्या रुकावटें आ रही हैं ?

रेल तथा शिक्षा व समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) अम्बिकापुर और विश्रामपुर के रास्ते एक वैकल्पिक मार्ग सहित वरवाडीह से करौंजी तक एक बड़ी लाइन के लिए प्रारम्भिक इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण कराने की मंजूरी 1978-79 में दी गयी थी। सर्वेक्षण का क्षेत्र कार्य पूरा हो गया है और वित्तीय मूल्यांकन किया जा रहा है। योजना की व्यावहारिकता और कार्यक्षमता तथा संसाधनों की यथोचित रूप से ध्यान में रखते हुए योजना आयोग के साथ परामर्श करके इस मामले में अन्तिम निर्णय लिया जायेगा।

विदेशों में जाने वाले प्रचार में सुधार

744. **श्री हीरालाल आर० परमार** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेश में प्रचार की वर्तमान व्यवस्था क्या है तथा भारत के बारे में अरब देशों के लिए प्रचलित की जा रही गलत सूचनाओं को सही ढंग से बताने के लिए क्या व्यवस्था है ;

(ख) अपने देश के बारे में गलत खबरों को चुनौती देने तथा विरोध प्रकट करने तथा देश की वास्तविक छवि को प्रस्तुत करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ; और

(ग) क्या विदेशों में प्रचार की प्रणाली को नया रूप देने तथा इसमें सुधार करने की कोई योजना विचाराधीन है ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) अपने विदेश प्रचार प्रयासों में, विशेषकर खाड़ी, पश्चिमी एशिया और उत्तरी अमरीका में, सुधार लाना पिछले दो वर्षों से कुछ अधिक अवधि से विशेष दिलचस्पी और चिंता का विषय रहा है। इस दिशा में जो कार्रवाई की गई है और जो की जा रही हैं वे इस प्रकार हैं :-

(1) अरब पत्रकारों को बड़ी संख्या में भारत आने का निमन्त्रण दिया गया है ताकि वे भारत के विकास का स्वयं अवलोकन कर सकें।

(2) अरब देशों में वितरण के लिए भारत के संबन्ध में अरबी भाषा में मुद्रिका प्रचार सामग्री जारी करने पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है ।

(3) काहिरा, दमिश्क, कुवैत, आबूधाबी और त्रिपोली स्थित अपने मिशनों को समाचार बुलेटिनों और पत्रिकाओं के माध्यम से स्थानीय प्रचार के लिए भारत के विकास के संबन्ध में सचित्र सामग्री और टिप्पणियां भेजी जा रही हैं ।

(4) भारतीय व्यापार, प्रौद्योगिकीय और पत्रकार शिष्टमंडलों ने इन देशों की यात्रा की है और भ्रांतियों का निवारण किया है तथा भारत के विकास को सही परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किया है ।

(5) इस वर्ष के शुरू में प्रधान मन्त्री की खाड़ी के देशों की यात्रा ने भारत की छवि सुधारने और संवारने में महत्वपूर्ण योगदान दिया । प्रधान मन्त्री की यात्रा से पहले अरब देशों के बहुत से पत्रकारों ने भारत की यात्रा की और प्रधान मन्त्री की यात्रा के दौरान विभिन्न देशों में भारत के संबन्ध में विशेष परिशिष्ट निकाले गए ।

(6) इस मन्त्रालय ने भारतीय कथाचित्रों और वृत्तचित्रों को अरबी भाषा में डब करने और सब टाइटल करने की दिशा में कार्रवाई शुरू की है ताकि अरब दर्शकों के समक्ष भारत के विकास को सही परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किया जाए ; और

(7) हमारे मिशन अध्यक्षों से कहा गया है कि वे आम राय पैदा करने वाले स्थानीय लोगों और पत्रकारों से निकट सम्पर्क बनाएं ।

(ग) मन्त्रालय कई अरब देशों में पर्याप्त स्टाफ वाले पृथक सूचना स्कन्ध खोलने पर विचार कर रहा है । काहिरा और दमिश्क से अरबी भाषा में प्रचार सामग्री जारी किए जाने के सुझाव पर भी विचार किया जा रहा है । हमारे मिशन-प्रमुखों को सही सूचना तत्काल और प्रभावपूर्ण ढंग से प्रचारित करने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किये गए हैं । यह काम विदेश प्रचार में सुधार लाने की समग्र योजना के अन्तर्गत आता है जो कि एक सतत और बहुआयामी प्रक्रिया है जिसमें मुद्रिका और दृश्य-श्रव्य साधन शामिल हैं ।

विश्वविद्यालयों तथा कालिजों के अध्यापकों के संगठनों के अखिल भारतीय संघ की मांग

745. **श्री इंद्रजीत गुप्त : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि विश्वविद्यालयों तथा कालेजों के अध्यापकों संगठनों के अखिल भारतीय संघ ने अपनी मांगों को मनवाने के लिए, जिनमें इस वर्ष अप्रैल में सरकार को प्रस्तुत किया गया 10-सूत्री मांग पत्र भी शामिल है, 15 दिसम्बर को सभी कालेजों और विश्व-विद्यालयों में एक दिन को हड़ताल का आह्वान किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा तथा इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने अप्रैल में मांग पत्र प्रस्तुत किए जाने के पश्चात् इनकी मांगों को हल करने के लिए कोई कदम उठाए हैं ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) प्रधान मन्त्री को सम्बोधित दिनांक 2 नवम्बर, 1981 के पत्र में संघ ने उल्लेख किया है कि उन्होंने देश में सभी कालेजों और विश्वविद्यालयों में 15. 12. 1981 से राष्ट्रीय हड़ताल करने का आह्वान किया है।

(ख), (ग) और (घ) : संघ के प्रतिनिधि शिक्षा मन्त्री से मिले थे, जब उन्हें यह स्पष्ट किया गया था कि उनकी अधिकांश मांगे राज्य सरकारों से सम्बन्धित हैं और इनमें से कुछ मागों को स्वीकार करने में उनके लिए वित्तीय कठिनाइयां होंगी। तथापि संघ द्वारा की मांगों पर विचार करने के लिए उन्हें राज्य शिक्षा मन्त्रियों के नोटिस में ला दिया गया है।

जहां तक शारीरिक शिक्षा निदेशकों और पुस्तकाध्यक्षों के वेतनमानों का सम्बन्ध है, केन्द्रीय सरकार को विभिन्न क्षेत्रों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे। सरकार उनके वेतनमानों को बढ़ाने और उन्हें 1. 4. 1980 से प्राध्यापकों, रीडरों आदि के वेतनमानों के समतुल्य करने और राज्य सरकारों के परामर्श से निर्णय को लागू करने के लिए सिद्धांत रूप से सहमत हो गयी है।

बरेली-कासगंज-मथुरा अनुभाग में एक्सप्रैस/मेल रेल गाड़ियां

746. **श्री जयपाल सिंह :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मन्त्रालय का विचार पूर्वोत्तर रेलवे के बरेली-कासगंज-मथुरा अनुभाग में कोई नई एक्सप्रेस या मेल रेलगाड़ी चलाने का है ;

(ख) पिछले एक वर्ष के दौरान बरेली और कासगंज के बीच चलने वाली यात्री गाड़ियों की समय पर पाबन्दी में कितने प्रतिशत सुधार हुआ है और गाड़ियों के समय पर चलाने के लिए सरकार क्या व्यवस्था कर रही है ;

(ग) क्या मन्त्रालय को यह जानकारी है कि बरेली कासगंज अनुभाग में चलने वाली गाड़ियों के डिब्बों में खिड़कियों और शौचालयों की हालत बहुत खराब है और जल, सफाई और प्रकाश की व्यवस्था भी सन्तोषजनक नहीं है ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार इनमें सुधार करने के लिये क्या कदम उठा रही है ?

रेल तथा शिक्षा व समाज कल्याण मन्त्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) पिछले एक वर्ष की अवधि के दौरान बरेली-कासगंज खण्ड पर सवारी गाड़ियों के समय-पालन में कुछ सुधार हुआ है और यह 60 से 80% के बीच रहा है। गाड़ियों के समय पालन पर, जिसमें इस खण्ड की गाड़ियां भी शामिल हैं, सभी स्तरों पर निगरानी रखी जा रही है। परिहार्य रुकौनियों के संबंध में तत्काल कार्रवाई की जाती है और इस प्रकार की रुकौनियों के लिए जिम्मेदार पाये गये कर्मचारियों के विरुद्ध निवारक/दंडात्मक कार्रवाई की जाती है। बदमाशों की गतिविधियों की रोकथाम के लिए राज्य सरकार के प्राधिकारियों के साथ निकट सम्पर्क बनाये रखा जा रहा है।

(ग) जी हां। इस संबन्ध में यदा-कदा शिकायतें प्राप्त होती हैं।

(घ) बदमाशों की गतिविधियों पर नियन्त्रण पाने के लिए राज्य के प्राधिकारियों के सक्रिय सहयोग से सभी स्तरों पर, जिनमें अधिकारी भी शमिल हैं, बार-बार जांच की जाती है। क्षतिग्रस्त/चुरायी गयी यात्री सुविधाओं तथा सुरक्षा से संवम्धित फिटिंगों को बदलने के लिए भी कार्रवाई की जाती है। यद्यपि, इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर चोरी तथा गुन्डागर्दी के कारण कभी कभी फिटिंग को तत्काल बदल पाना संभव नहीं हो पाता है, फिर भी, यह कार्य यथासंभव कम से कम समय में कर दिया जाता है।

मद्रास और नई दिल्ली के बीच तीव्र गति की रेल गाड़ियों का चलाया जाना

747. **श्री हरीश कुमार गंगवार :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ समय पहले तमिलनाडु एक्सप्रेस के पटरी से उत्तर जाने पर हुई दुर्घटना में जिन रेल डिब्बों को क्षति पहुंची थी उन्हें बदलने के लिए रेल विभाग के पास रेल डिब्वे नहीं हैं;

(ख) क्या इस गाड़ी को, जो पहले सप्ताह में तीन वार चलती थी अब सप्ताह में एक बार चलाया जा रहा है और क्या इसमें 8 अक्तूबर, 1981 से 21 डिब्बों के स्थान पर 13 डिब्बों के साथ सामान्य रूप से कार्य शुरू कर दिया है ;

(ग) क्या सरकार का विचार मद्रास और दिल्ली के बीच राजधानी किस्म की एक रेलगाड़ी चलाने का है क्योंकि इस समय जो गाड़ियां चल रही हैं, वे पर्याप्त नहीं हैं ;

(घ) यदि हाँ, तो क्या सरकार के लिए यह प्रश्न गंभीर रूप से विचाराणीय नहीं है कि कोच फ़ैक्टरी का विस्तार किया जाए और दक्षिण जाने के लिए प्रतीक्षा समय कम करने हेतु अधिक तीव्र गति की तथा सुविधाजनक रेलगाड़ियां उपलब्ध कराई जाएं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल, तथा शिक्षा व समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां, रेलों पर उच्च गति वाले यात्री डिब्वों की विशेष किस्म की सीमित उपलब्धता के कारण।

(ख) जी हां। 8-10-81 से इस गाड़ी को 13 यात्री डिब्बों की घटी हुई संख्या और सामान्य फेरों सहित फिर से चला दिया गया है। 12-11-81 से यह गाड़ी 21 यात्री डिब्बों के अपने पूरे भार सहित और सप्ताह में तीन बार के सामान्य फेरों में चल रही है।

(ग) यात्री डिब्बों की कमी के कारण मद्रास और दिल्ली के वीच राजधानी एक्सप्रेस किस्म की गाड़ियां चलाने का प्रस्ताव नहीं है।

(घ) एक सवारी डिब्बा कारखाना स्थापित करने के प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

"जहाजों की मरम्मत करने वाले यार्डों का निर्माण"

748. **प्रो० साचन्द पाल : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में जहाजों की मरम्मत के कुछ और यार्डों के निर्माण के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) भारत में जहाज मरम्मत की सुविधाओं के बारे में 15 वर्षीय व्यापक योजना तैयार करने के लिए परामर्शकों की एक समिति नियुक्त कर दी गई है। इस समिति की रिपोर्ट के लगभग तीन महीने में मिल जाने की आशा है।

अफगान समस्या का राजनीतिक हल

749 **श्री जैनुल बशर : क्या विदेश मंत्री** : यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अफगान समस्या के राजनीतिक हल के लिए, जिसके फलस्वरूप इस देश से सोवियत सेनायें हट सकती हैं, भारत द्वारा हाल में कोई प्रयास किया गया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) भारत सरकार अफगानिस्तान के संकट के सन्तोषजनक समाधान से बहुत महत्वपूर्ण ढंग से जुड़ी हुई है और उसमें दिलचस्पी रखती है। भारत ने हमेशा ही अफगानिस्तान के मसले को बातचीत द्वारा राजनीतिक ढंग से सुझाने का समर्थन किया है। हम इस प्रकार के समाधान की दिशा में आगे बढ़ने के लिए इस क्षेत्र के और इसके बाहर के बहुत से देशों के साथ तथा संयुक्त राष्ट्र महासचिव के साथ भी विचार-विमर्श करते रहे हैं लेकिन विगत कुछ सप्ताहों में भारत द्वारा ऐसी कोई विशिष्ट पहल नहीं की जा सकी है।

पूर्वोत्तर रेलवे की भौगोलिक सीमा

750. **श्री हरिनाथ मिश्र : क्या रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर रेलवे की भौगोलिक सीमा क्या है ;

(ख) किराये तथा भाड़े से कुल कितनी आय होती है और पिछले पांच वर्षों का इसका राज्यवार विवरण क्या है ;

(ग) कर्मचारियों और इसकी अस्तियों के रख-रखाव पर कुल कितना व्यय होता है;

(घ) क्या अधिकांश वाष्पइन्जन पुराने पड़ गए हैं और बार-बार खराब हो जाते हैं;

(ङ) क्या उपयुक्त कोयले की सप्लाई न होने अथवा इन्जनों का खराब हो जाने से अधिकांश रेलगाड़ियों को रद्द कर दिया जाता है अथवा विलम्ब से चलती हैं ; यदि हां, तो

नवम्बर, 1980 से अक्तूबर, 1981 तक कितनी बार इन्जन खराब हुए तथा रेल गाड़ियां विलम्ब से चलीं, और

(च) क्या पूर्वोत्तर रेलवे के कार्यकरण में पूर्णरूपेण से सुधार हेतु तथा इसके चरणबद्ध विकास के लिए जिससे कि उन्हें मध्य तथा पश्चिम रेलों के अनुरूप लाया जा सके। एक आयोग इसके कार्यकरण की जाँच करेगा। यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल, तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (च) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) पूर्वोत्तर रेलवे में पांच मंडल हैं जो उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों की सेवा करते हैं ; जैसा कि नीचे दिखाया गया है :—

	मंडल	सेवित राज्य
(1)	इज्जतनगर	उत्तर प्रदेश
(2)	लखनऊ	उत्तर प्रदेश
(3)	समस्तीपुर	बिहार
(4)	सोनपुर	बिहार
(5)	वाराणसी	उत्तर प्रदेश और बिहार

(ख) पूर्वोत्तर रेलवे पर पिछले पांच वर्षों के दौरान यात्री किराये और माल भाड़े (यात्री किराये तथा माल भाड़े का आशय क्रमश: यात्री यातायात तथा माल यातायात से हुई आमदनी से है) से हुई कुल आमदनी नीचे दी गई है :—

वर्ष	यात्री यातायात से आमदनी	माल यातायात से आमदनी
1976-77	42.66	33.88
1977-78	45.27	34.81
1978-79	47.97	33.63
1979-80	50.45	36.12
1980-81	48.49	37.82

आमदनी के आंकड़े, रेलवेवार रखे जाते हैं राज्यवार नहीं।

(ग) वर्ष 1979-80 जिसके आंकड़े उपलब्ध हैं, के लिए कर्मचारियों तथा परिसम्पत्तियों के अनुरक्षण पर किया गया कुल व्यय नीचे दिया गया है :—

(करोड़ रुपयों में)

कर्मचारियों पर किया गया कुल व्यय (चालू लाइन)		68.95
मरम्मत और अनुरक्षण पर किया गया व्यय		
(1) रेलपथ	13.05	
(2) मोटिव पावर	10.05	
(3) सवारी तथा माल डिब्बा	12.19	
(4) संयंत्र और उपस्कर	6.01	41.30

मरम्मत और अनुरक्षण पर किये गये व्यय में मरम्मत और अनुरक्षण कार्यों में लगे कर्मचारियों पर किये गये व्यय का तत्व भी शामिल है जिसे कुल कर्मचारी लागत में भी दर्शाया गया है।

(घ) पूर्वोत्तर रेलवे पर बड़ी लाइन का कोई भी भाप रेल इन्जन गतायु नहीं है। मीटर लाइन पर 716 रेल इंजनों में से केवल 37 रेल इंजन गतायु हैं जिनको निम्न सेवाओं के लिए उपयोग में लाया जाता है।

(ङ) पूर्वोत्तर रेलवे पर नवम्बर, 1980 से अक्तूबर, 1981 तक की अवधि के दौरान इंजन के ब्रेक डाउन अथवा उपयुक्त कोयले की सप्लाई न किये जाने के कारण कोई गाड़ी रद्द नहीं की गयी थी। लेकिन कोयले की कमी के कारण कुछ गाड़ियां रद्द की गयी थीं।

पूर्वोत्तर रेलवे पर नवम्बर, 1980 से अक्तूबर, 1981 तक की अवधि के दौरान प्रतिदिन चलने वाली कुल 390 गाड़ियों में से रेल इन्जन की खराबी के कारण 10.9% गाड़ियां तथा उपयुक्त कोयले की सप्लाई न किये जाने के कारण 0.13% गाड़ियां विलम्ब से चली थीं।

(च) फिलहाल इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। मौजूदा प्रशासनिक और परिचालनिक संगठन रेलों के कार्य संचालन में सुधार करने तथा इसका चरणबद्ध विकास करने के लिए पर्याप्त हैं।

"बम्बई बन्दरगाह पर भीड़-भाड़"

751. श्री रशीद मसूद
श्री एम० रामगोपाल रेड्डी
श्री जगदीश टाईटलर
: क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई बन्दरगाह पर बर्थ की अपर्याप्त सुविधाओं तथा भीड़-भाड़ के कारण माल को अन्यत्र ले जाया जाता है, जिसके कारण परिवहन की गंभीर समस्या पैदा हो जाती है और पोतों को बर्थ के लिये समुद्र में प्रायः महीने से ऊपर प्रतीक्षा करनी पड़ती है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सबधी ब्यौरा क्या है तथा बन्दरगाह पर भीड़-भाड़ को दूर करने तथा इसके विस्तार और आधुनिकी करण के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) बम्बई पत्तन को निर्धारित क्षमता से अधिक माल को उतारना चढ़ाना पड़ता है इस कारण जहाजों, को खासकर उन जहाजों को जो इस्पात ले कर आते हैं, घाट के लिए एक से अधिक समय तक इन्तजार करना पड़ता है । लेकिन माल को बम्बई पत्तन से किसी दूसरे पत्तन की ओर मोड़ने की कोई उल्लेखनीय घटना नहीं हुई है ।

21 नवम्बर, 1981 को बम्वई पत्तन पर 10 जहाज घाट के लिए तैयार खड़े थे जो घाट का इन्तजार कर रहे थे । सामान्य माल का सबसे पुराना वह था जो 1 नवम्बर, 1981 से घाट का इन्तजार कर रहा था । इसी प्रकार गैर सामान्य मालवाही जहाज 19 अगस्त ,1981 से इन्तजार कर रहा था ।

बम्बई पत्तन पर जहाजों के जमाव को कम करने के लिए बम्बई पत्तन के प्रशासन ने अनेक कदम उठाये हैं । इनमें जहाज से माल को नावों में बीच धारा में उतारने के लिए आर्थिक सहायता की अदायगी कर प्रोत्साहन देना, घाट पर जो जहाज जल्दी माल नहीं उतारते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करना, जो जहाज माल जल्दी जल्दी उतारते हैं उन्हें पारी के बिना घाट देना आदि उपाय शामिल हैं । इसके अलावा केन्द्रीय मत्रालयों और सरकारी क्षेत्र के अक्रमों से यह अनुरोध किया गया है कि जब तक बम्वई पत्तन पर जहाजों का जमाव कम नहीं हो जाता है तब तक वह जब कभी संभव हो, अन्य भारतीय पत्तनों का अधिक से अधिक इस्तेमाल करें ।

दीर्घ कालीन उपायों के रूप में बुचर द्वीव पर चौथे तेल घाट का निर्माण अधिक शक्ति वाले ठग खरीदना, कंटेनर चढ़ाने उतारने वाले उपकरण खरीदना आदि उपाय अपनाये जा रहे हैं । न्हावा-शेवा में एक नया पत्तन बनाने का भी प्रस्ताव है ।

इस्पात क्षेत्रों को वैगनों का आवंटन

752. **श्री तारिक अनवर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को वैगनों के आवंटन में कमी आई है ;

(ख) क्या सरकार को राऊरकेला इस्पात संयंत्र को वैगन आवंटित करने में कठिनाइयां हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं, और स्थिति में सुधार के लिए कदम उठाए गए हैं ?

रेल, तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

कलकत्ता खड़गपुर-आद्रा-पुरुलिया चक्रधरपुर सैक्सन पर एक तेज रेलगाड़ी हेतु अनुरोध

753. **श्री अजित कुमार साहा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता-खड़गपुर-आद्रा-पुरुलिया-चक्रधरपुर सैक्शन पर एक तेज रेलगाड़ी चलाये जाने तथा पुरुलिया-कोटशीला छोटी-लाइन को बड़ी लाइन में बदले जाने के बारे में पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री के अनुरोध पर सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ख) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल, तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) सवारी डिब्बों की अत्यन्त तंगी तथा इस्पात कारखानों के यातायात के प्रवाह में परिणामस्वरूप आने वाली कमी से हवड़ा-पुरुलिया चक्रधरपुर खंड पर एक अतिरिक्त गाड़ी चलाया जाना व्याहारिक नहीं है। 315/316 हवड़ा पुरुलिया चक्रधरपुर सवारी गाड़ी की गति पहले ही 15-2-81 से बढ़ायी जा चुकी है ताकि हावड़ा और पुरुलिया के बीच रात्रि की तीव्र सेवा की व्यवस्था की जा सके। गाड़ी के इस जोड़ से पुरुलिया में प्रारम्भ होने और समाप्त होने के लिए डेढ़ डिब्बे की व्यवस्था की गयी है।

पुरुलिया कोटशिला छोटी लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तन के लिए इंजीनियर एवं यातायात सर्वेक्षण की वर्ष 1981-82 के बजट में स्वीकृति दी गयी है और सर्वेक्षण का कार्य प्रगति पर है। सर्वेक्षण की रिपोर्ट की जांच करने तथा परियोजना की अर्थक्षमता, धन की उपलब्धता और योजना आयोग द्वारा स्वीकृति पर पूरा ध्यान देते हुए इस मामले पर अन्तिम निर्णय लिया जायेगा।

आल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन के प्रतिनिधि मण्डल के साथ मंत्री की वार्ता

754. **श्री बसुदेव आचार्य :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 18 अगस्त, 1981 को आल इंडिया लोको रनिंग स्टाप एसोसिएशन के प्रतिनिधि मण्डल के साथ उनकी कोई बातचीत हुई है ;

(ख) यदि हां, तो शिकायतों का ब्यौरा क्या है और 18 अगस्त, 1981 को क्या वार्ता हुई ; और

(ग) उन मुद्दों पर, जिन पर सहमति हो गई है, की क्रियान्वयन का ब्यौरा क्या है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

शान्तिपूर्ण प्रदर्शन में भाग लेने के कारण दण्डित किये जाने, लम्बी दूरी की मेल/एक्सप्रैस और सवारी गाड़ियों में दो फायरमैनों की व्यवस्था को समाप्त कर देने, पारम्परिक 'पहले आओ, पहले पाओ', वाली बुकिंग प्रणाली को समाप्त कर देने, बिना गार्ड के गाड़ियां चलाने, असुरक्षित

कार्य संचलन प्रणाली, पूर्वोत्तर रेलवे के इज्जतनगर मण्डल पर मेल/एक्सप्रैस गाड़ियों में फायर-मैनों का ड्राइवरों के रूप में उपयोग करने, कुप्रबन्ध के कारण गाड़ी सेवाओं में गम्भीर रुकोनियों और गाड़ियां रद्द होने, रनिंग भत्ता समिति और वर्दी समिति के निर्णयों को लागू न करने, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत रेल कर्मचारियों का कथित उत्पीड़न और गिरफ्तारी और पदोन्नतियों में अनियमितओं जैसे विभिन्न मुद्दों वाले ज्ञापन में कुछ मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित स्थिति उल्लेखनीय है :—

(क) रनिंग भत्ता समिति की सिफारिशें

संगठित श्रमिक यूनियनों के साथ इस विषय पर व्यापक विचार-विमर्श हो जाने के बाद रनिंग भत्ते की पूरी योजना को रनिंग भत्ता समिति की सिफारिशों के आधार पर युक्तिसंगत बना दिया गया है और 17-7-81 को आवश्यक अनुदेश जारी कर दिये गये हैं।

(ख) वर्दी भत्ता समिति की सिफारिशें :

इन सिफारिशों की जाँच की गयी है और इस पर निर्णय लिया जा चुका है यथोचित अनुदेश जारी किये जायेंगे।

(ग) राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत रेल कर्मचारियों का कथित उत्पीड़न और उनकी गिरफ्तारी :

संसद में तथा अन्यत्र यह स्पष्ट कर दिया गया है कि सरकार की नीति कर्मचारियों को उत्पीड़ित करने की नहीं है और उनके द्वारा की जाने वाली किसी ऐसी भूल-चूक, जिससे आचरण नियमों और प्रशासनिक और अपील नियमों का उल्लंघन होता हो, के लिए उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाती है।

जहाँ तक राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत लोको रनिंग कर्मचारियों की गिरफ्तारी का सम्बन्ध है, यह उल्लेखनीय है जबकि सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाती है, उपलब्ध सूचना से यह संकेत नहीं मिलते कि ऐसा कोई मामला नहीं है जिसमें कोई रेल कर्मचारी गिरफ्तार किया गया हो।

(घ) पदोन्नति में कथित अनियमितताएं :

सरकार यह स्वीकार नहीं करती कि पदोन्नति में कोई अनियमितता बरती गयी है, क्योंकि 'प्रवरण' और 'गैर-प्रवरण' पदों पर पदोन्नति के लिए एक निश्चित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है जो कि सभी कर्मचारियों पर समान रूप से लागू किया जाता है।

अन्य मामले :

इस विज्ञापन में दिये गये कुछ अन्य मामलों की गुणावगुण के आधार पर जाँच की जा रही है और सम्बन्धित प्राधिकारियों द्वारा यथोचित कार्रवाई की जाती है।

विभिन्न राज्यों द्वारा शिक्षा पर व्यय

755. **श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विभिन्न राज्यों द्वारा वर्ष 1981-82 में शिक्षा के लिए निर्धारित किए गए योजनागत व्यय की प्रतिशतता क्या है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : विभिन्न राज्यों द्वारा 1981-82 में शिक्षा के लिए नियत योजनागत औसत व्यय सम्बन्धी सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	योजना का औसत शिक्षा के लिए नियत व्यय
(1)	(2)	(3)
1.	आंध्र प्रदेश	6·93
2.	असम	14·83
3.	बिहार	15·48
4.	गुजरात	3·84
5.	हरियाणा	9·62
6.	हिमाचल प्रदेश	4·61
7.	जम्मू तथा कश्मीर	4·49
8.	कर्नाटक	7·50
9.	केरल	10·84
10.	मध्य प्रदेश	4·90
11.	महाराष्ट्र	6·79
12.	मणिपुर	3·81
13.	मेघालय	10·00
14.	नागालैंड	4·15
15.	उड़ीसा	7.67
16.	पंजाब	10·79
17.	राजस्थान	13·23
18.	सिक्किम	9·28
19.	तमिलनाडु	3·13
20.	त्रिपुरा	7·75
21.	उत्तर प्रदेश	6·45
22.	पश्चिम बंगाल	11·03
	कुल (राज्य)	7·77

(जारी…)

1	2	3
23.	अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह	16·33
24.	अरुणाचल प्रदेश	5·06
25.	चण्डीगढ़	34·33
26.	दादरा तथा नागर हवेली	13·62
27.	दिल्ली	18.00
28.	गोआ, दमन तथा दीव	18·37
29.	लक्षद्वीप	12·58
30.	मिजोरम	6·18
31.	पांडिचेरी	10·38
	कुल (संघ शासित क्षेत्र)	12·37
कुल जोड़		7·94

रेल-किराये में वृद्धि

756. **श्री चतुर्भुज**
श्री चित्त महाटा
श्री एन०ई० होरो : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 1-5 सितम्बर, 1981 के 'आन लुकर्स' साप्ताहिक पत्रिका में 'रेलवे फेयर हाईक कमिंग' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) उक्त वृद्धि के क्या कारण हैं और इसके बारे में पहले ही अनुमान क्या नहीं लगा लिया गया था ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) रेल के किराये और भाड़े में संशोधन एक सतत प्रक्रिया है। पैट्रोलियम उत्पादनों की कीमतों में वृद्धि और कर्मचारियों को अतिरिक्त महंगाई भत्ते की किश्तें आदि कुछ ऐसे घटक हैं जिनसे रेलवे की परिचालन लागत और बढ़ गयी है।

धर्मनगर सबरूम लइन

757. **श्री अजय विश्वास**
श्री बाजुबन रियान : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान धर्मनगर से सबरूम तक रेल लाइन के विस्तार के बारे में त्रिपुरा विधान सभा में 21 सितम्बर, 1981को सर्वसम्पति से पास किए गए एक संकल्प की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना को कब शुरू किया जाएगा और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल, तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) और (ख) इस मंत्रालय में अभी तक ऐसा कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है जिसमें कथित संकल्प की ओर ध्यान दिलाया गया हो। लेकिन त्रिपुरा के मुख्य मंत्री ने अपने 1.10.81 के पत्र में इस बात पर बल दिया है कि त्रिपुरा में कुमारघाट से आगे अगरतला तक रेलवे लाइन का प्राथमिकता के आधार पर विस्तार करने की जरूरत है। पूर्वोत्तर परिषद ने अपनी लागत पर प्रारम्भिक इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण आधुनिक बनाने के लिए को पहले ही प्रायोजित किया है और पूर्वोत्तर सीमा रेलवे से सर्वेक्षण कार्य को यथाशीघ्र पूरा करने के लिए कहा गया है। सर्वेक्षण के परिणाम मालूम हो जाने के बाद इस परियोजना पर आगे विचार किया जायेगा बशर्ते कि योजना आयोग द्वारा इसके लिए धन उपलब्ध कराया जाय और स्वीकृति प्रदान की जाय।

एक्सप्रेस गाड़ी की दुर्घटना की जांच

758. **श्री ई० बालनन्दन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने 1 अक्तूबर, 1981 को प्रातः 123 डाउन आन्ध्र प्रदेश एक्सप्रेस गाड़ी की दुर्घटना की जिसमें तीन डिब्बे पटरी से उतर गये थे, कोई जांच कराई है ;

(ख) यदि हां, तो इसकी जांच किसने की; और

(ग) जांच के निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है ?

रेल, मंत्री तथा शिक्षा वसमाज कल्याण मत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मलिकार्जुन) (क) जी हां।

(ख) विभागों के अपर विभागाध्यक्षों की एक समिति ने जांच की थी।

(ग) जांच रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

कोरोनियल रोगों के कारण होने वाली अन्धता को रोकने हेतु उपाय।

759. **श्री के० लकप्पा** क्या स्वास्थ्य : परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में नेत्रहीनों तथा नेत्रों की दृष्टि से विकलांग सभी लोगों में से 25 प्रतिशत लोगों की अंधता का कारण कोरोनीयल रोग है ; और

(ख) इस कारण से होने वाले अंधेपन को कम करने के लिए क्या कदम उठाए हैं। उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लस्कर : (क) जी, हां।

(ख) भारत सरकार ने पहले ही 1976 से राष्ट्रीय दृष्टि-हीनता नियंत्रण कार्यक्रम आरम्भ कर दिया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत आंखों के इलाज की व्यापक सुविधायें प्रदान करने के लिये परिसरीय स्तर से उच्चतम स्तर तक की सेवाओं का विकास किया जा रहा है जिसमें इन कारणों से होने वाली दृष्टि-हीनता को कम से कम करने के उपाय भी शामिल हैं।

व्यक्ति को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक सन्तुलित आहार

760. **श्री मूल चन्द डागा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एक सन्तुलित आहार में क्या-क्या खाद्य सामग्री तथा उसकी कितनी-कितनी मात्रा होनी चाहिए ; और

(ख) देश में ऐसे लोगों की संख्या क्या है, जिन्हें 2100 कैलोरी का आहार नहीं मिलता और इसके फलस्वरूप वे किन-किन रोगों के शिकार हो जाते हैं और संबन्ध में स्वास्थ्य विभाग द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं ; और ऐसे उपायों पर प्रतिवर्ष कितना व्यय किया जाता है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लस्कर) : (क) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् के अनुसार बैठकर कार्य करने वाले एक औसत भारतीय व्यस्क जिसका वजन 55 किलो-ग्राम हो, के लिए सन्तुलित आहार इस प्रकार है :—

खाद्य पदार्थ	(ग्राम)
खाद्यान्न	460
दालें	40
पत्तेदार हरी सब्जियां	40
अन्य सब्जियां	60
कन्द और मूल	50
दूध	150
वसा और तेल	40
चीनी और गुड़	30

(ख) ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें हर रोज 2100 कैलोरी का आहार नहीं मिलता, इस बारे में सही सूचना उपलब्ध नहीं है। कुछ वर्गों में आम तौर पर जो पौषिक कमियां पाई जाती हैं वे हैं—प्रोटीन–ऊर्जा–कुपोषण, बच्चों में विटामिन "ए" की कमी तथा बच्चों एवं महिलाओं में अरक्तता। कुपोषण की रोक-थाम करने के लिए कई पोषण कार्यक्रम चलाये गए हैं। इनमें से कुछ कार्यक्रमों के नाम तथा उनपर 1981-82 में जितना खर्च होने की आशा है, वह इस प्रकार

है :—स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों में निम्नलिखित पोषण कार्यक्रम चला रहा है :—

क्रम सं०	पोषण कार्यक्रम का नाम।	1981-82 में होने वाला अनुमानित खर्च
1.	विटामिन "ए" की कमी से बच्चों में दृष्टिहीनता की रोक-थाम	60.40 लाख रुपये
2.	माताओं बच्चों में पौष्टिक आहार की कमी के कारण होने वाली अरक्तता की रोक-थाम	55.36 लाख रुपये

बाल विकास कार्यक्रमों के लिए कार्यरत परियोजनाएं

761. **श्री आर० पी० यादव : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह** बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में बाल विकास कार्यक्रम के लिए कितनी परियोजनाओं पर कार्य हो रहा है तथा शहरी, ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में इससे कितने बच्चों को लाभ मिल रहा है ;

(ख) क्या यह सच है कि इन परियोजनाओं का प्रभाव कहीं कहीं पर है तथा नगण्य है ; और

(ग) यदि हां, तो इस कार्यक्रम को और तेज तथा गहन करने के लिए क्या प्रयास करने का प्रस्ताव है

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 1980-81 तक मंजूर की गई 200 समेकित बाल विकास सेवा परियोजनाओं में से 105 पिछड़े ग्रामीण इलाकों में 67 जनजातीय क्षेत्रों में तथा 28 शहरी गंदी बस्तियों में स्थित हैं। 1981-82 के दौरान 100 और परियोजनाओं की व्यवस्था करके इस कार्यक्रम का विस्तार किया जा रहा है। इन में से 60 पिछड़े ग्रामीण इलाकों में, 30 जनजातीय क्षेत्रों में तथा 10 शहरी गंदी बस्तियों में होंगी। 160 परियोजनाओं में, जिनसे रिपोर्टें प्राप्त होती हैं, लाभ प्राप्तकर्ताओं की संख्या नीचे दी गई है :—

	शहरी	ग्रामीण	जनजातीय
0-6 वर्ष के आयु वर्ग में बच्चे	1,79,530	3,55,079	1,74,388
गर्भवति और दूध पिलाने वाली माताएं	37,519	91,526	33,508

(ख) जी, नहीं। आल इण्डिया इंस्टीट्यूट आफ मैडीकल साइंसिस द्वारा मैडीकल कालेजों के माध्यम से किये गए अध्ययनों से पता चला है कि परियोजना क्षेत्रों में बच्चों और माताओं की स्वास्थ्य और पोषाहार स्थिति में काफी सुधार हुआ है।

(ग) समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम के अन्तर्गत और पिछड़े ग्रामीण, जनजातीय और शहरी गंदे इलाकों को लाने के लिए इस कार्यक्रम का विस्तार करने का प्रस्ताव है।

"गम्भीर सड़क दुर्घटनाओं के मामले की जांच"

762. **श्री जगदीश टाईटलर : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्य सरकारों को कहा है कि वे गम्भीर सड़क दुर्घटनाओं की जांच विशेषज्ञों के सहयोग से बाहरी एजेंसी द्वारा करायें,

(ख) क्या सरकार ने राज्यों से सड़क सुरक्षा आयुक्त के पद बनाये जाने की भी सिफारिश की है, और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में राज्यों की क्या प्रतिक्रिया है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ग) परिवहन विकास परिषद की हाल की बैठक में राज्य सरकारों/संघ क्षेत्र प्रशासनों को एक सुझाव यह दिया गया था कि गम्भीर दुर्घटनाओं के सभी मामलों में कारणों की राज्य सरकारें विशेषज्ञों के सक्रिय सहयोग के आधार उचित और ब्यौरेवार जांच मुख्यत: अपने राज्य के बाहर के व्यक्तियों द्वारा करारें जिससे कि सुरक्षात्मक उपाय प्रभावी रूप से लागू किए जा सकें और राज्य सरकार में अधिक ऊंचे स्तर का अर्ध-न्यायिक पद के अधिकारी को राज्य में सड़क सुरक्षा का आयुक्त नामित किया जाए। इस सुझाव का परिषद ने स्वागत किया। राज्य सरकारी/संघ क्षेत्र प्रशासनों के सड़क परिवहन मन्त्री इस परिषद के सदस्य हैं।

राष्ट्रीय जलमार्गों के संबंध में राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति की सिफारिशें

763. **श्री चिन्ता मणि पाणिग्रही : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 10 मुख्य नदियों तथा नहरों को राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित करने के बारे में राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति की सिफारिश को अब क्रियान्वित कर दिया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) इससे पूर्व कि किसी नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया जाए, उसका जल-सर्वेक्षण और तकनीकी आर्थिक अध्ययन करना होगा ताकि जलमार्ग पर यातायात और नौचालन के लिए जलस्तर का पता लग सके। उपरोक्त कार्य करने के लिए उपलब्ध वित्तीय और भौतिक संसाधनों के अनुरूप, नदियों को जलमार्ग घोषित करने पर विचार किया जाता है। गंगा-भागीरथी-हुगली नदियों के इलाहाबाद-हल्दिया जलमार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित करके इस काम की शुरुआत करने का प्रस्ताव है।

कलकत्ता के लिए सर्कुलर जलमार्ग

764. **श्री चित्त बसु :** क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ विशेषज्ञों ने कलकत्ता की तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए परिवहन के वैकल्पिक साधन के रूप में एक सर्कुलर जलमार्ग की योजना का सुझाव दिया है ;

(ख) यदि हाँ, तो सुझाई गई इस योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस योजना की संभावना की जांच कर ली है; और

(घ) यदि हाँ, तो इस पर सरकार का क्या निर्णय है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) कलकत्ता में तेजी से बढ़ती हुई आबादी के लिए यातायात की एक और व्यवस्था के रूप में मुद्रिका की तरह जलमार्ग बनाने के बारे में कोई योजना भारत सरकार के विचाराधीन नहीं है। लेकिन पश्चिमी बंगाल की सरकार ने यह सूचित किया है कि इस तरह की एक योजना उसके विचाराधीन है।

(ख) उक्त सरकार कलकत्ता में नीचे लिखे जलमार्गों की उनके साथ-साथ जल परिवहन सेवा चलाने के बारे में जांच कर रही है :—

1. कृष्टापर कनाल
2. सर्कुलर कनाल
3. बेलियाघाट कनाल
4. इंटरसेप्टिंग कनाल
5. टाली का माल

(ग) और (घ) इस योजना की जांच राज्य सरकार द्वारा की जानी है। उसने सूचित किया है कि स्थल की जांच की जा रही है।

राजयक्ष्मा तथा छाती के रोगों पर द्वितीय राजस्थान सम्मेलन

765. **डा० सरदीश राय :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 10 और 11 अक्तूबर, 1981 को हुए राज्यक्ष्मा तथा छाती के रोगों के सम्बन्ध में द्वितीय राजस्थान सम्मेलन में चिकित्सा विशेषज्ञों द्वारा किये गये इस रहस्योद्घाटन की ओर दिलाया गया है कि प्रति मिनट एक भारतीय राजयक्ष्मा के कारण मर जाता है जिससे प्रतिवर्ष 5 लाख से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो जाती है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लस्कर) : (क) और (ख) सीकर (राजस्थान) में हुये क्षयरोग और वक्ष-रोग कार्यकर्त्ता सम्मेलन में इस

रोग की गम्भीरता पर बल दिया गया है जैसे कि सम्मेलन में बताया गया है, मरने वालों की संख्या की पुष्टि करने के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है। वैसे, देश में क्षयरोग की समस्या के बारे में सरकार को जानकारी है ओर इस रोग का मुकाबला करने के लिये सरकार ने राष्ट्रीय क्षय-रोग नियन्त्रण कार्यक्रम शुरू किया है।

हावड़ा—शियाखला परियोजना

766. **श्री अजीत बाग :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेल मन्त्री समाचार पत्रों के माध्यम से अपने आशय की लगातार घोषणा करते रहे हैं कि हावड़ा-शियाखला परियोजना पर काम हो रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या मन्त्री महोदय को पता है कि 10 लाख रुपये की आवंटित राशि रेलवे बोर्ड के दिनांक 19 दिसम्बर, 1980 के आदेश के अनुसार किसी अन्य परियोजना को हस्तांतरित कर दी गई है; और

(ग) यदि हां, तो वह यह दावा कैसे कर रहे हैं कि परियोजना पर काम हो रहा है?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) भूतपूर्व हावड़ा-शियाखला लाइट रेलवे द्वारा से वित क्षेत्र में एक बड़ी लाइन के निर्माण कार्य को 1973-74 के बजट में शामिल किया गया था। संसाधनों की तंगी के कारण इस परियोजना पर अभी तक काम प्रारम्भ नहीं किया जा सका।

(ख) जी हां।

(ग) विभिन्न रेल परियोजनाओं के लिए धनराशि उपलब्ध होने में बड़ी कठिनाई रही है और यह स्थिति पिछले कुछ समय से अभी भी बराबर चली आ रही है। चूंकि हावड़ा-आमता लाइन परियोजना ने कुछ प्रगति की है, इसलिए यह विनिश्चय किया गया कि उपलब्ध धनराशि इस परियोजना के लिए निर्धारित की जाती रहे और हावड़ा-शियाखला लाइन का निर्माण कार्य तभी प्रारम्भ किया जाय जब हावड़ा-आमता और सन्तरागाछी-बड़ागाछिया लाइनें बनकर तैयार हो जायें।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 पर ऊपरि पुल

767. **श्री जायनाल अबेदिन :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 पर प्रस्ताविक ऊपरि पुल के सम्बन्ध में रेल मन्त्रालय द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ; और

(ख) इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

रेल, तथा शिक्षा व समाज कल्याण मन्त्रलयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) बल्लारपुर राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 34 पर एक ऊपरि सड़क पुल का एक निर्माण किया जा रहा है। इस परियोजना पर 20% कार्य हो चुका है। मौरग्राम के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 34 पर मौजूदा समपार सं० 19-सी के स्थान एक ऊपरि सड़क पुल के निर्माण के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित प्रस्ताव की रेलवे और राज्य सरकार

द्वारा अभी भी जांच की जा रही है। सामान्य प्रबन्ध याके को राज्य सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है और इस बारे में अन्तिम निर्णय भी कर लिया है। पुल संरचना का अनुमान (लागत) राज्य सरकार के पास स्वीकृति के लिए भेज दिया गया है और उन्हें प्रस्ताविक ऊपरी सड़क पुल के सम्पर्क मार्गों के लिए अनुमान प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। इसके प्राप्त होने पर एक मिला-जुला अनुमान तैयार किया जाएगा और जब भी इसके ब्यौरेवार खाके, अभिकल्प, अनुमान और इस पर आने वाली लागत के भाग को वहन करने की शर्तों पर अन्तिम निर्णय हो जाएगा और रेलवे व राज्य सरकार के बीच इस बारे में आपसी सहमति हो जाएगी, इस प्रस्ताव को रेल निर्माण कार्यक्रम में सम्मिलित कर लिया जायेगा।

शिक्षा निदेशालय, दिल्ली में अध्यापकों के पद भरना

768. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या दिल्ली के स्कूलों में अध्यापकों के बहुत सारे पद रिक्त पड़े हुए हैं ;

(ख) यदि हो, तो उनका ब्यौरा क्या है और वे कब से रिक्त पड़े हुए हैं ;

(ग) इन रिक्त स्थानों को भरने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ;

(घ) क्या सरकार की जानकारी में यह बात आई है कि शिक्षा निदेशालय दिल्ली सहायत प्राप्त अल्पसंख्या स्कूलों में उक्त पदों को भरने में अनावश्यक रूप से लम्बा समय लेता है और सरकारी पर्यवेक्षकों के नाम भी समय पर नहीं भेजता ; और

(ङ) : यदि हाँ, तो शिक्षा निदेशालय, दिल्ली के कार्यकरण में सुधार के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) दिल्ली प्रशासन, दिल्ली नगर निगम नई दिल्ली नगर पालिका तथा केन्टोमेन्ट बोर्ड, दिल्ली द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार विभिन्न श्रेणियों के शिक्षकों के रिक्त स्थानों की संख्या निम्नलिखित है :—

	श्रेणी	रिक्त स्थान
दिल्ली प्रशासन	उत्तर-स्नातक शिक्षक	168
	अवर-स्नातक शिक्षक तथा अन्य	834
	योग शिक्षक	692
	योग :	1694
केन्टोमैन्ट बोर्ड	सहायक शिक्षक	8
दिल्ली नगर निगम	कुछ नहीं	—
नई दिल्ली नगर पलिका	कुछ नहीं	—
	महायोग	1702

(ग) केन्टोमैन्ट बोर्ड में उपलब्ध रिक्त स्थान रोजगार कार्यालय के जरिए भर्ती द्वारा भरे जा रहे हैं। चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में शीघ्र कार्रवाई करने के लिए दिल्ली प्रशासन द्वारा स्टाफ चयन बोर्ड/विशेष स्टाफ चयन बोर्ड तथा विभागीय पदोन्नति समितियाँ गठित करने के लिए कदम उठाए जा चुके हैं।

(घ) नहीं।

(ङ) उपरोक्त (घ) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली परिवहन निगम द्वारा दुर्घटनाओं का शिकार होने वाले व्यक्तियों को मुआवजा देने संबंधी मानदण्ड।

769. **श्री राजेश कुमार सिंह** क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली परिवहन निगम द्वारा दुर्घटनाओं का शिकार होने वाले व्यक्तियों को मुआवजा देने सम्बधी मानवदण्ड क्या हैं ;

(ख) यदि ग्रामीण यात्रियों को मुआवजा देने के मामले में कोई भेदभाव किया जाता है तो उसके क्या कारण है।

(ग) क्या सरकार का विचार ग्रामीण तथा नगरीय यात्रियों को मुआवजा देने में उक्त भेद भाव को दूर करने का है ; और

(घ) यदि हां तो इस बारे में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री बूटासिंह) : (क) दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों और उनके वैध उत्तराधिकारियों को मोटर यान अधिनियम की धारा 110 ख के अधीन मुआवजा दिल्ली परिवहन निगम द्वारा मोटर गाड़ी दुर्घटना दावा ट्रिब्यूनल के विवेचन के आधार पर या जब दावेदार चाहता है तब न्यायालय में हुए समझौते के आधीन दिया जाता है।

(ख) मुआवजा स्वीकृत करते समय ट्रिब्यूनल द्वारा शहरों और ग्रामीण दावेदार जैसा कोई भेद नहीं किया जाता है। न्यायालय के बाहर समझौता करते समय ट्रिब्यूनल के सिद्धान्तों को निगम भी अपनाता है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं होता।

विभिन्न पत्तनों के मध्य माल का युक्तियुक्त वितरण

770. **श्री सत्यगोपाल मिश्र**
श्री नीरेन घोष : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न भारतीय पत्तनों के मध्य माल का युक्तियुक्त वितरण करने के लिए एक राष्ट्रीय नीति बनाने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और कब से ऐसी नीति बनाई जाएगी और,

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (ग) इस तरह की नीति अपनाना व्यवहारिक नहीं है। इसका कारण यह है कि अधिकांश माल प्राइवेट पक्षों द्वारा मंगाया जाता है और सरकार की नीति आयात निर्यात के मामले में व्यापारियों पर नियंत्रण लगाना नहीं है। हर एक जहाज को किसी भी पत्तन पर जाने का पूरा अधिकार है। लेकिन सरकारी खाते में मंगाये जाने वाले उर्वरक कच्चा उर्वरक इस्पात, खाने के काम आने वाला तेल, अखबारी कागज सीमेंट जैसी वस्तुओं के भारी परिमाण में आयात व निर्यात के बारे में योजना, बनाने के लिए माल का उचित वितरण संबंधी स्थायी समिति" नामक एक अन्तर मंत्रालयी समिति नौवहन और परिवहन मंत्रालय में फरवरी 1978 से काम कर रही है। इस समिति में सभो उपभोक्ता मंत्रालयों सरकार क्षेत्र के संगठनों कि प्रतिनिधि शामिल है। अवर सचिता, नौवहन और परिवहन मंत्रालय की अध्यक्षता में तीन महीने में एक बार इस समिति की बैठक होती है। बम्बई पत्तन में जमाव की मौजूदा स्थिति को ध्यान में रखते हुए इस समिति की बैठक अब हर महीने होती है। इस समिति का उद्देश्य माल के नियतन को लागू करना नहीं है वल्कि परस्पर सम्मति से हल ढूंढना है।

रेलवे लाइनों के विद्युतीकरण सम्बन्धी मानदण्ड

771. **श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे लाइनों के विद्युतीकरण सम्बन्धी मानदण्ड क्या हैं;

(ख) अब तक विद्युतीकृत की गई रेलवे लाइनों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) केरल की रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण न करने के कारण क्या हैं ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जहां डीजल कर्षण की अपेक्षा बिजली कर्षण अधिक मितव्ययी पाया जाता है वहां अत्याधिक यातायात घनत्व वाले खंडों का विद्युतीकरण किया जाता है और इसके लिए उच्चतम घनत्व वाले भागों को प्राथमिकता दी जाती है जिससे लगायी गयी पूंजी की उच्च दर से वापिसी मिल सके।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) इस समय जिन खंडों पर विद्युतीकरण का काम शुरू किया गया है उसकी तुलना में इन खंडों पर 1988-89 में भी प्रक्षिप्त यातायात घनत्व के कम रहने की प्रत्याशा है।

विवरण

1 **मध्य रेलवे**

1 बम्बई वी टी-कुर्ला तथा माहिम कार्ड (हार्बर शाखा)

2 बम्बई-पुणे, कल्याण-इगतपुरी

3 इगतपुरी-भुसावल,

2 पूर्व रेलवे

1 चितपुर-मुगलसराय—एच. बी. कार्ड तथा ग्राण्ड कार्ड
2 हावड़ा-बर्दवान
3 शिहोराफुली-तारकेश्वर
4 सियालदह-रानाघाट
5 दमदम-बोन गांव
6 राणाघाट-कृष्णानगर सिटी
7 कालीनारायणपुर-शान्तिपुर
8 बन्डेल-नईहाटी
9 कांगुरगाची-डाक्स
10 बरुईपुर-डायमण्ड हार्बर
11 सियालदह-बरुईपुर
12 बरुईपुर-लक्ष्मीकान्तपुर
13 सोनारपुर-कैनिंग
14 मजीरहाट-बजबज
15 बेलूर-दनकुनी

3 उत्तर रेलवे

1 मुगलसराय-दिल्ली

4 दक्षिण रेलवे

1 मद्रास-ताम्बरम-विल्लुपुरम
2 मद्रास-त्रिवेल्लूर
3 मद्रास-गुडूर

5 दक्षिण मध्य रेलवे

1 विजयवाडा-गुडूर

6 दक्षिण पूर्व रेलवे

1 आसनसोल-सिनी त्रिकोण सहित
2 हवड़ा-दुर्ग
3 राजखरसवां-डोंगवापोसी-गुआ-बोलनी खेदन
4 पदपहाड़-बांसपानी
5 राउरकेला-बीरमित्रपुर
6 गढ़द्रुवेश्वर-आदरा-जयचन्दीपहाड़
7 रामकनाली-चौरासी
8 दामोदर-राधानगर
9 आदरा/अनारा-रूकनी-संथालडीह-जमादोबा-पाथरडीह

10 पाँसकुड़ा-हल्दिया
11 किरंडुल-जगदलपुर-कोरापुट

7 पश्चिम रेलवे
1 चर्चगेट-बोरीवली-विरार
2 विरार-अहमदाबाद

जहाजों के मूल्यों में काफी गिरावट को देखते हुए भारतीय भार-परिवहन क्षमता बढ़ना

772. **श्री मोहन लाल पटेल** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 22 सितम्बर, 1981 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित 'अपाच्यु-निटी टु वाई शिप्स' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या नौवहन उद्योग ने सरकार से आग्रह किया है कि जहाजों के मूल्यों में काफी गिरावट को देखते हुए भारतीय भार परिवहन क्षमता को बढ़ाने की अनुमति दी जाए,

(ग) यदि हां, तो इस वारे में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं,

(घ) क्या यह सच है कि पिछली बार जब जहाज निर्माताओं ने जहाजों के मूल्य काफी घटा दिए थे और चीन ने 200 जहाज खरीद लिए थे तब भारत ने इस अवसर को खो दिया था; और

(ङ) क्या सरकार इस अवसर का लाभ उठाने का विचार करेगी ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) अलग-अलग जहाजी कंपनियां जहाज खरीदने के लिए नौवहन विकास निधि समिति/ सरकार से अनुमति और आर्थिक सहायता मांगती है। इन सुझावों की सुकार्यता तथा अन्य बातों को ध्यान में रखते हुए नौवहन विकास निधि समिति/ सरकार उन्हें अपना निर्णय देती है।

(घ) और (ङ). जहाज खरीदना वाणिज्यिक निर्णय का कार्य है जो जहाजी कंपनियां करती हैं। जहाज खरीदते समय कंपनियां सामान्यत: भाड़े की तत्कालीन दरों आदि से प्रभावित होती हैं। सरकार इन खरीददारियों के गुणदोष के आधार पर अनुमति तथा सहायता देती है। सरकार ने छठी पंचवर्षीय योजना में मौजूदा जहाजी बेड़े में 2.5 मिलियन (निवल) जी० आर० टी० की वृद्धि करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

मुगलसराय के जंक्शन पर रेलवे की चोरी हुई सम्पत्ति तथा सामान का बरामद होना

773. **श्री जमीलुर्रहमान** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अक्तूबर, 1981 में मुगलसराय जंक्शन पर चोरी हुई रेल सम्पत्ति तथा अन्य सामान की भारी मात्रा में बरामदगी हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल, तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) जी हां। 31-10-81 को एक सूचना मिलने पर, राजकीय रेलवे पुलिस और सिविल पुलिस मुगलसराय की सहायता से मुगलसराय-वाराणसी क्षेत्र में कार्यरत अपराधियों और चोरी का माल खरीदने वालों पर रेल सुरक्षा बल द्वारा मुगलसराय में एक छापा मारा गया था। इस छापे में 8 अपराधियों चोरी का माल खरीदने वालों को गिरफ्तार करने पर रेलों के परेषणों से चुरायी गयी एक लाख रुपये से अधिक राशि की सम्पत्ति बरामद की गयी थी। इस सम्बन्ध में राजकीय रेलवे पुलिस मुगलसराय द्वारा 2 मामले दर्ज कराये गये हैं। रेल सम्पत्ति (विधि विरूद्ध कब्जा) अधिनियम के अन्तर्गत एक अन्य मामला रेल सुरक्षा बल चौकी मुगलसराय के पास दर्ज कराया गया है। सभी 3 मामलों की जांच-पड़ताल की जा रही है।

ब्रिटिश राष्ट्रीयता विधेयक का भारतीयों का प्रभाव

774. **श्री राम विलास पासवान** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटिश संसद ने राष्ट्री यता सम्बन्धी विधेयक पास कर लिया है ;

(ख) यू० के० में रहने वाले भारतीयों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ;

(ग) क्या भारत सरकार ने यू० के० में प्रधान मंत्री के हाल ही के संक्षिप्त प्रवास के समय ब्रिटिश सरकार से इस बारे में कोई बातचीत की थी; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी हां।

(ख) लन्दन स्थित भारतीय हाई कमीशन द्वारा 12 नवम्बर, 1980 को ब्रिटिश सरकार को दिए गए स्मारक पत्र के उत्तर में ब्रिटेन के गृह मंत्री ने आश्वासन दिया है कि जो भारतीय नागरिक पहले से यूनाइटेड किंगडम में बसे हुए हैं उनके आदिवासी दर्जे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

लेकिन इस विधेयक से भारत के उन नागरिकों को, जो 1973 से पहले ब्रिटेन में बसे हैं, नया विधेयक लागू होने के पाँच वर्ष के भीतर ब्रिटिश नागरिक के रूप में पंजीकृत किये जाने के अधिकार का प्रयोग करने की छूट मिल जाएगी। जो व्यक्ति पंजीकरण के लिए आवेदन करने के इच्छुक नहीं हैं वे भी यदि चाहें तो उचित समय पर देशीकरण द्वारा ब्रिटिश नागरिकता के पात्र बने रहेंगे। तथापि ब्रिटेन में रहने वाले भारतीय नागरिक ब्रिटेन का नागरिक बनने के लिए बाध्य नहीं होंगे और यदि वे ब्रिटेन के नागरिक न बनना चाहें तो इस अधिनियम में ऐसा कुछ नहीं है जिससे वर्तमान आप्रवासन कानूनों के अंतर्गत उनकी स्थिति में कोई परिवर्तन होता हो।

भारत सरकार आशा करती है कि यू० के० सरकार और प्राधिकारियों ने यू० के० में रहने वाले भारतीयों के अधिकारों के बारे में जो आश्वासन दिए हैं उनका सम्मान किया जाएगा।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

राजधानी के सरकारी अस्पतालों में दवाओं, डाक्टरों तथा नर्सों की अपर्याप्त सुविधाएं

775. **श्री जगपाल सिंह** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि राजधानी के विभिन्न सरकारी अस्पतालों में सुविधाओं का अभाव है ; अस्वच्छता की स्थिति है दवायें उपलब्ध नहीं है और इससे भी अधिक डाक्टरों नर्सों की कमी है जो कि रोगियों की बढ़ती हुई संख्या को देख सकें; और

(ख) यदि हां, तो इन अस्पतालों में स्थिति को सुधारने के लिए सरकार ने क्या कदम उठायें हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लस्कर) : (क) जी, हां ।

(ख) सरकार इस संवन्ध में सचेत है और सीमित संसाधनों के अन्दर सरकारी अस्पतालों के काम काज में सुधार लाने के प्रयास कर रही है । रोगी परिचर्या के बढ़ते हुए काम से निपटने के लिए आवश्यकतानुसार दवाइयां-वितरण के अतिरिक्त काउण्टर खोल दिए गए हैं और कर्मचारियों की संख्या वढ़ा दी गई है । शाहदरा तथा हरिनगर में 500-500 पलंगों वाले दो अस्पतालों का निर्माण कार्य चल रहा है । दिल्ली के अस्पतालों के कार्यभार को कम करने के लिए ही ये अस्पताल खोले जा रहे हैं । अस्ताल के अहाते को और ज्यादा साफ-सुथरा रखने तथा उनमें बेहतर सुविधाएँ सुनिश्चित करने के लिए कार्यवाही की जा रही है ।

राजधानी के विभिन्न अस्पतालों में कार्यरत नर्सों, स्टाप नर्सों तथा सिस्टर नर्सों की संख्या

776. **श्री मोहम्मद असरार अहमद** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजधानी के विभिन्न सरकारी अस्पतालों में कार्य कर रही नर्सों, स्टाफ नर्सों तथा सिस्टर नर्सों आदि की संख्या कितनी है ; और

(ख) कर्मचारियों की भर्ती सम्बन्धी वर्तमान प्रक्रिया क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) और (ख) दिल्ली के मुख्य अस्पतालों के बारे में सूचना का एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

क्रम संख्या	अस्पताल का नाम	स्टाफ नर्सों की संख्या	सिस्टर नर्सों की संख्या	भर्ती की विधि स्टाफ नर्स (1)	भर्ती की विधि सिस्टर नर्स (2)
1.	डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली	215 15 (नान-रेजिडेंट नर्सें)	45	रोजगार कार्यालय के माध्यम से 100% सीधी भर्ती द्वारा	3 वर्ष का अनुभव रखने वाली स्टाफ नर्सों में से 100% पदोन्नति द्वारा
2.	सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली	477 20 (नान-रेजिडेंट नर्सें)	68	तदैव	तदैव
3.	श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल और कलावती सरन बाल चिकित्सालय नई दिल्ली	156 75 (नान-रेजिडेंट नर्सें)	29 11 (नान-रेजिडेंट नर्सें)	तदैव	स्टाफ नर्सों से पदोन्नति द्वारा, अन्यथा सीधी भर्ती द्वारा
4.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली	484 3 (नान-रेजिडेंट नर्सें)	70	तदैव	75% वरिष्ठता के आधार पर और विभागीय उम्मीदवारों/रोजगार कार्यालय के उम्मीदवारों में से 25% चयन द्वारा
5.	दिल्ली प्रशासन के अधीन अस्पताल	1410	201	सीधी भर्ती द्वारा	पदोन्नति द्वारा

लम्बी दूरी तक जाने के लिए प्राथमिकता

777. श्री टी० दामोदर रेड्डी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार लम्बी दूरी तक माल ले जाने हेतु वैगनों के आवंटन में प्राथमिकता देती है;

(ख) क्या 400 किलोमीटर से कम दूरी के लिए छोटे व्यापारियों को वैगन आवंटित नहीं किये जाते हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) : जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

यूनेस्को दल द्वारा उड़ीसा में ऐतिहासिक स्मारकों का दौरा

778. श्री के० पी० सिंह देव : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूनेस्को के एक दो सदस्यीय विशेषज्ञ दल ने हाल ही में उड़ीसा के ऐतिहासिक स्मारकों का दौरा किया था और उनके सही रख-रखाव के बारे में अपनी सिफारिशें पेश की थीं;

(ख) यदि हां, तो उस दल ने किन-किन ऐतिहासिक स्मारकों का दौरा किया था ;

(ग) प्रत्येक स्मारक के बारे में इस दल ने विशिष्ट रूप से क्या-क्या सिफारिशें कीं; और

(घ) क्या उनकी सिफारिशों की क्रियान्विति के लिये अतिरिक्त वित्तीय परिव्यय की जरूरत होगी ; और यदि हां, तो परिक्षण कार्य को पूरी तरह हाथ में लेने के लिये वर्ष 1981-82 में कितना अतिरिक्त नियतन करना पड़ेगा और प्रत्येक स्मारक के बारे में तत्संबंधी आंकड़े क्या हैं ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) तथा (ख) जी हां । कथित दल ने कोणार्क में सूर्य मन्दिर का निरीक्षण किया था ।

(ग) उनकी सिफारिशें इस प्रकार हैं —

(1) मन्दिर के वास्तुशिल्प को ध्यान में रखकर, संरचना से वर्षा के जल को शीघ्रता से बाहर निकालने के लिए नालियों का जाल बिछाना,

(2) वर्तमान प्रलेखन कार्य को बढ़ाने के लिए छिद्रों के आकार तथा अनपक्षीण पत्थरों के साथ अपक्षीण पत्थरों की तुलना करके उसकी संरचनात्मक विशिष्टताओं की जांच करना,

(3) सभा मंडप के ऊपरी भाग के दक्षिणी मुखाग्र के खास क्षेत्र में लवण की व्याप्ति और उसकी प्रकृति की खोज करना, तथा

(4) स्मारकों पर उगने वाली सूक्ष्म वनस्पति और स्व-पोषी वनस्पति की परीक्षा करना ।

(घ) मन्दिर के सुरक्षण कार्य के लिए 19 1-82 के कार्यक्रम में 1, 31, 800 रुपये का आवंटन किया गया है यदि आवश्यक हुआ तो निधियों का अतिरिक्त आवंटन किया जाएगा।

3 एन० पी० गाड़ी को पानीपत से कुरूक्षेत्र तक के लिए बढ़ाना

779. **श्री चिरंजी लाल शर्मा :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे में करनाल और दिल्ली के बीच कितने यात्री तथा दैनिक यात्री आते-जाते हैं;

(ख) क्या उक्त यात्री 3 एन० पी० गाड़ी को पानीपत से कुरूक्षेत्र तक बढ़ाने के लिए और उसी गाड़ी को 2 डी पी अथवा 4 डी पी के रूप में दिल्ली के लिये कुरूक्षेत्र जंकशन से चलाने के लिये अभ्यावेदन करते रहे हैं; और

(ग) उन अभ्यावेदनों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल तथा शिक्षा व समाज कल्याण मन्त्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) करनाल और दिल्ली के बीच मासिक सीजन टिकट पर अप और डाउन दिशाओं में सफर करने वाले दैनिक यात्रियों की औसत संख्या 523 है।

(ख) जी हां।

(ग) 3 एन पी नयी दिल्ली-पानीपत शटल को कुरूक्षेत्र तक चलाना इस समय परिचालन की दृष्टि से व्यावहारिक नहीं है क्योंकि फालतू लाइन क्षमता उपलब्ध नहीं है और कुरूक्षेत्र में टर्मिनल सम्बन्धी सुविधाओं की कमी है।

कनाडा में खालिस्तान के प्रयोजकों द्वारा पासपोर्ट तथा मुद्रा जारी किया जाना

780. **श्री बापू साहिब परुलेकर :** क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खालिस्तान आन्दोलन के प्रयोजकों द्वारा पासपोर्ट तथा मुद्रा जारी किये जाने के बारे में कनाडा सरकार से कोई पत्र प्राप्त हुआ है ;

(ख) क्या ये चीजें भारत से भी जारी की जा रही हैं ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं। ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जिससे यह पता चलता हो कि यह तथाकथित मुद्रा अथवा पासपोर्ट बताए जाने वाले दस्तावेज भारत से मुद्रित होकर जारी किए जा रहे हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली परिवहन निगम के कर्मचारियों को आवास

781. **श्री आर० आर० भोले :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली परिवहन निगम के पास दिल्ली नई दिल्ली में आवासों की बहुत कमी हैं जिसके फलस्वरूप 25 वर्ष से भी अधिक सेवा वाले कर्मचारियों को सरकारी आवास नहीं दिए गए हैं ;

(ख) दिल्ली परिवहन निगम के पास ड्राइवरों, कण्डक्टरों तथा असिसटेंट ट्रेफिक इन्सपैक्टरों के लिए कुल कितने आवास हैं और इन श्रेणियों के कर्मचारियों को किए प्राथमिकता तारीख तक मकान दे दिए गए हैं ; और

(ग) क्या अगले तीन वर्षों के दौरान इन श्रणियों के कर्मचारियों के लिए और अधिक मकान बनाने का कोई प्रस्ताव है, और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) 480 क्वार्टरों में से 95 क्वार्टरों ड्राइवरों, कंडक्टरों और ए० टी० आई० को आवंटित किए जाने के लिए नियत है जैसा कि निम्नलिखित है :—

क्रम संख्या	कर्मचारियों की श्रेणी	नियत मकानों की संख्या
1.	ड्राइवर	46
2.	कंडक्टर	46
3.	टाइम कीपर (अब इसकी पद संज्ञा सहायक ट्रैफिक निरक्षक है)	3
	कुल :	95

चूंकि बहुत थोड़ी सी संख्या में कर्मचारी उपलब्ध है इसलिए प्राथमिकता की कोई तारीख नहीं निश्चित की गयी है ।

(ग) इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

उड़ीसा के विश्वविद्यालय द्वारा अनुदानों का उपयोग

782 **श्री रास बिहार बहेरा :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वर्ष 1979 तथा 1980-81 के दौरान के दौरान उड़ीसा के उत्कल बरहमपुर तथा सम्भलपुर विश्वविंद्यालयों के लिये मंजूर की गई राशि का यथा प्रयोजन उपयोग कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, वर्ष 1979-80 और 1980-81 के दौरान इन विश्वविद्यालयों को संस्वीकृत किए गए अनुदानों का सामन्यत: उनके द्वारा पूरी तरह से उपयोग कर लिया गया है।

(ख) इन तीन विश्वविद्यालयों को संस्वीकृत अनुदानों तथा उनके द्वारा उपयुक्त की गई राशि के ब्यौरे निम्नलिखित हैं :—

विश्वविद्यालयों का नाम	1979-80 में दिए गए अनुदान रुपये	1979-80 में उपयुक्त की गई राशि रुपये	1980-81 में दिए गए अनुदान रुपये	1980-81 में उपयुक्त की गई राशि रुपये
1. बरहामपुर विश्वविद्यालय	15,09,025	31,02,723	16,98,306	*
2. सम्बलपुर विश्व विद्यालय	25,92,434	25,66,444	7,62,148	8,34,530
3. उत्कल विश्व-विद्यालय	21,36,855	20,88,468	26,43,543	26,43,543

जोनल रेलवेज में होम्योपैथिक डिस्पैंसरियाँ

783. **श्रीमती किशोरी सिन्हा** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक जोनल रेलवे में पूर्णकालिक तथा अंशकालिक होम्योपैथिक डिस्पैंसरियों की संख्या कितनी है;

(ख) वहां के कार्यकारी डाक्टरों को कितना न्यूनतम तथा अधिकतम मानदण्ड भत्ता दिया जाता है;

(ग) क्या अन्शकालिक डिस्पैंसरियों को छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रस्तावित योजना के अधीन पूर्णकालिक कर देने का कोई प्रस्ताव है, और

(घ) क्या जीवन-निर्वाह लागत बहुत बढ़ जाने के कारण डाक्टरों को दिए जा रहे वर्तमान मानदेय भत्ते में कोई वृद्धि करने का प्रस्ताव है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क)

*बरहमपुर विश्वविद्यालया द्वारा वर्ष 1980-81 के दौरान उपयुक्त की गई राशि के ब्यौरे प्राप्त नहीं हुए हैं।

रेलवे	औषधालय	
	अंशकालिक	पूर्णकालिक
मध्य	6	—
पूर्व	9	—
उत्तर	12	—
पूर्वोत्तर	11	—
पूर्वोत्तर सीमा	5	—
दक्षिण	3	—
दक्षिण पूर्व	2	8
दक्षिण मध्य	—	—
पश्चिम	—	1

(ख) प्रतिमाह कम से कम 100 रुपए और अधिक से अधिक 500 रुपए।

(ग) और (घ) जी नहीं।

हिन्दी कवि मुन्शी अजेरी 'प्रेम' की स्मृति में पुरस्कार

784. श्री शिव शरण वर्मा : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार प्रख्यात तथा वहुमुखी प्रतिभा वाले महान हिन्दी कवि की स्मृति में, 24 नवम्बर, 1981 को उनकी जन्म शताब्दी पर एक पुरस्कार देना आरम्भ करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में सरकार को क्या कठिनाई हो रही है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लकार्जुन) : (क) से (ग) ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

मुरादाबाद रामनगर लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

785. श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें मालूम है कि मुरादाबाद-रामनगर मीटर लाईन को बड़ी लाईन में बदलने का कार्य बहुत धीमी गति से चल रहा है;

(ख) यह कार्य सम्भवतः कब तक पूरा हो जायेगा और क्या काशीपुर तथा रामनगर के बीच लाईन बदलने का कार्य रोक दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल, तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) मुरादाबाद-रामनगर के पूरे मीटर लाइन खण्ड (77.50 कि० मी०), जिसमें काशीपुर और रामनगर शामिल हैं, का बड़ी लाइन में आसान परिवर्तन प्रगति में हैं। पूरे खण्ड में मिट्टी डालने का काम पूरा कर लिया गया है और पुलों का ढांचा बदलने/उनका पुनर्निर्माण करने का काम किया जा रहा है। इस काम को पूरा करने की लक्ष्य तिथि दिसम्बर, 1984 है।

दिल्ली शिक्षा अधिनियम के अन्तर्गत 'प्रबन्ध योजना' का उल्लंघन

786. **श्री त्रिलोक चन्द :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान सहायता प्राप्त स्कूलों में विदेशी शिक्षा अधिनियम, 1973 के नियम 59 (आर) में प्रावधित प्रबन्ध योजना से कोई उल्लंघन हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल तथा शिक्षा व समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) दिल्ली प्रशासन तथा दिल्ली नगर निगम द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार निम्नलिखित स्कूलों के मामले में दिल्ली स्कूल शिक्षा नियमावली, 1973 के नियम 59 (2) (द) के उपबन्धों के उल्लंघन के 4 उदाहरण ध्यान में आये हैं :—

(1) वाणिज्यिक सीनियर माध्यमिक स्कूल, दरियागंज, नई दिल्ली।

(2) ए० एस० पी० जे० सीनियर माध्यमिक स्कूल, दरियागंज, नई दिल्ली।

(3) ए० एस० वी० जे० प्राथमिक स्कूल, दिल्ली।

(4) वाणिज्यिक प्राइमरी स्कूल, दिल्ली।

इनकी जांच की जा रही है।

पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय, शिलांग

787. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय, शिलांग का कार्यकरण कुछ समय से खराब है;

(ख) क्या सरकार कत्ल किए गए कुलपति के स्थान को भरने में सफल रही है; और

(ग) यदि नहीं, तो विश्वविद्यालय में सामान्य स्थिति लाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल, तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) विश्वविद्यालय के कुलपति ने नवम्बर, 1980 में स्तीफा दिया था

और तब से सह-कुलपति कार्यवाहक कुलपति के रूप में कार्य कर रहे हैं। विश्वविद्यालय के संचालन के विषय में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) जी हां। नये कुलपति ने 9 नवम्बर, 1981 को पदभार ग्रहण कर लिया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

रेलवे में संगणक लगाने के लिए विश्व बैंक ऋण

788. श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे में संगणक लगाये जाने के लिये ऋण देने हेतु विश्व बैंक के निर्णय को कार्यक्रम के लिये संगत प्रौद्योगिकी के बारे में अन्तिम निर्णय के साथ सम्बद्ध किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) हमारे देश में अपेक्षित संगणक प्रौद्योगिकी कहां तक उपलब्ध है ?

रेल, तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं, विश्व बैंक ने रेलों के संगणकीकरण के लिये ऋण देने का कोई निश्चय नहीं किया है, यद्यपि उन्होंने संगणकीकरण की आवश्यकता पर बल दिया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इस मामले में अभी तक इलेक्ट्रानिक्स, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मन्त्रालय के साथ संयुक्त अध्ययन किया जाना है।

प्रधान मन्त्री की यात्रा के पश्चात दक्षिण पूर्व एशियायी राष्ट्रों के साथ सम्बन्धों में सुधार

789. श्री एच० एन० नन्जे गौडा : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के प्रधान मन्त्री की अक्तूबर के महीने में फिलीपींस और इण्डोनेशिया की यात्रा के दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र एसोसियेशन और भारत के बीच सम्बन्ध मजबूत हुये हैं;

(ख) यदि हां, तो सम्बन्धों में कितना सुधार हुआ है;

(ग) क्या भारत ने इन देशों के साथ कोई आर्थिक करार किया है;

(घ) क्या यह भी सच है कि इण्डोनेशिया तथा दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र एसोसिएशन के अन्य सदस्य 1980 में भारत से अप्रसन्न हो गये थे जब भारत ने कम्पूचिया में हेंग सैमरिन सरकार को मान्यता दी थी;

(ङ) यदि हां, तो इन सम्बन्धों में कहां तक सुधार हुआ है तथा क्या इन देशों के साथ कोई आर्थिक और वित्तीय करार हुआ है; और

(च) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

विदेश मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) से (च) प्रधान मन्त्री ने 23-24 सितम्बर को इण्डोनेशिया की और 8-9 अक्तूबर, 1981 को फिलिपीन्स की यात्रा की। उन्होंने दोनों देशों के नेताओं के साथ आपसी हित के द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय मसलों पर विस्तृत विचार-विमर्श किया।

ऐसा समझा जाता है कि इन यात्राओं से इनके दौरान हुए विचार-विमर्श से नवीन अन्तर्राष्ट्रीय गतिविधियों पर, जिसमें इण्डोचीन की गतिविधियां भी शामिल हैं, एक दूसरे के विचारों को अच्छी तरह से समझने में मदद मिली है।

इन यात्राओं के दौरान किसी विशिष्ट आर्थिक अथवा वित्तीय करार पर हस्ताक्षर किए जाने की योजना नहीं थी। लेकिन आशा की जाती है कि आने वाले महीनों में इन देशों के साथ हमारे आर्थिक तथा वाणिज्यिक सम्बन्ध अधिक सुदृढ़ होंगे।

स्वतन्त्रता संग्राम के इतिहास का प्रकाशन

790. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने देश के स्वतन्त्रता संग्राम के प्रशासनिक इतिहास के प्रकाशन की योजना बनाई है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) भारत सरकार ने पहले ही डा० ताराचन्द द्वारा "भारत में स्वतन्त्रता आन्दोलनों का इतिहास" चार खण्डों में प्रकाशित किया है। देश के स्वतन्त्रता संग्राम के इतिहास के कुछ चरणों और पहलुओं से सम्बन्धित कुछ अनुसंधान कार्यक्रम भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद् के अधीन कार्यान्वयन की स्थिति में है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

गंगनापुर रेलवे स्टेशन को पहुंच सड़क

791. **श्री रेणु पद दास** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गंगनापुर स्टेशन की पहुंच सड़क बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो कब और उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) एक पहुंच सड़क पहले से ही उपलब्ध है जो स्टेशन को गांव की सड़क से मिलाती है।

विकलांगों की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय सलाहकार समिति, 1961 की सिफारिशें

792. **श्री पियूष तिरकी : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विकलांगों की शिक्षा के लिए और विशेषकर बहरे और मानसिक रूप से कमजोर बच्चों के विद्यालयों के शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय सलाहकार समिति ने 1961 में क्या सिफारिशें की थीं; और

(ख) क्या गवर्नमेंट लेडी नायसी सैकण्डरी स्कूल फार डैफ, नई दिल्ली के सहायक अध्यापकों/अन्य कर्मचारियों को विकलांगों की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय सलाहकार समिति तथा केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वेतन दिया जाता है।

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) राष्ट्रीय सलाहकार समिति द्वारा की गई सिफारिशें निम्नलिखित हैं :—

(1) परिलब्धियों का बेहतर ढांचा प्रदान करना ;

(2) सामान्य स्कूलों में अध्यापकों के मुकाबले विकलांगों के अध्यापकों को एक स्टेज ऊंचा वेतन प्रदान करना ;

(3) इन वर्गों के अध्यापकों के लिए वांछनीय और व्यवहारिक उपयुक्त वेतन मानों, विशेष भत्तों तथा अन्य लाभों और सुविधाओं की जांच करना और सिफारिश करना।

(ख) जी हां। बहरों के लिए लेडी नौएस स्कूल, नई दिल्ली के ग्रेजुएट अध्यापकों के लिए 25 रुपये प्रतिमास का तथा नान-ग्रेजुएट अध्यापकों के लिए 15 रुपये प्रतिमास का विशेष वेतन जनवरी, 1964 में मंजूर किया गया था और 1978 में दिया गया था तथा अध्यापकों को तृतीय वेतन आयोग द्वारा सिफारिश किए गए वेतन मानों के अनुसार अदायगी की जा रही है।

लेडी नौएस स्कूल फार डैफ, नई दिल्ली के अध्यापकों के वेतनमान

793. **श्री पीयूष तिरकी : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लेडी नौएस सैकण्डरी स्कूल फार डैफ, नई दिल्ली के सहायक अध्यापकों का वेतन मान क्या है ; और

(ख) क्या यह सामान्य स्कूल के अध्यापकों के वेतनमान से एक चरण (स्टेज) ऊपर है, यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लकार्जुन) : (क) लेडी नौएस सैकण्डरी स्कूल फार डैफ, नई दिल्ली में सहायक अध्यापकों का वेतन मान 330-10-350-द० रो० 380-15-500 द० रो० 15-560 रुपये है।

(नान-ग्रेजुएट अध्यापकों को 15 रुपये प्रतिमास तथा ग्रेजुएट अध्यापकों को 25 रुपये प्रति मास का विशेष वेतन)

(ख) जी, नहीं। सामान्य स्कूलों में अध्यापकों के वेतन-मान में एक स्टेज ऊपर की बजाय विशेष वेतन मंजूर किया गया था।

संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट के लिए भारत की ओर से किया गया भुगतान

794. **श्री चित्त महाटा :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट के लिए भारत की ओर से किए गए भुगतान के मामले में भारत के साथ यह असंगति रही है कि 10, 700 डालर की प्रति व्यक्ति आय वाले अन्य देश की तुलना में भारत ने 0. 1 प्रतिशत का अधिक भुगतान किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है ?

विदेशी मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) संयुक्त राष्ट्र बजट में सदस्य राज्यों के लिए निर्धारण मापक्रम का निश्चय हर तीन वर्ष वाद अंशदान सम्बन्धी 18 सदस्यीय समिति की सिफारिशों पर महासभा द्वारा किया जाता है। यह निर्धारण-मापक्रम "अंशदान देने की क्षमता" के सिद्धान्त पर आधारित है जिसमें प्रति व्यक्ति आय के लिए समायोजनों के साथ-साथ राष्ट्रीय आय के तुलनात्मक प्राक्कलनों और राज्यों द्वारा विदेशी मुद्रा प्राप्त करने की योग्यता को ध्यान में रखा जाता है। इसके अतिरिक्त, जिन देशों का प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद नीचा रहता है उन्हें उनका हिस्सा तय करते समय कुछ राहत दी जाती है। अंशदान का अधिकतम और न्यूनतम स्तर क्रमशः 25 प्रतिशत और 0.02 प्रतिशत तय किया गया है। इस समय संयुक्त राष्ट्र के प्राय. 70 सदस्य राज्यों पर अनुमानत; संयुक्त राष्ट्र की आधी सदस्यता बैठती है, न्यूनतम स्तर पर अंशदान दे रहे हैं।

इस समय भारत संयुक्त राष्ट्र के बजट में 0. 60 प्रतिशत के हिसाब से अंशदान देता है। भारत का अंशदान कुछ ऐसे देशों से अधिक बैठता है जिनकी प्रति व्यक्ति आय अपेक्षाकृत अधिक है जिसकी वजह यह है कि ये देश छोटे हैं। अंशदान निश्चित करने की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप ऐसा होता है जिसमें इसके निर्धारण का प्रति व्यक्ति आय ही एक मात्र कारण नहीं है।

निरस्त्रीकरण के बारे में भारत का दृष्टिकोण

795. श्री के० मालन्ना :
श्री चिन्तामणि जैना : } क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने अपना दृष्टिकोण स्पष्ट कर दिया है तथा बड़ी ताकतों पर यह आरोप लगाया है कि वे पहले की अपेक्षा अब मानव को परमाणु संहार के अधिक समीप धकेल रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में हमारी सरकार की नीति का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या संयुक्त राष्ट्र में हमारे प्रतिनिधि ने युद्ध के खतरे को तथा अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में ताकत के उपयोग को समाप्त करने के साथ साथ पूर्ण निरस्त्रीकरण के बारे में भारत की स्थिति को भी स्पष्ट कर दिया है ; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ।

विदेश मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) भारत सरकार ने नाभिकीय अस्त्रों का हमेशा पूर्ण विरोध किया है और उसने स्पष्ट रूप से यह कहा है कि जिन राज्यों के पास नाभिकीय हथियार हैं उनके शस्त्रागारों में इन हथियारों का बना रहना स्वयं मानव जाति के अस्तित्व के लिए एक गम्भीर खतरा है ।

(ख) जब तक व्यापक परीक्षण प्रतिबन्ध नहीं लगाया जाता (जिसकी पेशकश सबसे पहले 1954 में की गई थी) तथा नाभिकीय अस्त्रों के समानांतर और उर्ध्वमुखी प्रसार पर प्रतिबन्ध नहीं लगा जाता (जिसकी पेशकश पहले:पहल 1964 में की गई थी) तब तक के लिए सभी प्रकार के नाभिकीय अस्त्रों के परीक्षण को तत्काल निलंबित करने का आह्वान करने की अपनी पहल-कदमियों के अतिरिक्त भारत सरकार 1978 से ही यह कहती आयी है कि जब तक नाभिकीय निरस्त्रीकरण नहीं होता तब तक के लिए नाभिकीय अस्त्रों के प्रयोग को पूर्णतः रोक देना चाहिए क्योंकि ऐसे हथियारों का किसी भी तरह प्रयोग संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र का उल्लंघन और मानवता के विरुद्ध अपराध होगा ।

(ग) और (घ) सामान्य तथा पूर्ण निरस्त्रीकरण पर जिसमें नाभिकीय निरस्त्रीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है तथा नाभिकीय अस्त्रों का प्रयोग न करने और नाभिकीय युद्ध को रोकने के बारे में भारत की स्थिति हमारे प्रतिनिधियों ने संयुक्त राष्ट्र महासभा, संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण आयोग और निरस्त्रीकरण समिति में दोहराई है ।

उत्तरी भारत में नई कोच फैक्ट्री

796. श्री बाला साहिब विखे पाटिल : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तरी भारत में नई कोच फैक्ट्री स्थापित करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो कब, कहां और इस कारखाने पर कितनी लागत आने की सम्भावना है;

(ग) इसकी कोच निर्माण की वार्षिक क्षमता क्या होगी, और

(घ) देश में कोचों और वैगनों की वर्तमान मांग क्या है तथा इनके उत्पादन की वार्षिक क्षमता क्या है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) (1) योजना आयोग ने छठी योजना में केवल 5,680 सवारी डिब्बों के लिए धन आवंटित किया है । 5 वर्षों में इतने डिब्बों का उत्पादन करने को पर्याप्त क्षमता मोजूद है ।

(2) योजना आयोग ने छठी योजना में एक लाख माल डिब्बों (चौपहिया के हिसाब से) की खरीद के लिए धन का आवंटन किया है । इस मांग को पूरा करने के लिए 28,040 चौपाहिया माल डिब्बे प्रति वर्ष की वर्तमान स्थापित क्षमता पर्याप्त है ।

राज्यों में रेलवे निर्माण कार्यालय

973. **श्रीमती जयन्ती पटनायक :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में रेल मंत्रालय के कुल कितने निर्माण कार्यालय स्थापित किये गये हैं ;

(ख) जहां ऐसे कार्यालय स्थापित हैं उनकी योजना क्या है ;

(ग) क्या यह सच है कि उड़ीसा में ऐसे निर्माण कार्यालय स्थापित नहीं किया गया यद्यपि कई रेलवे परियोजनाएँ आरम्भ की गई हैं और वे निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं;

(घ) यदि हां, तो उड़ीसा में निर्माण कार्यालय स्थापित करने के लिये उनके मन्त्रालय का क्या प्रयत्न करने का विचार है ; और

(ङ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) कार्य क्षेत्र में निर्माण कार्यालयों में महाप्रबन्धकों के ओहदे से लेकर सहायक इंजीनियरों तथा निर्माण निरीक्षकों के विभिन्न स्तरों तक अधिकारी तैनात किये जाते हैं । कुल मिलाकर भारतीय रेलों पर मुख्य इंजीनियर (निर्माण) तथा अन्य उच्च कार्यालयों की संख्या चौदह है । ये कार्यालय विभिन्न परियोजनाओं की आवश्यकताओं के आधार पर स्थित होते हैं ।

(ख) इन चौदह कार्यालयों का विस्तृत ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

रेलवे	सम्बन्धित प्रमुख अधिकारी का पदनाम	जिस स्थान पर कार्यालय स्थित है
1	2	3
मध्य	1. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण	बम्बई
	2. मुख्य इंजीनियर/निर्माण	बम्बई
पूर्व	मुख्य इंजीनियर/निर्माण	कलकत्ता

(जारी···)

उत्तर	मुख्य इंजीनियर/निर्माण	दिल्ली
पूर्वोत्तर	मुख्य इंजीनियर/निर्माण	गोरखपुर
पूर्वोत्तर सीमा	1. महाप्रबन्धक/निर्माण	गुवाहाटी
	2. मुख्य इंजीनियर/निर्माण	गुवाहाटी
दक्षिण	1. महाप्रबन्धक/निर्माण	बैंगलूरू
	2. मुख्य इंजीनियर/निर्माण	मद्रास
दक्षिण पूर्व	1. मुख्य इंजीनियर/निर्माण	कलकत्ता
	2. मुख्य इंजीनियर/निर्माण	विलासपुर
पश्चिम	1. मुख्य इंजीनियर/निर्माण	बम्बई
	2. मुख्य इंजीनियर/निर्माण	अहमदाबाद

इसके अतिरिक्त, महानगर परिवहन परियोजनाओं के निर्माण के लिए मुख्य कार्यालय दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, और मद्रास में स्थित हैं। विद्युतीकरण परियोजनाओं के लिए इलाहाबाद, मथुरा, विजयवाडा, मद्रास और नागपुर में भी प्रमुख अधिकारी हैं।

(ग) उड़ीसा में कुछ निर्माण कार्यालय एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के अधीन स्थापित किये गये हैं।

(घ) जोन में परियोजनाओं की अपेक्षाओं का यथोचित ध्यान रखते हुए मुख्य अधिकारियों का प्रधान कार्यालय उपयुक्त स्थानों पर रखा गया है ताकि परियोजना का काम तेजी से किया जा सके। प्रशासनिक दृष्टि से यह व्यवहारिक नहीं है कि जिन राज्यों में तेलों का निर्माण कार्य चल रहा हो वहां प्रत्येक में इस प्रकार का एक कार्यालय मौजूद रहे।

(ङ) प्रश्न के भाग (घ) के उत्तर में स्पष्ट की गयी स्थिति को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

दहेज की मांग सम्बन्धी शिकायतों की जांच करने के लिए विशेष सैल बनाना

798. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने दहेज मांगने की शिकायतों की जांच करने के लिए मन्त्रालय में विशेष सैल बनाने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस निर्णय को कब तक क्रियान्वित किए जाने की सम्भावना है ;

(ग) क्या राज्य-स्तर पर दहेज मांगने के मामले की जांच करने के लिए ऐसे विशेष सैल बनाने हेतु विभिन्न राज्यों को मार्ग निर्देश देने की सरकार का कोई प्रस्ताव है ; और

(घ) इस सम्बन्ध में की जाने वाली कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

रेल, तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मलिकार्जुन) : (क) जी,न हीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

रामचन्दी मन्दिर उड़ीसा का सर्वेक्षण

799. **श्री लक्ष्मण मलिक : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उड़ीसा में कोणार्क की कुशा मुद्रा नदी के मुहाने के समीप रामचन्दी मंदिर के अहाते के आस पास के स्थान के ऐतिहासिक महत्व की जानकारी है ;

(ख) क्या उनके मन्त्रालय को उड़ीसा सरकार की ओर से उड़ीसा के रामचन्दी मंदिर के आस पास पुरातत्वीय सर्वेक्षण करने के बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का वहां पुरातत्वीय सर्वेक्षण करने का विचार है ; और

(घ) उस प्रस्ताव को कब तक क्रियान्वित किया जायेगा ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मलिकार्जुन) : (क) से (घ) उड़ीसा सरकार के पुरातत्व विभाग की रिपोर्ट के अनुसार कुशभद्रा नदी के मुहाने के आस पास स्थित रामचन्दी मंदिर के चारों और के क्षेत्र का सर्वेक्षण उस विभाग द्वारा पहले ही कराया जा चुका है ।

1981-82 के दौरान विद्युतीकरण की जाने वाली रेल लाइन की कि० मी० में कुल लंबाई

800. **श्री लक्ष्मण मलिक : क्या रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1981-82 के दौरान विभिन्न रेलवे डिवीजनों के अधीन कुल कितने कि० मी० रेल लाइन का विद्युतीकरण करने का विचार है ;

(ख) क्या चालू वित्तीय वर्ष में किसी ऐसी रेल लाइन का विद्युतीकरण करने का विचार है जो उड़ीसा से होकर गुजरती है ;

(ग) यदि हाँ, तो उस रेल लाइन का नाम क्या है तथा उसकी कुल लम्बाई कितनी है ; और

(घ) उस प्रस्ताव की क्रियान्वित में अब तक कितनी प्रगति की गई है ?

रेल, तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 322 किलो मीटर मार्ग ।

(ख) जी, हां ।

(ग) वाल्तेरू-किरन्दुल खंड पर कोटपार रोड और दारलीपुर स्टेशनों के बीच लगभग 150 किलोमीटर मार्ग ।

(घ) जगदलपुर-कोरापुट, जिसका कोटपार रोड-कोरापुट खंड उड़ीसा राज्य में पड़ता है, में बिजली लगायी जा चुकी है। लक्ष्य यह रखा गया है कि कोरापुट और दारलीपुर के बीच शेष खंड में बिजलीकरण का काम मार्च, 1982 तक पूरा कर लिया जाय लेकिन इसमें कुछ विलम्ब हो सकता है क्योंकि बिजली सप्लाई के लिए उड़ीसा राज्य बिजली बोर्ड द्वारा संचारणलाइन का निर्माण कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है।

एशियाई खेलों के लिये टिकटों की बिक्री

801. **श्री लक्ष्मण मलिक : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशियाई खेल समिति ने पृथक-पृथक एशियाई खेल के लिए पृथक-पृथक टिकट बेचने का निर्णय किया है ;

(ख) क्या "सीजन टिकट" बेचने का प्रस्ताव भी सरकार के विचाराधीन है ;

(ग) यदि हां, तो इस मामले में निर्णय करने पर कितना समय लगने की संभावना है ; और

(घ) इस सम्बन्ध में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रलयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मलिकार्जुन) : (क) एशियाई खेल, 1982 के आयोजन के लिए जिम्मेदार विशेष आयोजन समिति ने प्रत्येक स्थान के लिए अलग-अलग प्रतियोगिताओं के वास्ते दैनिक टिकट वेचने का निर्णय किया है।

(ख) विशेष आयोजन समिति ने निर्णय किया है कि किसी भी खेल के लिए कोई सीजन टिकट नहीं होगा।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

कोयले की कमी के कारण उत्तर प्रदेश में रद्द की गई रेल गाड़ियों की संख्या

802. **श्री दया राम शाक्य : क्या रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयले की कमी के कारण उत्तर प्रदेश में अब तक कितनी रेल गाड़ियां रद्द की गईं, और

(ख) इसके परिणामस्वरूप यात्रियों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए सरकार ने क्या प्रभावकारी कदम उठाये हैं ?

रेल, तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) कोयले की कमी के कारण 15.11-81 को उत्तर प्रदेश में 38 जोड़ी सवारी गाड़ियां रद्द की गयी थीं। रेलों पर कोयले की स्टाक स्थिति में सुधार होने से इनमें से 10 जोड़ी गाड़ियां फिर से चलने लगी हैं।

(ख) रेलों और उद्योगों की सम्मिलित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए देश में भाप कोयले की उपलब्धता काफी नहीं है तथा इसके परिणामस्वरूप उद्योगों को चालू रखने के लिए कभी-कभी रेलों को कुछ कम लोकप्रिय सवारी गाड़ियों को रद्द करने के लिए विवश होना पड़ता है। फिर भी, भाप कोयले की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए कोयला उत्पादक प्राधिकारियों और कोयला विभाग के साथ निकट सम्पर्क बनाये रखा जाता है ताकि सभी गाड़ियों को पुनः चलाया जा सके।

नेत्रहीन शिक्षित बेरोजगार युवकों द्वारा गिरफ्तारी दिया जाना

803. **श्री गुलाम मोहमद खान : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेशनल ब्लाइण्ड यूथ एसोसिएशन के नेत्रहीन शिक्षित बेरोजगार युवकों ने उन्हें सरकारी नौकरियां देने सम्बंधी अपनी मांग के संमर्थन में 30 सितम्बर, 1981 को गिरफ्तारी दी थी;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) नेत्रहीन युवकों की समस्याओं को सुलझाने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) 30 सितम्बर, 1981 को नेशनल ब्लाइंड यूथ एसोसिएशन के दस नेत्रहीन व्यक्तियों ने भारतीय रिजर्व बैंक बिल्डिग के सामने, पार्लियामेंट स्ट्रीट नई दिल्ली में 92/97 दिल्ली पुलिस अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तारी दी।

(ग) नेत्रहीन व्यक्तियों नेत्रहीन युवकों सहित, की शिक्षा एवं पुनर्वास हेतु केन्द्र सरकार निम्नलिखित कदम उठा रही है :—

(1) केन्द्र सरकार में ग्रुप "ग" और "घ" और सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों में इसके समकक्ष पदों में नेत्रहीन व्यक्तियों के लिए 1/- का आरक्षण किया गया है।

(2) भारत सरकार ने नेत्रहीन विद्यार्थियों में ब्रेल साहित्य/पुस्तकों के निःशुल्क वितरण की एक योजना आंरभ की है।

(3) नेत्रहीनों में शिक्षा के प्रसार हेतु चार शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाएं चल रही हैं।

(4) गतिशीलता के प्रसार हेतु, नेत्रहीन व्यक्तियों को इंडियन एयर लाइन्स द्वारा ग्रह यात्राओं में 50% और भारतीय रेलवे द्वारा 75 प्रतिशत किराए में छूट दी जाती है।

इसके अतिरिक्त केन्द्र सरकार द्वारा विकलांग व्यक्तियों (जिसमें नेत्रहीन सम्मिलित हैं) के लिए निम्नलिखित कार्यक्रमों को चलाया जा रहा है :—

(1) कक्षा नौ और उससे आगे शिक्षा जारी रखने वाले तथा तकनीकी व्यवसायिक प्रशिक्षण लेने वाले विकलांग व्यक्तियों को छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं।

(2) विकलांगों के प्रशिक्षण, शिक्षा और पुनर्वास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु स्वेच्छिक संगठनों को अनुदान दिया जाता है।

(3) व्यवसायिक प्रशिक्षण और सभी श्रेणियों के विकलांग व्यक्तियों को लाभदायक रोजगार दिलाने में सहायता करने हेतु प्रबंध के लिए विकलांगार्थ 12 व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्रों की स्थापना की जा चुकी है।

(4) 5 व्यावसायिक पुनर्वास विस्तार केन्द्रों से जुड़े 11 ग्रामीण पुनर्वास केन्द्रों की स्थापना की जा चुकी है। इन केन्द्रों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशिक्षण और दूसरी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।

(5) विकलांगों को रोजगार सुलभ कराने हेतु देश भर में विशेष रोजगार केन्द्र खोले जा चुके हैं।

(6) स्व-नियोजित उद्यम प्रारम्भ करने वाले विकलांग को "ब्याज की विशिष्ट दर योजना" के अन्तर्गत ऋण प्रदान किया जा रहा है।

(7) संचार मंत्रालय द्वारा विकलांग व्यक्तियों (नेत्रहीनों सहित) को टेलीफोन बूथों के आवंटन की योजना प्रारम्भ की जा चुकी है।

(8) विकलाँग (जिसमें नेत्रहीन सम्मिलित हैं) व्यक्तियों को 1981 के दौरान आरम्भ की गई एक नई योजना के अन्तर्गत उनके शारीरिक एवं आर्थिक पुनर्वास हेतु सहायक यंत्र और उपकरण निःशुल्क या रियायती मूल्यों पर उपलब्ध कराए जाते हैं।

नालन्दा में केन्द्रीय विश्वविद्यालय

804. **श्री विजय कुमार यादव : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या नालन्दा और बिहार की जनता की ओर से सरकार को एक ज्ञापन दिया गया है जिसमें बिहार राज्य में नालन्दा में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय की मांग की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) विभिन्न व्यक्तियों और संगठनों द्वारा समय-समय पर ऐसे अभ्यावेदन किए जाते रहे हैं जिनमें नालन्दा, बिहार में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने का सुझाव दिया गया है। क्योंकि नालन्दा में केद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने का केन्द्रीय सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है इसलिए उन्हें यह सूचित कर दिया गया है कि वे अपने प्रस्ताव बिहार सरकार को भेजें।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की तरह का एक अस्पताल बिहार में खोलना

805. **श्री विजय कुमार यादव : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;**

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में आने वाले अधिकांश रोगी बिहार राज्य के होते हैं ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि बिहार राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति खराब है ;

(ग) क्या सरकार का विचार है कि बिहार में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की तरह का एक अस्पताल खोला जाये ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीहार रंजन लास्कर) : (क) जी, नहीं। देश के सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के रोगी इस संस्थान में इलाज कराने आते हैं जिनमें से अधिकतर उत्तरी क्षेत्र के होते हैं।

(ख), (ग) और (घ) स्वास्थ्य राज्य का विषय है। बिहार में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जैसा संस्थान खोलने की भारत सरकार की कोई योजना नहीं है।

बेरोजगार व अशिक्षित विकलांग व्यक्तियों की संख्या

806. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि ऐसे विकलांग व्यक्तियों की संख्या कितनी है जो अभी तक अशिक्षित बेघर और बेरोजगार हैं ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : कोई आधार सामग्री उपलब्ध नहीं है। फिर भी रोजगार कार्यालयों जिनमें विशेष रोजगार कार्यालय सम्मिलित हैं, के चालू रजिस्टरों में 1980 तक ऐसे 76,903 व्यक्तियों के नाम दर्ज थे। इनमें दृष्टिहीन, वधिर, गूंगे, अपंग और और सांस की बीमारियों से पीड़ित व्यक्ति शामिल हैं। रोजगार कार्यालय में नाम दर्ज कराना स्वैच्छिक होने के कारण सभी बेरोजगार रोजगार कार्यालयों में नाम दर्ज नहीं कराते हैं तथा यह जरूरी नहीं कि रोजगार कार्यालयों के साथ पंजीकृत सभी रोजगार चाहने वाले बेरोजगार ही हों।

बखतियारपुर और राजगीर के बीच चलने वाली रेलगाड़ियां

807. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पूर्वी रेलवे में बखतियारपुर और राजगीर के बीच रेलगाड़ियों के सवारी डिब्बों व इंजनों की बुरी हालत और देर से चलने के बारे में जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त सभी बातों में सुधार करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : जी नहीं। बख्तियारपुर और राजगीर के बीच चलने वाले सवारी डिब्बों और इंजनों की हालत सन्तोषजनक है। ऐसे कोई सवारी डिब्बे नहीं हैं जिनकी ओवरहालिंग के

लिए नियत अवधि के भीतर (आवधिक ओवरहालिंग) मरम्मत न कर दी गयी हो। इस खण्ड में इस्तेमाल किए जा रहे भाप इंजन भी पुराने अभिकल्प के नहीं हैं बल्कि भारतीय रेलों पर नवीनतम अभिकल्प के हैं इस खण्ड में चल रहे रेकों की बुनियादि अनुरक्षण सुविधाओं की व्यवस्था दानापुर और बखितयापुर में की गयी है। गाड़ियों की पावन्दी क्रमशः अगस्त में 90.3 प्रतिशत सितम्बर में 92.2 प्रतिशत और अक्टूवर, 81 में 93.4 प्रतिशत पर कायम रखी गई।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बरहामपुर विश्वविद्यालय के गुणुपुर कालेज को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुदान किया जाना

808. **श्री गिरिधर गोमांगो :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आदिवासी जिलों के कालेजों को वर्ष 1981-82 के लिए विश्व विद्यालय अनुदान आयोग के अनुदान दिए जाने के सम्बन्ध में बरहामपुर विश्वविद्यालय, उड़ीसा की सिफारिशें विश्व विद्यायल अनुदान आयोग को प्राप्त हो गई हैं ;

(ख) क्या विश्वविद्यालय ने अनुदान देने के लिए कोरापुट जिले के गुणुपुर कालेज के नाम की सिफारिश की है ;

(ग) यदि हां, तो वर्ष 1981-82 के लिए इस कालेज को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कितनी राशि का अनुदान दिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या विश्वविद्यालय इस कालेज को 1982-83 में विश्व विद्यालय अनुदान आयोग अनुदान दिलाने के सम्बन्ध में विचार करेगा और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को इसकी सिफारिश करेगा ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रदान की गई मार्गदर्शी रूपरेखाओं को ध्यान में रखते हुए इस विषय में विश्वविद्यालय द्वारा निर्णय किया जाना है।

कोरापुट रायगढ़ लाइन

809. **श्री गिरिधर गोमांगो :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष में निर्माण कार्य में कोरापुट-रायगढ़ रेलवे लाइन को सम्मिलित करने के लिए उनके मन्त्रालय द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ;

(ख) मन्त्रालय का इस लाइन का निर्माण कब कराने का विचार था और प्रारम्भिक कार्य कब आरम्भ किया गया था ;

(ग) अब तक कितनी धनराशि की व्यवस्था की गई है और इस काम के लिए वर्ष 1982-83 के लिए कितनी राशि की व्यवस्था की जायेगी ; और

(घ) चूंकि यह नई रेलवे लाइन मुख्यत: दामनजोड़ी, कोरापुट से एल्यूमीना की ढुलाई के लिए बनाई जानी है, उनके मन्त्रालय ने उसको पूरा करने के लिए लगभग क्या तिथि निर्धारित की है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) और (ख) संसद् ने अनुदान की पूरक मांगे (रेलवे), 1981 के जरिए कोरापुट-रायगढ़ बड़ी लाइन रेल सम्पर्क के निर्माण की मंजूरी दी थी और कोरापुट में मट्टलापुट्टु तक पहले चरण का काम 12·11·81 को शुरू कर दिया गया है।

(ख) 1981-82 के लिए 1.10 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। 1982-83 के लिए परिव्यय को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(घ) पहले चरण के रूप में अन्तिम मार्ग निर्धारण सर्वेक्षण और कोरापुट से मट्टलापुट्टु तक के निर्माण का काम शुरू किया जा रहा है। निक्षेप शर्तों पर दामनजोड़ी में अल्युमिना कम्प्लैक्स के लिए बनाई जाने वाली साइडिंग मट्टलापुट्टु से निकाली जायेगी निर्माण-कार्य को समय पर पूरा करने का कार्यक्रम बताया गया है ताकि अल्यूमिना कम्प्लैक्स द्वारा उसका उपयोग किया जा सके।

वंशवारा नदी पर पुल

810. **श्री गिरिधर गोमांगो : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने बाढ़ के बाद वंशवारा नदी पर पुल का निर्माण करने के लिए भूमि की जांच व स्थान के चयन का काम पूरा कर लिया है;

(ख) उनके मन्त्रालय को यह प्रस्ताव राज्य से कब प्राप्त हुआ था और अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक महत्व कार्यक्रम के अधीन उसकी कब स्वीकृति दी गई थी; और

(ग) इस काम को शीघ्र करने के लिए उनके मन्त्रालय द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ग) परलखेल मंडी-गुनुपुर-विस्सम-कटक मार्ग में वंशधरा नदी पर 108 लाख रुपये की अनुमानित लागत से पुल का निर्माण कार्य पांचवीं योजना में अन्तर्राष्ट्रीय या आर्थिक महत्व की राज्य सड़कों के बारे में केन्द्रीय सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुमोदित किया गया था। तब से अब तक इस संबन्ध में सर्वेक्षण और जांच पड़ताल के काम को पूरा किया जा चुका है। राज्य के मुख्य इंजीनियर ने इस पुल के निर्माण के बारे में ब्यौरे-वार अनुमान भारत सरकार के अनुमोदन के लिए हाल ही में भेजे हैं।

बम्बई उपनगरीय क्षेत्र के लिये ई० एम० यू० रेक

811. श्री आर० के० महालगी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई उपनगरीय क्षेत्र के लिए कितने ई० एम० यू० रेक्स (प्रत्येक रेक में 19 बोगी अथवा 3 एकक) का आर्डर दिया गया था, जो मध्य/पश्चिमी रेलवे द्वारा सप्लाई किये जाने थे;

(ख) डिलीवरी का क्या कार्यक्रम निर्धारित किया गया था;

(ग) क्या इस डिलिवरी कार्यक्रम के अनुसार रेक्स सप्लाई किये गये थे/किये जा रहे हैं;

(घ) यदि नहीं, तो निर्धारित डिलीवरी कार्यक्रम का पालन न किये जाने के विशिष्ट कारण क्या हैं;

(ङ) इन रेक्स का पुनरीक्षित डिलीवरी कार्यक्रम क्या है; और

(च) सरकार ने इस बात को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये हैं कि इस निर्धारित डिलिवरी कार्यक्रम का सख्ती से पालन किया जाये ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) छठी योजना के दौरान बिजली गाड़ी के 218 डिब्बों की खरीद की व्यवस्था की गयी है जो 72 अदद, 3 कार यूनिटों+2 स्पेयर अथवा 9 कार सेटों के 24 अदद तथा 2 स्पेयर के बराबर है। तदनुसार नवम्बर, 1978 में बिजली गाड़ियों के 239 डिब्बों का आर्डर दिया गया था जिसमें 79, तीन कार यूनिटें तथा 2 स्पेयर मोटर कोच शामिल थे।

(ख) सुपुर्दगी का निर्धारित कार्यक्रम इस प्रकार है:—

1980-81	—	36 अर्थात्	12	—	3 कार यूनिट (आयोजित)
1981-82	—	39 अर्थात्	13	—	3 कार यूनिट (आयोजित)

शेष चरण वद्ध तरीके से।

(ग) जी नहीं। अभी तक पूर्ण 3 कार यूनिटों की सुपुर्दगी नहीं की गई है। बहरहाल अभी तक 13 ट्रेलर सवारी डिब्बे सप्लाई किये गये हैं।

(घ) मैसर्स बी एच ई एल द्वारा बिजली कर्षण उपस्कर की विलम्ब से सप्लाई तथा मसर्स जैसप की कुछ प्रारम्भिक तकनीकी समस्याओं के कारण।

(ङ) सुपुर्दगी की संशोधित कार्यक्रम नीचे दिया गया है :—

1980-81	—	3	(वास्तविक)
1981-82	—	50	(आयोजित)
1982-83	—	50	,,
1983-84	—	55	,,
1984-85	—	60	,,
		218	

(च) बिजली कर्षण उपस्कर की सप्लाई की व्यवस्था कर दी गई है। मैसर्स जैसप्स के समाने आने वाली प्रारम्भिक समस्यओं को सुलझा लिया गया है और फर्म ने निरन्तर उत्पादन आरम्भ कर दिया है।

नये मंगलौर पत्तन पर विस्फोटक पदार्थ का पाया जाना

813. श्री जनार्दन जैना : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 11 अक्तूबर, 1981 को नये मंगलौर पत्तन के पट पर राकेट से मिलता जुलता एक विस्फोटक पदार्थ पाया गया था ;

(ख) क्या उसको जांच और परीक्षण के लिए भेजा गया था ;

(ग) क्या अपराध-विज्ञान प्रयोगशाला से रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है ;

(घ) सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी। नौसेना अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि की हैं कि यह विस्फोटक उसी तरह का था जैसा कि नौसेना अन्य जहाजों/हवाई जहाजों का ध्यान आकर्षित करने के लिए आपात् स्थिति में प्रयोग करती है और जो पानी में तैरने की स्थिति में धुआं और प्रकाश छोड़ता है।

(ख) से (घ) जी। इसकी सूचना पुलिस और विस्फोटक विभाग को जांच करने के लिए दे दी गयी। लेकिन यह ध्यान में रखते हुए कि यह विस्फोटक नौसेना द्वारा प्रयुक्त किए जाने वाले विस्फोटक जैसा था, राज्य की पुलिस ने फॉरेन्जिक डिपार्टमेंट से कोई रिपोर्ट प्राप्त करनी आवश्यक नहीं समझी।

(ङ) सुरक्षा के लिए आवश्यक उपाय अपनाये जा रहे हैं।

कर्नाटक में जहाज मरम्मत करने का एक यार्ड स्थापित करने का प्रस्ताव

814. श्री जनार्दन पुजारी : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक में जहाज मरम्मत करने का एक यार्ड स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो यार्ड के लिए कौन से स्थान का चयन किया गया है ;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में सर्वेक्षण किया गया है ;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) चालू वर्ष में कितनी धनराशि निर्धारित की गयी है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (ङ) भारत में जहाज मरम्मत सुविधाओं की व्यवस्था के बारे में 15 वर्षीय विशाल योजना तैयार करने के लिए परा-

मर्शकों की एक समिति नियुक्त की गयी है। यह समिति समुद्री राज्यों में अनेक स्थलों का दौरा कर चुकी है जिसमें कर्नाटक राज्य शामिल है। लगभग तीन महीनों में इन परामर्शकों की रिपोर्ट के मिलने की संभावना है। जहाज मरम्मत के एक और कारखाने की स्थापना के प्रश्न पर उक्त परामर्शकों की रिपोर्ट, उपलब्ध साधनों और अन्य बातों को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाएगा।

कर्नाटक सरकार सम्मिलित क्षेत्र के अधीन कारवाड़ में जहाज मरम्मत कारखाने की स्थापना के एक सुझाव पर विचार कर रही है।

पंजाब में रेल लाइनों पर तोड़ फोड़ के मामले

815. **श्री एच० एन० नंजे गौडा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेल मंत्रालयों में पंजाब में रेल लाइनों पर तोड़ फोड़ की घटनानों के समाचारों से चिन्ता पैदा हो गयी है जो अब इस बात पर विचार कर रही है कि क्या सरकार द्वारा किये गये उपाय पर्याप्त हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या अक्तूबर में रेल मंत्री द्वारा एक बैठक बुलाई गई थी और गृह मंत्री तथा राज्य सरकार के प्रतिनिधियों ने उस में भाग लिया था ;

(ग) यदि हां, तो इस बात को सुनिश्चित करने के लिए सभी सम्बन्धित व्यक्तियों द्वारा क्या उपाय किये गये थे कि राज्य में रेल पर तोड़ फोड़ की घटनाएं न हों ;

(घ) अक्तूबर तक कहां तक रोकथाम हो पाई है ;

(ङ) सितम्बर, अक्तूबर और नवम्बर महीनों में रेलों पर तोड़ फोड़ की कितनी घटनाएं हुई हैं ; और

(च) ये उपाय किये जाने के बाद उनमें कितनी कमी हुई है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) 9-10- 81 को चण्डीगढ़ में पंजाब के मुख्य मंत्री ने एक बैठक बुलायी थी और इस में मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव, पुलिस के महानिरीक्षक, उप महानिरीक्षक (गुप्तचर), निदेशक रेल संचलन (सभी पंजाब से), सचिव, रेलवे बोर्ड तथा नयी दिल्ली और फिरोजपुर मंडलों के रेलवे प्रबन्धकों ने भाग लिया था।

(ग) रेलपथ की सुरक्षा के लिए रेलवे सुरक्षा योजना लागू की गयी है जिसके अन्तर्गत पुलिस, रेलवे गैंगमैन और स्वस्थ नागरिकों द्वारा गहन गश्त लगायी जाती है, विशेषकर तोड़-फोड़ की आशंका वाले तथा भेद्य खंडों में।

(घ) पंजाब राज्य के भीतर 7.10.81 के बाद से रेलपथ की तोड़ फोड़ की कोई घटना घटित नहीं हुई है।

(ङ) पंजाब राज्य में पहली सितम्बर से 7 अक्तूबर, 1981 तक की अवधि के दौरान रेल पथ की तोड़-फोड़ के 4 मामलों की रिपोर्ट मिली है। इसके बाद से किसी मामले की रिपोर्ट नहीं मिली है।

(च) सितम्बर, 1981 के दौरान सभी रेलों पर रेलपथ की तोड़-फोड़ के 3 मामले घटित हुए। अक्तूबर में इस प्रकार की घटनाओं की संख्या घट कर एक रह गयी तथा 15 नवम्बर, 1981 तक कोई घटना नहीं घटी।

पर्वतारोहियों का दुर्घटना का शिकार होना

816. **श्री एस० वी० सिदनाल : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्वतों पर होने वाली मौतों की संख्या बहुत अधिक है और बड़ी संख्या में अनेक पर्वतारोही दुर्घटना के शिकार हुए हैं ; और

(ख) सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है जिनसे दुर्घटनाएं कम हों और पर्वतों पर कम लोग हताहत हों ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) विवरण संलग्न है।

विवरण

भारतीय पर्वतारोहण प्रतिष्ठान, नई दिल्ली, भारतीय हिमालय पर्वत पर चढ़ने के अभियानों के लिए जिम्मेदार है। सन् 1981 के दौरान भारतीय हिमालय पर्वतों पर पर्वतारोहण अभियानों के दौरान 26 लोगों की मृत्यु हुई। इनमें 9 भारतीय तथा 17 विदेशी थे। दुर्घटनाओं और आहतों की संख्या को कम से कम करने के लिए भारतीय पर्वतारोहण प्रतिष्ठान का प्रस्ताव निम्नलिखित कदम उठाने का है :—

1. सभी दुर्गम चोटियों के संबन्ध में पहले से ही मौसम की सम्भावनाओं का पता लगाया जाएगा और अभियान के लिए आकाशवाणी पर प्रसारित किया जाएगा।
2. विदेशी पर्वतारोहियों के आवेदन-पत्रों की जांच की जाएगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अभियान के कम से कम एक अथवा दो सदस्यों की हिमालय पर्वतों पर ऊंची चढाइयों पर चढ़ने का अनुभव है ;
3. विदेशी अभियान दलों को अपने साथ बायरलैस सैट लाने के लिए प्रोत्सहित किया जाएगा ताकि पर्वतों पर सम्प्रेषण की व्यवस्था हो सके ;
4. सम्पर्क अधिकारियों का चयन उनके अनुभव और पिछले कार्य के संदर्भ में किया जाएगा ;
5. पर्वतों पर जाते समय सम्पर्क अधिकारी को अन्तिम भारत-तिब्बत सीमा पुलिस अथवा सेना डाकघर से पूछताछ कर लेनी चाहिए ताकि यदि कोई दुर्घटना हो तो प्राथमिकता के आधारपर सम्प्रेषण हो सके ;

6. अभियान दल के नेता को सलाह दी जाएगी कि उनके दल के सभी सदस्य अभियान शुरू करने से पहले अपनी डाक्टरी जांच करा लें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जिनका स्वास्थ्य पूरी तरह से ठीक हो ;

7. दल के नेता और सदस्यों का ध्यान विशेष रूप से उन अनुदेशों की ओर आकर्षित किया जाएगा जो भारतीय पर्वतारोहण प्रतिष्ठान द्वारा जारी "ऐसा करो और ऐसा नहीं करो" में दिया गया है ।

खालिस्तान संबंधी आंदोलन के लिए विदेशी सहायता

817. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ ऐसे संकेत मिले हैं कि कुछ पश्चिमी देश पृथकतावादी (खालिस्तान) आंदोलन के लिए धन दे रहे हैं और उन्हें भड़का रहे हैं ;

(ख) क्या पंजाब में इस आंदोलन के कारण काफी जानें गई हैं और दंगे हुए हैं और कुछ विदेशी तत्वों द्वारा तोड़फोड़ के कार्य किए जा रहे हैं ; और

(ग) क्या भारत सरकार ने इस संबन्ध में कोई जानकारी एकत्र की है ; यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस आन्दोलन को बाहरी स्रोतों से वित्तीय और अन्य समर्थन मिल रहा है ।

(ख) पंजाब में गड़बड़ी और जान की हानि हुई है । लेकिन हमारे पास इस बात का कोई पक्का सबूत नहीं है कि इसका सीधा संबन्ध खालिस्तान आंदोलन से है ।

(ग) विदेशों में उनकी गतिविधियां चिंता का विषय हैं और हम उन पर सावधानी से निगाह रख रहे हैं ।

बिहार के धनबाद जिले में वैगन तोड़ जाने के मामले

818 **श्री ए० के० राय :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के धनबाद जिले में वैगन तोड़े जाने के कितने मामलों की सूचना मिली है और उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां वर्ष 1981 में 1 नवम्बर, 1981 तक घटनाएँ हुईं;

(ख) क्या इसके लिए संवेदनात्मक स्थलों का पता लगा लिया गया है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उनको पता है कि धनबाद कस्बे के मध्य में और रेलवे प्राधिकारियों की पूरी जानकारी के साथ बाशेपुर क्षेत्र में अनेक लोगों का वैगन तोड़ना व्यवसाय बन चुका है; और

(घ) क्या सरकार का विचार इस मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने का है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 1 जनवरी से पहली नवम्बर, 1981 की अवधि के दौरान पूर्व रेलवे के

धनबाद मंडल में माल डिब्बे तोड़े जाने के 14 मामलों की रिपोर्ट मिली है। इनमें से 9 मामले गोमो-धनबाद खंड में चलती गाड़ियों में माल डिब्बे तोड़े जाने के हैं। अन्य पांच मामले धनबाद, झरिया-पाथरडीह, मतारी, प्रधान खुंटा यार्डों में घटित हुए हैं।

(ख) गोमो-धनबाद खंड में बुली-तेतुलमारी के बीच का क्षेत्र अत्यन्त संवेदनशील स्थान है क्योंकि इस क्षेत्र में 1-1-81 से 1-11-81 तक की अवधि के दौरान चलती गाड़ियों में चोरी के 6 मामलों की रिपोर्ट प्राप्त हुई है।

(ग) निस्सन्देह, वाशेपुर क्षेत्र अपराधियों से ग्रस्त है लेकिन यह सही नहीं है कि वहां के लोगों द्वारा रेल प्राधिकारियों की मिली भगत से माल डिब्बे तोड़ने का काम एक स्वीकार्य धन्धा बन गया है।

(घ) जी नहीं। सरकार स्थिति से अवगत है और धनबाद मंडल में अपराधों की रोक-थाम करने के लिए उपयुक्त उपाय कर रही है। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप 8 अपराधियों को गिरफ्तार करके माल डिब्बे तोड़ने के 14 मामलों में 42043 रुपये की चुरायी गयी सम्पत्ति में से 22720 रुपये की सम्पत्ति बरामद कर ली गयी है। रे० सु० बल के साथ हुई मुठभेड़ में दो अपराधियों को भी गोली से मार दिया गया। वाशेपुर निवासी एक पुराने अपराधी को भी राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत हिरासत में ले लिया गया है।

धनबाद में रेलवे के मकान

819. **श्री ए० के० राय** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) धनबाद कस्बे में ऐसे रेलवे क्वार्टरों का ब्यौरा क्या है जो 1-11-1981 तक बाहरी लोगों के कब्जे में थे जिन्होंने रेलवे में कभी भी काम नहीं किया तत्सम्बन्धी कालोनीवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या अनेक कब्जाधारी गुंडे लोग हैं जो इन क्वार्टरों से समाज विरोधी गतिविधियों में लगे रहते हैं और आस-पास के रेल कर्मचारियों को डराते रहते हैं;

(ग) क्या वे समाज विरोधी तत्व रेलवे के अधिकारियों और सुरक्षा कर्मचारियों से मिले हुए हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो उन पर क्या कार्यवाही की गयी है?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथा-समय लोक सभा के पटल पर रख दी जायेगी।

धनबाद में हथियाई गई रेल भूमि

820. **श्री ए० के० राय** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी रेलवे में धनबाद कस्बे में बाहरी लोगों द्वारा हथियाई गई भूमि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या भूमि हथियाने वाले कुछ लोग गरीब दुकानदार हैं जो अपनी रोजी कमाते हैं जबकि अन्य अधिकांश लोग राजनीतिज्ञों के वे घनी लोगों के गुंडे हैं;

(ग) क्या सरकार ने रेल भूमि को अंधाधुंध हथियाए जाने के बारे में सर्वेक्षण किया है, यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या रेल भूमि खाली कराने की कोई योजना है; और

(ङ) यदि हां, तो ब्यौरेवार तथ्य क्या हैं ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) धनबाद में लगभग 26631 वर्ग फुट क्षेत्र में रेलवे भूमि पर लगभग 200 अतिक्रमण हैं ।

(ख) अतिक्रमण करने वालों की वित्तीय स्थिति या राजनैतिक पहुंच की जानकारी रेलवे को नहीं है ।

(ग) जी हां, जैसा कि भाग (क) के उत्तर में दिया गया है ।

(घ) जी हां ।

(ङ) सरकारी परिसर (अनधिकृत काबिजों की बेदखली) अधिनियम 1971 के उपबन्धों के अन्तर्गत रेलवे भूमि से अतिक्रमण को हटाने के लिए कार्रवाई की जाती है । आठ मामले, जिसमें 45846 वर्गफुट क्षेत्र शामिल है, सम्पदा अधिकारी, कलकत्ता के पास पड़े हुए हैं । एक मामला सिविल प्राधिकारियों के पास है जिसमें 1053 वर्ग फुट भूमि आती है । रेलवे के विधि अधिकारी द्वारा दो मामलों की जांच की जा रही है । नियमों के अनुसार बेदखली के लिए शेष मामलों पर कार्रवाई की जा रही है ।

दिल्ली में एक अंशकालिक इंजीनियरी डिग्री कालेज का स्थापित किया जाना

821. **आचार्य भगवान देव** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली प्रशासन के अधीन पालिटेक्निक कालेजों के छात्रों ने गत वर्ष अपनी कुछ मांगों को लेकर हड़ताल की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली प्रशासन द्वारा स्वीकृत मांगों में से एक यह थी कि दिल्ली में एक अंशकालिक इंजीनियरिंग डिग्री कालेज स्थापित किया जायेगा;

(ग) यदि हां, तो इस दिशा में अब तक क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) यह कालेज कब तक खोला जायेगा ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री श्री (मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) 1979–80 सत्र के दौरान लड़कों के तीन पालिटेक्निकों के छात्र हड़ताल पर गये और उनकी ये मांगें थीं—

(1) राष्ट्रीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम को फिर से शुरू करना और

(2) डिप्लोमा धारियों के लिए 5 वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रमों के तीसरे वर्ष में दाखिला।

(ग) और (घ) इन मांगों पर विचार करते हुए सेवाकालीन डिप्लोमा धारियों के लिए दिल्ली इंजीनियरी कालेज में इंजीनियरी में अंशकालिक डिग्री पाठ्यक्रम शुरू करना सिद्धान्त रूप से स्वीकार किया गया। विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस योजना को अनुमोदित कर दिया है। अपेक्षित अतिरिक्त स्थान तथा उपस्कर की पहले ही व्यवस्था की जा चुकी है। प्रथम वर्षीय अंशकालिक डिग्री पाठ्यक्रमों के लिए अध्यापन स्टाफ संस्वीकृत किया गया है और आशा है कि इंजीनियरी में अंशकालिक डिग्री पाठ्यक्रम अगले सत्र अर्थात् जुलाई 1982 से शुरू हो जाएगा।

दिल्ली में स्थित पालिटेक्निक कालेजों में सेमिस्टर प्रणाली लागू किया जाना

822. **आचार्य भगवान देव : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में दिल्ली प्रशासन के अधीन पालिटेक्निक कालेजों में वर्ष 1980-81 के शैक्षिक सत्र से परीक्षा की सेमिस्टर प्रणाली आरम्भ की गई है ;

(ख) यदि हां, तो परीक्षा की सेमिस्टर प्रणाली के नियम क्या हैं ;

(ग) क्या इन नियमों और दिल्ली विश्वविद्यलय की परीक्षा की सेमिस्टर प्रणाली के नियमों में कुछ अन्तर है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) सत्र पद्धति केवल पूर्ण कालिक इंजीनियरी डिप्लोमा और वास्तुकला पाठ्यक्रमों के लिए ही शैक्षिक पत्र (सेमेस्टर), 1980-81 से जारी की गई है।

(ख) सत्र (सेमेस्टर) पद्धति परीक्षा से सम्बन्धित नियम **विवरण** में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) दिल्ली विश्वविद्यालय के विद्युत, यांत्रिक और सिविल इंजीनियरी संकाय और इंजीनियरी में डिप्लोमा स्तर के पाठ्यक्रमों के लिए अपनाई गई सत्र (सेमेस्टर) पद्धति में अन्तर के मुख्य मद इस प्रकार हैं :—

(1) दिल्ली इंजीनियरी कालेज के मामले में इंजीनियरी में डिग्री पाठ्यक्रम में दाखिल किये गये छात्र से अपेक्षा की जाती है कि वह पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने के दो वर्षों के अन्दर प्रथम सत्र परीक्षा हर प्रकार से उत्तीर्ण कर ले। जब कि डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के मामले में छात्र को तीन शैक्षिक सत्रों/वर्षों के अन्दर प्रथम वर्ष परीक्षा (प्रथम और द्वितीय सत्र) उत्तीर्ण करनी पड़ती है।

(2) चार वर्षीय स्नातक डिग्री पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने की अधिकतम अवधि पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने की तारीख से सात वर्ष है जबकि डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के मामले में ऐसी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है।

तकनीकी शिक्षा बोर्ड, दिल्ली सत्र (सेमेस्टर) पद्धति परिक्षा आयोजित करने के नियम

उन पाठ्यक्रमों के मामले में, जहां परीक्षाएं सत्र पद्धति पर आयोजित की जाती हैं, डिप्लोमा परीक्षाओं के नियम 16 की धारा (6) में निम्नलिखित पैरे को शामिल किया जायेगा।

पाठ्यक्रम के प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ/पंचम सत्र (सेमेस्टर) की प्रोन्नति परीक्षा में सम्मिलित होने वाले किसी उम्मीदवार को परीक्षा उत्तीर्ण किया हुआ घोषित किया जायेगा यदि वह सिद्धांत (थ्योरी)/व्यवहारिक (प्रैक्टिकल) के विशिष्ट विषय में कम से कम 40% और कुल 50% अंक प्राप्त करता/करती है तथा निम्नलिखित शर्तों के अन्तर्गत उन्हें अगले उच्चतर सत्र में प्रोन्नत किया जायेगा :—

(1) प्रथम/तृतीय/पांचवें सेमेस्टर की परीक्षा देने वाले सभी उम्मीदवारों को परीक्षा में उनके अनुत्तीर्ण अथवा उत्तीर्ण होने पर विचार किए बिना अगले सत्र में प्रोन्नत किया जायगा। अनुत्तीर्ण छात्र अगले सेमेस्टर की परीक्षा सहित सभी विषयों में परीक्षा देंगे। लेकिन उन्हें तब तक अगले सत्र में प्रोन्नत नहीं किया जायगा जब तक कि वे पिछले सत्रों के सभी प्रश्न पत्रों/विषयों में उत्तीर्ण नहीं हो जाते। तथापि, छात्र यदि पहले और दूसरे सत्र परीक्षा में अधिक से अधिक दो विषयों (शैक्षिक वर्ष के सभी दो सत्रों में सिद्धांत (थ्योरी) और व्यवहारिक (प्रैक्टिकल) को अलग विषयों के रूप में माना जायगा) में अनुत्तीर्ण हो जाता है लेकिन कुल 50% अपेक्षित अंक प्राप्त करता है जिसमें पिछले सत्र के जुड़े हुए अंक शामिल हैं, तो उसे अगले उच्चत्तर सत्र में भी निम्न प्रकार से प्रोन्नत किया जायगा :—

प्रोन्नत सम्बन्धी नियम

(क) ऐसे छात्रों को उन विषयों में परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी जिनमें वह बाद के दो सत्रों की परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण हो गया है और उसने कुल निर्धारित अंक प्राप्त किए हों।

(ख) अगले दूसरे सत्र अर्थात् चौथे/छठे सत्र के परीक्षाफल तभी घोषित किए जाएंगे जब वह पिछले सत्रों की परीक्षा के सभी प्रश्न पत्रों/विषयों में उत्तीर्ण हो जायगा।

(ग) यदि ऐसा कोई छात्र बाद की दो सत्र परीक्षाओं में छोड़े हुए प्रश्न-पत्रों में अनुत्तीर्ण हो जाता है तो जब तक वह इन विषयों/प्रश्न-पत्रों में उत्तीर्ण नहीं हो जाता तब तक वह परीक्षा में भूतपूर्व छात्र के रूप में बैठेगा।

स्पष्टीकरण : उपरोक्त नियमों को ध्यान में रखते हुए यह स्पष्ट है कि नियम 16 (6) के अनुसार अगले उच्चतर सत्र (तृतीय/चतुर्थ) में प्रोन्नत छात्र अगले उच्चतर सत्र (तृतीय/चतुर्थ/पंचम/छठे) की दूसरी बार परीक्षा (अनुत्तीर्ण छात्रों के मामले में) तभी दे सकते हैं जब वे पिछले सत्रों के सभी विषयों में उत्तीर्ण हो जाएंगे। ऐसा इसलिए आवश्यक है क्योंकि अगले उच्चतर सत्र को परीक्षा परिणाम तभी घोषित किए जाएंगे जब वे पिछले सत्रों परीक्षाएं पूरी तरह से उत्तीर्ण कर लेंगे।

राज्यों में वृद्धावस्था पेंशन योजना का लागू किया जाना

823. **श्री निहाल सिंह : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां पर वृद्धावस्था पेंशन योजना लागू कर दी गई है ;

(ख) क्या यह सच है कि शहरी क्षेत्रों के 90 प्रतिशत लोगों को तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों के केवल 10 प्रतिशत लोगों को वृद्धवस्था पेंशन योजना का लाभ प्राप्त हो रहा है ; और

(ग) सरकार ऐसी क्या कार्यवाही कर रही है जिससे भविष्य में ग्रामीण क्षेत्रों के अधिक संख्या में गरीब व नि:सहाय व्यक्तियों को पेंशन प्राप्त हो ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) से (ग) इस समय आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र मेघालय, नागलैंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, सिक्किम, चंडीगढ़, दिल्ली, दादर और नगर हवेली गोवा, दमन और दीव, लक्षद्वीप, पांडीचेरी और मिजोरम राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश वृद्ध निराश्रित लोगों के लिए वृद्धवस्था पेंशन योजनाएं चला रहे हैं।

सम्बन्धित राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के अन्तर्गत सामान्यतया सभी वर्गों के वृद्ध निराश्रित व्यक्ति आते हैं तथा इन योजनाओं के लिए राज्यों के अपने-अपने नियम हैं। लाभ प्राप्तकर्ताओं के बारे में राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश वार उपलब्ध जानकारी संलग्न **विवरण** में दी गई हैं परन्तु शहरी और ग्रामीण लोगों में उनका बंटवारा उपलब्ध नहीं है। केन्द्रीय सरकार वृद्धवस्था पेंशन योजनाओं के लिए राज्यों को कोई अनुदान नहीं देती है।

विवरण

1979-80 के दौरान लाभ प्राप्तकर्त्ताओं के बारे में कुछ राज्यों के संबंध में उपलब्ध जानकारी

राज्य	लाभ प्राप्तकर्ता
1. कर्नाटक.	3,07,454
2. हरियाणा	10,116
3. तमिलनाडु	1,00,071
4. उड़ीसा	51,227
5. गुजरात	11,074
6. मिजोरम	200
7. पंजाब	89,312
8. पश्चिम बंगाल	28,000
9. उत्तर प्रदेश	30,246
10. गोआ, दमन और दीव	2,500
11. बिहार	34,365
12. हिमाचल प्रदेश	24,695
13. केरल	1,34,600 (1978-78)

दम-दम बोनगांव लाइन का दोहरा बनाया जाना

824. **श्री समर सिंह मुखर्जी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वी रेलवे की दमदम-बारसाट-बोनगांव रेल लाइन को दोहरी बनाने में काम में अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : दमदम जं० और दमदम कैंटूनमेंट के भीतर 3 किलोमीटर खंड में दोहरी

लाइन बिछायी जा चुकी है और उसे यातायात के लिए 1.3.81 को खोला जा चुका है। दमदम कैंटूनमेंट और मध्यमग्राम के बीच (8 किलोमीटर) दोहरी लाइन को 31.3.82 तक खोलने की योजना बनायी गई है। बाकी खंड यानी मध्यमग्राम से बारसात तक के खंड में काम प्रगति पर है और इस वर्ष के भीतर इस काम को पूरा करने की योजना बनायी गई है।

बिड़ा क्रासिंग स्टेशन को भी 20.8.80 को खोल दिया गया है। अशोक नगर के क्रासिंग स्टेशन को 31.3.82 तक खोलने की योजना बनायी गई है।

अगस्त, 81 तक 2.65 करोड़ रुपये खर्च किये गये हैं। समग्र प्रगति 60 प्रतिशत है।

बम्बई, देश के दक्षिण-पश्चिम, दक्षिण-पूर्वी भागों से कालका को सीधी लाइन

825. **श्री केयूर भूषण** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई, देश के दक्षिण-पश्चिम और दक्षिण पूर्वी भागों से कालका को कोई सीधी रेलगाड़ियां जाती हैं;

(ख) यदि नहीं, तो क्या इस स्थान से सीधी रेलगाड़ियां चलाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है; और

(ग) क्या इस स्थान के लिए अन्य रेलगाड़ियों के साथ अलग डिब्बे जोड़े जाने और यदि यह सम्भव न हो, तो सीधी गाड़ियां चलाने की कोई योजना है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) जी नहीं।

पोलीटैक्निक अध्यापकों के वेतनमानों में संशोधन

856. **श्री केयूर भूषण** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् का विचार पोलीटैक्निक अध्यापकों के वेतनमान संशोधन करने का है ;

(ख) क्या इसके लिए प्रस्ताव वित्त मंत्रालय के पास विचारार्थ भेजा गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

रेल, तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय और राज्य सरकारों तथा सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा विकलांग व्यक्तियों के लिए रोजगार में आरक्षण।

827. **श्री डी० एम० पुत्ते गौडा** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों और सार्वजनिक उपक्रमों में विकलांग व्यक्तियों के लिए रोजगार में आरक्षण की प्रतिशतता कितनी है ;

(ख) क्या गैर-सरकारी क्षेत्र में भी विकलांग व्यक्तियों के रोजगार में आरक्षण की कोई व्यवस्था है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) विकलांग व्यक्तियों को उनके लिए आरक्षित रोजगार वास्तव में मिले और आरक्षित कोटे का पूर्ण उपयोग किया जाए यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या जांच की है ?

रेल, तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) केन्द्रीय सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के अधीन "ग" और "घ" वर्ग के 3% पद विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित किए गए हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार लगभग 15 राज्यों ने भी अपने अधीन कुछ प्रतिशत पद विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित किए हैं।

(ख) उपलब्ध जानकारी के अनुसार हाल में गुजरात में विकलांग व्यक्तियों के लिए 1/2% आरक्षण किया गया है।

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए कि विकलांग व्यक्ति उनके लिए आरक्षित पद प्राप्त कर सके निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

1. एक 100 प्वांइट रोस्टर निधारित किया गया है जिसमें विशिष्ट रोस्टर प्वाइन्ट दर्शाया है जिसे नेत्रहीन, वधिर या अपंग व्यक्ति को नियुक्त करके भरा जाना होता है।
2. सभी मन्त्रालयों/विभागों को श्रम और रोजगार तथा समाज कल्याण मंत्रालयों को एक त्रैमासिक विवरण भेजना होता है।

विदेशों में खालिस्तान आन्दोलन के विरोध के लिए सरकारी नीति

828. **श्री चिंतामणि जैना : क्या विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशों में, जहां पर राष्ट्र विरोधी तत्व विदेशों में रहने वाले सिखों में खालिस्तान आंदोलन को बढ़ावा दे रहे हैं ; खालिस्तान आन्दोलन के विरोध के लिए दीर्घकालिक नीति बनाने के लिए कोई कदम उठाए हैं ?

(ख) क्या सरकार ने विदेशों में विशेषकर अमरीका, कनाडा, पश्चिम जर्मनी, इंग्लैण्ड और सिंगापुर में राजनीतिक चैनलों और इन देशों का भ्रमण करने वाले भारतीय नागरिकों के माध्यम से उनकी गतिविधियों की समीक्षा की है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) विदेशों में सिख समुदाय के बीच राष्ट्र विरोधी तत्वों के प्रचार का प्रतिकार करने के लिए सरकार अपेक्षित कदम उठा रही है।

(ख) और (ग) सरकार संबंधित देशों में अपने राजनयिक मिशनों के माध्यम से ऐसे तत्वों की गतिविधियों पर निगाह रखती है और ये मिशन भारतीय समुदाय से, वहां आने वाले भारतीय नागरिकों और स्थानीय प्राधिकारियों से निरन्तर सम्पर्क बनाए रखते हैं।

तारापुर परमाणु ईंधन समझौते की स्थिति

829. **डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अमरीका के साथ तारापुर ईंधन समझौते की वर्तमान स्थिति क्या है ; और

(ख) सरकार का ये समझौते कब रद्द करने का विचार है ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) भारत सरकार और संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार के बीच परमाणु ऊर्जा के असैनिक प्रयोग से संबद्ध सहयोग करार अभी भी लागू है।

(ख) इस करार के भविष्य पर सरकार अभी विचार कर रही है।

चान्दा कोलफील्ड्ज को वैगनों की सप्लाई

830. **श्री के० टी० कोसलराम** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में ईंट तथा टाइल बनाने के छोटे एककों को कोयला पहुंचाने के लिए चान्दा कोल फील्ड्ज को गत छः महीनों के दौरान कितने कोयले वैगन सप्लाई किए गए;

(ख) क्या वैगनों के आवंटन के अभाव में कोयले की कमी के कारण यह सभी लघु एकक बन्द होने के कगार पर हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इन कोयला क्षेत्रों को वैगनों की सप्लाई बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं अथवा उठाए जाने का विचार है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 493 माल डिब्बे।

(ख) और (ग) कोयले की कमी के कारण इन एककों के संकट में होने का कोई कारण नहीं है क्योंकि दक्षिण में सिंगरेनी क्षेत्रों सहित सभी क्षेत्रों से कोयले के लदान की दर सन्तोषजनक है। इन एककों के लिए होने वाले लदान में भी वृद्धि कर दी गयी है।

बंबई मद्रास और कलकत्ता बंदरगाहों पर ठहरने के स्थान की प्रतिक्षा कर रहे जहाजों की संख्या

831. **श्री के० टी० कोसलराम**
श्री के० राममूर्ति } : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में (प्रत्येक बंदरगाह के लिए अलग संख्या देते हुए) कितने जहाज कितने दिनों से घाट पर लगने की प्रतीक्षा कर रहे हैं;

(ख) क्या सरकार का यह निर्णय अब लागू किया जा रहा है कि जिन जहाजों के पास कन्टेनर हैं उन्हें क्रेन के स्थान पर ले जाया जाए ताकि सामान की ढुलाई में विलम्ब न हो ; और

(ग) यदि नहीं, तो उस के क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) संभवतया सदस्य महोदय बम्बई, मद्रास हल्दिया कोचीन के महापत्तनों पर कन्टेनर हैंडलिंग उपकरण लगाए जाने के कार्यक्रम का उल्लेख कर रहे हैं। इस सम्बन्ध में कार्यक्रम के कार्यान्वियन के लिए कार्रवाई पहले ही से शुरू की जा चुकी है।

विवरण

16.11.1981 को प्रतीक्षा कर रहे जहाजों की स्थिति

बम्बई पत्तन

(I) माल उतारने के लिए तैयार जहाज जो घाट की प्रतीक्षा कर रहे थे।

इस तरह के 10 जहाज थे और उनके पहुंचने की तारीखें इस प्रकार थीं—

19.8.81, 9.10.81, 31.10.81, 30.10.81, 1.11.81, 6.11.81, 10.11.81, 12.11.81, 14.11.81 और 16.11.81.

(II) जहाज जो आयात-दस्तावेज न होने के कारण प्रतीक्षा कर रहे थे।

इस तरह के 11 जहाज थे, जिनके पहुंचने की तारीखें इस प्रकार थीं—

28.9.81, 6.10.81, 20.10.81, 23.10.81, 25.10.81, 31.10.81, 4.11.81, 5.11.81, 10.11.81, 11.11.81, और 14.11.81.

(III) जहाज जिनसे समुद्र के बीच ही माल उतार लिया गया

9 जहाजों से समुद्र के बीच ही माल उतार लिया गया। उनके पहुंचने की तारीखें इस प्रकार थीं—3.9.81, 8.9.81, 9.9.81, 15.9.81, 10.10.81, 14.10.81, 29.10.81, 9.11.81, 13.11.81

(IV) विविध

चार जहाज इस कारण घाट की प्रतीक्षा में खड़े थे कि उनमें जाने वाला माल तैयार नहीं था। उनके पहुंचने की तारीखें इस प्रकार थीं—6.11.81 12.11.81 14.11.81 और 14.11.81। एक जहाज जो 29.8.81 को पहुंचा था, इसलिए प्रतीक्षा में खड़ा था कि वह गीयरलैस जहाज था और उसे घाट तभी उपलब्ध किया जा सकता था जबकि स्टील कार्गो उतारने के लिए उपयुक्त क्रेनें उपलब्ध हों।

मद्रास पत्तन

मद्रास पत्तन पर 7 जहाज प्रतीक्षा में खड़े थे। उन के पहुंचने की तारीखें इस प्रकार हैं– 15.11.81, 9.11.81, 16.11.81, 12.11.81, 12.11.81, 13.11.81 और 15.11.81।

कलकत्ता/हल्दिया पत्तन

कलकत्ता/हल्दिया पत्तनों पर 2 जहाज घाट की प्रतीक्षा में खड़े थे और उन के पहुंचने की तारीखें 12.11.81 और 16.11.81 हैं। जो जहाज कलकत्ता पत्तन पर 12.11.81 को पहुंचा था, उसे इस वजह से प्रतीक्षा करनी पड़ी कि उस पर जाने वाला माल तैयार नहीं था।

भारत की रक्षा के लिए किए जाने वाले खर्च के लिए पाकिस्तान को दोषी ठहराना

832. श्री एच० एल० नन्जे गौडा : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री ने केनवरा में 4 अक्तूबर, 1981 को यह स्पष्ट कर दिया था कि भारत को अपनी सुरक्षा और अखण्डता की रक्षा करने के लिए सुरक्षा पर भारी व्यय करवाने के लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने उन विभिन्न नेताओं को जिन्होंने सम्मेलन में भाग लिया, स्पष्ट कर दिया था कि पाकिस्तान द्वारा अमरीका और अन्य देशों से अत्याधुनिक हथियार प्राप्त करने से उत्पन्न हुई नई स्थिति के कारण भारत को अपनी रक्षा के लिए धनराशि का अपवर्तन करना पड़ा जिसका निर्धनों के लाभ के लिए उपयोग किया जा सकता था ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सम्मेलन में भाग लेने वाले सभी राज्याध्यक्षों द्वारा भारत की नीति की बहुत सराहना की गई ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) पाकिस्तान ने जिस पैमाने पर और जिस तरह आधुनिकतम हथियार प्राप्त किए हैं उससे भारत की चिंता को दूसरे देशों में अब ज्यादा अच्छी तरह समझा जा रहा है।

पोर्ट ट्रस्ट कलकत्ता और मोदी श्रमिक बोर्ड के कर्मचारियों की संख्या में कमी

833. **श्री मोहम्मद इस्माइल :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि कलकत्ता में पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारियों की संख्या 40,000 से घटकर 32,000 तथा मोदी श्रमिक बोर्ड के कर्मचारियों की संख्या 18,000 से घटाकर 9,000 कर दी गयी है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रवृत्ति को रोकने के संबंध में क्या कदम उठाए जाएंगे ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) 1975 से 1981 की अवधि में कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट के कर्मचारियों की संख्या जिसमें हल्दिया की संख्या भी शामिल है, लगभग 40000 से घटाकर लगभग 35000 रह गई है और इसी अवधि में यहां के डाक लेबर बोर्ड के कर्मचारियों की संख्या 13000 से घटकर 9000 रह गई। यहां पर यातायात के परिमाण को ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों की संख्या भी अधिक समझी जाती है।

गाड़ियों के लिए समनापुर में रुकने की व्यवस्था करना

834. **श्री नन्द किशोर शर्मा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बालाघाट जिले में समनापुर स्टेशन से स्थानीय गाड़ियाँ सामान्यतया समय पर नहीं चलती हैं जिससे यात्रियों को काफी कठिनाई होती है ;

(ख) यदि हां, तो स्थानीय गाड़ियों को समय पर चलाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, अथवा उठाए जाने का विचार है ;

(ग) क्या सरकार का विचार इस स्टेशन पर अन्य गाड़ियों को ठहराने का है; और

(घ) यदि हाँ, तो वहां पर किन-किन गाड़ियों के रुकने की व्यवस्था की जायेगी ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) गोंदिया-समनापुर-नैनपुर छोटी लाइन खंड में पिछले 3 महीनों में गाड़ियों की समय पाबन्दी सन्तोषजनक नहीं रही है जिसका मुख्य कारण यह है कि इस खण्ड में गतायु रेल इंजन चल रहे हैं और 2 जी बी एन मिली-जुली गाड़ी की शंटिंग मैनपुर-गोदिया खंड के मार्गवर्ती छोटे स्टेशनों पर की जाती है। फिर भी गोंदिया में एक अतिरिक्त रेक बनाया गया है, ताकि आने वाली गाड़ियों के देरी से चलने की स्थिति में, उसे ठीक समय पर छोड़ा जा सके। आशा है कि इस नयी व्यवस्था से इस खंड में गाड़ियों की समय पाबन्दी सुधर जायेगी।

(ग) और (घ) 1/2 (छो० ला०) सतपुड़ा एक्सप्रैस को 14.10.81 से समनापुर में ठहराने की व्यवस्था कर दी गयी है। इस प्रकार इस खंड में चल रही सभी सवारी गाड़ियों को समनापुर में ठहराने की व्यवस्था हो गयी है।

मध्य प्रदेश में गोंडिया-कटंगी लाइन पर गाड़ियों का अनियमित रूप से चलना

835. **श्री नन्द किशोर शर्मा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में गोंडिया-कटंगी लाइन पर गाड़ियां नियमित रूप से नहीं चलती हैं ; और

(ख) यदि हां, तो गाड़ियों के उचित चलने को सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) गोंदिया-कटंगी छोटी लाइन खंड पर इस समय दो जोड़ी सवारी गाड़ियां (अर्थात् 1 जी के/2जी के और 3 जी के/4जी के) नियमित रूप से चल रही हैं। इन दो जोड़ी सवारी गाड़ियों की समय पाबन्दी औसतन 71 से 78 प्रतिशत रही।

विकलांग व्यक्तियों और उनके अभिभावकों को पुरस्कार

836. **श्री आर० एन० राकेश**
श्री एन० ई० होरो
श्री चिंतामणि जैना : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने उन रोजगारों का पता लगाया है जिन्हें विकलांग व्यक्ति उनके उत्पादन में बिना किसी कमी के कर सकते हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने अवयस्क विकलांग बच्चों के अभिभावकों के लिए रोजगार में कुछ आरक्षण का कोई प्रावधान किया है अथवा सरकार उस पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने की स्थिति में है ताकि संस्थागत सेवाओं के विस्तार के बजाय विकलांग बच्चों के जीवन को सुखी बनाने की ओर ध्यान दिया जा सके ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) विकलांग बच्चों के मां बाप को रोजगार देने का कोई प्रस्ताव नहीं है तो भी विकलांग बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने अथवा व्यावसायिक/तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए छात्रवृत्तियां प्रदान करने जैसी सुविधाएं दी जाती हैं । चुने हुए सामान्य स्कूलों में विकलांग बच्चों को शिक्षा प्रदान करने हेतु सुविधाएं प्रदान करने के लिए समेकित शिक्षा की एक योजना भी कार्यान्वित की जा रही है ।

कछार जिले में छात्रों की कठिनाइयां

837. **श्री सुबोध सेन** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान असम में विदेशियों के खिलाफ तथाकथित आंदोलन से उत्पन्न कछार जिले के छात्रों की शैक्षिक समस्याओं की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में कछार शिक्षा संरक्षण समिति सिल्वर से कोई नोट प्राप्त हुआ है ;

(ग) यदि हां, तो नोट में उठाए गए मुख्य मुद्दे क्या हैं ; और

(घ) इस मामले में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) जी हां ।

(ग) अभ्यावेदन दिनांक 17 सितम्बर, 1981 में समिति ने निम्नलिखित उपायों का सुझाव दिया है :—

(1) 1982 के लिए उच्च स्कूल छोड़ने सम्बन्धी प्रमाण पत्र परीक्षाएं यथा समय पर आयोजित करना ;

(2) विश्वविद्यालयों तथा कालेजों मे शिक्षा तथा परीक्षाओं में माध्यम के रूप में अंग्रेजी जारी रखना ;

(3) कछार जिले में एक केन्द्रीय/क्षेत्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना ; और

(4) कछार में एक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना ।

(घ) समिति द्वारा सुझाए गए उपाय असम सरकार के विचारार्थ ध्यान में ला दिए गए हैं । कछार में केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना का कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

कटिहार नई जलपाई गुड़ी लाइन को बदलना

838. **श्री सुबोध सेन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कटिहार-बारसोई-सिलीगुड़ी-नई जलपाई गुड़ी मीटर गेज लाइन को ब्राडगेज में बदलने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हाँ, तो कब और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) परियोजना की प्राक्कलित लागत कितनी है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) से (ग) कुमेदपुर-बारसोई-न्यू जलपाईगुड़ी-रानीनगर खण्ड में दोहरी लाइन बिछाने के भाग के रूप में कटिहार-वारसोई-सिलीगुड़ी न्यू जलपाई गुड़ी मोटर लाइन खण्ड का बड़ी लाइन (209.01 कि०मी०) में आभान परिवर्तन पहले से ही अनुमोदित कर दिया गया है और एक वर्ष के दौरान 50 लाख रुपये की प्रारम्भिक व्यवस्था सहित 42.70 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से इसे वर्ष 1981-82 के बजट में शामिल कर लिया गया है। प्रस्तावित आमान परिवर्तन के लिए जुलाई, 1981 में स्वीकृत किया गया इंजीनियरी एवम् यातायाय सर्वेक्षण प्रगति पर है। सर्वेक्षण पूरा हो जाने और परियोजना अनुमान स्वीकृत हो जाने के पश्चात् निर्माण कार्य आरम्भ कर दिया जायेगा। अतएव, इस समय, इस परियोजना की लक्ष्य तिथि के सम्बन्ध में कुछ कहना सम्भव नहीं है।

कुमेदपुर रानीनगर लाइन मार्ग पर दोहरी लाइन बिछाना

839. **श्री सुबोध सेन** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी बंगाल के लोगों की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार पूर्व सीमावर्ती रेलवे की कुमेदपुर-बारसोई-नई जलपाई गुड़ी-रानी नगर रेल लाइन मार्ग पर दोहरी लाईन बिछाने की मांग पर विचार करने का है;

(ख) यदि हां, तो कब और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) कुमेदपुर-बारसोई-न्यू जलपाई गुड़ी रानी नगर खण्ड के दोहरीकरण के भाग के रूप में कटिहार-वारसोई-सिलीगुड़ी-न्यूजलपाईगुड़ी मोटर लाइन खण्ड (209.01 कि०मी०) को बड़ी लाइन में बदलने के काम को मंजूरी पहले ही दी जा चुकी है और इसे 42.70 करोड़ रुपये की लागत से 1981-82 के रेलवे बजट में शामिल कर लिया गया है। वर्ष के दौरान इसके लिए 50 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है। जुलाई, 1981 में स्वीकृत प्रस्तावित आमान परिवर्तन के लिए इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण का काम प्रगति पर है। सर्वेक्षण को पूरा कर लेने और परियोजना अनुमान को स्वीकृति मिल जाने के बाद निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाएगा।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

एशियाई खेलों के लिए लागत का अन्तिम अनुमान

840. **श्री जोर्ज फर्नान्डीस :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अब एशियाई खेलों के आयोजन की कुल लागत सहित विभिन्न खेलों पर किए जाने वाले खर्चे का अन्तिम रूप से अनुमान लगा लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) शिक्षा मंत्रालय द्वारा एशियाई खेलों पर इस समय यथा अनुमोदित किया जाने वाला खर्च 54.83 करोड़ रुपये है। इसके अतिरिक्त, दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा (इन्डोर स्टेडियम राजघाट के निर्माण पर) 9.35 करोड़ रुपये का खर्च और दिल्ली नगर पालिका द्वारा तरण-ताल के निर्माण पर 2.75 करोड़ रुपये का खर्च भी इस समय अनुमोदित कर दिया गया है।

निर्माण और अन्य सम्बन्धित एजेन्सियों से, जहां भी आवश्यक हो, संशोधित प्राक्कलन भेजने का अनुरोध किया गया है।

कानकुन में प्रधान मंत्री की अमरीकी राष्ट्रपति से बैठक

841. **श्री अमर राय प्रधान**
प्रो० अजित कुमार मेहता
श्री रामविलास पासवान
श्री के०पी०सिंह देव
श्री बालकृष्ण वासनीक
श्री एम०रामगोपाल रेड्डी
श्री जी०नरसिम्हा रेड्डी
श्री वीरभद्र सिंह
श्री जनार्दन पुजारी : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अपनी हाल की कानकुन यात्रा के दौरान भारत की प्रधान मंत्री ने अमरीकी राष्ट्रपति के साथ पाकिस्तान को एफ-16 विमान देकर शस्त्रों से लैस करने के खतरे इस उपमहाद्वीप की शान्ति और स्थिरता को बिगाड़ने के बारे में चर्चा की थी ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) जी हां। कानकुन में अमरीका के राष्ट्रपति के साथ अपनी मुलाकात में प्रधानमंत्री ने अमरीका के राष्ट्रपति का ध्यान पाकिस्तान को अमरीकी सैनिक सप्लाई के गम्भीर निहितार्थों की ओर आकर्षित किया जिसमें नई और आधुनिकतम प्रौद्योगिकी प्रदान करना,भी शामिल है। आशा की जाती है संयुक्त राज्य अमरीका सरकार हमारी चिन्ता पर ध्यान देगी।

नवमूर द्वीप पर विवाद

842. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है भारत तथा बंगला देश ने 197. के अन्त में नवमूर द्वीप पर उठ विवाद को, जो कि मार्च, 1980 में दोनों देशों के बीच एक विवादास्पद मामला बन गया था, हल कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) अपने पड़ौसियों के साथ, जिनमें बंगला देश भी शामिल है, मित्रतापूर्ण संबंध बनाए रखने और उन्हें संबंधित करने की अपनी इच्छा के अनुरूप हम राजनयिक सूत्रों के माध्यम से इस मसले पर बंगला देश की सरकार के साथ बातचीत करते रहे हैं।

सितम्बर, 1981 में नई दिल्ली में बंगलादेश के विदेश मंत्री के साथ मेरी बातचीत में यह तय हुआ था कि दोनों पक्ष उपलब्ध सभी आंकड़ों पर विचार करने के लिए सचिवों के स्तर पर बातचीत करेंगे और विदेश मंत्रियों को रिपोर्ट देंगे। उम्मीद की जाती है कि यह बैठक जल्दी ही होगी।

अप्रैल-अक्तूबर 1981 के दौरान रेल दुर्घटनायें

843. **डा० कृपा सिंधु भोई**
श्री समर मुखर्जी
श्री जय नारायण रौत
श्री प्रो० नारायण चन्द पाराशर
श्री सुधीर कुमार गिरि
श्री हरिहर सोरन
श्री दया राम शाक्य

: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल-अक्तूबर, 1981 के दौरान कितनी रेल दुर्घटनाएं हुईं;

(ख) इन दुर्घटनाओं के कारण कितने व्यक्ति काल कवलित हुए;

(ग) दुर्घटना से पीड़ित व्यक्तियों को मुआवजे के रूप में कितनी राशि का भुगतान किया गया;

(घ) क्या रेल दुर्घटना न होने देने के लिए सरकार ने कोई नई प्रणाली निकाली है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) पहली अप्रैल, 1981 से 31 अक्तूबर, 1981 की अवधि के दौरान भारतीय रेलों पर टक्करों, पटरी से उतरने, समपार पर होने वाली दुर्घटनाओं तथा गाड़ियों में आग लगने की कोटियों में 700 गाड़ी दुर्घटनाएं हुई थीं।

(ख) 459

(ग) भारतीय रेल आधुनिक, 1890 तथा दुर्घटना (क्षतिपूर्ति) नियम, 1950 के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति तदर्थ दावा आयुक्तों/पदेन दावा आयुक्तों द्वारा निर्णय करने के बाद, दी जायेगी। फिर भी, मृत व्यक्ति के निकट सम्बन्धियों तथा घायलों को अनुग्रहपूर्वक सहायता दी गयी है।

(घ) और (ङ) दुर्घटनाओं को कम करने के लिए सतत् प्रयास किये जा रहे हैं। विगत में कुछ प्रमुख उपाय किये गए जिनमें निम्नलिखित उपाय शामिल थे :—

(1) माल-यातायात के तुरन्त प्रवाह को विलग करने, धीमी गाड़ियों में चलाने के लिए परम्परागत चौपहिया स्टाक का वहिष्कार करना तथा नाकारा स्टाक की छंटनी करना।

(2) रेल-पथ के अनुरक्षण के साथ-साथ चल-स्टाक का बकाया। समाप्त करना जिसमें यातायात के तुरन्त प्रवाह के स्टाक की सहन क्षमता की ओर ध्यान देना शामिल है।

(3) जब कभी दोहरी लाइन खण्ड पर गाड़ी पटरी से उतरने के कारण दूसरी लाइन रुक जाती है, उस समय अन्य दुर्घटनाओं की रोक-थाम के लिए डीजल/बिजली रेल इंजनों में फ्लैशर लाइट लगाना।

(4) इंजन कर्मियों के लिए श्वास परीक्षक यंत्र आरम्भ करना।

(5) निरीक्षणों की संख्या में वृद्धि जिसमें गाड़ी परिचालन में लगे हुए कर्मचारियों का अचानक निरीक्षण शामिल है।

तालचेर-सम्भलपुर रेल लाइन

844. डा० कृपा सिंधु भोई : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तालचेर-सम्भलपुर रेल-लिंग की संशोधित तकनीकी आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट की जांच पूरी कर ली है;

(ख) यदि हाँ, तो प्रस्तावित रेल लिंग पर क्या निर्णय लिया गया है; और

(ग) इस रेल लिंक के निर्माण कार्य के कब तक शुरू किए जाने की सम्भावना है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) पुनर्मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है और उस पर विचार किया जा रहा है, परन्तु कोयला धारक क्षेत्र होने के कारण कुछ और जांच-पड़ताल आवश्यक हो गयी है और उसे किया जा रहा है।

(ख) और (ग) अन्तिम रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर, सभी पहलुओं की जांच किए जाने के बाद योजना आयोग के परामर्श से इस सम्बन्ध में कोई अन्तिम निर्णय लिया जायेगा।

जनसंख्या नियंत्रण के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय मंचों में भारत द्वारा भाग लिया जाना

845. **डा० कृपा सिंधु भोई : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनसंख्या नियन्त्रण के मामले में हाल ही में उन विभिन्न देशों में हुए अन्तर्राष्ट्रीय मंचों, जिनमें भारत ने भाग लिया था, में हुए विचार-विमर्श का क्या परिणाम निकला; और

(ख) सरकार ने भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या पर नियन्त्रण करने के लिए नई पद्धतियाँ अपनाने हेतु उन मंचों में हुए विचार-विमर्श को ध्यान में रखते हुए क्या निष्कर्ष निकाला है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालयों में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) और (ख) जन-संख्या नियंत्रण के मामलों पर विचार करने के लिए बीजिंग में अभी कुछ महीने पहले केवल एक ही अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन अर्थात् जनसंख्या और विकास का प्रथम एशियायी संसद सम्मेलन आयोजित किया गया। उक्त सम्मेलन में भारत सरकार ने सरकारी तौर पर कोई भाग नहीं लिया। भारत की ओर से जनसंख्या एवं विकास की समस्याओं के लिए गठित भारतीय सांसद संघ के प्रतिनिधिमण्डल ने इसमें भाग लिया था। सरकार को इस सम्मेलन के कार्यवृत्त की रिपोर्ट अभी तक नहीं मिली है। अतः इस अवस्था में इस सम्मेलन में विचार-विमर्श के बारे में किसी निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रश्न ही नहीं उठता।

कुष्ठ रोग के फैलने के बारे में सर्वेक्षण

846. **श्री पी० राजगोपाल नायडू : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कुष्ठ रोग फैलने के बारे में सर्वेक्षण किया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में क्या निष्कर्ष निकले हैं और क्या सिफारिशें की गई हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) और (ख) कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत रोगियों का पता लगाने सम्बन्धी काम के एक रंग के रूप में कुष्ठ नियन्त्रण एककों और सर्वेक्षण शिक्षा और उपचार केन्द्रों के माध्यम से देश के स्थानिकमारी और अति-स्थानिकमारी वाले क्षेत्रों का नियमित रूपसे सर्वेक्षण किया जाता है। इन यूनिटों की रोजमर्रा की गतिविधियां इन सर्वेक्षणों के परिणामों पर आधारित होती हैं।

हैदराबाद में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् की शाखा की स्थापना

847. **श्री पी० राजगोपाल नायडू : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार हैदराबाद में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् की शाखा की स्थापना करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) (क) जी, नहीं।

(ख) किसी भी राज्य में रा० शै० अनु० प्र० परि० की शाखाएं स्थापित करने की कोई योजना नहीं है। राज्य स्तर पर ऐसी ही संस्थाएं स्थापित करना बेहतर होगा।

रा० शै० अनु० प्रशि० परि० द्वारा प्रत्यक्ष रूप से अथवा मैसूर में इसके क्षेत्रीय सलाहकार के जरिये अथवा विशेषकर हैदराबाद में इसके क्षेत्रीय सलाहकार के जरिये आंध्र प्रदेश से सहयोग किया जाता है।

विश्व बैंक 1972 में समस्याग्रस्त गांवों में सर्वेक्षण

848. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि विश्व बैंक द्वारा 1972 में किया गया समस्याग्रस्त ··त्रों का सर्वेक्षण दोषयुक्त है;

(ख) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने इस बारे में केन्द्रीय सरकार से अभ्यावेदन किया है ·था उस सूची में कुछ और गाँव जोड़ने की अनुमति देने का अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को इस बात की जानकारी नहीं है कि विश्व बैंक ने 1972 या इसके बाद स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के सम्बन्ध में किन्हीं समास्यामूलतः गांवों का सर्वेक्षण किया था।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

संसदीय शिष्टमंडल की चीन की यात्रा

849. **श्री रामावतार शास्त्री**
श्री अर्जुन सेठी
श्रीमती संयोगिता राणे } : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के सांसदों का एक शिष्ट मंडल परिवार नियोजन के बारे में चीन में आयोजित सम्मेलन या सेमीनार में भाग लेने के लिए चीन गया था;

(ख) यदि हां, तो उक्त सम्मेलन में किन-किन संसद सदस्यों ने भाग लिया था;

(ग) क्या यह भी सच है कि विदेश जाने वाले किसी भी व्यक्ति के पासपोर्ट पर वीसा की मंजूरी दर्ज की जाती है;

(घ) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि चीन सरकार ने ऐसा करने के बजाय संसद सदस्यों को पृथक पत्रों पर लिखित रूप में वीसा की मंजूरी दी थी; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी हां, भारतीय संसद और राज्य विधान मंडलों के 22 सदस्यों के एक प्रतिनिधि मंडल ने 27 से 30 अक्तूबर, 1981 तक पीकिंग, चीन में जनसंख्या और विकास के बारे में आयोजित सांसदों के ऐशियाई सम्मेलन में भाग लिया।

(ख) भारतीय प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों की **सूची विवरण रूप में संलग्न** है।

(ग) जी हां, यह एक सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन वास्तविक रूप से वीजा प्रदान करने से सम्बद्ध विनियम, संबंधित देश के आन्तरिक प्रशासन का मामला है।

(घ) और (ङ) जब वीजा देने के लिए नई दिल्ली स्थित चीन जनवादी गणराज्य के राजदूतावास के पास भारतीय प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों के नाम भेजे गए तो चीनी राजदूतावास ने शुरू में अरूणाचल प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष को वीजा देने से इन्कार कर दिया था।

प्रतिनिधि मंडल द्वारा चीनी अधिकारियों को यह स्पष्ट कर देने पर कि यदि अरुणाचल प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष को वीजा देने से इन्कार किया गया तो भारतीय प्रतिनिधि मंडल का कोई भी सदस्य सम्मेलन में भाग नहीं लेगा, चीन का राजदूतावास अलग कागज पर वीजा जारी करने के लिए सहमत हो गया, इस पर भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने इस बात पर जोर दिया, कि अन्य सभी सदस्यों को भी अलग कागज पर ही वीजा दिया जाए ताकि उनके बीच कोई भेदभाव न हो। प्रतिनिधि मंडल ने इस वीजा व्यवस्था के बारे में सरकार से अनौपचारिक रूप से परामर्श किया था। सरकार ने यह महसूस किया कि चूंकि वीजा जारी करने की प्रक्रिया चीन सरकार के आन्तरिक निर्णय का मामला है, अतएव हमारे, लिए इस मामले में आगे कोई कार्रवाई करना जरूरी नहीं।

वीजा जारी करने पर सहमत होने के बाद चीन के राजदूतावास ने एक तरफा तौर पर यह बात दोहराई कि ऐसा सीमा के मसले पर चीन की स्थिति को ध्यान में रखे बिना किया गया है और इसका अर्थ भारत के एक भाग के रूप में अरुणाचल प्रदेश को मान्यता देना नहीं है, भारत सरकार चीन के इस एक तरफा वक्तव्य को स्वीकार नहीं करती।

विवरण

27 से 30 अक्तूबर, 1981 को बीजिंग (चीन) में जनसंख्या और विकास पर सांसदों के प्रथम एशियाई सम्मेलन के लिए सांसदों के भारतीय प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों की सूची

क्रम सं०	नाम	राज्य
1	2	3
1.	श्री सतपाल मित्तल, संसद सदस्य (नेता) सांसदों की भारतीय संस्था के अध्यक्ष	पंजाब
2.	श्री के० लकप्पा, संसद सदस्य	कर्नाटक
3.	श्री एदूरादो फ्लेरियो, संसद सदस्य	गोवा
4.	श्री दिग्विजय सिंह, संसद सदस्य	गुजरात
5.	श्री सन्तोष मोहन देव, संसद सदस्य	आसाम
6.	डॉ० एम० एस० सजीवी राव, संसद सदस्य	आन्ध्र प्रदेश
7.	श्री एस० सी० भंडारे, संसद सदस्य	महाराष्ट्र
8.	डॉ० भाई महावीर, संसद सदस्य	मध्य प्रदेश
9.	श्री लाडली मोहन निगम, संसद सदस्य	मध्य प्रदेश
10.	श्रीमती अमरजीत कौर, संसद सदस्य	पंजाब
11.	बेगम आजिजा इमाम, संसद सदस्य	बिहार
12.	श्री रतनसिंह राजदा, संसद सदस्य	महाराष्ट्र
राज्य विधायक		
13.	श्री यज्ञ दत्त शर्मा	अध्यक्ष मध्य प्रदेश विधान सभा
14.	श्री टी० एल राजकुमार	अध्यक्ष अरुणाचल प्रदेश विधान सभा
15.	श्री आर० एस गवई	अध्यक्ष महाराष्ट्र विधान परिषद्
16.	श्री बालीराम हीरे	स्वास्थ्य मंत्री महाराष्ट्र राज्य सरकार
17.	श्री अहमद बक्श सिंघी	उपाध्यक्ष राजस्थान विधान सभा

(जारी…)

1	2	3
18.	श्री ए० एस्वारा रेड्डी	उपाध्यक्ष आन्ध्र प्रदेश विधान सभा (अभी कार्यकारी अध्यक्ष)
19.	श्री विजयपाल सिंह	उपाध्यक्ष हरियाणा विधान सभा
20.	श्री त्रिपुर आर० मनीमारान, विधान सभा सदस्य	मुख्य सचेतक तमिलानाड्डु सरकार
21.	श्री अशोक कुमार बोस, विधान सभा सदस्य	मुख्य सचेतक पश्चिम बंगाल सरकार
22.	श्री धर्म सिंह, विधान सभा सदस्य	उत्तर प्रदेश (बुलन्दशहर)
सलाहकार		
23.	श्रीमती आवागाई बी० वाडिया	अध्यक्ष एफ० पी० ए० आई० बम्बई
24.	प्रोफेसर जे० सी० कावूरी	कार्यकारी निदेशक एफ० पी० एफ०
पत्रकार		
25.	श्री रंगाराजन, यू० एन० आई०	
26.	श्री अन्सर किदवई, नेशनल हैराल्ड	
27.	श्री पी० एस० आजाद नेशनल सालिड्रिटी	
28.	श्रीमती रम्मी छावड़ा, आई० पी० पी० एफ० और इसके प्रकाशन "पी पल" की प्रतिनिधि	
यू एन० एफ० पी० ए० की ओर से विशेषज्ञ		
29.	प्रोफेसर रामलाल पारिख, भूतपूर्व संसद सदस्य	उपकुलपति गुजरात विद्यापीठ
30.	प्रोफेसर के० एन० राज	

आल इंडिया केन्द्रीय विद्यालय टीचर्स एसोसिएशन की मांगें

850. श्री रामावतार शास्त्री :
श्री माधवराव सिंधिया : } क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आल इंडिय केन्द्रीय विद्यालय टीचर्स एसोसिएशन ने अपनी छह-सूत्री मांगों के सम्बन्ध में सरकार को ज्ञापन दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) जी हां। अखिल भारतीय केन्द्रीय विद्यालय शिक्षक संघ (ए० आई० के० वी० टी० ए०) के छः सूत्री मांग-पत्र में शामिल नौ मदों के विस्तृत ब्यौरे तथा प्रत्येक मद के संबंध में सरकारी स्थिति संलग्न **विवरण** में दी है।

विवरण

क्रम सं०	मांग	तत्सम्बन्धी सरकारी स्थिति
1	2	3
1.	अखिल भारतीय केन्द्रीय विद्यालय शिक्षक संघ की मान्यता	मामले की नये सिरे से जाँच की जा रही है।
2.	केन्द्रीय विद्यालय संगठन तथा इसके अधिशासी बोर्ड में अखिल भारतीय केन्द्रीय विद्यालय शिक्षक संघ का प्रतिनिधित्व।	मांग की जांच की गई पर केन्द्रीय विद्यालय संगठन/अधिशासी बोर्ड में संघ के प्रतिनिधि को मनोनीत करना व्यवहार्य नहीं पाया गया।
3.	सभी स्तरों पर संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र की स्थापना।	केन्द्रीय विद्यालय संगठन में जे० सी० एम० पद्धति पर स्टाफ परिषदें गठित करने के प्रस्ताव को सिद्धान्ततः मान लिया गया है। विस्तृत विवरण तैयार किया जा रहा है।
4.	आन्तरिक तरक्की कोटे को 25% से 75% तक बढ़ाना	मांग को स्वीकार करना सम्भव नहीं है क्योंकि वर्तमान तरक्की कोटा पर्याप्त समझा गया है।
5.	वेतनमानों में संशोधन	केन्द्रीय विद्यालय संगठन के अध्यापकों के वेतनमान वही है जो दिल्ली प्रशासन तथा अन्य संघ शासित क्षेत्रों के समतुल्य पदों पर केन्द्रीय वेतनमान के तहत दिये

(जारी.....)

1	2	3
		जाते हैं, इसलिए केन्द्रीय विद्यालयों के वेतनमानों में कोई भी संशोधन दिल्ली प्रशासन तथा अन्य संघीय क्षेत्रों के वेतनमानों में संशोधन से जुड़ा हुआ है। ऐसी स्थिति में इस मामले में कोई भी निर्णय अलग से लेना सम्भव नहीं है।
6.	स्कूल के समय में कमी करना	मामला अभी भी विचाराधीन है।
7.	समयबद्ध चयन ग्रेड शुरू करना	केन्द्रीय विद्यालय संगठन के अध्यापकों को चयन ग्रेड उसी आधार पर स्वीकृत किये जाते हैं जो दिल्ली प्रशासन तथा अन्य संघ शासित क्षेत्रों के समतुल्य पदों पर काम करने वाले अध्यापकों के लिए केन्द्रीय वेतनमान के तहत विद्यमान है। इसलिए, केन्द्रीय विद्यालयों के अध्यापकों के लिए चयन ग्रेड की योजना में कोई भी परिवर्तन दिल्ली प्रशासन तथा अन्य संघीय क्षेत्रों के लिए उपलब्ध चयन ग्रेड योजना में परिवर्तन से जुड़ा है। ऐसी स्थिति में कोई भी निर्णय अलग से लेना संभव नहीं है।
8.	औचित्यपूर्ण तबादला नीति की घोषणा।	संगठन में औचित्यपूर्ण तबादला नीति पहले ही विद्यमान है। संघ को इसकी महत्वपूर्ण विशेषताओं से अवगत करा दिया गया है।
9.	चालू सत्र के दौरान तथाकथित सामूहिक तबादलों को वापिस लेना।	तबादले के सभी आदेशों की पूर्णतः जाँच करने की मांग को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। तथापि, संघ से ऐसे विशिष्ट उदाहरण, यदि कोई बताने का अनुरोध किया गया है जिनमें संगठन द्वारा पारित स्थानान्तरण आदेशों द्वारा कोई अन्याय अथवा अत्यन्त कठिनाई पैदा हुई हो, ऐसे मामलों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जा सकता है।

उच्च शिक्षा संबंधी नीति

851. श्री रामावतार शास्त्री : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उच्च शिक्षा के बारे में कोई नई नीति निर्धारित की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) नई नीति के क्या उद्देश्य हैं ?

रेल, तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रलयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अगले दस से पन्द्रह वर्षों के दौरान उच्च शिक्षा के विकास के लिए फरवरी 1978 में एक नीति प्रारूप स्वीकार किया था। नीति प्रारूप में परिकल्पित प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं।

(1) माध्यमिक स्तर पर प्रसवी व्यवसायीकरण नौकरियों को डिग्रियों से अलग करने, किसी अच्छी नौकरी के लिए डिग्री को न्यूनतम अर्हता बनाने वाले भर्ती नियमों को वदल ने के जरिए ऐसे कदम उठाना जिनसे विश्वविद्यालय पद्धति पर बोझ कम हो ;

(2) नई संस्थाओं की स्थापना में संयम बरतना, जिन्हें स्थापित नहीं किया जाना चाहिए (पिछड़े क्षेत्रों को छोड़कर) जब तक कि शैक्षणिक आधारों पर आवश्यकता अनुभव न की जाए और संसाधन उपलब्ध न हों ;

(3) नई संस्थाओं की स्थापना के संबंध में बहुत सावधानी पूर्वक योजना तैयार करना और विद्यमान संस्थाओं का युक्तिकरण ;

(4) प्रथम डिग्री और उत्तर-स्नातक स्तरों पर उच्च शिक्षा की पूर्णकालिक संस्थाओं में योग्यता के आधार पर चयनात्मक प्रवेश, तथापि कम से कम आधे स्थान कमजोर वर्गों के लिए आरक्षित रखे जाएं ;

(5) प्रतिभाशाली परन्तु आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों का पूरा शिक्षा व्यय वहन करने के लिए सुविधाओं की व्यवस्था ;

(6) गैर-औपचारिक माध्यमों से उच्च शिक्षा का विस्तार ; और

(7) माध्यमिक/इंटरमीडिएट बोर्ड तथा विश्वविद्यालय परीक्षाएं प्राइवेट उम्मीदवारों के लिए खोलना।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के संबंध में पुराने टिप्पण

852. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार स्वाथ्य योजना के सम्बन्ध में कार्यालय प्रक्रिया नियम पुस्तिका में शामिल किये गये टिप्पण पुराने हैं और उनमें जानकारी का अभाव है;

(ख) यदि हां, तो उनको अद्यतन बनाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या उसकी एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर): (क) कार्यालय पद्धति नामक पुस्तक में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के बारे में कोई टिप्पण नहीं दिये गये हैं। वैसे, केन्द्रीय सरकार में स्वास्थ्य योजना के आदेशों और हिदायतों के संकलन का पालन किया जा रहा है।

(ख) से (घ) विधि मंत्रालय के परामर्श से केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के बारे में अद्यतन नियमों का मसौदा तैयार किया जा रहा है।

राजकीय कन्या पाठशाला, आर० के० पुरम तथा सरोजिनी नग में सुविधायें

853. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री**
श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा } : **क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क क्या राजकीय कन्या पाठशाला, सैक्टर II, आर॰ के॰ पुरम और राजकीय स्कूल संख्या-I सरोजिनी नगर में गत गर्मी के मौसम में पंखे नहीं चले जिससे छात्रों को शारीरिक कष्ट हुआ ;

(ख) यदि हां, तो क्या उनको अब चलने लायक बना दिया गया है ; और

(ग) क्या कक्षा के कमरों में प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था तथा बच्चों के लिए शुद्ध पेय जल की सुविधा उपलब्ध है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) दिल्ली प्रशासन से प्राप्त सूचना के अनुसार कुछ समय तक कुछ पंखे खराब रहे। किन्तु, छात्रों को असुविधा से बचाने के लिए उन्हें पंखों की सुविधा वाले कमरों में बिठा दिया गया था।

(ख) और (ग) जी हां।

बंगला देश से शरणार्थियों का आगमन

854. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री**
श्री एम० रामगोपाल रेड्डी
श्री बाज़ूबन रियान } : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 30 सितम्बर, 1981 के 'इंडियन एक्सप्रेस" में "कंसर्न एट इनफ्लक्स" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या बंगलादेश सरकार को भारी संख्या में लोगों के आने को तथा इसे रोकने के लिए सूचित कर दिया गया है ; और

(घ) हमारे सुरक्षा बलों द्वारा इसे न रोके जाने के क्या कारण हैं?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) सरकार ने राजनयिक माध्यमों से यह मामला बंगलादेश सरकार के साथ उठाया है और उनसे शरणार्थियों की शीघ्र वापसी का अनुरोध किया है । इस संदर्भ में सरकार ने इस बात पर बल दिया है कि शरणार्थियों को पूर्ण आश्वासन दिया जाना चाहिए ताकि वे सम्मान और प्रतिष्ठा के साथ लौट सकें और उनके मन में वहां सताए जाने का कोई भय न रहे । बंगला-देश सरकार ने आदिवासियों को वापस लेने की अपनी रजामन्दी का संकेत दिया है जो सीमा पार कर भारत आ गए हैं । इन आदिवासियों के शीघ्र प्रत्यावर्तन पर विचार-विमर्श करने के लिए संबंधित जिला अधिकारियों की बैठकें भी हुई हैं ।

(घ) हमारे सीमा सुरक्षा बल ने मानवीय आधार पर इन आदिवासियों को वापस नहीं भेजा था ।

एशियायी खेलों के लिए प्रबन्ध

855. श्री बालकृष्ण वासनिक
श्री हरीश कुमार गंगवार } : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1982 में होने वाले एशियाई खेलों के लिये निर्माण तथा विभिन्न सुविधाओं की व्यवस्था से सम्बन्धित कार्य निधारित समयानुसार चल रहा है ।

(ख) स्टेडियमों, होटलों, सड़कों आदि के मूल तथा पुनरोक्षित प्रांक्कलन क्या है और खेलों पर कुल कितना व्यय होगा ; और

(ग) खेलों पर व्यय पूरा करने के लिये अब तक कितनी वित्तीय राशि नियत की गयी है और आन्तरिक तथा बाहरी साधनों से कितनी राशि नियत की जानी है ।

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां ।

(ख) एशियाई खेल, 1982 आयोजित करने के लिए इस समय सरकार द्वारा किया जाने वाला यथा अनुमोदित व्यय 54.83 करोड़ रुपये हैं । इसके अतिरिक्त, राजघाट खेल परिसर में एक इन्डोर स्टेडियम के निर्माण के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण 9.35 करोड़ रुपये व्यय करेगा, और नई दिल्ली नगर पालिका एक तरण ताल के निर्माण पर 2.75 करोड़ रुपये खर्च करेगी ।

होटलों, सम्पर्क मार्गों आदि के निर्माण के लिए धन की व्यवस्था एशियाई खेलों के बजट से नहीं की जा रही है। ये परियोजनाएं सम्बद्ध प्राधिकरणों की सामान्य योजनाओं के अन्तर्गत प्रारम्भ की जा रही हैं। केवल कुछ मामलों में समय सारणी बढ़ा दी गई है ताकि एशियाई खेल, 1982 के दौरान सुविधाएं उपलब्ध की जा सकें। जहां कहीं आवश्यक है, निर्माण और अन्य एजेंसियों से संशोधित प्राक्कलन प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।

(ग) 54.83 करोड़ रुपयों के अनुमोदित व्यय में से 1980-81 तक 7.06 करोड़ रुपये व्यय किए जा चुके थे और वर्ष 1981-82 के लिए बजट में 31.24 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। कुवैत के महा महिम अमीर ने भारत में एशियाई खेलों के लिए एक इन्डोर स्टेडियम के निर्माण के लिए 12.00 करोड़ रुपये का एक नकद अनुदान दिया है। अन्य किसी देश से विदेशी सहायता के रूप में अभी तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, कुछ विदेशी फर्म ऐशियाई खेल, 1982 के आयोजन के लिए कुछ उपस्कर उपहार स्वरूप अथवा ब्याज रहित उधार पर देने को सहमत हो गई हैं।

"अनऔथोराइज्ड टेस्टिंग आफ ऐशेन्ट्स एट ए० आई० आई० एम० एस० तथा "एल-3 वे मैनेजमेंट एट ए० आई० आई० एम० एस०" शीर्षकों के अन्तर्गत समाचार

856. डा० ए० यू० आजमी
श्री इन्द्रजीत गुप्त
श्री के० मालन्ना
श्री चिन्तामणि जैना
: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 22 सितम्बर, 1981 के "इंडियन एक्सप्रेस" में "अनऔथोराइज्ड टेस्टिंग आफ पेशेंट्स एट ए० आई० आई० एम० एस० तथा 29 अक्तूबर, 1981 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "एल-3 वे मैनेजमेंट एट ए० आई० आई० एम० एस०" शीर्षकों के अन्तर्गत प्रकाशित समाचारों की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा संस्थान में व्याप्त स्थिति में सुधार करने तथा रोगियों के पूरे हित में मामलों में सुधार करने के लिये की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी हां।

(ख) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने सूचित किया है कि 22 सितम्बर, 1981 को इंडियन एक्सप्रेस में "अनऔथोराइज्ड टेस्टिंग आफ पेशन्टस एट आई० आई० एम० एस०" शीर्षक से छपी रिपोर्ट तथा 29 अक्तूबर, 1981 को "हिन्दुस्तान टाइम्स" में 3-वे मैनेजमेंट एट ए० आई० आई० एम० एस०" शीर्षक से छपी रिपोर्ट, दोनों वास्तव मे गलत हैं। वस्तुतः स्थिति इस प्रकार है :—

1. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एक रेफरल अस्पताल है और यहां रोगी की बीमारी कर्मचारी के स्वरूप और उसकी गम्भीरता के लिहाज से उसका इलाज किया जाता है। इसमें रोगी को भेजने वाली एजेंसी का कोई लिहाज नहीं किया जाता है। जहां तक न्यूक्लीयर चिकित्सा विभाग में इलाज का संबंध है ये रोगी या तो संस्थान के अस्पताल द्वारा या सामान्य चिकित्सकों द्वारा भेजे जाते हैं। बाहर की एजेंसियों द्वारा भेजे गये रोगियों की कुल औसत संख्या तो लगभग एक प्रतिशत ही होती है। अन्वेषण संबंधी प्रक्रियाओं के लिए रोगियों से कोई शुल्क नहीं लिया जाता। परन्तु एक्स-रे फिल्मों की कमी होने के कारण केवल उन्हीं से फिल्में खरीदने के लिए अनुरोध किया जाता है जो उन्हें खरीदने की स्थिति में होते हैं। जिन फिल्मों को इस्तेमाल में नहीं लाया जाता उनका उपयोग निर्धन रोगियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाता है, न कि उन्हें बाजार में बेचा जाता है। जैसा कि उक्त समाचार पत्रों में कहा गया है।

2. जहां तक संस्थान में 3-वे मैनेजमेंट संबंधी रिपोर्ट का प्रश्न है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अस्पताल की व्यवस्था अस्पताल प्रबन्धक बोर्ड के हाथ में है जिसमें सीनियर फैकल्टी तथा संस्थान के अन्य स्टाफ सदस्य होते हैं जिन्हें निदेशक द्वारा नामजद किया जाता है। एक वरिष्ठ प्रोफेसर इस बोर्ड का अध्यक्ष है, दो एसोसिएट प्रोफेसरों को अस्पताल के प्रशासन संबंधी विभिन्न कार्य सौंपे गए हैं, जिनमें से एक नान मेडिकल है और दूसरा चिकित्सा व्यवसाय का है। अस्पताल के प्रशासन में कोई गड़बड़ी नहीं है। अस्पताल प्रवन्धक बोर्ड की हर पखवाड़े में बैठक होती रहती है और वह अस्पताल के काम काज और प्रशासन के लिए समग्र रूप से जिम्मेदार है।

खुर्जा स्थिति पोटरी निर्माता एककों के लिए कोयले की कमी

857. **डा० ए० यू० आजमी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 25 सितम्बर, 1981 के 'इंडियन एक्सप्रेस' में 'शार्टेजेज हिट खुर्जा पोटरी यूनिट्स' शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो खुर्जा स्थित पोटरी एककों को कोयले के वैगनों की कम सप्लाई करने के क्या कारण हैं तथा उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल, तथा संसदीय कार्य एंव शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) जी हां।

(ख) खुर्जा पाटरीज को रानीगंज फील्ड से प्राप्त भाप-कोयले की आवश्यकता होती है जिसकी उपलब्धता सीमित है। लेकिन, उन्हें दी जाने वाली कोयले की सप्लाई में वृद्धि की जा रही है।

"इंडियन कोड फार मोर कर्ब्स आन बेबी फूड सेल" शीर्षक के अन्तर्गत समाचार

858. **डा० ए० यू० आजमी :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 31 अक्तूबर, 1981 के "इंडियन एक्सप्रैस" में "इंडियन कोड फार मोर कर्ब्स आन फूड बेबी सेल" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) अन्य बातों के साथ निम्नलिखित पर क्या कार्यवाही की गई है ;

(1) भारतीय संहिता के उपबन्धों को प्रवृत करने के लिए विधान लाना ;

(2) स्तन के दूध तथा दूध पिलाने वाली बोतलों के स्थान पर अन्य विकल्पों के विपणन को नियमित करना ;

(3) शिशु आहार के विज्ञापनों तथा उसके विक्रय संवर्धन के अन्य तरीकों पर रोक लगाना ;

(4) उपभोक्ताओं या उनके परिवार के सदस्यों के साथ प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सम्पर्क किए जाने पर रोक लगाना ;

(5) स्वास्थ्य कर्मचारियों या उनके परिवार के सदस्यों का निर्माताओं या वितरकों द्वारा वित्तीय अथवा वस्तुओं के रूप में दिए जाने वाले प्रोत्साहनों पर रोक लगाना ; और

(6) यह शीर्षक लिखना कि "स्तन का दूध शिशु के लिए सर्वोत्तम है" ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां, ।

(ख) और (ग) बेबी फूड्स और फीडिंग बोटल्स के उत्पादन और मार्किटिंग के लिए आचरण संहिता बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा गठित कार्य दल ने अपनी रिर्पोट प्रस्तुत कर दी है। कार्यदल की सिफारिशों पर भारत सरकार विचार कर रही है।

भारत-तिब्बत सीमा व्यापार

859. **श्री कमल नाथ**
श्री कृष्ण कुमार गोयल
श्री सन्तोष मोहन देव
श्री पी० नामग्याल : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चीन भारत-तिब्बत सीमा व्यापार पुन: आरम्भ करने के लिए उत्सुक है ;

(ख) क्या भारतीय तीर्थ यात्रियों को कैलाश पर्वत तथा मानसरोवर की यात्रा के दौरान इस आशय का कोई संकेत मिला था ;

(ग) क्या चीनवासियों ने भारतीय हिन्दुस्तान मशीन टूल की घड़ियों, स्टोवों और कपड़ों में रुचि दिखाई है ;

(घ) क्या इस दिशा में बीजिंग द्वारा कोई औपचारिक प्रस्ताव किया गया है ;

(ङ) क्या इस सम्बन्ध में कोई वार्ता हुई है ; और

(च) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) (ख) और (ग) कैलाश और मानसरोवर की यात्रा के दौरान इस यात्रा का प्रशासनिक प्रबंध करने वाले चीनी अधिकारियों ने भारतीय चीजों के संबन्ध में कुछ मामूली पूछताछ की थी—खासतौर पर ऐसे सामान के बारे में जो तीर्थ यात्री अपने साथ ले जा रहे थे, जैसे-एच० एम० टी की घड़ियां, स्टोव आदि।

(घ) और (ङ) जी नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

प्रधान मंत्री की विदेश यात्रा

860. **श्री बी. वी. देसाई :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के प्रधान मंत्री ने सितम्बर, 1981 और अक्तूबर, 1981 में राष्ट्रमंडल सम्मेलन तथा कानकुन शिखर सम्मेलन में भाग लेने के आलावा बहुत से अन्य देशों की यात्रा की थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या इन बैठकों के दौरान वह अमरीकी राष्ट्रपति तथा चीन के प्रधान मंत्री सहित अनेक विदेशी राष्ट्राध्यक्षों से भी मिली थीं ;

(ग) यदि हां, तो क्या भारत और उन देशों के बीच विद्यमान अनेक मतभेद और भ्रांतियां विभिन्न राष्ट्राध्यक्षों के साथ विचार विमर्श के परिणाम-स्वरूप काफी हद तक दूर हुई हैं ;

(घ) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि भारत के प्रति इन देशों के दृष्टिकोण में काफी परिवर्तन आया है ;

(ङ) यदि हां, तो किस सीमा तक ;

(च) क्या यह भी सच है कि प्रधान मंत्री ने फ्रांस और इटली की भी यात्रा की थी ;

(छ) यदि हां, तो क्या उन देशों के साथ अनेक आर्थिक और राजनीतिक समझौते किए गए थे ; और

(ज) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं।

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग), (घ) और (ङ) विभिन्न शासनाध्यक्षों के साथ अपनी बैठकों के दौरान हमारी प्रधान मंत्री ने दूसरी बातों के साथ-साथ आपसी हितों के मामलों पर भी बातचीत की। इन द्विप-

क्षीय संपर्कों के फलस्वरूप व्यापक विचार-विमर्श का सुअवसर मिला। सम्बद्ध देशों के साथ भारत संबन्धों पर इस बातचीत के प्रभाव का सही सही मूल्यांकन करना तो संभव नहीं है, लेकिन इस में कोई संदेह नहीं कि इन विचार विमर्शों के परिणाम-स्वरूप कई विदेशी शासनाध्यक्ष भारत के हितों, समस्याओं और चिंताओं को तथा महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय प्रश्नों के प्रति हमारे दृष्टिकोण को बेहतर समझ सके हैं।

(च),(छ) और (ज) जी हां, फ्रांस की यात्रा के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय, राजनैतिक और आर्थिक स्थिति के बारे में एक संयुक्त घोषणा जारी की गई और निम्नलिखित चार समझौता-ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए :—

(i) कोयला-खनन में सहयोग ;

(ii) पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग ;

(iii) ऊर्जा के संबन्ध में एक भारत-फ्रांसीसी दल का गठन ; और

(iv) शक्ति परीक्षण सुविधा की व्यवस्था के लिए दोनों देशों के बीच करार।

इटली यात्रा के दौरान किसी विशिष्ट करार पर हस्ताक्षर नहीं हुए, हालांकि विचार-विमर्श से, अधिक आपसी सहयोग के क्षेत्रों का संकेत मिला है, जिन्हें अब आगे बढ़ाया जाएगा।

मल्टी-एक्सल वाणिज्यिक वाहनों के उत्पादन के लिए वित्तीय प्रोत्साहन

861. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने भी वहन की अधिक क्षमता वाले मल्टीएक्सल वाणिज्यिक वाहनों के उत्पादन के लिए वित्तीय प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या लम्बी दूरी के यातायात के लिए समूचे विश्व में इस समय प्रयोग में लाये जा रहे "सिंगल" या "डयूएल एक्सल" वाले वाहनों की अपेक्षा इन वाहनों में ईंधन कम खर्च होता है ;

(ग) क्या वाणिज्यिक वाहनों के दो बड़े निर्माता, टेल्को और अशोक लेलैंड, ने मल्टी-एक्सल वाहनों का प्रायोगिक उत्पादन आरम्भ कर दिया है ;

(घ) यदि हां, तो क्या उनसे प्रति वर्ष लगभग 300 वाहनों के निर्माण की आशा है ;

(ङ) क्या उनका मंत्रालय यह सुनिश्चित करने के लिए ऐसे अन्य विभिन्न उपायों पर विचार कर रहा है कि इन वाहनों के लिए लगातार मांग पैदा की जाये तथा राष्ट्रीय और जोनल परमिटों के आंवटन में मल्टी-एक्सल वाहनचालकों को प्राथमिकता दी जाये; और

(च) यदि हां, तो उनको किस सीमा तक सहायता दी गई है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) परिवहन विकास परिषद ने सितम्बर 1981 की बैठक में यह सुझाव दिया था कि चूंकि मल्टी एक्सल

गाड़ियों में दो एक्सल की परम्परागत गाड़ियों की अपेक्षा ईंधन कम खर्च होता है और इनकी, वहन क्षमता अधिक होती है। इसलिए इनके उत्पादन और परिचालन को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। इन गाड़ियों के उत्पादन और परिचालन को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय और अन्य प्रोत्साहनों की संबंधित विभागों के परामर्श से जाँच की जा रही है।

(ग) और (च) अशोक लेलैंड पहले ही तीन एक्सल की गाड़ियाँ बाजार में ला चुकी है और वर्ष 1981 में उनके उत्पादन कार्यक्रम में 400 गाड़ियों का लक्ष्य रखा गया है। टेल्को ने मल्टी एक्सल गाड़ियों का प्रयोग के आधार पर उत्पादन शुरू किया है।

(ङ) और (च) इस बारे में सुझावों पर विचार किया जा रहा है।

सितम्बर के दौरान रेल दुर्घटनायें

862. **श्री बी० बी० देसाई :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सितम्बर मास के दौरान देश में अभूतपूर्व रेल दुर्घटनाएं हुई थीं ;

(ख) क्या यह सच है कि लगभग सभी रेल दुर्घटनाएं समाज विरोधी तत्वों या सक्रिय हो रहे विदेशी तत्वों द्वारा तोड़ फोड़ के कारण हुई है ; और

(ग) यदि हां, तो इस गंभीर खतरे का मुकाबला करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने पर विचार किया जा रहा है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं। सितम्बर, 1981 के दौरान 108 गाड़ी दुर्घटनाएं हुई जबकि जुलाई में 18 और अगस्त, 1981 में 108 हुई थीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता। तथापि, सावधानी वरतने के लिए, ऐसे खण्डों में जहां तोड़ फोड़ होने की सम्भावना है और जो बदनाम हैं, रेलवे गैंगमैनों तथा पुलिस द्वारा पटरी पर गहन गश्त लगाये जाने का काम शुरू किया गया है।

काश्मीर में नियंत्रण रेखा के बारे में पाकिस्तान के राष्ट्रपति द्वारा दिया गया वक्तव्य

863. **श्री बी० बी० देसाई**
श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर
श्री गुलाम रसूल कोचक
श्री अर्जुन सेठी
श्री नवल किशोर शर्मा
श्री बालासाहब विखे पाटिल
: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पाकिस्तान के राष्ट्रपति द्वारा दिए गए उस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि वह काश्मीर में नियंत्रण रेखा को भारत और पाकिस्तान के बीच प्राकृतिक सीमा बदले जाने की अनुमति नहीं देंगे ;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने यह भी संकेत किया है कि भारत नियंत्रण रेखा को प्राकृतिक सीमा में बदलना चाहता था लेकिन पाकिस्तान इसके पक्ष में नहीं है और वह इसकी अनुमति नहीं देगा ;

(ग) यदि हाँ, तो क्या भारत सरकार द्वारा इस प्रकार का कोई प्रस्ताव पाकिस्तान को भेजा गया था ;

(घ) यदि हाँ, तो इसका ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) जम्मू और काश्मीर राज्य में पाकिस्तान द्वारा अनधिकृत रूप से कब्जा किए गए क्षेत्र को वापस लेने के लिए सरकार क्या कदम उठाने पर विचार कर रही है।

विदेश मंत्री (श्री पी०वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) इस आशय की खबरें सरकार ने अखबारों में देखी हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) सरकार की यह नीति है कि वह जम्मू एवं काश्मीर के एक हिस्से पर पाकिस्तान के आधिपत्य से उठने वाले मसले का समाधान शांतिपूर्ण और द्विपक्षीय बातचीत के माध्यम से करे।

छठी योजना के दौरान प्रौढ़ शिक्षा परियोजनाओं और उनके लिए नियत राशियों से लाभान्वित हुए व्यक्ति

864. **श्री जयनारायण रौत** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विभिन्न प्रौढ़ शिक्षा परियोजनाओं से राज्यवार कितने व्यक्तियों को लाभ प्राप्त हुआ ;

(ख) इन परियोजनाओं से राज्यवार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कितने व्यक्तियों को लाभ प्राप्त हुआ ;

(ग) इन परियोजनाओं पर अब तक राज्यवार और वर्षवार कितना व्यय हो चुका है ; और

(घ) छठी पंचवर्षीय योजनावधि के लिए राज्यवार इन परियोजनाओं के लिए कितनी धनराशि का नियतन किया गया है।

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) विवरण (अनुबंध I) संलग्न है ; जिसमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या सहित प्रौढ़ शिक्षा परियोजनाओं में उल्लिखित लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या के सम्बन्ध में जून, 1981 के अन्त तक की स्थिति दर्शायी गई है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल टी० 2956/81]**

(ग) विवरण (अनुबंध II) संलग्न है, जिसमें वर्ष 1978-79, 1979-80 तथा 1980-81 के दौरान प्रौढ़ शिक्षा पर किया गया राज्य-वार व्यय दर्शाया गया है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल टी० 2956/81]**

(घ) विवरण (अनुबंध-III) संलग्न है, जिसमें छठी योजना (1980-85) में प्रौढ़ शिक्षा के लिए निर्धारित राज्य-वार परिव्यय दिखाया गया है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल टी-2956/81]**

नीदर लैंड्स जन-स्वास्थ्य संस्थान में पोलियो रोधी टीके का परीक्षण

865. **जयनारायण रौत : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नीदरलैंड्स जन-स्वास्थ्य संस्थान में विकसित एक नये पोलियो रोधी टीके का सफलता से परीक्षण किया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) और (ख) नीदरलैंड्स जन-स्वास्थ्य संस्थान में विकसित नई पोलियो-रोधी वैक्सीन का परीक्षण हाफ्किन बायोफार्मास्यूटिकल कार्पोरेशन लिमिटेड, बम्बई में किया जा रहा है।

नये अस्पतालों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान

866. **श्री जयनारायण रौत**
श्री डी. एम. पुत्ते गौडा } **: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में नये अस्पतालों और औषधालयों की स्थापना के लिए उन्हें सहायता देने हेतु स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान देकर एक योजना शुरू की है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में ब्यौरा है और इस योजना के लिए (राज्यवार) धनराशि आवंटन के आंकड़े क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी हां।

(ख) इस योजना के अन्तर्गत जमीन की खरीद, अस्पताल के भवन का निर्माण, अस्पताली उपकरणों की खरीद, आदि जैसे अनावर्त्ती व्यय के लिए अनुदान दिए जाते हैं। केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन और अनुदान प्राप्त करने वाले संस्थान को कुल अनावर्त्ती व्यय का बराबर-बराबर भाग वहन करना होता है।

1981-82 के दौरान इस योजना के लिए 50.00 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। धन का राज्य-वार नियतन नहीं किया गया है। विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के स्वैच्छिक संगठनों को इस योजना की शर्तें पूरी करने पर राज्य सरकारें, आदि की सिफारिश पर अनुदान दिया जाता है।

सूरत-जलगांव रेल लाइन को दोहरा करना

867. **श्री छीतू भाई गामित :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे-कि :

(क) क्या पश्चिम रेलवे में सूरत से जलगांव तक रेल लाइन को दोहरा करने के लिए कोई योजना है, यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ख) इस रेल लाइन को दोहरा करने का कार्य कब तक शुरू किया जायेगा और यह कब तक पूरा हो जाने की संम्भावना है ; और

(ग) इस पर कितना व्यय होने की सम्भावना है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) अभी तक इस प्रस्ताव की जांच-पड़ताल नहीं की गई है। लेकिन, कच्चे अनुमान के अनुसार, यदि इस परियोजना को शुरू किया जाये तो इसकी लागत लगभग 92.00 करोड़ होगी।

पश्चिम रेलवे के मुख्यालय का अन्तरण

868. **श्री छीतू भाई गामित :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई की अधिक जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने पश्चिम रेलवे के मुख्यालय को बम्बई से किसी अन्य स्थान पर ले जाने के बारे में अपने विचार व्यक्त किये हैं ;

(ख) क्या महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री के विचारों को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार पश्चिम रेलवे के मुख्यालय को अहमदाबाद अथवा बड़ौदा अथवा गांधीनगर में ले जाने का है; और

(ग) यदि हां, तो पश्चिम रेलवे के मुख्यालय को गुजरात में किसी स्थान पर कब तक अन्तरित किया जायेगा ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय नौवहन निगम में सेवारत अधिकारियों की संख्या

869. **डा० बसन्त कुमार पंडित :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सितम्बर, 1977, 1978, 1979, 1980, और 1981 को भारतीय नौवहन निगम में कितने अधिकारी सेवा में थे और इस तारीख को प्रचलित मानदंडों के अनुसार उनमें से कितने अधिकारी पदोन्नति के लिये पात्र थे।

(ख) 1977, 1978, 1979, 1980 और 1981 के प्रत्येक वर्ष के दौरान कितने अधिकारी पदोन्नत किये गये और कुल अधिकारियों की संख्या और पदोन्नति के पात्र अधिकारियों की संख्या की तुलना में इन आंकड़ों की प्रतिशतता क्या है ; और

(ग) यदि हां, तो एक ओर अधिकारियों की इतनी बड़ी संख्या में पदोन्नतियां करने और दूसरी ओर तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की बहुत कम पदोन्नतियां करने के क्या कारण है और इस असमानता को दूर करने के लिए भारतीय नौवहन निगम के प्रबन्धकों का विचार, क्या कार्यवाही करने का है;

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) भारतीय नौवहन निगम में 1.1.1977, 1978, 1979, 1980 और 1981 के अनुसार काम करने वाले अधिकारियों की संख्या, उक्त तारीख को प्रचलित नामर्स के अनुसार पदोन्नति के लिए पात्र अधिकारियों की संख्या प्रत्येक वर्ष में पदोन्नत किए अधिकारियों की संख्या, इन आंकड़ों का अधिकारियों की कुल संख्या से प्रतिशत और पदोन्नति के पात्र अधिकारियों की संख्या से प्रतिशत नीचे दिया गया है :—

	1977	1978	1979	1980	1981
भारतीय नौवहन निगम में कार्यरत अधिकारियों की संख्या	390	442	468	496	521
पदोन्नति के लिए पात्र अधिकारियों की संख्या	156	141	209	255	274
पदोन्नत किए अधिकारियों की संख्या	76	47	72	81	111
पदोन्नति पाने वालों का अधिकारियों की कुल संख्या से प्रतिशत	19.49	16.3	15.38	16.33	21.3
पदोन्नति पाने वाले अधिकारियों का पदोन्नति के पात्र अधिकारियों की कुल संख्या से प्रतिशत	48.72	33.33	34.45	31.76	40.51

नोट : पहली जनवरी को अधिकारियों की संख्या बताने का कारण यह है कि अधिकारी काडर में पदोन्नतियां भारतीय नौवहन निगम प्रतिवर्ष पहली जनवरी से करता है (न कि पहली सितम्बर से जैसा कि स्टाफ के मामले में किया जाता है) अधिकारियों की अगले उच्चतर ग्रेड के

लिए पदोन्नतियाँ भी उक्त तारीख अर्थात पहली जनवरी से ही, न कि पहली सितम्बर से, की जाती है।

(ग) स्टाफ और अधिकारियों सम्बन्धी पदोन्नति नीति एक सी नहीं है क्योंकि कर्मचारियों के दोनों वर्ग अलग-अलग किस्म का काम करते है। स्टाफ की पदोन्नतियाँ एक करार (अगस्त, 1972 में हस्ताक्षरित) के अन्तर्गत होती और उसका अनुकरण बड़ी सावधानी से किया जाता है। अधिकारियों के मामले में, पदोन्नतियों की गांरटी नहीं होती और सभी पदोन्नतियां आवश्यकता के अनुसार की जाती है।

उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए (यह न तो संभव है और न ही समीचीन है कि दोनों वर्गों के बीच समानता स्थापित की जा सके।

भारतीय नौवहन निगम में तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की तुलना में अधिकारियों की पदोन्नति

870. **डा० बसन्त कुमार पंडित** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सितम्बर, 1977, 1978, 1979, 1980 और 1981 को भारतीय नौवहन निगम में तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के कुल कितने कर्मचारी काम कर रहे थे और इस तारीख को प्रचलित मानदण्डों के अनुसार उनमें से कितने कर्मचारी पदोन्नत के लिये पात्र थे ;

(ख) 1977, 1978, 1979, 1980 और 1981 के वर्षों के दौरान तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के कितने कर्मचारियों को पदोन्नत किया गया था और तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के कुल कर्मचारियों और पदोन्नति के लिये पात्र तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की संख्या की तुलना में इस संख्या की प्रतिशतता क्या है ; और

(ग) क्या "संगणक समझौता" में तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को दी जाने वाली पदोन्नति की न्यूनतम संख्या निर्धारित है ;

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) 1.9.1977, 1978, 1979, 1980 और 1981 के अनुसार भारतीय नौवहन निगम में काम करने वाले श्रेणी तीन और चार और के कुल कर्मचारियों की संख्या, इसी तारीख को वहां लागू तार्मस के अनुसार पदोन्नति के लिए पात्र कर्मचारियों की संख्या, इन वर्षों में पदोन्नति पाने वाले श्रेणी तीन और चार कर्मचारियों की संख्या और श्रेणी तीन और चार के कुल कर्मचारियों से पदोन्नति पाने वाले कर्मचारियों की प्रतिशत तथा पदोन्नति के पात्र श्रेणी तीन और चार के कुल कर्मचारियों की संख्या नीचे दी गई है :—

	1977	1978	1979	1980	1981
भारतीय नौवहन निगम में काम करने वाले श्रेणी तीन और चार के कुल कर्मचारियों की कुल संख्या	1144	1117	1093	1042	1005
उक्त तारीख को निगम में लागू नार्मस के अनुसार पदोन्नति पाने के पत्र श्रेणी तीन और चार के कर्मचारियों की संख्या	869	874	880	882	864
इन वर्षों में पदोन्नति किए श्रेणी तीन और चार के कर्मचारियों की संख्या	84	55	97	77	5
श्रेणी तीन और चार के कुल कर्मचारियों से पदोन्नति पाने वाले कर्मचारियों का प्रतिशत	7.43	4.92	8.87	7.39	0.5
श्रेणी तीन और चार के कर्मचारियों से, जो पदोन्नति के पात्र हैं, पदोन्नति पाने वालों का प्रतिशत	9.67	6.29	11.00	9.37	0.6

(ग) जी हाँ, ।

केन्द्रीय हिन्दी संस्थान के कार्यकरण के बारे में एक निरीक्षण दल का प्रतिवेदन

871. **डा० बसन्त कुमार पंडित :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय हिन्दी संस्थान के कार्यकरण के बारे में जांच करने के लिए एक निरीक्षण दल ने सरकार को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रतिवेदन की मुख्य बातें क्या हैं और इसके निष्कर्ष क्या हैं;

(ग) क्या इस प्रतिवेदन में संस्था के कार्यकरण और इसके वित्तीय तथा प्रशासनिक मामलों में गम्भीर अनियमिततायें बताई गई हैं;

(घ) क्या विभिन्न मामलों पर लेखा परीक्षा आपत्तियों को उत्तर दिया गया है और यदि नहीं, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई थी ; और

(ङ) इस समिति के निष्कर्षों के गम्भीर परिणामों को देखते हुए केन्द्रीय हिन्दी संस्थान को उचित स्वरूप और व्यवस्था में लाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही करने की योजना बनाई है ।

रेल तथा शिक्षा समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ङ) शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों के एक निरीक्षण दल ने प्रशासनिक और वित्तीय अनियमितताओं से सम्बन्धित शिकायतें प्राप्त होने पर कुछ अभिलेखों की जांच करने के लिए केन्द्रीय हिन्दी संस्थान का दौरा किया । निरीक्षण ने अपनी रिपोर्ट संस्थान के अध्यक्ष को प्रस्तुत कर दी है और निदेशक से तत्सम्बन्धी अपने विचार भेजने का अनुरोध किया है । निरीक्षण दल की रिपोर्ट और निदेशक के विचारों को अगली कार्रवाई तय करने के लिए वित्तीय समिति, अभिशासी परिषद् तथा मंडल के सम्मुख रखा जाएगा । क्योंकि रिपोर्ट पर निदेशक के विचारों की अभी भी प्रतीक्षा है अत: इस सम्बन्ध में इस समय कुछ भी कहना उचित नहीं होगा । जहां तक वर्ष 1979-80 की लेखा परीक्षा आपत्तियों का सम्बन्ध है इनका उत्तर केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा के निदेशक द्वारा उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के महा-लेखापाल को दिया जा चुका है ।

शिक्षा सम्बन्धी नीति के बारे में श्वेत पत्र

872. **डा० बसन्त कुमार पण्डित** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में एक श्वेत पत्र तैयार किया है; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ख) राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा सन् 1968 में की गई थी और वह अब भी लागू है ।

राष्ट्रीय शिक्षा आयोग

873. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को 21 और 22 अगस्त, 1981 को नई दिल्ली भारतीय राष्ट्रीय शिक्षक कांग्रेस द्वारा आयोजित शिक्षकों के राष्ट्रीय सम्मेलन द्वारा पारित संकल्प प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो प्राप्त हुए संकल्पों का सही पाठ क्या है और क्या सरकार ने उन पर विशेषकर प्रशिक्षण और अनुसंधान सहित शिक्षा के सभी पहलुओं, अवस्थाओं और क्षेत्रों को शामिल करके स्थायी आधार पर एक राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की स्थापना करने की मांग पर कोई निर्णय/कार्यवाही की है; और.

(ग) यदि हां, तो विचार-विमर्श का स्वरूप और की गई कार्यवाही क्या है और यदि नहीं, तो निर्णय लिये जाने की संभावित तारीख क्या है?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) प्राप्त 9 संकल्पों का पाठ अनुबन्ध में दिया गया है। संकल्पों की विषय वस्तु नोट कर ली गई है। क्योंकि इनमें शैक्षिक सुधार का बहुत व्यापक क्षेत्र शामिल है, जो कि एक सतत प्रक्रिया है, इसलिए निर्णयों के सम्बन्ध में कोई निश्चित तारीख बताई नहीं जा सकती।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2957/81]

"रोल आन" और "रोल आफ" यातायात को न्यू मंगलौर पत्तन तक बढ़ाने संबंधी प्रस्ताव

874. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने रोल आन और रोल आफ यातायात को न्यू मंगलौर पत्तन तक बढ़ाने के लिए एक प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस पर कोई निर्णय ले लिया है;

(ग) यातायात बढ़ाने के लिये अपेक्षित अनुमानित राशि क्या है;

(घ) तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और.

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (ङ) भारत सरकार को रोल आफ और रोल आन यातायात की सुविधा को न्यू मंगलौर पोर्ट तक बढ़ाने के बारे में कर्नाटक सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं प्राप्त हुआ है लेकिन मुगल लाइन लिमिटेड बम्बई और गोवा के बीच रोल-आन और रोल आफ यात्री व माल सर्विस चलाने के एक सुझाव पर विचार कर रही है जो यदि आवश्यक हुआ तो उत्तर में जफराबाद और दक्षिण में मंगलौर तक आगे बढ़ाई जा सकती है।

अक्तूबर 1981 के दौरान उत्तर क्षेत्र में स्थगित की गई रेलगाड़ियों की संख्या

875. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अक्तूबर, 1981 के दौरान उत्तर रेलवे द्वारा रूटवार कितनी रेलगाड़ियां स्थगित की गई थीं और वे कितने दिन स्थगित रही थीं;

(ख) क्या यह सच है कि उपरोक्त रेल सेवाओं का स्थगन रेलवे विभाग के कुप्रबन्ध के कारण हुआ था और न कि कोयले की कमी के कारण;

(ग) क्या यह भी सच है कि अक्तूबर के चौथे सप्ताह के दौरान प्रातः काल उपलब्ध कराई गई जोधपुर और बाड़मेर के बीच अप और डाउन रेल सेवायें केवल स्थानीय रेलगाड़ियां थी और वे प्रत्येक स्टेशन पर रुकती थीं और उनकी गति भी स्थानीय रेलगाड़ियों की भांति थी लेकिन यात्रियों से लिया गया किराया मेल ट्रेन का था जिससे यात्रियों में भारी असंतोष और रोष व्याप्त है; और

(घ) यदि हां, तो इसके लिए कौन से अधिकारी जिम्मेदार हैं और उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) कोयले की कमी के कारण अक्तूबर, 1981 में 1 दिन से 31 दिन तक उत्तर रेलवे में लगभग 85 जोड़ी गाड़ियां रद्द की गयी थीं।

(ख) जी नहीं;

(ग) और (घ) कोयले की कमी के कारण जोधपुर-बाड़मेर खंड पर दो जोड़ी सवारी गाड़ियां अर्थात् 1 जे बी/2 जे बी पैसेंजर और एस पी/2 एस पी पैसेंजर को क्रमशः 20-11-81 और 19-10-81 से अस्थायी रूप से रद्द करना पड़ा। 97 अप/98 डाउन एक्सप्रैस गाड़ियों के नियत समय को बदलना पड़ा जिससे वह दिन के समय चल सकें तथा जनता की सुविधा के लिए इन गाड़ियों को एक अस्थायी उपाय के रूप में इस खंड के सभी स्टेशनों पर रोका गया। लेकिन, 1 जे बी/2 जे बी सवारी गाड़ी को 3-11-81 से फिर से चला दिया गया है तथा 97 अप/98 डाउन एक्सप्रैस गाड़ियों का चालन उनके पूर्व समय के अनुसार कर दिया गया है। समय कम और अनिश्चित होने के कारण, वर्तमान नियमों के आधार पर गाड़ियों के नाम के अनुसार किराये लिए गए थे।

"लेपरोस्कोप" से की गई नसबन्दी के क्षेत्र में सफलता

876. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत "लेपरोस्कोप" से की गई नसबन्दी के क्षेत्र में पिछले और चालू वर्ष के दौरान अब तक कितनी सफलता प्राप्त हुई है;

(ख) क्या यह सच है कि इस कार्यक्रम को जनसाधारण से बहुत अनुमोदन प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां तो उपरोक्त कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए विभाग द्वारा क्या विशेष उपाय किये जा रहे हैं ;

(घ) उपरोक्त कार्यक्रम में देश के विभिन्न राज्यों में कितने डाक्टरों को प्रशिक्षण दिया गया है ; और

(ड़) भविष्य में इस कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) विभिन्न तरीकों द्वारा किए गए महिला नसबन्दी आपरेशनों के आंकड़े अलग रखे या एकत्र नहीं किये जाते हैं । उपलब्ध सूचना के अनुसार कुछेक राज्यों ने लैपरोस्कोपिक ट्युबल नसबन्दी आपरेशन में अच्छा कार्य किया है ।

(ख) कुछ राज्यों में लैपरोस्कोपिक विधि से नसबन्दी आपरेशन लोकप्रिय होते जा रहे हैं तथा कुछेक राज्यों में अन्य विधियां लोकप्रिय हुई हैं ।

(ग) सरकार नसबन्दी आपरेशन की सभी सुरक्षित विधियों को समान समझती है । सरकार नसबन्दी आपरेशन की किसी विशेष विधि को अन्य विधियों के मुकाबले बढ़ावा नहीं देती । महिला नसबंदी आपरेशन की विधियां सर्जन की कार्य कुशलता और अनुभव, उपलब्ध भौतिक सुविधाओं तथा पर्यावर्णिक स्थिति पर निर्भर करती हैं ।

(घ) सरकारी सेवा में लगे अनेक डाक्टर तथा प्राइवेट डाक्टर दोनों ही लैपरोस्कोपी विधि से आपरेशन कर रहे हैं । वैसे, इस प्रशिक्षण के स्तर में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने देश में तीन लैपरोस्कोपिक प्रशिक्षण केन्द्र पास किए हैं । अब तक भिन्न-भिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के 47 दलों को (प्रत्येक में एक वरिष्ठ स्त्री रोग विज्ञानी, आपरेशन थियेटर नर्स और थियेटर तकनीशियन होता है) लैपरोस्कोपिक विधियों और इन तीनों केन्द्रों में रखे गये उपकरणों को इस्तेमाल करने की विधियों का प्रशिक्षण दिया गया है । इनके अलावा कुछ राज्यों में अन्य डाक्टरों को भी स्थानीय रूप से प्रशिक्षित किया जा रहा है ।

(ङ) प्रशिक्षण कार्यक्रम तीन प्रशिशण केन्द्रों के जरिये चलाया जाता है । राज्य सरकारों से भी अनुरोध किया गया है कि वे अपने-अपने राज्य में एक-एक प्रशिक्षण केन्द्र ऐसा ढूंढ़ें जहां पर राज्य के अन्य स्त्री रोग विज्ञानियों को लैपरोस्कोपिक विधियों का प्रशिक्षण दिया जा सके ।

एशियायी खेलों के बारे में हुआ व्यय

877. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आगामी एशियाई खेलों के बारे में अब तक कितना व्यय हुआ है और इस कार्य की प्रगति क्या है; और

(ख) यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

रेल, तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकाजुंन) : (क) एशियाई खेलों के लिए फिलहाल स्वीकृत सरकार द्वारा किए जाने वाले 54.83 करोड़ रुपये के खर्च में से 15 नवम्बर, 1981 तक 17.43 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जा चुकी है। विभिन्न मदों के कार्य की प्रगति निर्धारित अनुसूची के अनुसार हो रही है।

(ख) एशियाई खेल आयोजित करने के लिए नए स्टेडियमों का निर्माण, विद्यमान स्टेडियमों का नवीकरण तथा अन्य सुविधाओं की व्यवस्था 30 जून, 1982 तक पूरी हो जाने की सम्भावना है सिवाय टेबल टेनिस और बाक्सिग प्रतियोगिताओं के लिए प्रगति मैदान में निर्मित किए जाने वाले एक हाल के, जो 30 सितम्बर, 1982 तक पूरा होगा।

दिल्ली में यमुना नदी पर पुरा पुल

878. **श्री निहाल सिंह :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीन वर्ष पूर्व दिल्ली में वाहन (रेल और सड़क) यातायात के लिए यमुना नदी के रेलवे पुल को अनुपयुक्त घोषित किया गया था और एक नया पुल बनाये जाने का विचार था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस पुल के लोहे के खम्भों पर जंग लग चुका है और इसकी कालावधि खत्म हो गई है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

एम० सी० सी० क्रिकेट दल

879. **श्री इन्द्रजीत गुप्त**
श्री के० ए० राजन : क्या शिक्षा और कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सज है कि सरकार ने भारत में खेले जाने के लिए बॉयकाट और कुक को शामिल करते हुए एम० सी०सी० क्रिकेट दल के दौरे की स्वीकृति दे दी है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या किसी रूप में जातीय अलगाव के शासन और इसके समर्थकों का पूरी तरह से बहिष्कार करना भारत की नीति नहीं है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हाँ।

(ख) भारत का दौरा करने के लिए एम० सी० सी० दल की अनुमति देना किसी भी प्रकार से भारत के जातीय अलगाव के खिलाफ सिद्धांतिक दृष्टिकोण तथा खेल सहित सभी क्षेत्रों में जातिगत शासन को भारत के पूर्ण बहिष्कार के विपरीत नहीं है ।

भारतीय शिष्टमंडल द्वारा चीन का दौरा

880. श्री एच० एन० नन्जे गौडा
श्री एम० बी० चन्द्रशेखर मूर्ति
श्री एन० ई० होरो
श्री के० मालन्ना
श्री केशव राव पारधी
: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और चीन के बीच सम्बन्धों को और सामान्य बनाने के बारे में वार्ता हेतु भारतीय शिष्टमंडल के दौरे के लिए तारीख के बारे में किसी अन्तिम निर्णय को अन्तिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या वार्ता के लिए कोई तारीख निर्धारित की गई है ।

(ग) इन दो देशों के बीच सम्बन्धों को सामान्य बनाने के लिए अब तक क्या कार्यक्रम बनाया गया है; और

(घ) क्या चीन के इस नवीनतम रवैये से भारत के लिए सम्बन्धों को सुधारना मुश्किल हो गया है और इससे दो देशों के बीच सम्बन्धों को सामान्य बनाने में भी बाधा पड़ी है ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) चीनी प्राधिकारियों के परामर्श से पीकिंग में अधिकारियों की बातचीत के लिए 10-14 दिसम्बर की तारीखें निर्धारित की गई हैं ।

(ग) और (घ) सम्बन्ध धीरे-धीरे सुधर रहे हैं; सम्पर्क और आदान-प्रदान बढ़ रहा है । कैलाश और मानसरोवर का मार्ग खोलने के चीनी निर्णय के बाद भारतीय तीर्थ-यात्रियों ने इन तीर्थ-स्थानों की यात्रा शुरू कर दी है । शिष्ट मंडलों और खिलाड़ी दलों के सामान्य आदान-प्रदान के अतिरिक्त इस वर्ष जून में चीनी विदेश मंत्री हुआंग हुआ की भारत यात्रा और 22 अक्तूबर को हमारी प्रधान मंत्री की कैनकुन में चीनी प्रधान मंत्री जिआओ जिआंग से हुई बैठक को महत्त्वपूर्ण समझा जा सकता है ।

सरकार सम्बन्धों को सामान्य बनाने के लिए अपनी कोशिशें जारी रखना चाहती है और हमें आशा है कि चीनी सरकार भी ऐसा ही करेगी ।

उत्तर दक्षिण शिखर सम्मेलन

881. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तृतीय विश्व देशों की एक प्रमुख मांग यह है कि अमरीका तथा औद्योगिक दृष्टि से विकसित अन्य राष्ट्रों के पूर्वाग्रह और प्रबल बहुमत को ध्यान में रखते हुए अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की निर्णय करने की प्रक्रिया में संशोधन किए जाने को राष्ट्र संघ महा सभा द्वारा पुनरीक्षण के अधीन रखा जाये;

(ख) क्या यह भी सच है कि कानकुन में हुई बैठकों के आरम्भ में ही राष्ट्रपति रीगन ने स्पष्ट रूप से कह दिया था कि उनकी सरकार अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक की निर्णय करने की प्रक्रिया में संशोधन करने के आशय के किसी भी प्रस्ताव को मानने से इन्कार करेगी; और

(ग) यदि भाग (क) और (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक हो तो क्या कानकुन शिखर सम्मेलन से तृतीय विश्व के देशों के हित में कोई ठोस लाभ हुआ है।

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी हाँ।

(ख) कैनकुन सम्मेलन के पहले दिन अपने नीति सम्बन्धी वक्तव्य में राष्ट्रपति रीगन ने विश्व-वार्ता के संदर्भ में चार बातों पर अनिवार्य सहमति का उल्लेख किया था। इसमें से एक बात यह थी कि विशिष्ट एजेंसियों की क्षमता, कार्यों और शक्तियों का आदर किया जाएगा और विशेषज्ञता प्राप्त एजेंसियों के निर्णय अन्तिम होंगे।

(ग) कैनकुन सम्मेलन के लाभों को वहां हुए विचार-विमर्श के परिणामों की समग्रता और महत्त्वपूर्ण मामलों, जैसे विश्व-वार्ता, विकास-शील देशों, निजी और सरकारी दोनों संसाधनों से ऊर्जा-निवेश की आवश्यकता, इत्यादि पर प्राप्त आम राय के परिप्रेक्ष्य में देखना होगा। कैन-कुन सम्मेलन के सह-अध्यक्षों के पक्षसार का मूल पाठ तारांकित प्रश्न संख्या 70 दिनांक 26.11.81 के उत्तर में सदन की मेज पर रख दिया गया है।

4 अक्तूबर, 1981 को स्पेशल कालका मेल में हुई चोरी

882. **श्रीमती गीता मुखर्जी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 4 अक्तूबर, 1981 को स्पेशल कालका मेल द्वारा दिल्ली से हावड़ा तक प्रथम श्रेणी में यात्रा कर रहे यात्रियों से एक लाख रुपये से अधिक मूल्य का सामान और निजी वस्तुयें चोरी चली गई थीं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि रेलवे में इन दिनों ऐसी चोरियां और संगठित डकैतियां आम बात हो गई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) रेलवे में यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये क्या ठोस उपाय किये जा रहे हैं?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) 4-10-81 को डाउन पूजा स्पैशल गाड़ी में पहले दर्जे के सवारी डिब्बे में यात्रा कर रहे 4 यात्रियों ने राजकीय रेलवे पुलिस, मुगलसराय के पास इस आशय की शिकायत दर्ज करायी थी कि जब मिर्जापुर से गाड़ी चली तो उनके 85,000 रुपये के कीमती जवाहरात, नकदी आदि चोरी पायी गयी। राजकीय रेलवे पुलिस, मुगलसराय ने कागजात राजकीय रेलवे पुलिस, मिर्जापुर को भेज दिये थे जहां पर 15-10-1981 को मामला संख्या 188 दर्ज किया गया था और इस मामले की जांच की जा रही है।

(ग) और (घ) जनवरी-अक्तूबर, 1981 की अवधि के दौरान गाड़ियों में डकैती/लूट-मार के 313 मामलों की रिपोर्ट मिली है।

(ङ) राजकीय रेलवे पुलिस, जो गाड़ियों में यात्रा करने वाले यात्रियों की संरक्षा और सुरक्षा तथा उनके सामान की जिम्मेवार है। रेलों पर गाड़ियों में मार्गरक्षियों की व्यवस्था करके, अपराधियों पर निगरानी रख कर तथा विशिष्ट मामलों में अपराधियों को गिरफ्तार करके तथा उन पर मुकदमा चलाकर अपराधों की रोकथाम करने के प्रयास कर रही है। इस सम्बन्ध में रेलवे सुरक्षा बल राजकीय रेलवे पुलिस की सहायता कर रहा है।

वैगनों का आयात

883. श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड ने 10 करोड़ डालर की लागत से 20,000 ढलवां इस्पात बाक्सन 'वैगन आयात करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह आयात भारतीय रेलवे में आधुनिकीकरण और सुधार के लिए मांगे गये विश्व बैंक के ऋण से बंधा हुआ है;

(ग) यदि हां, तो इस परिवर्तन के आधार क्या हैं जिससे वैगन निर्माण के देशीय उद्योग पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा; और

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि रेलवे बोर्ड की नीति में इस परिवर्तन से पश्चिम बंगाल के इंजीनियरिंग उद्योगों पर जो मुख्यतया रेलवे के डिब्बों के लिए क्रयादेशों पर आश्रित है, बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) बी० ओ० एक्स० एन० माल डिब्बों के आयात का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) चूंकि मालडिब्बों के आयात की कोई योजना नहीं है। इसलिए किसी देशी इंजीनियरी यूनिट पर दुष्प्रभाव पड़ने का प्रश्न नहीं उठता।

डानकुनी–शियाखला लाइन

884. श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती
प्रो० रूप चन्द पाल
श्री हन्नान मोल्लाह
: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को डानकुनी-शियाखला बड़ी लाइन के निर्माण के बारे में पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री से कोई पत्र प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उक्त पत्र और परियोजना का निर्माण किस स्थिति में है; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां;

(ख) और (ग) मुख्य मंत्री को यह सूचित किया गया था कि डानकुनी-शियाखला बड़ी लाइन का निर्माण कार्य, जो कि एक अनुमोदित कार्य है, वित्तीय संसाधनों की अत्यन्त तंगी के कारण शुरू नहीं किया जा सका। रेलों के पास उपलब्ध सीमित धनराशि को देखते हुए हावड़ा-आमता रेल सम्पर्क को प्राथमिकता दी गयी है जिसके निर्माण का काम अब जारी है। प्रस्ताव है कि हावड़ा-आमता बड़ी से बड़ी लाइन रेल सम्पर्क का निर्माण कार्य पूरा हो जाने के बाद ही डानकुनी-शियाखला बड़ी लाइन का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाय।

मध्य रेलवे के अन्तर्गत चल रही सरकारी गाड़ियों का ठीक समय पर चलना

885. श्री आर० के० महालगी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छः महीनों के दौरान मध्य रेलवे के अन्तर्गत चल रही सवारी गाड़ियों का ठीक समय पर चलने से सम्बन्धित मासिक रिकार्ड क्या है;

(ख) यदि समय की पाबन्दी में कोई कमी है, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) निकट भविष्य में क्या उपचारात्मक उपाय करने का प्रस्ताव है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) मई से अक्तूबर, 1981 तक की अवधि में मध्य रेलवे पर "समय न खोने वाली" सवारी गाड़ियों की समय पाबन्दी का प्रतिशत इस प्रकार रहा है :—

महीना	समय पाबन्दी का प्रतिशत
मई, 1981	75.8
जून, 1981	73.2
जुलाई, 1981	76.9
अगस्त, 1981	80.1
सितम्बर, 1981	82.2
अक्तूबर, 1981	82.4

(ख) खतरे की जंजीर खींचने, होज पाइप काटने, चल स्टाक की खराबी और दुर्घटनाओं आदि के कारण गाड़ियों की समय पावन्दी पर बहुत बुरा असर पड़ा है।

(ग) सवारी गाड़ियों की समय पावन्दी पर, सभी स्तरों पर, कड़ी निगरानी रखी जा रही है और चल स्टाक की खराबियों, दुर्घटनाओं जैसे पहलुओं पर ध्यान देकर गाड़ियों के चालन में सुधार लाने के लिए संगठित प्रयास किये जा रहे हैं। समय पावन्दी में गिरावट के लिए जिम्मेदार कर्मचारी का पता लगाया जाता है और उसके विरुद्ध ठोस और तत्काल कार्रवाई की जाती है।

खतरे की जंजीर खींचने और होज पाइप काटने की घटनाओं और बदमाशों की गतिविधियों की रोकथाम के लिए सम्बन्धित राज्य सरकारों के साथ सम्पर्क बनाये रखा जा रहा है।

योग प्रशिक्षण केन्द्रों पर फिल्म बनाने के सम्बन्ध में जापानी टेलीविजन कम्पनी को मनाही

886. **श्री आर० के० महालगी** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान "इंडिया टुडे" (जून, 16-30) में "इन दि एयर" नामक लेख के अन्तर्गत प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है जो भारत में विभिन्न योग प्रशिक्षण केन्द्रों पर फिल्म बनाने के लिए एक जापानी टेलीविजन कम्पनी को कथित मना कर दिए जाने से सम्बन्धित है;

(ख) यदि हां, तो उक्त जापानी कम्पनी द्वारा किया गया प्रस्ताव किस किस्म का था; और

(ग) उसे अनुमति न दिए जाने के जैसा कि उपरोक्त पत्रिका में बताया गया है, क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी, हां।

(ख) यह प्रस्ताव टोकियो स्थित भारत के राजदूतावास के माध्यम से जापान की एक टेलीविजन कम्पनी "नव प्रोडक्शन" ने दिसम्बर के अन्त में किया था। प्रस्तावित फिल्म का शीर्षक "अननोन वर्ल्ड" रखा जाना था और इसका उद्देश्य योग के गढ़ और वैज्ञानिक पहलुओं को शामिल किया जाना था। स्वास्थ्य मंत्रालय और भारतीय योग एवं प्राकृतिक उपचार अनुसंधान परिषद के परामर्श से फरवरी, 1981 में इस फिल्म को बनाने की अनुमति देने से इन्कार कर दिया गया था।

(ग) इसकी अनुमति न देने का कारण यह था कि सरकार यह देख चुकी है कि विदेशी कम्पनियों द्वारा बनाई जाने वाली इस प्रकार की फिल्मों में हमारी संस्कृति के विचित्र पहलुओं को दिखाया जाता है। अनुमति इसलिए भी नहीं दी गई क्योंकि इस प्रकार की फिल्मों में योग से सम्बद्ध पद्धतियों के केवल बाहरी और विचित्र पहलुओं को ही दिखाया जाता है जिससे नकारात्मक प्रचार होता है।

मूल चन्द अस्पताल के समीप ऊपरी पुल

887. **श्री हरीश कुमार गंगवार** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मूलचन्द अस्पताल के समीप उपरिपुल बनाने के क्या कारण हैं, जबकि हाल में वहां गोल चक्कर को हटा कर भारी लागत से यातायात चक्कर (ट्रैफिक आइलैण्ड) का निर्माण किया गया था;

(ख) उपरि पुल की आवश्यकता पहले क्यों नहीं महसूस की गई और यातायात स्थल (ट्रैफिक आइलैण्ड) के निमार्ण पर कितनी धनराशि खर्च हुई है;

(ग) ऐसे कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है, जिनमें इस सम्बन्ध में दूर-दर्शिता की कमी पाई गई; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (घ) मूलचन्द के गोल चौराहे पर अधिक यातायात के कारण पहले ही भीड़-भाड़ रहती थी। अधिकतम यातायात के समय यहां से 10,000 से अधिक मोटर गाड़ियां गुजरती थीं। चौराहे पर सिगनल की व्यवस्था करने से यहां अधिक जगह हो गई है जो तब से बहुत ज्यादा है जब यहां गोल चौराहा बनाया गया था। राजधानी में विभिन्न स्थानों पर फ्लाई ओवर बनाने की योजना बनाई गई जिसमें मूलचन्द चौराहा भी शामिल है। यह दिल्ली प्रशासन की विकास योजना का भाग था। वित्तीय कठिनाइयों के कारण ये फ्लाई ओवर नहीं बनाये जा सके लेकिन आगामी एशियाई खेलों को ध्यान में रखते हुए जिनके कारण यातायात में और अधिक वृद्धि होगी, इन फ्लाई ओवरों के निर्माण कार्य को तेज कर दिया गया है। इसलिए किसी अधिकारी/प्राधिकरण के खिलाफ कार्रवाई करने का प्रश्न नहीं उठता है।

सरकारी क्षेत्र की इकाइयों की तुलना में गैर-सरकारी इकाइयों को सप्लाई किये गये मालडिब्बे

888. **श्री जैनल बशर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिनांक 1 जनवरी, 1980, से 31 अक्तूबर, 1981 तक की अवधि के दौरान सरकारी क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयों द्वारा प्राथमिकता 'सी' और 'डी' के अर्न्तगत कितने-कितने माल डिब्बे मांगे गये थे और उन्हें वास्तव में कितने माल डिब्बे मुहैया किये गये; और

(ख) इसी अवधि के दौरान गैर सरकारी इकाइयों द्वारा समान प्राथमिकताओं के अन्तर्गत कितने-कितने माल डिब्बे मांगे गये थे और उन्हें वास्तव में कितने माल डिब्बे मुहैया किये गये ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र के औद्योगिक यूनिटों और निजी क्षेत्र के

यूनिटों को प्राथमिकता 'ग' और 'घ' के अधीन मालडिब्बों के मांगपत्रों तथा सप्लाई के सम्बन्ध में अलग रिकार्ड नहीं रखा जाता।

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में छात्र-अध्यापक अनुपात

889. **श्री जैनुल बशर :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार विश्वविद्यालयों में छात्र अध्यापक अनुपात क्या होना चाहिये;

(ख) विभिन्न केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में इस समय पर सब में छात्र-अध्यापक अनुपात क्या है; और

(ग) स्थिति में सुधार लाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार आयोग द्वारा विश्वविद्यालयों में वांछनीय छात्र-शिक्षक अनुपात तय करने के लिए, कोई मार्गदर्शन निर्धारित नहीं किया गया है। वास्तविक छात्र-शिक्षक अनुपात अलग-अलग पाठ्यक्रमों तथा संकायों में भिन्न-भिन्न है जो प्रत्येक विश्वविद्यालय के विकास स्तर तथा शिक्षण और अनुसंधान कार्यकलापों के स्तर पर निर्भर करता है। शैक्षिक वर्ष, 1979-80 के दौरान केन्द्रीय विश्वविद्यालयों से प्राप्त कुल छात्र-शिक्षक अनुपात इस प्रकार है :—

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय	:	13 : 1
बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय	:	10 : 1
दिल्ली विश्वविद्यालय	:	18 : 1
हैदराबाद विश्वविद्यालय	:	4 : 1
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय	:	13 : 1
उत्तर-पूर्वी पर्वतीय विश्वविद्यालय	:	7 : 1
विश्व-भारती	:	4 : 1

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

इन्दौर-मऊ लाइन को बड़ी लाइन् में बदलना

890. **श्री केयूर भूषण :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश में इन्दौर से मऊ तक की मीटर गेज लाइन को, इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान बड़ी लाइन में बदलने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो यह काम कब तक हो जायेगा ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

समस्तीपुर-दरभंगा लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

891. **श्री हरिनाथ मिश्र : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन्होंने लहरियासराय (दरभंगा के डिवीजनल मुख्यालय) में समस्तीपुर से दरभंगा तक की वर्तमान मीटरगेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के काम का उद्घाटन किस तारीख को किया था;

(ख) अपने कुछ उच्च अधिकारियों के परामर्श से उन्होंने इस परियोजना के पूर्ण निष्पादन के लिये कितनी अवधि निर्धारित की थी;

(ग) वर्ष 1981-82 के लिये कितनी धनराशि का आवंटन किया गया है और चालू वर्ष के दौरान अब तक कितना वास्तविक लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है और वर्ष के अन्त तक कितना और काम हो जाने की आशा है;

(घ) वर्ष 1982-83 के लिये कितनी धनराशि आवंटित किये जाने का विचार है और कितना वास्तविक लक्ष्य प्राप्त कर लिया जायेगा; और

(ङ) क्या प्रस्तावित बड़ी लाइन के साथ-साथ वर्तमान मीटरगेज लाइन को बनाये रखा जायेगा; यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) उद्घाटन समारोह 19-4-1981 को लहरिया सराय में रेल मंत्री द्वारा किया गया था।

(ख) जहां तक ज्ञात है, उद्घाटन समारोह के दौरान रेल मंत्री द्वारा इस परियोजना को पूरा करने की किसी तिथि की घोषणा नहीं की गई थी। बहरहाल इस कार्य के 4 से 5 वर्ष के भीतर पूरा हो जाने की प्रत्याशा है, बशर्ते धन उपलब्ध हो।

(ग) 1981-82 के दौरान इस कार्य के लिए 50 लाख रुपये की राशि आवंटित की गयी है। समस्तीपुर में अधिकारियों तथा कर्मचारियों के लिए क्वार्टरों के निर्माण तथा भण्डार गोदामों और अन्य स्थानों से सम्बन्धित अन्य विविध कार्यों के लिए टेंडर आमंत्रित किये गये हैं।

(घ) 1982-83 के लिए धन आवंटन के लिए प्रस्तावों को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। इन्हें संसद् में 1982-83 का बजट प्रस्तुत करने के बाद ही अन्तिम रूप दिया जा सकता है।

(ङ) यह विनिश्चय किया गया है कि समस्तीपुर दरभंगा लाइन का सीधे आमान परिवर्तन कर दिया जाये। यह भी विनिश्चय किया गया है कि साथ-साथ छितौनी-बगहा रेल

सम्पर्क का कार्य भी जारी रखा जाये ताकि दोनों कार्य साथ साथ पूरे हो जायें और समस्तीपुर दरभंगा खण्ड के आमान परिवर्तन के बाद पूर्वोत्तर रेलवे की मीटर लाइन अलग-थलग न पड़ जाये।

डी० एल० ई० सी० प्लांट, चित्तरंजन को डीजल इंजनों के निर्माण के लिए आर्डर

892. श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे बोर्ड डीजल इंजनों के निर्माण के लिए डी० एल०ई० सी० चित्तरंजन को आर्डर नहीं दे रहा है; और

(ख) यदि हां, तो बोर्ड को किन कारणों से तथा किन परिस्थितियों में ऐसे कार्यवाही करने के लिए विवश होना पड़ा ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय राजमार्गों की बुरी हालत

893. श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान सभी राष्ट्रीय राजमार्गों विशेष रूप से जी० टी० रोड की बुरी हालत की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) भारत सरकार को सभी राष्ट्रीय राजमार्गों की आम हालत की जानकारी है, क्योंकि वह इन सड़कों के विकास और अनुरक्षण करने के लिए जिम्मेदार है। इस काम के लिए जो धनराशि मिलती है उसी के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्गों का सुधार और मरम्मत करके इन्हें यातायात के योग्य बनाए रखा जाता है। छठी पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए 660 करोड़ रु० का नियतन मंजूर किया गया है। चालू वर्ष में, 100.5 करोड़ रु० और 40 करोड़ रु० के क्रमशः सुधार कार्य और अनुरक्षण कार्य किए जा रहे हैं। बारिश आदि के कारण जहां कहीं सड़कों को भारी क्षति हो जाती है, वहां बाढ़ से होने वाली क्षति की मरम्मतों और विशेष मरम्मतों के लिए स्वीकृति दे दी जाती है।

जी० टी० रोड पर और अन्य राष्ट्रीय राजमार्गों पर भारी बोझ लेकर चलने वाली गाड़ियों और यातायात में वृद्धि हो जाने के कारण सड़क-खण्डों को मजबूत करने का कार्य क्रमवद्ध ढंग से पहले से ही हो रहा है और यह कार्य निरंतर होता रहता है।

पूर्व रेलवे में कानून और व्यवस्था की समस्या

894. **श्री रशीद मसूद :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 22 अक्तूबर, 1981 के 'पेटरियट' में पूर्वी रेलवे में कानून और व्यवस्था की बदतरीन समस्या सम्बन्धी उस समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें महाप्रबन्धक, पूर्वी रेलवे के इस कथन का हवाला दिया कि अन्य जोनल रेलवे की तुलना में पूर्वी रेलवे में कानून और व्यवस्था की समस्या की स्थिति खराब है; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) रेल परिसरों सहित राज्य में कानून और व्यवस्था बनाये रखने सहित राज्यों में पुलिस की व्यवस्था बनाये रखना राज्य सरकार/पुलिस का सांविधिक दायित्व है। रेलें, अपने निजी हित में, अपने कर्मचारियों को उनकी सामान्य ड्यूटियों को हटाकर भी विशेष रूप से रेलों को प्रभावित करने वाले कानून और व्यवस्था बनाये रखने के लिए उत्तरदायी राजकीय एजेंसी की सहायता करती हैं। इसके अलावा, स्थिति में सुधार करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :—

1. पूर्व रेलवे के भाग सहित बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों में राजकीय रेलवे पुलिस के कर्मचारियों की संख्या में उपयुक्त वृद्धि कर दी गयी है। पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार की ओर से राजकीय रेलवे पुलिस के कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि करने के इसी प्रकार के प्रस्ताव प्राप्त होने पर भी उसकी जांच की जायेगी और इसके लिए सहमति दे दी जायेगी।
2. जहां तक व्यावहारिक होता है, लम्बी दूरी की मेल/एक्सप्रेस/पैसेंजर गाड़ियों में उनके रात्रि के समय चालन के दौरान रेल सुरक्षा बल/रेल सुरक्षा विशेष बल की सहायता से राजकीय पुलिस द्वारा मार्गरक्षी भेजे जा रहे हैं।
3. भेद्य क्षेत्रों में रेल सुरक्षा बल/रेल सुरक्षा विशेष बल द्वारा पटरी पर गश्त लगाना।
4. पुलिस द्वारा अपराधियों और जाने-माने बदमाशों पर निगरानी रखना।
5. सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली के माध्यम से यात्रियों को बार-बार गाड़ियों के देरी से छूटने के सम्बन्ध में सूचना।
6. स्टेशनों पर सम्बन्धित रेल कर्मचारियों द्वारा इंजन खराब हो जाने की दशा में तत्काल देखभाल किया जाना।
7. यदि कोई गाड़ी रास्ते में खड़ी हो जाती है तो मार्गदर्शी पार्टी को चौकन्ना करने के लिए इंजन कर्मचारियों को बार-बार सीटी बजाने की हिदायतें दी गयी हैं।

8. यात्रियों की संरक्षा/सुरक्षा की व्यवस्था करने के लिए राजकीय रेलवे पुलिस को तुरन्त सूचना भेजी जाती है।

9. रेल परिसरों सहित राज्यों में कानून और व्यवस्था बनाये रखने के लिए जिम्मेदार राज्य सरकार के प्राधिकारियों के साथ सभी स्तरों पर निकट सम्पर्क बनाये रखा जाता है।

10. राजकीय रेलवे पुलिस द्वारा स्टेशनों, प्लेटफार्मों/प्रतीक्षालयों में गश्त लगायी जाती है।

11. राजकीय रेलवे पुलिस और रेल सुरक्षा बल की सहायता से समय-समय पर बड़े पैमाने पर टिकट जांच की जाती है और अनधिकृत रूप से खतरे की जंजीर खींचने के विरूद्ध कार्यवाही की जाती है।

रेलवे टिकटों की काला बाजारी

895. **श्री रसीद मसूद**
श्री नन्द किशोर शर्मा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राजधानी में तथा अन्य महानगरों में रेल टिकटों की लगातार हो रही काला-बाजारी की और टिकटों का व्यवसाय करने वाली अनधिकृत एजेन्सियों के तेजी से बढ़ते व्यापार की जानकारी है ;

(ख) यदि हां, तो रेल टिकटों की काला बाजारी को रोकने के लिए सरकार द्वारा अब तक क्या उपाय किए गए हैं और उसके क्या परिणाम रहे ; और

(ग) रेल टिकटों की काला-बाजारी को रोकने हेतु टिकटों की इस प्रकार की अनधिकृत बिक्री करने को दांडिक अपराध बनाने के लिए सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं। किन्तु राजधानी और बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास जैसे महानगरों में असमाजिक तत्वों (अनधिकृत एजेन्टों द्वारा छद्म नामों पर आरक्षित स्थान हथियाने (सिमेट लेने) और उन्हें लाभ पर अन्य जरूरतमन्द यात्रियों को बेच देने की एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है।

(ख) और (ग) राजकीय रेलवे पुलिस द्वारा यात्री गाड़ियों में आरक्षण सम्बन्धी अनियमितताओं का पता लगाने और आरक्षित स्थानों का व्यापार करने वाले दलालों और असामाजिक तत्वों की गतिविधियों को हतोत्साहित करने के लिए भी आरक्षण कार्यालयों और गाड़ियों पर रेलों के सतर्कता और वाणिज्यिक स्कन्धों द्वारा विशेष जांच की जाती है। पिछले 6 महीनों के दौरान दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास महानगरों में रेलों द्वारा इस सम्बन्ध में 433 बार जांच की गई थी जिससे परिणामस्वरूप 573 असामाजिक तत्वों/अनधिकृत एजेन्टों का पता लगाया गया और उन पर मुकदमा चलाया गया। मार्च अक्तूबर, 1981 के दौरान टिकटों के हस्तांतरण से

सम्बन्धित जांचों के अलावा यात्रियों की वास्तविकता का सत्यापन करने के लिए कलकत्ता क्षेत्र में घर-घर जाकर जांच की गई थी । इसके परिणामस्वरूप 1000 से अधिक शायिकाएं रद्द की गई और इन्हें प्रतीक्षा-सूची में रखे गये यात्रियों को आवंटित कर दिया गया था ।

इसी अवधि के दौरान मद्रास क्षेत्र में 7000 से अधिक यात्रियों की उनके द्वारा आरक्षण पत्रों में मांगे गये आरक्षणों की प्रति-जांच की गई थी, जिनमें लगभग 450 यात्री हस्तांतरित टिकटों पर यात्रा करते पाये गये और नियमों के अनुसार उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई। वम्बई और दिल्ली में भी क्रमशः 1000 और 450 व्यक्ति इसी प्रकार के मामलों में अन्तग्रस्त पाये गये थे । इसके अतिरिक्त, रेलवे बोर्ड के सतर्कता निदेशालय से सम्बन्ध विशेष दस्ते द्वारा 1981 के दौरान इन नगरों के आरक्षण क्षेत्रों में 54 बार जांच की गई जिनके परिणामस्वरूप ऐसे 398 व्यक्ति पकड़े गये और उनके विरुद्ध मुकदमा चलाया गया ।

2. चूंकि आरक्षण क्षेत्रों में कई अनियमितताएं मांग और आपूर्ति के बीच अन्तर होने के कारण होती हैं, इसलिए, नई गाड़ियों चलाकर वर्तमान गाड़ियों में सवारी डिब्बों की संख्या बढ़ाकर उनके चालन-क्षेत्रों को बढ़ाकर, सप्ताह में एक/दो बार चलने वाली गाड़ियों के फेरे बढ़ाकर और यातायात की भीड़ की निकासी के लिए महत्वपूर्ण मार्गों पर हालीडे स्पेशल गाड़ियां चलाकर मांग और आपूर्ति के बीच के अन्तर को कम करने के उपाय किये गये हैं । इसके अलावा, आरक्षण की कार्यविधि को सरल और कारगर बनाकर तथा अतिरिक्त बुकिंग खिड़कियां, आरक्षण काउंटर खोल कर और आरक्षण कार्यालयों के कार्य के घण्टों में बढ़ोतरी करके यात्रियों को बेहतर तथा अधिक संतोषजनक सेवा प्रदान करने के अनेक उपाय किये गये हैं ।

3. अनधिकृत रूप से रेलवे के टिकटों की बिक्री करते पाये जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय रेल अधिनियम, 1890 की धारा 114 के अन्तर्गत कार्रवाई की जाती है जिसके अनुसार सजा दी जा सकती है जिसे 3 मास तक की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है या 250 रुपये तक जुर्माना किया जा सकता है या सजा व जुर्माना दोनों किये जा सकते हैं । सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली के माध्यम से यात्रियों को हिदायत चेतावनी दी जाती है कि वे अनधिकृत एजेन्टों से टिकट न खरीदें । इसके अलावा, भारतीय रेल अधिनियम में अपेक्षित संशोधन किया जा रहा है जिसके अनुसार अनधिकृत एजेन्टों द्वारा आरक्षित कराकर उन्हें हस्तान्तरित करना ज्ञेय अपराध माना जायेगा और ऐसा करने वालों पर 1000/- रुपये जुर्माना और/या 3 वर्ष तक की कैद की सजा दी जा सकेगी ।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों में दवाइयों की कमी

896. श्री रशीद मसूद
श्री अजित कुमार मेहता } : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि राजधानी में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों में कई महीनों से दवाइयों की चल रही कमी और मूल औषधालयों तक की अनुप-

लब्धता तथा इस बात की जानकारी है कि औषधालयों से कई-कई दिन तक दवाइयों की सप्लाई की प्रतीक्षा करने के बाद रोगियों को बाजार से दवाइयां खरीदनी पड़ती हैं ; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों में दवाइयों की लगातार चलती आ रही इस कमी के क्या कारण हैं और स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) दवाइयों की कोई लगातार कमी नहीं है । वैसे, जब कभी केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना फार्मूलरी की किसी दवाई की कमी होती है तब सुपर/स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के सरकारी चिकित्सा सामग्री संगठन के जरिए वह दवाई आपाती आधार पर खरीदकर उस कमी को दूर किया जाता है ।

(ख) रोगियों से दवाइयां खरीदने के लिये नहीं कहा जाता । उन्हें दवाइयां खरीदने के लिये तभी कहा जाता है जब सुपर बाजार द्वारा दवाइयां सप्लाई नहीं की जातीं ।

इराकी राजदूतावास के कर्मचारियों द्वारा प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाया जाना

897. **श्री रशीद मसूद :** क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ इराकी व्यक्तियों ने जो राजदूतावास के कर्मचारी बताए जाते हैं; हाल ही में दिल्ली में ईरानी प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई थी जिससे कुछ सी० आर० पी० जवानों सहित कई व्यक्ति घायल हो गये;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) भारत में राजनयिक मिशनों द्वारा की जाने वाली ऐसी हिंसक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी हां ।

(ख) 25 सितम्बर, 1981 को लगभग 12 बजे दिन में ईरानी विद्यार्थियों का एक दल जोर बाग स्थिति इराक के राजदूतावास के नजदीक नारे लगाता हुआ प्रदर्शन के लिए एकत्र हुआ । पुलिस ने उन्हें राजदूतावास से लगभग 500 गज की दूरी पर रोक लिया । इन प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के घेरे को तोड़ने का असफल प्रयास किया । लगभग 12 बजकर 30 मिनट पर इराकी राजदूतावास के कुछ कार्मिक राजदूतावास की कार में वहां पहुंचे और हवा में कुछ गोलियां दागीं । जिसके जवाब में ईरानियों ने कार पर पत्थर फेंके । फिर इराकियों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई जिससे पांच व्यक्ति घायल हुए । इसके बाद की झड़प में पुलिस के भी तीन व्यक्ति घायल हुए और इराकी राजदूतावास के पांच कार्मिकों को बन्दी बना लिया गया । शिनाख्त के बाद उन्हें रात में छोड़ दिया गया था ।

(ग) सरकार ने इराक की सरकार का ध्यान वियना अभिसमय के अन्तर्गत उसके अपने दायित्वों की ओर आकर्षित करने के लिए तत्काल कार्रवाई की और उसे सूचित किया है कि मिशन के सम्बद्ध कार्मिकों का व्यवहार अवांछनीय है। इराक की सरकार से यह अनुरोध भी किया गया था कि वह इस घटना से सम्बद्ध सभी व्यक्तियों को भारत से वापस बुला ले। इराक की सरकार ने इस घटना पर खेद व्यक्त किया है और इससे सम्बद्ध व्यक्तियों को स्थानांतरित करने के लिए कार्यवाही की है।

सरकार ने भारत स्थित राजनयिक मिशनों के सदस्यों द्वारा अग्न्यस्त्रों का आयात करने और उन्हें अपने पास रखने से संबद्ध नियमों को कड़ा बनाने के लिए भी कदम उठाया है।

चीन-भारत सीमा वार्ता

898. **श्री पी० नामग्याल** : क्या विदेशी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत और चीन निकट भविष्य में मंत्री-स्तर पर होने वाली बातचीत में चीन-भारत सीमा के मामले पर विचार करेंगे;

(ख) क्या भारत सरकार मनसेर गांव, अकसाईचिन और भारत के अन्य उन क्षेत्रों का मामला उठाएगा, जो छठी दशाब्दि के उत्तरार्ध से चीन के अनधिकृत कब्जे में है; और

(ग) क्या इन मामलों पर गत जून में विदेश-मंत्री स्तर पर हुई बैठक में विचार-विमर्श किया गया था और यदि हां, तो उस पर चीन सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) चीन के साथ द्विपक्षीय संबंधों पर बातचीत करने के लिए जिसमें सीमा का प्रश्न भी शामिल है, अधिकारी स्तर पर बातचीत 10 से 14 दिसम्बर तक होनी है। इस बातचीत में सीमा के समग्र प्रश्न को उठाया जाएगा।

(ग) जून में चीन के विदेश मंत्री की यात्रा के दौरान सीमा के संबंध में हमने अपनी स्थिति को दोहराया था। यह स्पष्ट कर दिया गया था कि सीमा के सवाल को हल किए बिना पारस्परिक संबंधों को पूरी तरह सामान्य बनाना संभव नहीं है। बातचीत में चीन के विदेश मंत्री ने यह स्वीकार किया था कि दोनों देशों के बीच सीमा का सवाल एक प्रमुख समस्या है और इसे जल्दी सुलझाने की जरूरत है।

कलकत्ता और हल्दिया पत्तनों का उपयोग

899. **श्री सोमनाथ चटर्जी**
श्री नीरेन घोष } : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मंगलवार, दिनांक 30 सितम्बर, 1981 को आठ केन्द्रीय मजदूर यूनियन संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित सम्मेलन में कलकत्ता पत्तन पर विद्यमान पुरानी तलकर्षण पद्धति को बदलने और बंगलादेश के साथ हुए करार

में सुधार लाने की माँग की गई थी, ताकि भागीरथी हुगली को फरक्का बाँध से कम से कम 40,000 क्यूसेक पानी की सप्लाई को सुनिश्चित किया जा सके तथा हल्दिया और कलकत्ता पत्तन की बड़ी अप्रयुक्त क्षमता का उपयोग किया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है और उसका ब्योरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरन्द्र पाटिल) : (क) सरकार को एक प्रति संकल्प की प्राप्ति हुई है जो 29 सितम्बर, 1981 को कलकत्ता में हुए सैन्ट्रल ट्रेड यूनियनों के उक्त सम्मेलन में पास हुआ था। उसमें उक्त मांगें रखी गई थी।

(ख) सम्मेलन में जो मुद्दे उठाए गये थे, सरकार और कलकत्ता पत्तन न्यास उन पर विचार कर रहा है। विशेष मांगों के सम्बन्ध में स्थिति इस प्रकार है :—

(1) जहां तक हुगली नदी में अधिक जल स्तर का प्रश्न है, जलस्तर बढ़ाने के प्रयास किए जाते रहेंगे। कलकत्ता पत्तन न्यास, ड्राइड्रालिक माडल और यथातथ्य माडल अध्ययनों पर आधारित एक व्यापक योजना बना रहा है ताकि नदी की नौचालन क्षमता में वृद्धि हो। इस काम के लिए छटी पंचवर्षीय योजना (1980-85) में प्रावधन रखा गया है।

(2) जहां तक फरक्का बांध से भागीरथी हुगली नदी को वाटर-सप्लाई का प्रश्न है, कलकत्ता पत्तन के लिए अपेक्षित जल का अभीष्ट बहाव सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

(3) जहां तक कलकत्ता और हल्दिया पत्तनों की क्षमता के उपयोग का प्रश्न है, यह बात नोट करने योग्य है कि पत्तनों की क्षमता का उपयोग निरन्तर होता रहता है। अन्य मंत्रालयों और प्रयोक्ता एजेन्सियों के परामर्श से, सरकार/सरकारी उपक्रमों के लिए प्राप्त अधिकाधिक बलिक कार्यों विभिन्न पत्तनों को आवंटित करने के सभी प्रयास किए जाते हैं। 1981 में, कलकत्ता और हल्दिया में सप्लाई किये गये माल की मात्रा (इसमें पी० ओ० एल० शामिल नहीं है) बढ़ी है जब कि पिछले वर्ष 1980 में यातायात की मात्रा इतनी नहीं थी।

समुद्री तूफान के कारण बम्बई में जहाजों की टक्कर

900. **श्री एम० रामगोपाखन रेड्डी** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समुद्री तूफान के कारण दिनांक 1 नवम्बर, 1981 को बम्बई पत्तन पर यूनान के माल-वाहक जहाज "आयोनिओफ हिलक" तथा भारतीय नौवहन निगम के मालवाहक जहाज "स्टेट आफ बिहार" में टक्कर हो गई थी;

(ख) यदि हां, तो टक्कर का पूर्ण ब्योरा क्या है और यह टक्कर किन परिस्थितियों में हुई थी;

(ग) जहाजों की इस टक्कर के कारण कितना नुकसान हुआ और इसमें कितने व्यक्ति घायल हुए; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) समुद्री तूफान के कारण 1.11.81 को एक ग्रीक जहाज "आयोनिस एक्सिलेस" और भारतीय नौवहन निगम का जहाज "स्टेट आफ विहार" आपस में टकरा गये थे। "आयोनिस एक्सिलेस" वह जहाज है जो धातु राज्य व्यापार निगम, कलकत्ता ने स्क्रैपिंग के लिए खरीदा है।

(ख) 31 अक्तूबर को कच्छ के तट की ओर बह रहे एक समुद्री तूफान के कारण, बम्बई के समुद्र में मौसम खराब हो गया था। पत्तन पर खतरे का सिग्नल दे दिया गया और जलयानों का आवागमन रोक दिया गया। "आयोनिस एक्सिलेस" जहाज ने शाम को लगभग 6.30 बजे अपना लंगर डालना शुरू किया और दूसरे जहाज "स्टेट आफ बिहार" के लगभग 1.5 केवल दूरी पर खड़ा हो गया यद्यपि उस समय यह मालूम नहीं था कि "आयोनिस एक्सिलेस" जहाज का इन्जिन खराब है और उसका संचालन थोड़े से गैर-तकनीकी नाविक ही कर रहे हैं। एम० वी० "स्टेट आफ विहार" जहाज के दूसरे अधिकारी ने इस स्थिति की सूचना पत्तन नियन्त्रण कक्ष को दे दी थी। चूंकि हारवर में सभी आवागमन रोक दिया गया था, इसलिए पत्तन कोई सहायता नहीं कर सका। नवम्बर की पहली तारीख की सुबह, "आयोनिस एक्सिलेस" अपने दो फैन्डर्ज लूज के साथ हिचकोले खाने लगा। वह फिर अपने स्थान से चला और लगभग प्रातः 11.40 बजे उसकी स्टारबोर्ड साईड एम० वी० "स्टेट आफ बिहार" के स्टैगु के साथ टकरा गई। संभवतया जहाजों के लंगर केवल्ज उलझ जाने की बजह से "आयोनिस एक्सिलेस जहाज एम० वी० "स्टेट आफ बिहार" के पत्तन वाले हिस्से की ओर टकरा कर शीघ्र ही उसके साथ खड़ा हो गया। एम० वी० स्टेट आफ विहार" ने सभी तरह की सावधानी बरती ताकि रिंगिग फैन्डर्ज आदि की रगड़ से जहाज को अधिक क्षति न हो। दोनों जहाज तीन नवम्वर की दोपहर तक एक दूसरे के साथ रगड़ खाते रहे। लगभग दोपहरबाद 2.00 बजे बम्बई पत्तन न्यास के पायलट टगों की सहायता से "स्टेट आफ विहार" जहाज को सुरक्षित लंगरगाह पर ले गये।

(ग) और (घ) इस घटना के कारण दोनों ही जहाजों के किसी भी व्यक्ति को चोट नहीं आई। परन्तु, दोनों ही जहाजों को वाटर-लाईन के ऊपर क्षति पहुंची है, लेकिन उनके डूबने का कोई खतरा नहीं है। एम० वी० "स्टेट आफ विहार" को व्यापक स्ट्रक्चरल क्षति पहुंची है। नुकसान का अनुमान लगाने के लिए सर्वेक्षण किया जा रहा है।

तदर्थ आधार पर काम कर रहे अवर श्रेणी लिपिकों को नियमित किया जाना

901. **श्री कृष्ण चन्द्र पांडे** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे वोर्ड कार्यालय में तदर्थ आधार पर काम कर रहे क्षेत्रीय

रेलवे अवर श्रेणी लिपिकों की सेवाओं को दिनांक 7 फरवरी, 1981 से रेलवे बोर्ड में नियमित कर दिया गया है/समाविष्ट कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है। और उन अवर श्रेणी लिपिकों के नाम क्या हैं, जो विभिन्न रेल क्षेत्र कार्यालयों में और रेलवे बोर्ड में सेवा में व्यवधान आए बिना काम कर रहे हैं तथा वे इनमें कितनी-कितनी अवधि से कार्य कर रहे हैं और रेलवे बोर्ड में वे किस-किस तारीख से काम कर रहे हैं ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों और संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) क्षेत्रीय रेलों/अनुसंधान अभिकल्प और मानक संगठन से कुछ लिपिकों को तदर्थ आधार पर रेलवे बोर्ड में लिया गया था, जिन्हें रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिकीय सेवा में समाहित करने का प्रस्ताव है। यदि वे इस सम्बन्ध में दी गयी शर्तों को पूरा करेंगे तो उन्हें 7 फरवरी, 1981 से समाहित कर लिया जायेगा।

(ख) सम्बन्धित कर्मचारियों के बारे में संगत ब्यौरा संलग्न सूची में दिखाया गया है। **[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या ल० टी० 2958/81]**

नैमित्तिक श्रमिकों की मजदूरी

902. **श्री वसुदेव आचार्य** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हाल ही में विभिन्न कामों के लिए हजारों श्रमिकों की भर्ती की गई है लेकिन उन्हें पूरी मजदूरी का भुगतान नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो जोनवार ऐसी भर्ती के क्या कारण हैं; और

(ग) भर्ती किए गए ऐसे मजदूरों को, जोनवार मजदूरी की कुल कितनी-कितनी राशि का प्रति माह भुगतान किया जा रहा है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) सरकार को ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मिली कि हजारों नैमित्तिक श्रमिकों को, जिन्हें हाल ही में भर्ती किया गया है, उन्हें अनुमेय पूरी मजदूरी नहीं दी जा रही है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) 1981 के दौरान नैमित्तिक श्रमिकों को, रेलवे-वार और महीने-वार, दी गयी मजूरी के आँकड़े इकट्ठे किए जा रहे हैं और उन्हें सभा-पटल पर रख दिया जायेगा।

नैमित्तिक श्रमिकों की नियुक्ति पर प्रतिबन्ध

903. **श्री वसुदेव आचार्य** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने बाढ़ अथवा दुर्घटना के कारण पैदा हुई आपातस्थिति को छोड़कर नैमित्तिक मजदूरों की नियुक्ति पर 18 जून, 1981 को प्रतिबन्ध लगा दिया था;

(ख) यदि हां, तो क्या उपर्युक्त नियम का कड़ाई के साथ पालन किया जाता है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और उसके लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं ?

रेल तथा शिक्षा व समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) दिनांक 18 जून, 1979 के पत्र के जारी होने के बाद, अनुदेशों के अनुसार इस प्रकार दैनिक श्रमिकों को नियुक्त करने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है लेकिन यह निर्धारित किया गया है कि नये दैनिक श्रमिकों की भर्ती महाप्रबन्धक के व्यक्तिगत पूर्वानुमोदन पर ही की जा सकती है।

पहियों पर राजमहल की शुरूआत

904. **श्री के० मालन्ना**
श्री बाला साहिब विखे पाटिल } : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 'पहियों पर राजमहल' (ट्रेन पैलेय आन व्हील्स शुरू करने में भारतीय पर्यटन विभाग द्वारा इसको अस्वीकृत कर दिया जाने के कारण बाधा उत्पन्न हो गई है क्योंकि इसे निर्धारित मानक के स्तर का नहीं पाया गया;

(ख) क्या यह भी सच है कि रेलवे ने इस ट्रेन के नवीकरण पर 67 लाख रुपए पहले ही खर्च कर दिए और कार्य को पूरा करने के लिए 40 लाख रुपए की अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता थी;

(ग) क्या यह सच है कि परीक्षण के तौर पर इसको सफलतापूर्वक चलाए जाने के बाद इसकी यात्रा के लिए पहले ही से बुकिंग कर ली गई थी; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं। इस परियोजना को आरम्भ करने में रेल मंत्रालय को भारत सरकार के पर्यटन विभाग तथा विदेश स्थित केन्द्रों में उसके निदेशालय का भरपुर समर्थन और सहयोग प्राप्त हुआ है।

(ख) यात्री डिब्बों के नवीकरण तथा सम्बन्धित सुविधाओं पर लगभग 90 लाख रुपए के खर्च का अनुमान लगाया गया है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

रेल कर्मचारियों की यूनियन द्वारा उठाई गई मांगे

905. **श्री ई० बालानन्दन :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल कर्मचारियों के एक मान्यता प्राप्त संघ ने अपने हाल ही के 55 वें वार्षिक सम्मेलन में कुछ मांगे उठाई हैं और उन्हें सरकार के पास भेज दिया है;

(ख) यदि हां, तो मांगों का ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार ने क्या निर्णय किया है; और

(ग) उन मांगों को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां; सम्भवतः माननीय संसद सदस्य का आशय आल इंडिया रेलवेमैन्स फैडरेशन द्वारा 14 से 17 सितम्बर, 1981 तक मथुरा में आयोजित 55वें वार्षिक सम्मेलन के सम्बन्ध में है ।

(ख) संकल्पों में मुख्य रूप से निम्नलिखित दो मांगों का उल्लेख किया गया है;

(1) बीकानेर में पारित उनके 10 सूत्री मांग पत्र को शीघ्र कार्यान्वित किया जाना तथा

(2) रेलों पर मौजूदा सभी स्वचालित यंत्रों को हटाया जाये तथा और आगे संगणकीकरण करने की योजना को रद्द किया जाये ।

(ग) मांगों पर सरकार की वर्तमान नीति के अनुसार विचार किया गया है और 24-10-1981 को आल इंडिया रेलवेमैंस फेडरेशन को उपयुक्त उत्तर भेज दिया गया ।

विलम्ब शुल्क और घाट शुल्क

906. **श्री ई० बालानन्दन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कम्पनी/फर्मवार उनसे वसूल किए गए/वसूल न किए गए विलम्ब शुल्क और घाट शुल्क का कोई हिसाब-किताब रखती है जिससे उन्हें पहचाना जा सके;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों का तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) चूंकि भारतीय रेलों पर माल की बुकिंग करने वाले स्टेशनों की संख्या बहुत अधिक है और इनमें से बहुत से स्टेशनों पर बड़ी संख्या में कम्पनियों/फर्मों का लेन-देन होता है, इसलिए विलम्ब शुल्क एवं स्थान शुल्क की प्राप्ति और माफी का कम्पनी/फर्मवार लेखा रखना न तो व्यावहारिक है और न वांछनीय ही है ।

शैक्षणिक परामर्शदात्री सेवा

907. **श्री के० लकप्पा** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के अन्तर्गत ऐसी शैक्षणिक परामर्शदात्री सेवा स्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे अफ्रीका-एशियायी देशों के छात्रों को भारत में तकनीकी और शिक्षा

सम्बन्धी अधिक सुविधायें प्राप्त हो सकें और जो उनके अपने देशों में ऐसी ही संस्थाओं की स्थापना करने और उनके कर्मचारियों की नियुक्ति कराने में सहायता कर सकें;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषतायें क्या हैं;

(ग) क्या योजना की कार्यान्वियन विधियां तैयार कर ली गई हैं और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या इस योजना से भारतीय छात्रों को कोई लाभ मिल सकेगा और यदि हां, तो किस तरह ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) "एजूकेशनल कन्सल्टेनल्टस् इंडिया लिमिटेड" नामक एक कंपनी शैक्षिक परामर्शदात्री कम्पनी दिल्ली में 17 जून, 1981 को पंजीकृत तथा शामिल की गई है। यह विकासशील देशों की सरकारों तथा शैक्षिक संस्थाओं जैसी कई एजेंसियों, विश्व बैंक/एशियाई विकास बैंक जेसे वित्त पोषक संगठनों, यूनेस्को तथा एस्केप जैसी अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों और भारत सरकार को इसकी तकनकी सहायता/आर्थिक सहयोग कार्यक्रमों के संदर्भ में शैक्षिक परामर्शदात्री सेवा प्रदान करेगी। इस संदर्भ में शिक्षा के अन्तर्गत सामान्य और व्यावसायिक शिक्षा का समस्त क्षेत्र शामिल होगा।

(ग) कम्पनी ने अपने कार्यकरण की विधियां अभी तैयार करनी हैं।

(घ) क्योंकि कम्पनी भारतीय शैक्षिक संस्थाओं को भी परामर्शदात्री सेवा प्रदान करेगी, इसलिए भारतीय छात्र अवश्य ही लाभान्वित होंगे।

चुनाव आदि के कारण दिल्ली विश्वविद्यालय के पहले सत्र का बर्बाद होना

908. ***श्री के० लकप्पा :*** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय के अवर स्नातक महाविद्यालयों में चुनाव आदि के परिणामस्वरूप शैक्षिणिक वर्ष का पहला सत्र बर्बाद हो गया है;

(ख) क्या छात्रों में अनुशासनहीनता और छात्रों तथा अध्यापकों के बीच समन्वय के अभाव के कारण अध्यापन समय नष्ट हो जाता है; और

(ग) यदि हां, तो छात्रों को शान्त वातावरण में शिक्षा देने के लिए प्रशासन द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार छात्र संघ का चुनाव प्रथम सत्र के दौरान होता है। चुनाव के दौरान कक्षाएं निलम्बित नहीं की जाती। तथापि कालेजों में हो सकता है कि कुछ शिक्षण (पीरियड) समय का भी नुकसान हो जाए।

(ख) और (ग) : दिल्ली विश्वविद्यालय के 64 कालेजों और इससे सम्बद्ध अथवा इसके द्वारा अनुरक्षित संस्थाओं के अलावा इसके स्नातकोत्तर विभागों की बहुत बड़ी संख्या है। कभी-कभी इन एककों में से एक अथवा दूसरे एकक में समस्यायें तो पैदा हो ही जाती हैं, जिनमें, कुछ मामलों में नियमित शिक्षण संबंधी कार्यक्रमों में बाधाएं भी शामिल हैं। जब कभी भी ऐसी समस्याएं पैदा होती है तो इनका समाधान करने के प्रयास किए जाते हैं।

दिल्ली परिवहन निगम द्वारा ठेके पर ली गई बसों पर अर्जित लाभ

909. **श्री मूल चन्द डागा : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली परिवहन निगम ठेका अथवा किराए के आधार पर बसें चलाता है;

(ख) यदि हां, तो 1980 और 1981 में इस तरह की बसों की संख्या कितनी रही; और

(ग) निगम ने 1980 और 1981 में उन से पृथक-पृथक कितना मुनाफा अजित किया?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां,

(ख) वर्ष 1980 में दिल्ली परिवहन निगम ने जनता को 2210 बसें और अक्टूबर, 1981 तक 1256 बसें किराये पर दीं। इसी प्रकार विभिन्न स्कूलों को उनके साथ ठेके के अधीन औसत रूप से 1980 में 351 बसें और वर्ष 1981 में (अक्तूबर, 1981 तक) 375 बसें उपलब्ध थीं।

(ग) इन बसों के चलाने पर खर्च और लाभ नीचे दिखाया गया है:—

वर्ष	बसों के चलने की कुल दूरी लाख कि० मी०	प्रति कि० मी०चलने की लागत	ठेके पर चलाने से प्रति कि०मी० औसत लागत	प्रति कि० मी० चलने से लाभ	चलने से कुल लाभ (लाख रुपये)	प्रति कि० मी०कुल लागत	ठेके पर चलाने से प्रति किलो मीटर औसत आय	प्रति कि० मी० घाटा	कुल घा.
		रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
1979-80	26.01	2.17	2.92	0.75	19.50	3.03	2.92	0.11	2.86
1980-81	28.35	2.63	3.02	0.34	9.64	3.96	3.02	0.94	26.65

दिल्ली अहमदाबाद 201 अप ट्रेन के साथ लगी प्रथम श्रेणी की बोगियां

910. **श्री मूल चन्द डागा : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली- अहमदाबाद 201 अप रेलगाड़ी के साथ लगी प्रथम श्रेणी की बोगियों की क्या स्थिति है और उनका निर्माण कौन से वर्ष में किया गया था;

(ख) क्या इन बोगियों में समुचित प्रकाश व्यवस्था नहीं है और शौचालयों में हमेशा बदबू आती रहती है और इसकी सीटें जीर्णशीर्ण अवस्था में हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इस रेलगाड़ी में नई बोगियां लगाएगी; और

(घ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 201/202 अहमदाबाद-दिल्ली मेल के साथ चलने वाले पहले दर्जे के सवारी डिब्बे 15-18 वर्ष पुराने हैं। उनकी हालत सन्तोषजनक है।

(ख) शौचालयों की समुचित सफाई की जाती है और उन्हें रोगाणुओं से मुक्त रखा जाता है तथा दोनों टर्मिनलों पर उनमें गन्धहर (डिओडोरेंट) का इस्तेमाल किया जाता है। सवारी डिब्बों की सीटों और रोशनी को भी सन्तोषजनक हालत में बनाये रखा जाता है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

द्वारिका के मन्दिर का जीर्णोद्धार

911. **श्री आर० पी० गायकवाड़** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वारिका का 800 वर्ष पुराना ऐतिहासिक मन्दिर, जो भारतीय संस्कृति के अवशेषों में एक है तथा जो तीर्थयात्रा का एक पवित्र स्थान है, जीर्ण-शीर्ण होता जा रहा है तथा इसके शीर्ष भाग में दरारें पैदा हो रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इसका जीर्णोद्धार करके इसको सुन्दर बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं; और

(ग) पुरातत्व विभाग ने मन्दिर की मरम्मत कराने के लिए एक विस्तृत योजना बनाई है और उस पर अनुमानतः कितना व्यय होगा, और यह कार्य कब तक पूरा हो जाएगा।

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : प्राचीन मन्दिरों के पत्थरों का अपक्षय तथा उनकी क्षति एक प्राकृतिक घटना है। द्वारिकाधीश मंदिर के शीर्षस्थ फर्शों पर लिटलों और स्तंभों में कुछ दरारें कालदोष और 1941 तथा 1956 के भूकम्प के झटकों के कारण आई है जिनमें से 1956 का झटका अपेक्षाकृत अधिक प्रबल था।

(ख) मंदिर के क्षतिग्रस्त वास्तुशिल्पीय खंडों के स्थान पर मौलिक खंडों के अनुरूप नये खंड लगाए जाने के कार्य में प्रगति है।

(ग) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने 2,99,200 रुपए की अनुमानित लागत पर उत्तरी और पश्चिमी द्वार मंडपों के जीर्णोद्धार के लिए व्यापक कार्यक्रम तैयार किया है। 1,09,995 रुपए व्यय

करके दक्षिणी द्वार मंडप का जीर्णोद्धार पहले ही कराया जा चुका है। जीर्णोद्धार के कार्य की गति अन्तर्ग्रस्त कार्य की प्रकृति और निर्माण सामग्री तथा कामगारों की उपलब्धता पर निर्भर है तथापि, इस निर्माण कार्य के समापन के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।

उपद्रवों के कारण, विश्वविद्यालयों द्वारा वार्षिक परीक्षाओं का आयोजन न किया जाना

912. **प्रो० नारायण चन्द पराशर :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन विश्वविद्यालयों के नाम क्या है जिनमें 1980-82 में उपद्रवों के कारण स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं की परीक्षाएं निर्धारित समय पर नहीं हो सकीं;

(ख) प्रत्येक मामले में विश्वविद्यालय कितनी-कितनी अवधि के लिए वन्द रहे; और

(ग) सरकार तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) उन राज्य विश्वविद्यालयों के बारे में, जो 1980-81 की परीक्षाएं निर्धारित समय पर आयोजित करने में पीछे हैं तथा 1980-81 और 1981-82 के दौरान विश्वविद्यालयों परिसर में उपद्रवों के कारण ऐसे विश्वविद्यालयों के बन्द होने की अवधि, यदि कोई हो, से सम्बन्धित सूचना केन्द्रीय सरकार द्वारा नहीं रखी जाती है। जहां तक केन्द्रीय विश्वविद्यालयों का सम्बन्ध है, उपलब्ध सूचना के अनुसार स्थिति इस प्रकार है :—

(1) 1980-81 के शैक्षिक सत्र के अन्त तक अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालयों और बनारस हिन्दू विश्वविद्यालयों में होने वाली परीक्षाएं निर्धारित समय सारिणी के अनुसार आयोजित की गई हैं।

(2) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय 31-1-1981 से 8-3-1981 तक तथा पुन: 20-5-1981 से 17-8-1981 तक (ग्रीष्म कालीन अवकाश सहित) बन्द रहा, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय 1-4-1981 से 22-4-1981 तक बन्द रहा, हैदराबाद विश्वविद्यालय 8-2-81 से 27-2-1981 तक, और जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय 16-11-1980 3-1-1981 तक (क्रिसमस अवकाश सहित) बन्द रहा।

(3) 1981-82 की परीक्षाएं अभी नहीं होनी हैं और इस स्थिति में इन परीक्षाओं को आयोजित करने में हुए किसी प्रकार के विलम्ब का प्रश्न नहीं उठता।

(ग) विश्वविद्यालयों के शैक्षिक कार्यक्रमों में उपद्रवों के कारण सामान्यत: स्थानीय घटनाएं होती हैं। कार्यक्रमों का पुन: निर्धारण, जिनमें परीक्षाओं का आयोजन भी शामिल है, विश्वविद्यालयों द्वारा स्वयं किया जाता है जो उपद्रवों के कारण बर्बाद समय की सीमा पर निर्भर करता है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की 1980-81 की परीक्षाएं चल रही हैं और उनके

शीघ्र ही समाप्त होने की आशा है । बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के कला सामाजिक विज्ञान और वाणिज्य में 1981 की परीक्षाएं दिसम्बर, 1981/जनवरी, 1982 में प्रारम्भ होंगी ।

संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय के "इण्डोमेंट" निधि में भारत का अंशदान

913. **श्री चिगवांग कोनयक : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय की सावधि निधि (इण्डोमेंट फण्ड) में भारत द्वारा कितनी राशि का अंशदान दिया गया है; और

(ख) इससे होने वाले लाभ क्या हैं जिनसे भारत के लाभान्वित होने की सम्भावना है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) : यू० एस० डालर 7,50,000

(ख) : यद्यपि विश्वविद्यालय समस्त विश्व की पूर्ति करने वाला अन्तर्राष्ट्रीय अध्येताओं का एक समुदाय है, फिर भी इसका अनुसंधान कार्य विकासशील देशों की आवश्यकताओं के प्रबल अनुरूप है । इसके तीन मूल कार्यक्रम—विश्व-भूख, मानव और सामाजिक विकास तथा प्राकृतिक साधनों का उपयोग और प्रबन्ध से सम्बन्धित हैं । अत: भारत एक विकासशील देश होने ने नाते इसे विश्वविद्यालयों के कार्यक्रमों से लाभ होने की आशा है ।

भारतीय कम्पनियों द्वारा कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं की लागत वृद्धि के दावों से ईराक की सहमति

914. **श्री एन० ई० होरो : क्या विदेश मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ईराक, भारतीय कम्पनियों द्वारा कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं की लागत वृद्धि के दावों पर विचार करने और मजदूरों तथा उपकरणों का युद्ध-जोखिम बीमा की व्यवस्था करने के लिए सहमत हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्योरा क्या है ?

विदेश मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) हाल ही में, 21-22 अक्तूबर, 1981 को बगदाद में हुए भारत-ईराक संयुक्त आयोग के सातवें अधिवेशन में, इराक में काम करने वाले भारतीय ठेकेदारों को मुआवजा दिए जाने के प्रश्न पर विचार किया गया था । भारतीय पक्ष ने इराकी पक्ष से अनुरोध किया कि वह भारतीय कम्पनियों को लागत-वृद्धि के वाजिब दावों पर मुआवजा देने और समय बढ़ाने के प्रश्न पर तत्काल विचार करें । इराकी पक्ष ने सम्बद्ध संगठनों को दावे पेश किये जाने का सुझाव दिया और यह आश्वासन दिया कि सक्षम संगठनों के साथ इस विषय पर विचार किया जाएगा और निविदा की सामान्य शर्तों और भारतीय फ़र्मों के अनुरोध के अनुसार इस बारे में जारी की जाने वाली केन्द्रीय हिदायतों के मुताबिक इसे हल कर लिया जाएगा ।

दोनों देशों के मन्त्रियों द्वारा हस्ताक्षरित सहमत कार्यवृत में इस बात पर संतोष व्यक्त किया गया है कि वर्तमान विशेष परिस्थितियों के बावजूद भारतीय कम्पनियां इराक में बनी रही हैं और उनके सुपुर्द जो काम किए गए हैं उन्हें पूरा करने का भरसक प्रयास कर रही हैं।

लड़ाई की जोखिम के प्रश्न पर इराकी पक्ष ने बताया कि उनकी सरकार ने पहले ही यह अनुदेश जारी कर दिए हैं कि युद्ध के कारण चोट, अपंगता या मृत्यु के मामले में मित्र देशों के विदेशी विशेषज्ञों के लिए ६०,००० अमरीकी डालर की और विदेशी कामगारों के लिए ३०,००० अमरीकी डालर तक की बीमा सुरक्षा नि:शुल्क प्रदान की जाए। क्षतिपूर्ति की मात्रा का निर्धारण निश्चित मानदण्डों के अनुसार किया जाएगा।

युद्ध के कारण प्रभावित होने वाले भारतीयों के ब्यौरे पहले ही इराकी पक्ष को दे दिए गए हैं ताकि यह मामला उपयुक्त प्राधिकारियों के साथ यथाशीघ्र उठाया जाए।

एल० एल० आर० एम०, मैडिकल कालेज, मेरठ में दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा प्रायोजित मेडिकल स्नातकों के साथ कथित भेदभाव

915. **श्री चिन्तामणि जेना :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एल० एल० आर० एम० मैडिकल कालेज, मेरठ के कुछ उन मेडिकल स्नातकों जिन्हें राजधानी में मैडिकल कालेजों में सीटों की कमी के कारण दिल्ली विश्वविद्यालय प्रायोजित किया गया था, के साथ दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा चिकित्सा विज्ञान संकाय के स्नातकोत्तर स्क्रीनिंग टैस्ट में भेदभाव बरता जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इन मैडिकल स्नातकों ने इस भेदभाव के खिलाफ दिल्ली विश्वविद्यालय के उप कुलपति और शिक्षा मन्त्रालय के पास अभ्यावेदन दिया है; और

(घ) यदि हां, तो दिल्ली के इन विद्यार्थियों को इस प्रकार से होने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) आयुर्विज्ञान महाविद्यालयों (मैडिकल कालेजों) में दिल्ली के छात्रों की दाखिले की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के परामर्श से यह निर्णय किया गया था कि 1971 से 1975 तक एल० एल० आर० एम० मैडिकल कालेज मेरठ में प्रतिवर्ष 50 विद्यार्थी दाखिल किए जाएंगे। इस प्रकार से एल० एल० आर० एम० मैडिकल कालेज में दाखिल किए गये विद्यार्थी मेरठ विश्वविद्यालय के ही विद्यार्थी हैं और इसलिए वे दिल्ली विश्वविद्यालय के आंतरिक विद्यार्थी समझे जाने के योग्य नहीं हैं।

(ग) और (घ) इन विद्यार्थियों द्वारा किए गये उन अभ्यावेदनों पर, जिनमें उन्होंने यह सुझाव दिया था कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए उनको आन्तरिक विद्यार्थी समझा

जाए; विश्वविद्यालय द्वारा विचार किया गया था। तथापि विश्वविद्यालय के लिए उनकी यह मांग स्वीकार करना सम्भव नहीं था।

ऊर्जा विकास के लिए कोष बनाने हेतु उत्तर-दक्षिण शिखर सम्मेलन में मतैक्य

916. **श्री माधव राव सिन्धिया :** क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तृतीय विश्व की ऊर्जा विकास की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कोष बनाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर इस वर्ष अक्तूबर में कानकुन में हुए उत्तर-दक्षिण शिखर सम्मेलन में क्या मतैक्य रहा; और

(ख) भारत सरकार द्वारा उपरोक्त मतैक्य के प्रकाश में क्या अनुवर्ती कार्यवाही की जा रही है ?

विदेश मन्त्री (पी० वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) कानकुन शिखर-सम्मेलन में शामिल होने वाले सदस्यों ने विकासशील देशों में ऊर्जा में निजी और सरकारी दोनों स्रोतों से निवेश में वृद्धि करने की आवश्यकता पर बल दिया। बहुत से सदस्यों ने इस बात का समर्थन किया कि विकासशील देशों में विश्व बैंक द्वारा ऊर्जा के लिए ऋण में वृद्धि की जानी चाहिए। इस सिलसिले में यह भी कहा गया कि ऊर्जा सम्बन्धी संस्था स्थापित की जानी चाहिए और इस विचार का किसी ने विरोध नहीं किया। इस विषय पर विश्व बैंक के संगत मंच पर आगे विचार करने का प्रस्ताव है।

"सोवियत मिलिटरी पावर" नामक पुस्तिका

917. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :** क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पेण्टेगान द्वारा हाल ही में प्रकाशित "सोवियत मिलिटरी पावर" नामक नवीनतम पुस्तिका की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या इस पुस्तिका में भारत को "एक ऐसा देश जहां सोवियत और पूर्वी यूरोपियन मिलिटरी परामर्शदाताओं का बहुत जमघट लगा है", के रूप में दर्शाया गया है;

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी हां, अमरीका के रक्षा विभाग द्वारा प्रकाशित "सोवियत मिलिटरी पावर" नामक पुस्तिका की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया है।

(ख) इस पुस्तिका में भारत को गलत ढंग से एक ऐसे देश के रूप में दिखाया गया है जहां सोवियत सैनिक और असैनिक सलाहकार बड़ी मात्रा में मौजूद हैं।

(ग) वाशिंगटन स्थित हमारे राजदूतावास ने हमारे निदेश पर अमरीका के विदेश विभाग के साथ इस मामले को उठाया था। अमरीकी विदेश विभाग ने इस पुस्तिका की गलतियों पर मौखिक रूप से हमारे मिशन के समक्ष खेद व्यक्त किया था।

कार्नेक बन्दर गुड्स डिपो (बम्बई) को स्थानान्तरित किया जाना

918. **श्री ए० टी० पाटिल** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल प्रशासन में वाड़ी बन्दर पर पश्चिम रेलवे के लिए माल भेजने तथा माल निकासी कार्य के लिए कोई व्यवस्था किए बिना पश्चिम रेलवे के कार्नेक बन्दर गुड्स डिपो (बम्बई) को बन्द कर दिया है और इसे वादी बन्दर से (बम्बई) स्थानान्तरित कर दिया है जहां मध्य रेलवे गुड्स डिपो पहले से ही कार्यरत है;

(ख) क्या यह सच है कि बाड़ी बन्दर पर माल भेजने तथा इसकी निकासी के कारण पहले ही काफी भीड़-भाड़ रहती है, जिसके कारण माल के भेजे जाने तथा निकासी दोनों में ही भारी बिलम्ब होता है, और

(ग) यदि हां, तो बाड़ी बन्दर को माल के सुचारु तथा तेजी से आवागमन के लिए क्या व्यवस्था की जा रही है अथवा की जायेगी और इसके लिए क्या अन्तरिम व्यवस्था की गई है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) अभी तक नहीं।

(ख) जी नहीं। बल्कि दूसरी ओर माल शेड क्षमता उपलब्ध है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली-पानीपत के बीच दोहरी रेल लाइन

919. **श्री बी० डी० सिंह** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बड़ी संख्या में लोग नरेला, सोनीपत, पानीपत आदि के आस-पास से रेलगाड़ियों द्वारा रोजाना दिल्ली आते हैं;

(ख) क्या धीमी चलने वाली रेलगाड़ियों और दोहरी रेल लाइन न होने कारण के उन्हें दिल्ली आने और दिल्ली से जाने में काफी समय लगता है; और

(ग) यदि हां, तो क्या पानीपत तक विद्युतीकृत दोहरी रेल लाइन विछाए जाने पर विचार किया जा रहा है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) दिल्ली और सोनीपत के बीच पहले से ही दोहरी लाइन है। अभी इस लाइन का विद्युतीकरण करने की कोई योजना नहीं है।

हावड़ा-अमता रेल लाइन

920. **श्री नारायण चौबे** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल में हावड़ा-अमता रेलवे में रेलवे के निर्माण कार्यों की गति धीमी करने के निर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों की छंटनी की जाएगी; और

(घ) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है ?

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) दक्षिण-पूर्व रेलवे को इंजीनियरी दिशा में काम धीमा करना पड़ा।

(ख) धन-राशि की कमी।

(ग) किसी प्रकार की छंटनी की सम्भावना नहीं है। फिलहाल, इस परियोजना से फालतू श्रमिकों को अन्य कार्यों पर उपयोग के लिए भेजा जा रहा है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

व्यवधान*

अध्यक्ष महोदय : किसी भी बात को कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। (व्यवधान) मेरी अनुमति के बिना कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं होगा। यह बहुत ही खराब बात है। (व्यवधान)*

श्री रशीद मसूद (सहारनपुर) : स्पीकर साहब, पिछले एक महीने में किसानों के ऊपर दो-तीन बार फायरिंग हो चुकी है.........

अध्यक्ष महोदय : आप लिख कर दीजिये।

श्री रशीद मसूद : मैंने एडजार्नमेन्ट मोशन दिया है।

अध्यक्ष महोदय : एडजार्नमेन्ट मोशन नहीं आ सकता है, कोई और मोशन दीजिये। मैं इस पर विचार करूंगा। अब तक किसी बात को अस्वीकृत नहीं किया गया है। (व्यवधान) इसकी अनुमति नहीं है। इसका कोई प्रश्न ही नहीं है। यह कुछ भी नहीं है।

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : अभी-अभी इत्तिला मिली है कि एक भारतीय जहाज सीसिल से उड़ा लिया गया है और साउथ अफ्रीका ले जाया गया है। यह भारत का हवाई जहाज है.........

अध्यक्ष महोदय : मैं फैक्ट्स का पता कर रहा हूं।

श्री मनीराम बागड़ी : क्या इन्होंने अभी तक आप को पता नहीं दिया है ?

*कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : मैंने पूछा नहीं है, पूछ रहा हूं ।

श्री मनीराम बागड़ी : अखबार वालों को खबर मिल जाती है, आप को नहीं मिलती है ।

अध्यक्ष महोदय : खबर का मुझे पता है, फैक्ट्स का पता लगा रहा हूं ।

श्री मनीराम बागड़ी : क्या यह आप के नोटिस में आ गया है ?

अध्यक्ष महोदय · हां, आ गया है । मैं तथ्यों की जानकारी ले रहा हूं ।

श्री जयपाल सिंह कश्यप (अम्बाला) : देश के राजनैतिक नेताओं की हत्याओं के बारे में जो योजनायें बनाई जा रही हैं, उनके बारे में सरकार क्या कर रही है········

अध्यक्ष महोदय : नहीं, कुछ भी नहीं । मैंने श्री दौलतराम सारण को बोलने के लिए कहा है । इसकी अनुमति नहीं है । मैं हर समाचार की ओर ध्यान नहीं दे सकता·····(**व्यवधान**)······

श्री दौलतराम सारण : बस सरकार को व्यावहारिक तरीकों द्वारा अपनी बात कहने के उपरान्त भी जब सुनाई नहीं की जाती, तो इससे जनता में उत्तेजना पैदा होती है, हिंसा की वारदातें होती हैं और यह सरकार तभी किसी बात को सुनती है············

अध्यक्ष महोदय : आप क्या कहना चाहते हैं ? आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ? (**व्यवधान**) ।

श्री दौलतराम सारण : यह सरकार गोली चला कर मुंह बन्द करना चाहती है, देश में हिंसा फैला रही है·········(**व्यवधान**) ।

अध्यक्ष महोदय : किसी भी बात को कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा । हम प्रतिदिन हर बात पर चर्चा करते हैं ।

व्यवधान*

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : मैंने त्रिपुरा में अनाज की अत्यधिक कमी के सम्बन्ध में एक स्थगत प्रस्ताव तथा एक ध्यानकर्षण प्रस्ताव की सूचनायें दी हैं ।

अध्यक्ष महोदय : आपने किसी प्रस्ताव के सम्बन्ध में सूचना दी है (**व्यवधान**) कुछ नहीं । मैंने इसे चर्चा के लिए अस्वीकार नहीं किया है । मैंने आपके प्रस्ताव पर चर्चा किये जाने को अस्वीकार नहीं किया है । आप ऐसा क्यों कर रहे हैं ।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : सरकार राजनीतिक नेताओं के लिए सुरक्षा की व्यवस्था नहीं करेगी ।

*कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

अध्यक्ष महोदय : आप सुरक्षा की मांग कीजिये। हम इस पर विचार करेंगे।

श्री हरिकेश बहादुर : यह समाचार पत्रों में छपा है और आप इसकी ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं समाचार पत्रों में छपे समाचारों की ओर ध्यान नहीं दे सकता। (व्यवधान)।

सभा पटल पर रखे गए पत्र

चितरंजन राष्ट्रीय कैंसर अनुसंधा केन्द्र कलकत्ता के वर्ष 1679-80 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा विलम्ब के कारण बताने वाला विवरण

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) चितरंजन राष्ट्रीय कैंसर अनुसंधान केन्द्र, कलकत्ता के वर्ष 1979-80 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, लेखे तथा उन पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिादी तथा अंग्रेजी संस्करण) [**ग्रन्थालय में रखे गये देखिए, संख्या एल० टी० 2935/81**]

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बम्बई, दिल्ली, कानपुर और मद्रास के बारे में वर्ष 1980-81 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा उन पर की गई समीक्षायें

शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में राज्य मन्त्रीं (श्रीमती शीला कौल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :—

(1) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बम्बई के वर्ष 1980-81 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बम्बई के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति। [**ग्रंथालय में रखी गयीं, देखिए संख्या एल० टी०-2936/81**]

(2) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली के वर्ष 1980-81 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति। [**ग्रन्थालय में रखी गयी देखिए संख्या एल० टी०-2937/81**]

(3) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर के वर्ष 1980-81 के वार्षिक प्रतिवेदन भाग एक और दो (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति । [ग्रन्थालय में रखी गई देखिए संख्या एल० टी०-2987/81]

(4) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास के वर्ष 1980-81 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्ष (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति । [ग्रन्थालय में रखी गई, देखिए संख्या एल० टी०-2939/81]

एक माननीय सदस्य : आप यह इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि इस में सरकार अन्तर्ग्रस्त है । **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मुझे इस बात की चिन्ता नहीं है। मैं इस बात की चिन्ता क्यों करूं कि इसमें सरकार अन्तर्ग्रस्त है अथवा नहीं ? मुझे सरकार से क्या करना है ?

सीमा-शुल्क अधिनियम 1962 के अन्तर्गत अधिसूचनायें

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मगन भाई बारोट) : मैं सीमा-शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचानाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं—

(एक) दिनांक 1 अक्तूबर, 1981 को अधिसूचना के अधिलंग्न में डच गिल्डरों और हांगकांग डालरों को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को डच गिल्डरों और हाँगकांग डालरों में बदलने सम्बन्धी पुनरीक्षित विनिय दरों के बारे में सां० सां० नि० 606 (ङ) जो दिनांक 17 नवम्बर, 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दो) दिनाँक 1 अक्तूवर, 1981 की अधिसूचना के अधिलंग्न में पौंड स्टलिंग को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को पौंड स्टलिंग में बदलने सम्बन्धी पुनरीक्षित विनिमय दर के बारे में सा० सां० नि० 608 (ङ) जो दिनांक 20 नवम्बर, 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन । [सभा पटल पर रखी गयी देखिए संख्या एल० टी०-2941/81]

औषधि और प्रसाधन सामग्री (पहला संशोधन) नियम, 1981

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : मैं औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 38 के अन्तर्गत औषधि और प्रसाधन

सामग्री (पहला संशोधन) नियम 1981 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 6 अगस्त, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० सा० नि० 478 (ङ) में प्रकाशित हुए थे। सभा पटल पर रखता हूं। **[सभा पटल पर रखी गयी देखिये संख्या एल० टी० 2940/81]**

रेलवे रैड टेरिफ (दूसरा तथा तीसरा संशोधन) नियम, 1981

रेल तथा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : मैं भारतीय रेल अधिनियम, 1890 की धारा 47 के अन्तर्गत जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) रेलवे रैड टैरिफ (दूसरा संशोधन) नियम, 1981, जो दिनांक 5 सितम्बर, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 829 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) रेलवे रैड टैरिफ (तीसरा संशोधन) नियम, 1981 जो दिनांक 3 अक्तूबर, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 904 में प्रकाशित हुए थे। **[ग्रंथालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल० टी० 2942/81]**

अध्यक्ष महोदय : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव।
(श्री पी० के० कोडियन)

श्री राजेश कुमार सिंह (फिरोजाबाद) : आप एलाऊ नहीं कर रहे हैं। मैं कुछ निवेदन करने जा रहा हूं। आप ने मेरे शब्द नहीं सुने। मैं यह कहने जा रहा हूं कि पंजाब की स्थिति बहुत भयानक है और गृह सचिव ने रिपोर्ट दी है प्रेसीडेंट को। सरकार उस पर क्या कार्यवाही करने जा रही है।
सरकार की ओर से इस का खंडन किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी नहीं है। यह बात बिल्कुल झूठ है कोई बात नहीं है। यह सर्वथा निराधार बात है।

श्री राजेश कुमार सिंह : आप सुनना नहीं चाह रहे हैं। अखबारों में यह आया है।

अध्यक्ष महोदय : यह जो अखबार में है, इस में कोई बात नहीं है।

श्री राजेश कुमार सिंह : फिर समाचारपत्रों में क्यों यह खबर आ रही है।

अध्यक्ष महोदय : राजेश जी, आप अपने साथियों से सलाह कर लिया करें, तो न आप को कष्ट हो, और न मुझे कष्ट हो। जब आप के मेम्बर बिजनैस एडवाइजरी कमेटी में जाते हैं, तो उन को पता है कि कब क्या टेक-अप होगा। फिर बिला-वजह आप ऐसा कर रहे हैं। हम इस

विषय पर कार्य मंत्रणा समिति में चर्चा करेंगे और आप आवश्यक रूप से मुझे तथा सभा को लम्बा चौड़ा भाषण दे रहे हैं। (व्यवधान)* किसी भी बात को कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। (व्यवधान)* क्या आप को हर समय इस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए (व्यवधान)*।

श्री रशीद मसूद (सहारनपुर) : बहुगुणा जी पर पहले भी हमला हो चुका है ? मैं कुछ नहीं जानता।

अध्यक्ष महोदय : मुझे लिखित रूप में दीजिए। मैं तथ्यों के बारे में पता लगाऊंगा।

श्री रशीद मसूद : एक दफा पहले भी हमला हो चुका है।

अध्यक्ष महोदय : मैं समाचारों में विश्वास नहीं कर सकता। मुझे तथ्य बताइये। (व्यवधान)* श्री कोडियन। (व्यवधान)* आप ने अपनी सीमाओं का उल्लंघन किया है। आप अनावश्यक रूप से अपनी सीमाओं का उल्लंघन कर रहे हैं। आप इस सभा के माननीय सदस्य हैं। आप के लिए ऐसा करना ठीक नहीं है। (व्यवधान)*

श्री ए० नीलालोहिथा हसन नाडार (त्रिवेन्द्रम) : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आपने इसे देखा है।

अध्यक्ष महोदय : मैं चाहूंगा कि आप मुझे लिखित रूप में दें। मैं तथ्यों का पता लागाऊंगा और तब आपसे बात करूंगा।

श्री ए० नीलालोहिथा हसन नाडार : हम आप को इसे लिखित रूप में देंगे।

अध्यक्ष महोदय : आपका हमेशा ही स्वागत है।

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : यह पहले कह देते, तो इतना झंझट न होता।

अध्यक्ष महोदय : मैं मैंने कई बार कहा है। आप मुझे लिखिये।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : आप आऊटराइट क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं कहां रिजेक्ट करता हूं। मैं कहता हूं कि फैक्ट्स को पता करना चाहिए। आप बिना तथ्यों का पता लगाये कैसे कह सकते हैं ? समाचार पत्रों में तो बहुत बातें सैंकड़ों समाचार होते हैं। (व्यवधान)* आप को हमेशा बहुत ही शान्त रहने का प्रयास करना चाहिए। और नियमों का पालन भी करना चाहिए वह काम करने का उचित तरीका है। यह बहुत बुरी बात है।

श्री कोडियन।

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि

श्री पी० के० कोडियन (अडूर) : मैं नागरिक पूर्ति मन्त्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में वक्तव्य दें।

"आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि।"

नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री बृज मोहन महन्ती) : सरकार कुछ आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में मार्च, 1979 से चल रहे वृद्धि के रुख से चिन्तित है। तथापि, पिछले कुछ महीनों के दौरान मुद्रास्फीति की दर में कुछ नरमी आई है।

मुद्रास्फीति की दर जनवरी, 1980 के 22.7 प्रतिशत से घट कर अक्तूबर, 1981 में 7.2 प्रतिशत पर आ गई है। सितम्बर, 1981 में थोक मूल्य सूचकांक में पिछले महीने की तुलना में 1 प्रतिशत की कमी हुई। अक्तूबर, 1981 में इसमें 0.3 प्रतिशत की और गिरावट आई। चीनी, गुड़, खाद्य तेलों, दालों और आलू जैसी कुछ आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में गिरावट का रुख आया है।

कठिन परिस्थितियों से कारगर तरीके से निपटने के लिये सरकार ने आवश्यक वस्तुओं की मांग तथा आपूर्ति के प्रबन्ध के बारे में कई कदम उठाये हैं। इस बारे में अपनाई गयी नीतियों में उत्पादन बढ़ाने, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत बनाने, कम मात्रा में उपलब्ध आवश्यक वस्तुओं का आयात करने और मुद्रा तथा वित्त सम्बन्धी उपयुक्त उपाय करने पर बल दिया गया है। राज्य सरकारें समाज-विरोधी तत्वों द्वारा किये जा रहे कदाचारों को रोकने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम तथा इसी प्रकार के अन्य कानूनों के उपबन्धों को लागू कर रही हैं।

चल रहे मुद्रा स्फीति के विश्वव्यापी रुख को देखते हुए हमारे देश में मुद्रा स्फीति की दर में आयी गिरावट से सरकार द्वारा अपनाई गयी नीतियों की प्रभावकारिता का पता चलता है।

मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाता हूं कि सरकार उचित मूल्यों पर आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराने के कार्य को काफी महत्व देती है और उचित वितरण तथा कदाचारों को रोकने के कार्य में वह माननीय सदस्यों के सहयोग की इच्छुक है। आवश्यकता पड़ने पर सरकार द्वारा और भी कदम उठाये जाएंगे।

श्री पी० के० कोडियन : मन्त्री महोदय ने अपने वक्तव्य में यह दावा किया है कि मुद्रा स्फीति की दर कम हो गयी है और उन्होंने कुछ आंकड़े भी दिये हैं। मैं मुद्रा स्फीति की दर के सम्बन्ध में मन्त्री महोदय के साथ बहस में नहीं पड़ना चाहता किन्तु मैं केवल यह बताना चाहता हूं कि थोक मूल्य सूचकांक की इस प्रकार की प्रति बिन्दु तुलना करना तथा उसके बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचना, कि मुद्रा स्फीति की दर इतनी कम हो गयी है, वास्तव में स्थिति की वास्तविकता पर पर्दा डालने का प्रयास है।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

पिछले वर्ष मुद्रा स्फीति की दर पहले ही ऊंची थी। यह 1980 में 20.2 प्रतिशत से अधिक हो गयी थी। मैं मुद्रा स्फीति की औसत वृद्धि की दर के बारे में कह रहा हूं क्योंकि एक आम आदमी सारा वर्ष चीजें खरीदता है। कई बार मूल्य कम होंगे और कई बार अधिक होंगे। अतः मुद्रा स्फीति की दर की सही स्थिति को जानने के लिए मुद्रा स्फीति की वार्षिक वृद्धि की वास्तविक औसत दर को ध्यान में रखना होगा। यदि आप इस पर औसत वृद्धि दर के आधार पर विचार करें तो आप यह देखेंगे कि वर्तमान वर्ष, 1981 में लगभग 15 प्रतिशत वृद्धि हुई है। यह 1980 में दर्ज की गई 20.2 प्रतिशत की औसत वृद्धि के ऊपर है। मैं इस बात से इन्कार नहीं करता कि मुद्रा स्फीति की दर में कमी हुई है किन्तु यह कमी पर्याप्त नहीं हुई है। जो कुछ भी मुद्रा स्फीति की दर में थोड़ी बहुत कमी हुई है, वह थोक मूल्य सूचकांक से सम्बन्धित है। किन्तु जहां तक आम आदमी का सम्बन्ध है, उसे बाजार में परचून की दुकानों से खरीदना होता है, जहां थोक मूल्य सूचकांक में हुई तथा कथित कमी तनिक भी प्रतिविम्बित नहीं होती है।

जब सत्तारूढ़ दल ने 1980 में चुनाव लड़े थे तो उस समय मतदाताओं का समर्थन पाने के लिए उसने आवश्यक वस्तुओं के परचून मूल्य को एक मुख्य मुद्दा बनाया गया था। मेरे पास एक पोस्टर है जिसे सत्तारूढ़ दल ने परिचालित किया था जिसमें बताया गया था कि 1977 में प्याज का मूल्य 1.50 रुपया प्रति किलो था, जब कि दिसम्बर 1980 में उसका मूल्य बढ़कर 5 रुपये प्रति किलो हो गया था। अन्य अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्य भी इसमें दिये हैं। परन्तु अब नवम्बर, 1981 में प्याज की क्या स्थिति है? 1979 में तो इसके मूल्य बढ़कर 5 रुपये प्रति किलो ही हुआ था परन्तु अब इसका मूल्य 6 रुपये या इससे अधिक प्रति किलो है। अभी उसी दिन दूसरे सदन के एक माननीय सदस्य अपना विरोध प्रदर्शित करने के लिए प्याजों का हार पहन कर सभा में आए थे।

यह बताया गया है कि दिल्ली में सरकार ने उचित दर की दुकानों के द्वारा 2.50 रुपये प्रति किलो की दर से प्याज वितरित करने के लिये पग उठाये हैं।

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण तथा सिंचाई तथा नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : 1.50 रुपया प्रति किलो की दर से।

श्री पी० के० कोडियन : किन्तु प्याज उस मूल्य पर उपलब्ध नहीं है। जब मेरे आदमी सुपर बाजार प्याज खरीदने के लिये गये तो वहां प्याज बिल्कुल ही नहीं था। अतः हमें खुले बाजार से खरीदना पड़ा जहां पर उसका मूल्य 5 रुपये प्रतिकिलो से भी अधिक था।

मैं माननीय सदस्यों की सूचना के लिये उन्हें बताना चाहता हूं कि न केवल प्याज बल्कि सभी आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में काफी वृद्धि हुई है। मैं आपको उनकी तुलनात्म कीमतें बतता हूं। तुलनात्मक आँकड़े इस प्रकार हैं :—

वस्तु का नाम	मूल्य	
	जनवरी, 1980 में	नवम्बर, 1981 में
चावल (बढ़िया किस्म)	5.75 रुपये	6.75 रुपये
दाल	4.75 ,,	6.50 ,,
वनस्पति	9.15 ,,	14.25 ,,
पोस्टमैन (रिफाइन्ड मूंगफली का तेल) 4 किलो	53.50 ,,	90.92 ,,
खाना पकाने की गैस	40.00 ,,	50.55 ,,
मिट्टी का तेल (प्रति लीटर)	1.54 ,,	1.82 ,,
साबुन	1.40 ,,	2.20 ,,

माननीय मन्त्री जी वहां आकर घटती हुई मुद्रास्फीति के सम्बन्ध में आंकड़े देते हैं और उसे अपनी उपलब्धि बताते हैं। वह इस बात का दावा करते हैं कि उन्होंने यह एक विलक्षण बात की है क्योंकि जबकि समूचा विश्व मुद्रास्फीति में वृद्धि के कारण कष्ट उठा रहा है, हमारे देश में मुद्रास्फीति की दर में इतनी कमी आई है कि वह घटकर इकाई के अंक में आ गई है। दूसरे शब्दों में मुद्रास्फीति की दर घट कर इकाई के अंकों में आ गई है। उनके अनुसार वास्तव में यह एक विलक्षण उपलब्धि है किन्तु जहां तक इस देश के आम आदमी का सम्बन्ध है उन्हें ऊंचे मूल्यों और आवश्यक वस्तुओं की कमी के कारण अब भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस बारे में आपका उत्तर क्या है ? मेरे विचार से माननीय वित्त मन्त्री जी ने पिछले सत्र के दौरान कहा था कि चाहे थोक मूल्य सूचकांक में कमी आई है किन्तु हो सकता है इसका असर फुटकर मूल्यों में जल्दी ही दिखाई न दे। यह सच है इसमें 8 महीने अथवा 10 महीने तक की अवधि लग सकती है। मान लीजिये कि हम तर्क के लिये ही इस बात को स्वीकार कर लें कि मूल्यों में 10 महीने की अवधि के पश्चात् कमी आती है, किन्तु इस अवधि के दौरान लोग क्या करें ? क्या वह मन्त्री महोदय द्वारा उपलब्ध किये गये आँकड़ों को देख देख जीते रहें और यह देखते रहें कि मुद्रास्फीति दहाई आंकड़ों से घर की इकाई अंक में कैसे आ रही है जोकि विश्व में फैली अत्यधिक मुद्रास्फीति के सन्दर्भ में एक विलक्षण उपलब्धि है ? महोदय, यह प्रश्न केवल राजनीतिक प्रचार के उद्देश्य से नहीं उठाया गया है। यह प्रश्न सही ढंग से जीवनयापन करने और जीने के अधिकार का है। उपलब्ध साधनों से आम आदमी को कम से कम दो समय के भोजन का अधिकार तो है। मैं कहता हूं कि सरकार इसकी व्यवस्था करने में बिल्कुल असफल रही है। ऐसा क्यों है ? क्योंकि सरकार ने इस देश की जनता को नियन्त्रित तथा उचित दामों पर आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई सुनिश्चित करने के अपने दायित्व को जानबूझ कर नहीं निभाया है उन्होंने ऐसे कोई कदम नहीं उठाये जिससे वे आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन और वितरण पर पूरा नियन्त्रण रख सकते। सरकार इस सम्बन्ध में पूरी तरह असफल रही है। यद्यपि मन्त्री महोदय ने अपने वक्तव्य में सार्वजनिक वितरण व्यवस्था

और उसे सशक्त बनाने आदि के बारे में कहा है किन्तु मैं यह बताना चाहता हूं कि इस देश में किसी प्रकार की सार्वजनिक वितरण व्यवस्था अस्तित्व में ही नहीं है। ऐसी व्यवस्था का यह अर्थ नहीं होता कि आप कुछ उचित दर की दुकानें खोल दें। मन्त्री लोग हमेशा हमें यही बताते रहे हैं और विशेष रूप से वित्त मन्त्री महोदय हमें बताते रहे हैं कि उचित दर की दुकानों में वृद्धि होती जा रही है। अब ताजे आंकड़े के आधार पर उचित दर की दुकानों की संख्या 2,97,000 बताई गई है। सबसे पहले हमारे जैसे विशाल देश में 2, 97,000 उचित दर की दुकानें इतनी पर्याप्त नहीं हैं। कि समूची जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। इसके अतिरिक्त, इस बात की भी क्या गारन्टी है कि यहां दिल्ली में भी नागरिक पूर्ति और कृषि मन्त्री महोदयों की नाक के नीचे इन दुकानों को आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति की ही जायेगी ? जब हम इन दुकानों से कुछ खरीदने जाते हैं तो दिल्ली की दुकानों में अनेक वस्तुएं उपलब्ध नहीं होती। कल के समाचार पत्र 'टाइम्स आफ इंडिया" में एक समाचार प्रकाशित हुआ है। इसमें कहा गया है कि दिल्ली प्रशासन दिल्ली में उचित दर की दुकानों के माध्यम से सप्लाई किये जा रहे गेहूं और चीनी की मात्रा में कमी करने पर विचार कर रहा है। पिछले कुछ महीनों में भी इन वस्तुओं की सप्लाई वास्तविक आवश्यकता से कम ही की गई है। मुझे इस सम्बन्ध में सही स्थिति का पता नहीं है। यदि देश की राजधानी दिल्ली में ही हमें उचित दर की दुकानों से आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध नहीं होती तब भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति क्या होगी जिसके अधिकांश क्षेत्रों में तो उचित दर की दुकानें बिल्कुल हैं ही नहीं ? यह शिथिलता का रवैया है।

मन्त्री महोदय द्वारा दिये गये वक्तव्य में यह बताया गया है :

> "राज्य सरकारें समाज-विरोधी तत्वों द्वारा किये जा रहे कदाचार को समाप्त करने के लिये आवश्यक वस्तु अधिनियम के उपबन्धों और उसी प्रकार के अन्य कानूनों को लागू कर रही हैं।"

क्या मन्त्री महोदय सदन को बतायेंगे कि जब से यह दल सत्ता में आया है तब से कदाचार करने वाले और जनता के कष्टों से लाभ कमाने वाले कितने व्यक्तियों के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की गई है ? उनके विरूद्ध कितने मामले दर्ज किये गये है ? कितने व्यक्तियों को आवश्यक वस्तु अधिनियम तथा उसी प्रकार से कानूनों के अन्तर्गत जेल भेजा गया है ?

मैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मामले पर पुन: जोर देना चाहता हूं। आज भी इस व्यवस्था में प्रमुख दोष यह है कि आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन को गैर-सरकारी हाथों में छोड़ दिया गया है। उदाहरण के तौर पर खाद्यान्न, खाने के तेल तथा इसी प्रकार की अन्य वस्तुओं का उत्पादन निजी क्षत्र में किया जा रहा है।

अन्य आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन पर भी सरकार का कोई नियन्त्रण नहीं है। जब तक सरकार खाद्यान्न के थोक व्यापार को और साबुन तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन करने वाले कारखानों को अपने अधिकार में नहीं लेती अथवा जब तक सरकार सरकारी क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन के लिये कारखाने नहीं लगाती और जब तक सार्वजनिक वितरण व्यवस्था के अन्तर्गत दुकानों का जाल नहीं बिछाती उनकी निगराना उपभोक्ताओं और अधिकारियों

के प्रतिनिधियों द्वारा मिलकर की जाए, तब तक सार्वजनिक वितरण व्यवस्था के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

अन्त में मैं यहां उपस्थित माननीय वित्त मन्त्री जी के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं। अब अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से इतनी बड़ी राशि का ऋण लेने के कारण सरकार को अनेक कदम उठाने पड़ेंगे। इस मामले पर सभा में बहस होने वाली है। महोदय, मैं इस मामले के ब्यौरे में नहीं जाऊंगा। मैं यहां पर एक बात का उल्लेख करना चहूंगा। श्री लंका की संसद में श्री लंका के वित्त मन्त्री महोदय ने भारत के अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से हुए समझौते का उल्लेख किया है। श्री लंका और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बीच हुए समझौते के बारे में श्री लंका की संसद में बहस में हुई। यह समाचार-पत्रों में प्रकाशित एक समाचार है जिसे मैं उदधृत कर रहा हूं:

> "श्री लंका की भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्रीमती श्रीभावों भंडार नायका के पुत्र विपक्षी फ्रीडम पार्टी के श्री अनुराग भंडार नयाका ने जब इस बात का उल्लेख किया कि भारतीय समाचार पत्रों के अनुसार प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी, तथा वित्त मन्त्री श्री वेंकटरामन दोनों ने यह कहा है कि देश के आत्म-सम्मान अथवा प्रभुसत्ता के प्रति अपमान जनक कोई शर्त नहीं मानी गई है, तो श्री लंका के वित्त मंत्री श्री रोनी डी मेल ने कहा है, 'जो बात आप समझते नहीं, उस सम्बन्ध में फिजूल मत बोलो' और उन्होंने वे शर्तें पढ़ कर सुनाईं जो उनके अनुसार 'अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा भारत पर लगाई गई हैं। उन्होंने कहा कि इन शर्तों में भुगतान सन्तुलन की स्थिति में सुधार लाने के लिए वास्तविक विनिमय दर निर्धारण, कराधान में वृद्धि, सरकारी क्षेत्र की वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों में वृद्धि, राजसहायता में कमी.........शामिल है।"

जब भारत सरकार ऐसे कदम उठाने के लिये बाध्य होगी तो इसका परिणाम कराधान और मूल्यों में और अधिक वृद्धि होगा। अतः जहाँ तक मूल्यों के स्तर का सम्बन्ध है तथा जहाँ तक आम आदमी के जीवन का सम्बन्ध है भविष्य अत्यन्त अंधकार पूर्ण है।

अन्त में, मैं कुछ विशिष्ट प्रश्न पूछना चाहता हूं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार के पास सार्वजनिक वितरण व्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए कोई प्रस्ताव हैं और अगर हैं तो किस प्रकार के हैं और क्या सरकार इस प्रकार के उपाय करने पर विचार कर रही है जिनसे आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन पर उसका वास्तविक नियन्त्रण हो सके।

एक दूसरा प्रश्न जिसकी आप अपेक्षा कर रहे होंगे। अनाज के थोक व्यापार आदि के सरकारी नियन्त्रण में लेने के बारे में है। अन्त में, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबी के स्तर से नीचे रहने वाले गरीबों, कृषि मजदूरों, बटाईदारों, ग्रामीण कारीगरों आदि-आदि के लिए "काम के बदले अनाज" कार्यक्रम, जो कई राज्यों में विशेषकर पश्चिम बंगाल में, पहले काफी संतोषजनक ढंग से चल रहा था और जिससे लोगों को काफी राहत मिली, फिर से चलाया जाएगा।

राव वीरेन्द्र सिंह: मेरे माननीय मित्र श्री कोडियन ने कुछ प्रश्न उठाए हैं जिनसे मैं सहमत हूं।

मैं उनकी इस बात से सहमत हूं कि मुद्रास्फीति में विन्दुवार कमी मुद्रास्फीति के पूर्णतः नियन्त्रित होने के परिचायक नहीं है।

मैं इस बात से भी सहमत हूं कि थोक मूल्य सूचकांक में कमी से आम आदमी, उपभोक्ता को कोई लाभ नहीं हुआ है।

लेकिन मुझे खेद है कि उन्होंने इस बात की सराहना नहीं की कि सरकार इस से पहले तेजी से बढ़ती मुद्रास्फीति की दर को नियन्त्रित करने में सफल हुई है। इसमें तेजी से गिरावट आई है। मेरे मित्र ने विवरण में कुछ आंकड़े दिए हैं।

माननीय सदस्य को शायद यह मालूम होगा कि जनवरी 1980 में मुद्रास्फीति की दर 22.7 प्रतिशत थी, जैसे कि पहले कहा जा चुका है।

इस सरकार के सत्ता में अपने के एक वर्ष बाद जनवरी, 1981 में यह दर घटकर 15.6 प्रतिशत हो गई और इसके बाद मई, 1981 से उसमें लगातार गिरावट आती गई है। अक्तूबर, 1981 में यह घटकर 7.2 प्रतिशत हर आ गई है। यदि माननीय सदस्य हमारे प्रयत्नों की ओर ध्यान दें और उन पर विचार करें तो वह मानेंगे कि यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। पिछले दस सप्ताहों के दौरान चावल, मोटे अनाज, दालों, खाद्य तेल, चीनी, खांडसारी, गुड़ जैसी कुछ आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में सराहनीय गिरावट आई है।

श्री पी० के० कोडियन : चलो बाजार चलते हैं और वहां जाकर देखते हैं।

राव बीरेन्द्र सिंह : मैं आपके साथ बाजार जाऊंगा।

श्री सुनील मैत्रा (कलकत्ता उत्तर पूर्व) : आप कहां से खरीदते हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : आप उत्तर पर ही ध्यान दीजिए। मन्त्री महोदय श्री कोडियन द्वारा उठाए गए प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं।

राव बीरेन्द्र सिंह : सरकार ने पिछले सत्र के दौरान घोषणा की थी कि चीनी जैसी अनिवार्य वस्तु की बिक्री इस वर्ष त्यौहारों के अवसरों पर लगभग 6.50 रुपये प्रति किलो की दर की जायेगी। यह बात हमने पहले ही कह दी थी—इसकी तुलना में पिछले वर्ष की दिवाली के दौरान यही दर 10 रुपये प्रति किलो थी।

श्री सुनील मैत्रा : सभी अनिवार्य वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हो गई है।

राव बीरेन्द्र सिंह :कृपया मेरी इस बात का समर्थन करें कि देश भर में चीनी 6.50 रुपये किलो की दर से बेची गई थी जिसकी हमने दशहरा, दिवाली के त्यौहारों के दौरान घोषणा की थी।

त्यौहारों के दौरान खाद्य तेलों के मूल्यों में भारी गिरावट आई। माननीय सदस्य जानते हैं कि मूंगफली, रेपसीड, सरसों के तेलों और वनस्पति तेल के मूल्यों में कैसी गिरावट आई ? हम वनस्पति के मूल्यों को नियन्त्रित करने में भी सफल हुए हैं। दिल्ली में इसका कारखाना दर मूल्य 192 रुपये है। इसके अतिरिक्त 16½ किलो का टिन 210 या 209 रुपये की दर से खरीदने में लोगों को कोई कठिनाई नहीं हुई है।

श्री सुनील मैत्रा : जनवरी, 1980 में इसका मूल्य क्या था ?

राव बीरेन्द्र सिंह : जनवरी, 1980 में हम सत्ता ही में आये थे । हम आपके द्वारा पैदा की गई अव्यवस्था पर नियन्त्रण पाने की कोशिश करते आ रहे हैं ।

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : दर क्या थी ? उस समय मूल्य क्या थे ?

राव बीरेन्द्र सिंह : माननीय सदस्य ने यह प्रश्न उठाया है कि जन वितरण प्रणाली प्रभावशाली नहीं हैं । इतनी अधिक उचित दर की दुकानें जो हमने खोली हैं; उनके लिए इनका कोई अर्थ नहीं है । इस सरकार ने सत्ता में आने के बाद दो वर्ष से भी कम समय के अन्दर 63,000 उचित दर की दुकानें खोली हैं । इन 2,98,000 दुकानो में से लगभग 2,40,000 दुकानें ग्रामीण क्षेत्रों में हैं यानि 80 प्रतिशत उचित दर दुकानें ग्रामीण क्षेत्रों में हैं और 20 प्रतिशत अर्थात् 59,000 दुकानें शहरी क्षेत्रों में हैं । अतः यह कहना बिल्कुल गलत तथा भ्रामक है कि सारे देश की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा और केवल शहरों की ही ओर ध्यान दिया जाता है ।

अनाज एक अनिवार्य वस्तु है जिसकी आवश्यकता हर व्यक्ति को पड़ती है, कोई भी अनाज के बिना जिन्दा नहीं रह सकता । हम देश की सारी जनसंख्या के लिए प्रति मास दस लाख टन अनाज का वितरण कर रहे हैं । 10 लाख टन अनाज जारी करना तथा प्रतिदिन इसका वितरण करना कोई छोटी बात नहीं है । कई अन्य आवश्यक वस्तुओं के मामले में भी यही स्थिति है....... (व्यवधान) आप आलोचना करते रहेंगे क्योंकि यह आपका कर्तव्य है ।

दूसरी आवश्यक वस्तु खाद्य तेल है । 1977-78 के दौरान केवल 52,000 टन आयात किये गये तेल का वितरण जन वितरण प्रणाली द्वारा किया गया । 1978-79 में—मैं तेल वर्ष की बात कर रहा हूं; नवम्बर से अक्तूबर तक—जनता शासन के दौरान 93000 टन आयातित खाद्य तेल का वितरण किया गया और ज्योंही हम सत्ता में आये, 1979-80 वर्ष के दौरान, अक्तूबर 1980 तक, हमारे केवल 10 महीने सत्ता में रहने तक, आयातित तेल का वितरण बढ़कर 3.5 लाख टन तक पहुंच गया जो 8.30 रुपये प्रति किलो की बहुत ही कम दर पर दिया गया, और वर्ष 1980-81 के दौरान यह बढ़कर 4,13,000 टन हो गया है । आयातित तेल की जिस मात्रा का जनता पार्टी के समय वितरण किया है, यह उससे चार गुना अधिक है और फिर भी वे कहते हैं कि उपभोक्ताओं के लिये कुछ भी नहीं किया गया है ।

श्री सुनील मैत्रा : मूल्य बढ़ते जा रहे हैं ।

राव बीरेन्द्र सिंह : मूल्य नहीं बढ़ रहे हैं । इसे उसी मूल्य पर बेचा जा रहा है जिस पर आप बेच रहे थे ।

श्री सुशील मैत्रा : आपके आंकड़ों से सिद्ध होता है कि मूल्य बढ़ रहें हैं । (व्यवधान)

राव वीरेन्द्र सिंह : मुझे नहीं मालूम कि आप किस बाजार में जाते हैं । दिल्ली में कई बाजार हैं । कुछ निषिद्ध क्षेत्र भी हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री वीरेन्द्र सिंह, जहां तथा खाद्य तेल का सम्बन्ध है, आप केवल इसके थोक विक्रेता ही हैं ।

वितरक राज्य सरकार है। (व्यवधान)

राव बीरेन्द्र सिंह : यह बात ठीक है। खाद्य तेल के मामले में हम मूल्य को किसी स्तर तक बनाये रखने में सफल हुये हैं। लेकिन आपने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है, मैं आपका आभारी हूं। हम अनाज कम मूल्य पर केन्द्रीय स्टाक से जारी करते हैं। इसके लिये भारी राज सहायता दी जाती है। वित्त मन्त्री अनाज के वितरण के लिये 500 से 600 करोड़ रुपये की राज सहायता दे रहे हैं। वितरण लागत 400 करोड़ रुपये से कुछ कम बैठती है। लेकिन मैं इस बात से सहमत हूं कि हम अब तक सभी राज्यों को इस जन वितरण प्रणाली से जिसके लिये केन्द्रीय सरकार इतनी अधिक राज सहायता दे रही है, राजस्व न कमाने के लिये राजी नहीं कर पाये हैं, वे बहुत अधिक दाम ले रहे हैं और हम अनुभव करते हैं कि शायद राज्य सरकारें अनाज कर लगा जाने वाले कर को समाप्त कर सकती है जो वे भारतीय खाद्य निगम के डिपुओं से परचून की दुकानों को अनाज जारी करने पर लगाते है। वे उपभोक्ताओं के हित में मूल्यों में कमी कर सकते थे।

हम हर समय किसानों के अनाज के लाभप्रद मूल्यों में वृद्धि करने के बारे में बातें करते हैं इस समय के कुछ वर्गों से आवाज आयी है कि उपयोक्त मर जायेगा और यह कि किसान को और अधिक न दिया जाये। लेकिन दूसरी ओर से इस बात को अनुभव नहीं करते कि केन्द्रीय सरकार की इस भारी राजकीय सहायता का लाभ उपयोक्ता तक नहीं पहुंच रहा है। कुछ राज्य उपभोक्ताओं से आवश्यकता से अधिक मूल्य ले रहे हैं—केन्द्रीय सरकार के जारी मूल्यों से अधिक.........

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : वे राज्य कौन कौन से हैं?

उपाध्यक्ष महोदय : राव बीरेन्द्र सिंह जी आप अपनी सप्लाई दर और राज्य सरकारों की बिक्री दर सम्बन्धी कुछ आंकड़े दें।

राव बीरेन्द्र सिंह : अब हम समूची प्रणाली के सुचारु रूप से चलाने का प्रयत्न कर रहे हैं। हम इस बात की कोशिश भी कर रहें हैं कि राज्य सरकारें उपभोक्ताओं की कीमत दर इससे राजस्व न कमायें। हम इस बात को गम्भीरता से देख रहे हैं। हम इन बातों के बारे सचमुच चिंतित हैं। हम सदस्यों की इस चिंता के भागीदार हैं कि उपयोक्ताओं के खाद्य तेल, अनाज, चीनी जैसी आवश्यक वस्तुयें उचित मूल्य पर मिलनी चाहिये। केन्द्रीय सरकार राज सहायता के रूप में भारी राशि दे रही है लेकिन जरूरत इस बात की है कि जो कुछ भी उपलब्ध हो उसका वितरण देश भर में उचित और समान ढंग से होना चाहिये और इस वितरण के लिये राज्य सरकारें जिम्मेदार हैं हम नीति निर्धारित करते हैं और उनके कार्यों पर निगरानी रखते हैं। यदि हमें भारी पैमाने पर कर्मचारों का पता चले, तो हम उचित कार्यवाही भी करते हैं। लेकिन हमें सभा के दूसरे पक्ष के समर्थन की भी आवश्यकता है। सुधार सम्बन्धी जो भी सुझाव उनसे आयें, हम बहुत खुश होंगे और उनकी सलाह के लिये आभारी रहेंगे। यह उपलब्धी है............

श्री पी० के० कोडियन : मैंने सर्वजनिक वितरण प्रणाली और उत्पादन के ऊपर नियंत्रण के बारे में एक निश्चित प्रश्न पूछा था।

राव बीरेन्द्र सिंह : जैसे कि कहा गया है केवल अधिक उत्पादन ही से राहत मिलेगी। हम इस ओर पूरा ध्यान दे रहे हैं। आप जानते हैं कि कृषि के मामले में सारी दुनिया हमारे प्रयत्नों

की सराहना कर रही है। प्रधानमंत्री के मेलबोर्न तथा कानकुन जाने पर क्या हुआ ? सारे देश यह जानने में दिलचस्पी ले रहे हैं कि इतनी बड़ी जनसंख्या के पालने में ही नहीं बल्कि अनाज की काफी मात्रा का जरूरत मंद देशों के निर्यात्त करने में वे कैसे सफलता प्राप्त कर रही हैं। गेहूं ही नहीं हम प्रति वर्ष 5 लाख टन चावल का निर्यात भी कर रहे हैं और यदि विपक्ष इस प्रकार की उपलब्धियों की ओर आंखें मूंदना चाहते हैं तो..............

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (दुर्गापुर) : भारत के लोगों की कीमत पर आप गेहूं तथा अन्य वस्तुओं का निर्यात कर रहे हैं।

राव बीरेन्द्र सिंह : हम सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि देश के हर भाग में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। हाल ही में संसद द्वारा पारति सभी कानूनों का हम पूरा उपयोग करना चाहते हैं। आपने सहायता दी है, आपने हमारे द्वारा रखे गए आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक का समर्थन किया था जिसे सम्पूर्ण सभा और सभा के सभी वर्गों के सहयोग से पारति किया गया था। उसको लाने का एक मात्र उद्देश्य कदाचार को समाप्त करना था। हम जखीरे बाजी, कालाबाजारी तथा अन्य गलत काम करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करेंगे। आपको महसूस करना चाहिए कि इस प्रणाली को पूर्ण बनाने के लिए कुछ समय की आवश्यकता होती है और इसके लिए सभा के दोनों पक्षों का सहयोग और सहायता चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री आर० पी० दास। आप केवल प्रश्न पूछिए। अन्यथा इसमें अधिक समय लगेगा। श्री कोडियन द्वारा पूछे गए सभी मुद्दों को छोड़कर आप नए प्रश्न पूछ सकते हैं। आप मंत्री महोदय आड़े हाथों ले सकते हैं मुझे सहयोग चाहिए।

श्री रेणुपद दास (कृष्नगर) : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने एक सीमित प्रश्न पर कई मुद्दे उठा दिए हैं। इन पर पूर्ण बहस की आवश्यकता है। इस समय अपने को एक सीमित क्षेत्र तक सीमित रखूंगा। तथापि मंत्री महोदय को उपयुक्त उत्तर तभी दिया जाएगा जब मुझे सही सूचना प्राप्त हो जाएगी।

मैं अब सभा पटल पर रखी गई सूचना को लेता हूं, जिसमें यह कहा गया है कि सरकार सभी वस्तुओं की मूल्य वृद्धि से चिंतित है। परन्तु महोदय, आप देखेंगे सरकार द्वारा मूल्य वृद्धि के प्रति बहुत चिंतित होने के बावजूद जनसाधारण और गांव में रहने वाले लोगों को सरकार के भारी भरकम शब्दों का कोई लाभ नहीं होता। दूसरे पैरे में यह कहा गया है कि सरकार मूल्यों को नियन्त्रित करने में सफल रही है अथवा सितम्बर, 81 में मुद्रास्फीति की दर को 27% से 7% तक नीचे लाने में सफल रही है। सरकार यह भी दावा करती है कि पिछले महीने की तुलना में मूल्यों में भारी गिरावट आई है। परन्तु उसका उपभोक्ता मूल्य से संबंध नहीं जोड़ा गया है। महोदय, अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक निरन्तर बढ़ता रहा है। आप देखेंगे कि मार्च 1977 में जब जनता पार्टी शासन में आई सूचकांक 321 का परन्तु जनवरी, 1980 में यह बढ़कर 371 हो गया। जनता सरकार के शासन काल में 50 अंकों की वृद्धि हुई। परन्तु कांग्रेस (इ) के

सत्ता के इन 21 महीनों में सूचकांक बढ़कर 465 हो गया है अर्थात् अब तक 85 अंकों की वृद्धि हुई है। अतः सरकार यह क्यों कहती है कि इस ने जनसाधारण के लिए कुछ किया है ? सरकार ने गांव में रहने वाले लोगों तथा समाज के कमजोर वर्गों के लिए कुछ नहीं किया है। क्या यह सरकार इस देश के लोगों के भले के लिए है ?

महोदय, सरकार को थोक मूल्य सूचकांक के नीचे शरण नहीं लेनी चाहिए। मुद्रास्फीति की दर में गिरावट का उपभोक्ता मूल्य से कोई संबंध नहीं है। महोदय, इस प्रकार सरकार ने अपनी विश्वसनीयता खो दी है। वक्तव्य के अन्त में मंत्री महोदय ने सभा को पुनः विश्वास दिलाने का प्रयत्न किया है कि वस्तुओं के मूल्यों में कमी लाने के लिए सदस्यों को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। परन्तु मेरे विचार में एक सदस्य या सभी सदस्य बढ़ते मूल्यों के संबंध में जो कि एक व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर की बात है, कुछ नहीं कर सकते। मुझे अब दो या तीन प्रश्न पूछने हैं। मेरा पहला प्रश्न यह है :

क्या सरकार 'काम के बदले अनाज कार्यक्रम' को पुनः चलाना चाहती है जिसने देश के निम्न वर्ग को राहत पहुंचाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी ?

जैसा कि आप जानते हैं 'काम के बदले अनाज कार्यक्रम' ने 1978 में पश्चिम बंगाल में आई अभूतपूर्व बाढ़ के समय एक महत्वपूर्ण भूमिका निभायी थी। पश्चिम बंगाल में 1978 में अनाज का कोई अभाव नहीं था। उस समय 'काम के बदले अनाज कार्यक्रम' के अन्तर्गत बाढ़ पीड़ित लोगों को पर्याप्त मात्रा में अनाज सप्लाई किया गया था। उस समय पश्चिम बंगाल में मूल्य वृद्धि नहीं हुई। अतः मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार 'काम के बदले अनाज कार्यक्रम' को पुनः चलाना चाहती है ?

दूसरी बात, महोदय, हमें यह बताया गया कि इस समय सम्पूर्ण देश में 2.96 लाख उचित दर दुकानें हैं। परन्तु यह संख्या अपेक्षित संख्या से बहुत कम है। यह उससे आधी भी नहीं है और इस प्रकार सम्पूर्ण देश को यह सुविधा प्राप्त नहीं है। इस प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है। वर्ष 1980-81 के दौरान इन उचित-दर दुकानों के माध्यम से सरकार 140 लाख टन से अधिक अनाज सप्लाई नहीं कर पाई जो कि देश की कुल खपत का दसवां हिस्सा होता है। इस प्रकार मौजूदा प्रणाली प्रभावकारी और कुशलतापूर्ण ढंग से कार्य नहीं कर रही है। सरकार को सम्पूर्ण देश में फैली इन उचित दर दुकानों के माध्यम से अधिक मात्रा में अनाज तथा अन्य आवश्यक वस्तुएं सप्लाई करनी होगी ताकि ये वस्तुएं सभी लोगों को प्राप्त हो सकें।

मैं आवश्यक वस्तुओं की विशेषरूप से अनाज की आन्तरिक वसूली के मुद्दे पर अधिक जोर देना चाहूंगा। इसमें तब तक सफलता नहीं मिल सकती। जब तक सरकार इसे अपने हाथ में नहीं लेती। सरकार यह प्रस्ताव कब लाती है ; मैं यह भी जानना चाहता हूं। और इसी के साथ मैं अपनी बात सामाप्त करता हूं।

राव बीरेन्द्र सिंह : महोदय, में पहले ही स्पष्ट कर चुका हूं कि जब हम पिछले वर्ष के महीनों और इस वर्ष के महीनों के बीच मुद्रा स्फीति की दर में अन्तर की बात करते हैं तो इसका

अर्थ यह नहीं है कि हम इस बात का दावा कर रहे हैं कि हमने मुद्रा स्फीति को बढ़ने से पूर्णतया रोक दिया है। या मूल्यों में भारी गिरावट ला दी है। हमारा कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि मुद्रास्फीति की दर मन्द कर दी गई है। इसमें अब पहले की भाँति जल्दी-जल्दी वृद्धि नहीं हो रही है और यह आजकल, जबकि मूल्य वृद्धि एक अन्तर्राष्ट्रीय बात है एक भारी सफलता है।

महोदय, इन्होंने 'काम के बदले अनाज कार्यक्रम' का उल्लेख किया था। इसे पुनः चलाने के लिए, जो इन्होंने कहा है उसका क्या अर्थ है मैं नहीं जनता। यह कभी बन्द नहीं हुआ। यह चल रहा है। केवल नाम में परिवर्तन हुआ है। हम अब इसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम कहते है। इसमें अब न केवल खाद्यान्न बल्कि नगद पैसे भी दिए जाते है ताकि ग्रामीण समुदाय स्थायी किस्म की सम्पत्ति बनाने के लिए सामान भी खरीद सके। इस वर्ष भी यदि मैं गलती पर नहीं हूं मैं अपनी स्मरणशक्ति के आधार पर बोल रहा हूं, हमने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के लिए 360 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए हैं। यह अब केन्द्र और राज्य सरकार के बीच पचास पचास के अनुपात में है ताकि कुछ भी बरबाद अर्थात व्यर्थ न हो और राज्य अपनी जिम्मेदारी समझें।

अब हमने यह व्यवस्था भी कर दी है कि कामगार को एक किलो खाद्यान्न भी सप्लाई किया जाए। मैं माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए मुददे की सराहना करता हूं जिन्होंने ठीक ही कहा है कि इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अनाज देने से खाद्यान्नों के मूल्य को नियन्त्रित रखने में सहायता मिलती है, देश के दूरस्थ क्षेत्रों में इस वस्तु की अपेक्षाकृत अच्छी सप्लाई दी जाती है और बाजार पर इसका दबाव भी कम हो जाता है। इस उद्देश्य को दृष्टि में रखते हुए हमने इस कार्यक्रम में खाद्यान्न का भी कुछ हिस्सा रखा है।

श्री रेणुपद दास : आपने इस वर्ष 'काम के बदले अनाज कार्यक्रम' के अन्तर्गत पश्चिम बंगाल सरकार को उसकी 40,000 टन की खाद्यान्न की मांग की तुलाना में केवल 12,000 टन खाद्यान्न सप्लाई किया है।

राव बीरेन्द्र सिंह : मैं विवाद या तर्क-वितर्क में नहीं पड़ना चाहता। आप हमेशा पश्चिम बंगाल की बात करते रहते हैं। मेरी अब भी यही राय है और में यह बताना चाहता हूं कि खाद्यान्न की सप्लाई के मामले में पश्चिमी बंगाल सरकार केन्द्र सरकार की सबसे अधिक चहेती सरकार रही है। उन्हें प्रत्येक महीने 3 लाख टन खाद्यान्न सप्लाई किया जाता है। हम इसे पश्चिम बंगाल सरकार को आवंटित कर देते हैं। यह अन्य किस राज्य के आवंटन से अधिक है। फिर भी हमेशा उनकी शिकायत बनी रहती है। काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अन्तर्गत उन्हें अपना भाग मिल रहा है, वस्तुतः उन्हें अपने भाग से भी अधिक मिल रहा है।

सदस्य महोदय ने सम्पूर्ण आबादी को खाद्यान्न उपलब्ध कराने की पूरी जिम्मेदारी लेने की बात भी कही थी।

इसका अर्थ होगा केन्द्र सरकार द्वारा खाद्यान्न व्यापार अपने हाथ में लेना। हम कह चुके हैं कि देश से निजी व्यापार को समाप्त करना सम्भव नहीं है। किसी भी सरकार के लिए अपनी सम्पूर्ण आबादी को भोजन उपलब्ध कराने की, खाद्यान्न के भारी स्टाक का रख रखाव करना,

70 करोड़ की सम्पूर्ण आबादी को भोजन उपलब्ध कराना, इन खाद्यान्नों की वसूली करना, उनका स्टाक रखना, उन्हें सभी दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंचाना संम्भव नहीं है।

यदि इसके प्रति उनकी अत्यधिक रूचि है तो उन्होंने इस पर उस समय जोर क्यों नहीं दिया जब जनता सरकार लगभग 3 साल तक में रही ? मैं नहीं जानता। आपको इस बात के लिए दबाव डालना चाहिए था। संभवतः हम आप से सीखते। आप चुप रहे जब जनता सरकार सत्ता में थी। आपने कुछ नहीं किया। हम सस्ती दरों पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित किये जाने वाले अनाज की मात्रा में धीरे-धीरे वृद्धि करते रहे हैं। जनता शासन काल में यह मात्रा 100 या 110 लाख टन हुआ करती थी। अब इस सरकार के सत्ता में आ जाने के पश्चात् और विशेष रूप से सूखे की स्थिति में लोगों की देखभाल करने के लिए हमने इसे बढ़ाकर 150 लाख टन कर दिया है। यह जनता सरकार द्वारा जारी की गई मात्रा से 50 प्रतिशत अधिक है यह जनता सरकार से जारी की गई मात्रा से काफी अधिक है। मेरे विचार से मैंने सभी मुद्दों का उत्तर दे दिया है। यह प्रणाली सफल रही है। यह सन्तोषजनक ढंग से चल रही है। जहां कहीं सुधार की गुंजायश है हम इसमें सुधार लाने का पूर्ण प्रयत्न कर रहे हैं ताकि यह अधिक कुशलता से काम कर सके।

एक माननीय सदस्य : अब एक बज चुका है। अब सभा को मध्याह्न भोजन के लिए स्थगित कर दीजिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवस्था बनाए रखिए। मैं सभा स्थगित नहीं कर रहा हूं हम पहले ही इस पर एक घंटा दे चुके हैं। श्री नरायण चौबे। कृपया संक्षेप में कहिए।

श्री नरायण चौबे : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा अनुरोध यह है। यहां पर शब्दों का आंकड़ों का या सांख्यिकी का आडम्बर सहायक नहीं होगा। आप इस आधारभूत तथ्य को आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में निरन्तर वृद्धि हो रही है। एक तरफ रख सकते हैं। किसी वस्तु का कुछ समय तक मूल्य गिर सकता है परन्तु उसका श्रेय आपको नही मिल सकता। आपने दावा किया है कि प्याज की कीमत कम होकर 1-50 रुपए प्रति किलो तक आ गई है। यह नई दिल्ली में केवल 10 केन्द्रों में बिकता है। मैं विट्ठल भाई पटेल हाऊस में रहता हूं। मैंने विट्ठल भाई पटेल हाऊस के पास प्याज बेचने वाले व्यक्ति से पूछताछ की। उसने बताया कि प्याज का मूल्य 3-50 रुपए प्रति किलो है। अतः यह कहना कि प्याज का मूल्य नीचे आ गया है, ठीक नहीं है। परन्तु क्या आप आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में कमी लाने के लिए उत्तरदायी नहीं हैं ? बंगला में एक मुहावरा है–

झड़े काक मोरे फकीरेर किरामोती बाड़े। कौवा तूफान के कारण मर जाता है परन्तु इसका श्रेय फकीर को जाता है। किसी समय किन्ही वस्तुओं के मूल्यों में कमी आ जाती है उसका श्रेय आप स्वयं नहीं ले सकते। कुछ समय पहले आलू की कीमतों में कमी आ गई थी परन्तु यह आपकी सरकार की नीति का परिणाम नहीं था। यह किसानों के कारण था जिन्होंने आलू का अधिक उत्पादन किया।

राव बीरेन्द्र सिंह : वह आपके परिश्रम का फल था ।

श्री नारायण चौबे : यदि आप इतने शक्तिशाली हैं, जितना कि बताया गया है तो आप इन आंकड़ों को चुनौती दीजिए । बाजार में अच्छा चावल 6-75 रुपये प्रति किलो ग्राम बेचा जा रहा है । दाल 6.50 रुपये प्रति किलो है । आप चावल की कीमतें घटाइये । वनस्पति 14.25 रुपये प्रति किलो बिक रहा है खाने का तेल 19.95 रुपये प्रति किलो मिल रहा है, गैस प्रति सिलण्डर 50.75 रुपये है, साबुन प्रति टिकिया 2.20 रुपये बिक रहा है चीनी 6 रुपये 50 पैसे प्रति किलो बेची जा रही है और मिट्टी का तेल 1 रुपया 30 पैसे प्रति लीटर बेचा जा रहा है । यदि आप इतने ही शक्तिशाली है तो आप इन आवश्यक वस्तुओं की कीमतें कम करके दिखाइये । परन्तु यह सब करने की शक्ति आप में नहीं है ।

राव बीरेन्द्र सिंह : मैं यह दावा तो नहीं कर रहा हूं कि मैं शक्ति शाली हूं ।

श्री नारायण चौबे : आप जो नीति अपना रहे हैं उसी से ये कीमतें बढ़ी हैं । बजट सत्र के दौरान हमने आपको चेतावनी दो थी कि देश को भारी संकट का सामना करना पड़ेगा और आपकी आर्थिक नीतियों के कारण कीमतों में वृद्धि होगी । आपने हमारी सलाह पर कोई ध्यान नही दिया था । समस्त पूंजीवादी दुनियां मुद्रास्फीति के संकट से गुजर रही है और आप यह दावा कर रहे हैं कि आपने उस पर नियन्त्रण करने में सफलता प्राप्त की है । परन्तु चाहे आपने मुद्रास्फीति पर नियन्त्रण कर लिया हो या नहीं—हां, आपने मुद्रास्फीति पर नियन्त्रण कर लिया है—लेकिन इससे हमारे देश के आम व्यक्ति और हमें क्या लाभ पहुंचा ? इससे गाँवों और कस्बों में रहने वाले लोगों को किस प्रकार सहायता मिलती है ?

कीमतों में वृद्धि का एक कारण तो सरकार द्वारा अपनाई गई नीति है । अब देखिए इस वर्ष आपने रेल यात्री-भाड़े और माल-भाड़े में दो बार वृद्धि की है । कोयले, पैट्रोल-उत्पादों और इस्पात तथा सीमेंट सभी की कीमतें बढ़ती हैं । क्या आपने इन वस्तुओं की कीमतें कम करने के उपाय किये हैं ? ये सब बातें हमें कहां ले जाकर छोड़ेगी ? इन सभी वस्तुओं का उत्पादन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में होता है । आप कहते हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ऋण से मुद्रास्फीति की दर में गिरावट आयेगी । अ० मु० को० की ऋण देने की शर्तें देश के हित में नहीं हैं । आप कहते हैं कि थोक मूल्यों में गिरावट आई है । निस्सन्देह गिरावट आई है । परन्तु खुदरा कीमतों के बारे में स्वयं आपने यह स्वीकार किया है कि स्थिति ऐसी नहीं है । यदि कोई गाय दूध नहीं देती है और बछड़े नहीं देती हैं तो उसे रखने से क्या फायदा ? संस्कृत में एक कहावत है ।

किम् त्वया क्रियते धिन्ना या या न सुत: न दुग्धध: ।

एक माननीय सदस्य : वे तो केवल गोबर के लिए गायें रखे हुए हैं ।

श्री नारायण चौबे : यह तो स्वयं आपने स्वीकार किया है कि कीमतों को कम करने और नियन्त्रित करने का एक उपाय है उत्पादन बढ़ाना । चीनी के बारे में आपका क्या कहना है ? यद्यपि गतवर्ष की तुलना में चीनी का उत्पादन बढ़ा है और खुले बाजार में भाव गिरे हैं पर आपकी सरकार चीनी की कीमतें प्रति क्विंटल 15 रुपये बढ़ा दी है । यद्यपि उत्पादन बढ़ा है फिर यह कैसी बात है कि आप स्वयं ही कीमतें बढ़ा रहे हैं ।

एक दूसरे क्षेत्र में भी आप असफल रहे हैं। जब आलू उत्पादक अपनी पैदावार लेकर बाजार में आते हैं तो कीमतें गिर जाती हैं लेकिन आप आलू की खरीद नहीं करते हैं और जब प्याज उत्पादक अपने उत्पादक की उचित कीमत मांगते हैं, जो उन्हें मिलनी चाहिये, तो आप उन पर टूट पड़ते हैं, झपटते हैं और यहां तक कि उनको जान से भी मार डालते हैं, परन्तु आप उन्हें उचित लाभकारी मूल्य नहीं देते हैं। कुछ भी हो जब ये वस्तुएं व्यापारियों और जमाखोरों के हाथों में पहुंचती हैं तो कीमतें बढ़ जाती हैं, परन्तु आप उन पर तो नहीं बरसते हैं। ऐसी स्थिति में आप कीमतों पर कैसे नियन्त्रण रख सकते हैं ? आप हाल ही में हरियाण और पंजाब में चावल खरीदने में असफल रहे। जहां तक गेहूं........................

राव बीरेन्द्र सिंह : वे अच्छा काम कर रहे हैं। उनका खरीद का काम जोर से चल रहा है।

श्री नारायण चौबे : गत वर्ष आप खरीददारी करने में असफल रहे थे।

राव बीरेन्द्र सिंह : जहां देय हो वहां पर तो आपको श्रेय देना ही चाहिए। पंजाब और हरियाणा तो सारे देश को अनाज दे रहे हैं।

श्री नारायण चौबे : उन्हें और अच्छी तरह से देश को खाद्यान्न उपलब्ध कराने चाहिए। जबकि हरियाणा और पंजाब के किसानों को प्रति क्विंटल 1 रुपया 50 पैसे की वृद्धि तो आप दे नहीं सके उलटे अमरीका से 200 रुपये क्विंटल गेहूं आयात कर रहे हैं। यह तो आपकी नीति है।

एक और भी मुद्दा है। कीमतें कम कैसे हो सकती हैं ? आप ऐसे लोगों को राजनीतिक संरक्षण प्रदान कर रहे हैं जो कुछ वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि के लिए उत्तरदायी हैं। हाल का अन्तुले का मामला ऐसा ही है। आप जानते हैं कि सीमेंट प्राप्त करने के लिए किस प्रकार लोगों को अधिक कीमत देने के लिए बाध्य किया गया। आप ऐसे लोगों को राजनीतिक समर्थन दे रहे हैं। आप ऐसे व्यक्ति को किसी राज्य का मुख्य मन्त्री बना रहने देंगे। यहां तक कि श्री राजीव गांधी को भी इस सम्बन्ध में कुछ बोलना पड़ा जब आप यह कहते हैं कि आप कीमतें कम कर देंगे तो हमें आप पर विश्वास नहीं होता।

हमें स्वयं अपने अनुभव से पता है कि ग्रामीण बंगाल में और पश्चिम बंगाल के ऐसे स्थानों पर जहां संशोधित राशन लागू हैं गेहूं और अन्य वस्तुएं दुर्लभ वस्तुएं बनी हुई हैं। दूसरे, क्या त्रिपुरा भारत का अंग नहीं है ? अथवा चूंकि वहां वामपंथी सरकार है तो आप उसे 'पराया' समझते हैं ? आप वहां चावल, गेहूं और खाने के तेल क्यों नहीं भेजते ? आप राष्ट्रीय एकता की बात करते हैं और सारे देश को खाद्यन्न जुटाने का उत्तरदायित्व आपने लिया है। त्रिपुरा भी भारत का एक अंग है, लेकिन आप ये वस्तुएं वहां भेजने में असमर्थ रहे हैं।

आपका कहना है कि आप इन वस्तुओं की पूर्ति उचित दर की दुकानों और अन्य दुकानों द्वारा कम कीमत पर कर रहे हैं। आपको राज सहायता देनी पड़ती है और उसके लिए आप बहुत बड़ी धन राशि व्यय कर रहे है—400 से 500 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आप राज सहायता जारी रखेंगे ? मुझे प्रसन्नता होगी यदि आपका उत्तर हां में हो अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण मिलने की एक शर्त यह भी है कि आपको इस राज सहायता

को बन्द करना पड़ेगा । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आप इस राज सहायता को जारी रखेंगे जिससे कि लोगों को नियन्त्रित दामों पर उचित दर की दुकानों से अपना राशन मिल सकें ।

आपने प्रश्न का यह उत्तर दिया है कि आप खाद्यान्न आदि का थोक व्यापार अपने हाथ में नही ले रहे हैं । परन्तु थोक व्यापार को अपने हाथ में लिए बिना आप कीमतों को कैसे नियन्त्रित कर सकते हैं ? चीनी मेरे गोदाम में रहेगी और आप कीमत निर्धारित करेंगे और हम उसे स्वीकार करेंगे ! अतः स्वाभाविक है कि और कोई रास्ता ही नहीं है । यदि आप कीमतों पर नियन्त्रित रखना चाहते हैं तो आप बाजार में उतरिये । और एक बार आपने 1970-71 में प्रवेश करने का साहस किया था लेकिन शायद आपको अच्छा पाठ मिल गया था । परन्तु मैं यह तो नहीं जानता कि क्या आप चीनी समेत खाद्यान्नों का थोक व्यापार अपने हाथ में लेने जा रहे हैं या नहीं और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अच्छे ढंग से फैलाने का भी आपका इरादा है या नहीं। मैं इससे असहमत नहीं हूं आपने हमें अनेक धक्के पहुंचाए हैं । लेकिन फिर भी महोदय "मुर्गी केर कराए केर कराए अण्डा पाड़े ना"— मुर्गी बोलती तो है लेकिन अण्डा कभी नहीं देती है । मुझे आपके हरियाणा, पंजाब का तो पता न हीं परन्तु आप, बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में जाकर देखिए । पश्चिम बंगाल में तो महोदय कोई वस्तु आपको कभी-कभी मिल भी सकती है । परन्तु आप बिहार या उड़ीसा के गांवों में जाकर देखिए आपको कुछ भी तो नहीं मिलेगा । दुकानें तो हैं । अतः कृपया करके इतना अवश्य कीजिए कि "मुर्गी केर कराए केर कराए अण्डा पाड़ो ।"

महोदय एक और बात मैं यह जानना चहाता हूं कि किसानों को उनका लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए आप क्या-क्या उपाय करने जा रहे हैं और किस प्रकार आप सरकारी खरीद करने वाले हैं और उनको किस प्रकार आप कार्यान्वित करेंगे ? उसके बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं । और फिर नियन्त्रित मूल्य पर सारे बुवाई के मौसम में किसानों को डीजल, उर्वरक कीटनाशकों की आपूर्ति के लिए आप क्या कर रहे हैं ? उनको बड़ी हानि उठानी पड़ी है । उनको दुतरफा हानि उठानी पड़ी है ।

मेरा अन्तिम प्रश्न यह है कि जब कभी आप थोक व्यापार को अपने हाथ में लेने, राष्ट्रीयकरण करने की बात करते हैं तो अनेक प्रश्न उठ खड़े होते हैं ।

भ्रष्टाचार नौकर शाही हथकण्डे, यह और वह बातें आड़े आ जाती हैं । ये तो सब स्वाभाविक बातें है । अतः स्वाभाविक है कि जब कभी कोई मांग आती है कि आप इनको अपने हाथ में ले लीजिए तो हम पूछते हैं कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में नौकरशाही लालफी शाही को समाप्त करने के लिए आप क्या करने जा रहे हैं ? और क्या वितरण प्रणाली के सभी क्षेत्रों में जांच करने के लिए आप सर्वदलीय समितियां बनाने से समर्थ हैं । ये मेरे प्रश्न हैं ।

महोदय, माननीय सदस्य प्याज की दुनिया से नहीं निकल पाये हैं यद्यपि पहले भी अनेकानेक बार यह स्पष्ट कर दिया गया था और बहुत से सदस्यों ने जो यहां बोले हैं, यह स्वीकार किया है कि प्याज की कीमतें गिरी हैं । नवम्बर के प्रथम सप्ताह में बाजार में प्याज की कीमतों में एक दम उछाल आ गया था । उसका कारण पूर्ति की कमी के सिवाय कुछ और न था चूंकि दिल्ली में नेफेड' के पास भण्डार था वह अचानक समाप्त हो गया और देश के अन्य भागों से प्याज की

खरीद में कुछ समय लग गया। परन्तु दिसम्बर, 1981 में प्याज की कीमतों से तुलना करने पर इस समय कीमतें इतनी ऊंची नहीं पहुंची हैं। दिसम्बर, 1979 में प्याज का थोक मूल्य-सूचंलाक 750 था और उस समय भी जब इस मास के आरम्भ में दिल्ली में कीमतें सर्वाधिक थी तो थोक मूल्य सूचंलाक 610 तक ही पहुंचा था। परन्तु कुछ ही दिनों में यह गिर कर 488 रह गया। ये 14 नवम्बर, 1981 के आंकडे हैं। हमने तुरन्त नासिक और राजस्थान के अलवर जिले और अन्य स्थानों से प्याज मंगाई और दिल्ली की मण्डी को प्याजों से भर दिया। अब भी, यदि कोई कठिनाई हो और यदि माननीय सदस्य दिल्ली प्रशासन की इस घोषणा से सन्तुष्ट नहीं हैं कि दिल्ली में सभी इलाकों में दस जगहों पर 1-50 रुपये के भाव से प्याज बेचा जायेगा तो मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाता हूं कि कहीं भी, जहां उन्हें कठिनाई हो रही हो, वह चाहें तो मैं प्रतिदिन 1-50 रुपये की दर से एक ट्रक प्याज भेजने का प्रबन्ध कर दूंगा। कहीं भी कोई भी कठिनाई नहीं है। वह दिल्ली और दिल्ली के लोगों की कठिनाई की बात कर रहे थे। **(व्यवधान)** यदि आप एक ट्रक साउथ एवेन्यू में या नार्थ एवेन्यू में चाहते हैं ……… **(व्यवधान)** इसका अर्थ यह है कि स्थिति सामान्य है।

दूसरी बात जो माननीय सदस्य ने कही है कि खुदरा स्तर पर मूल्यों में कमी नहीं हुई है। परन्तु थोक मूल्यों का प्रभाव खुदरा मूल्य पर भी पड़ता है और अनेक आवश्यक वस्तुओं के थोक मूल्यों में कमी हुई है। यदि माननीय सदस्य चाहें तो मैं आवश्यक वस्तुओं के संबन्ध में कुछ आंकड़े दूंगा।

7 नवम्बर को समाप्त होने वाले पिछले दस सप्ताहों के दौरान चावल का थोक मूल्य सूचाकांक 3.1% चने का 3.2% मूंग की दाल का 5.7% मछली का 20% और आलू का 7.4% कम हो गया और सरसों के तेल का सूचाकांक 4.4% तथा लगभग 5% कम हो गया है।

श्री नारायण चौबे : जो 4 रुपये दाल थी उसका भाव 8 रुपये तक बढ़ गया और अब आठ रुपये से कम कर के 7 कर दिया तो क्या यह प्राइस कम हो गए।

राव बीरेन्द्र सिंह : जब होल सेल प्राइस घटेगी तो रिटेल में भी घटेगी।

श्री नरायण चौबे : 8 रुपये से कम कर के पौने आठ रुपये कर दिया तो क्या यह कम हो गया ?

राव बीरेन्द्र सिंह : कम तो हो गया।

एक बाजार से दूसरे बाजार में खुदरा मूल्य में अन्तर होता है। यदि आप आलीशान बाजार जैसे श्वान मार्किट में जाए तो आपको चीजें काफी मंहगी मिलेंगी। यदि आप सुपर बाजार में जाएं तो आपको सस्ती मिलेंगी। ऐसे भी बाजार हो सकते हैं जो सुपर बाजार से भी सस्ते मूल्य पर चीजें बेच रहे हों। यह उन चीजों की किस्म पर भी निर्भर करता है जो आप खरीदते हैं। अच्छी किस्म की प्याज का मूल्य ज्यादा हो सकता है और ऐसा ही दाल के मामले में भी है। बीच की किस्म निश्चित रूप से सस्ती होगी और घटिया किस्म और भी सस्ती होगी। खुदरा मूल्यों के संबन्ध में आंडे देना बहुत कठिन है। यह सम्भव नहीं है। हम एक बाजार से दूसरे बाजार एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले एक दुकान से दूसरी दुकान और एक पटरी से दूसरी पटरी के खुदरा मूल्य दे सकते हैं।

श्री चंद्र जीत यादव (आजम गढ़) : ऐसा क्यों होता है कि एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में मूल्यों में अन्तर होता है ?

राव बीरेन्द्र सिंह : यह विभिन्न बातों पर निर्भर करता है। श्री यादव, आप यह भली भांति जानते हैं। आप भी अपना अनाज विभिन्न मूल्य पर बेचते हैं। मैं उसे भिन्न मूल्य पर बेचता हूं एक दुकानदार एक मूल्य पर बेचता है और दूसरा दूसरे पर। दुकानों का किराया भी भिन्न है। उपभोक्ताओं की भुगतान क्षमता भी अलग-अलग है। आपकी तरह कुछ फैशनेबल लोग भी हैं जो अन्य दुकानों से मूल्यों का मिलान नहीं करेंगे और जो भी मूल्य उनसे मांगा जाएगा वह दे देंगे।

माननीय सदस्य ने लेवी चीनी के मूल्य में थोड़ी सी वृद्धि अर्थात 15 पैसे प्रति किलो ग्राम पर आपत्ति की है। वह भली भांति जानते हैं कि गन्ने से चीनी बनाने का खर्च विभिन्न बातों पर निर्भर करता है। लेवी चीनी के मूल्य खुले बाजार में चीनी के मूल्य से काफी कम है। फैक्टरियों को जो भी अतिरिक्त मूल्य दिए जाते हैं उसका कारण यह है कि हम चाहते हैं कि फैक्टरियों द्वारा किसानों, गन्ना-उत्पादकों को उचित मूल्य दिया जा सके। जब तक हम फैक्टरियों को काफी लाभ नहीं देते, तब तक वे किसानों को अच्छे मूल्य नहीं दे सकेंगी। चीनी का उत्पादन किसानों के कड़े परिश्रम के कारण बढ़ा है। आप इससे सहमत होंगे। हमें यह सुनिश्चित करना है कि गन्ने का उत्पादन कम न हो जैसा कि दो या तीन वर्ष पहले उत्पादन उस समय सत्तारूढ़ विभिन्न सरकारों की गलत नीति के कारण कम हो गया था।

हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि उत्पादन स्थिर रहे चीनी का उत्पादन बढ़ता रहे और किसान अपने उत्पाद का लाभकारी मूल्य प्राप्त करते रहें। हमने इस मामले में त्रिपुरा या अन्य किसी राज्य के साथ पक्षपात नहीं किया है। यदि हम पश्चिम बंगाल की इतनी अच्छी तरह देख भाल कर रहे हैं, तो कोई कारण नहीं कि हमें त्रिपुरा की देख भाल भी उसी तरह नहीं करनी चाहिए। परन्तु कभी ढुलाई संबन्धी कुछ कठिनाइयां हो सकती हैं। हम उन पर पूरी नजर रखे हुए हैं।

जब हम उनसे रिपोर्ट मिलती हैं कि उनका भंडार कम हो गया है तो हम हमेशा ही त्रिपुरा या देश के अन्य किसी भी भाग को खाद्यान्न शीघ्र ही भेज देते हैं। मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाता हूं कि हम यह सुनिश्चित करेंगे कि त्रिपुरा को उसकी आवश्यकतानुसार खाद्यान्न की आपूर्ति होती रहे।

उपभोक्ताओं और उत्पादकों के हित में कुछ मदों पर हमें राज सहायता जारी रखनी पड़ती है। अब यह कहना बहुत कठिन है कि यह बन्द हो जायेगी या कभी बन्द नहीं होगी, परन्तु सरकार की नीति पहले ही घोषित की जा चुकी है। मननीय सदस्य भलीभांति जानते हैं कि राज सहायता की मात्रा धीरे-धीरे कम करना चाहते हैं, परन्तु इस समय यह कहना असंभव है कि यह कब तक जारी रहेगी। जहाँ तक मेरा अपना विचार है, उपभोक्ताओं और उत्पादकों के हित में राज सहायता बिल्कुल बन्द करना हमारे लिए संभव नहीं होगा।

डीजल, मिट्टी का तेल तथा इसी प्रकार की आवश्यक वस्तुएं कृषि में किसानों के लिए आवश्यक सामाग्रियां हैं। हमने यह देखा है कि सभी राज्यों में पर्याप्त आपूर्ति की जाती है तथा इस बारे में कोई शिकायत नहीं है। मिट्टी के तेल का नियतन भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है। डीजल भी निर्धारित मूल्यों पर आसानी से उपलब्ध है और इस संबन्ध में कोई कठिनाई नहीं है।

श्री जयपाल सिंह कश्यप (आंवला) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री जी देश के लोगों को आंकड़ों से संतुष्ट करना चाहते हैं। मैं उन्हीं आंकड़ों के आधार पर पहला प्रश्न यह पूछना चाहता हूं कि क्या आप की सरकार इन आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को उसी सीमा तक ले आएगी जिस सीमा पर उस तारीख को वह थी जिस तारीख को जनतापार्टी ने शासन छोड़ा था और लोक दल ने छोड़ा था ? उस समय जो रिटेल प्राइसेज थीं, क्या उस सीमा तक आप की सरकार कीमतों को ले आएगी ? क्या उसके लिए कोई प्रयास करेगी और उसमें कब तक सफल होगी ? इस पर विशेष रूप से देश के लोग जानना चाहते हैं।

आंकड़ों से तो वही स्थिति हो गई कि पटवारी साहब जा रहे थे, रास्ते में नदी पड़ी, पूछा कितना पानी है ? किसी ने कहा घुटनों तक है, किसी ने कहा कमर तक है, 6 फुट है, बोले औसत हो गया साढ़े चार फुट, पार हो जाएंगे और बीच में डूब गए क्योंकि औसत निकालते रहे। देश आंकड़े नहीं चाहता है और होलसोल प्राइसेज जनता की नहीं हैं। रिटेल प्राइस जनता की प्राइस है, जनता रिटेल प्राइस पर चाहती है। आज सरकारी कर्मचारी जिनको निश्चित तनख्वाह मिलती है, मजदूर जिनकी तनख्वाह नहीं बढ़ी है, जिनकी तनख्वाहें निश्चित हैं उनके लिए आज बहुत बड़ी समस्या है।

कीमतों में भी एक इम्पलाइड कीमत और है जिसका आपके पास कोई आंकड़ा नहीं है। आवश्यक वस्तुएं जो आप की वितरण प्रणाली से मिलती हैं उसमें जो भ्रष्टाचार और मिलावट होती है उससे जो कीमतें बढ़ती हैं उसका कोई आंकड़ा आपके पास नहीं है। आज भी आपकी फेयर प्राइस शाप्स से जो गेहूं मिलता है उसमें 16 किलो गेहूं के अन्दर करीब 8 सौ ग्राम कूड़ा मिला है, इसको मन्त्री जी, आप देखिए, सोलह किलो गेहूं के अन्दर से यह कूड़ा निकाल करके लाया हूं। **(व्यवधान)** यह हमने घर पर छाना है। यह कूड़ा 16 किलोग्राम गेहूं में निकला है, जो गेहूं हमनेफेयर-प्राइस-शाप से लिया है। यदि 16 किलोग्राम में इतना कूड़ा निकला है, तो एक क्विटल में कितना निकलेगा ?

राव बीरेन्द्र सिंह : कहीं से लाकर मिला दिया होगा।

श्री जयपाल सिंह कश्यप : मन्त्री महोदय एक सदस्य पर इस तरह से शक करते हैं, यदि आप इस बात को गलत साबित कर दें, तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। आप मेरे साथ फेयर-प्राइस-शाप पर चलिए, इस तरह से किसी सदस्य पर इस तरह का आरोप लगा देना कि कहीं से ले लिया होगा या इस तरह की बात करना आपको शोभा नहीं देता है, आप जैसे जिम्मेदार व्यक्ति के लिए।

जहां तक कीमतों की स्थिति है, आप होलसेल प्राइस की बात करते हैं, आप क्या लोगों को सस्ती चीजें देंगे। आप आगरा से थोड़ा आगे चले जाइए, वहां गेहूं 200 रु० हो जाता है। उत्तर प्रदेश के कुछ मध्य जिलों में जाइए, तो वहां गेहूं की कीमत 130 रु० से 140 हो जाती है। घी की तो यह हालत है कि लोग लाइन लगाए रहते है और हम लोगों से यहां पर कहते हैं कि हमको भी एक डिब्बा घी का दिलवा दीजिए। एक-एक किलो घी के लिए लोग परेशान रहते हैं। बाजार में घी की कीमत क्या है, तेल की कीमत क्या है, क्या आप को यह मालूम है ?

मैं खास तौर से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि आप जो आई० एम० एफ० लोन ले रहे हैं, क्या इससे इस देश की एसेंशियल कॉमोडिटीज की कीमतों पर कोई अनुकूल प्रभाव पड़ेगा या प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ? इसके अलावा हम यह भी जानना चाहते हैं कि आपका जो फेयर-प्राइस-शॉप्स के डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो भ्रष्टाचार है, उनको रोकने में क्या आपकी सरकार कोई प्रयास करेगी ? देहात में एक आदमी एक किलो चीनी लेने जाता है, तो सुबह दस बजे से और शाम लाइन में लगा रहता है, जब जाकर कहीं उसको एक किलो चीनी मिल पाती है। कितने करोड़ों घण्टे हमारे लोगों के खराब होते हैं, लेकिन इस तरफ सरकार का ध्यान नहीं जाता है। आप दुकानें बढ़ाइए डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ ऐसा सिस्टम लाइए, ताकि लोगों को सामान जल्दी मिल सके। लोग अपने दफ्तर का काम छोड़कर जाते हैं, अपने बच्चों की पढ़ाई को छोड़कर जाते हैं क्या सरकार इन लोगों का समय बचाने के लिए कोई प्रयास करेगी कि लाइन में लगने की नौबत न आए; घण्टों उनको लाइन में न खड़े रहना पड़े और उनको सही समय पर, जो भी आवश्यक वस्तुएं हैं; जो कि फेयर-प्राइस-शॉप से बांटी जाती हैं; उनको मिल सकें ?

आप यहां बैठे हुए हैं, आप हमसे कहते हैं कि शिकायत करिए। हमने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और न जाने कहां-कहां शिकायत की, लेकिन एम० पीज की शिकायत को नहीं सुना जाता है। हमने गांवों में जाकर देखा है कि जहां दो किलो चीनी मिलनी चाहिए, वहां एक किलो दी जाती है लेकिन रजिस्टर में दो किलो चढ़ाई जाती है। गरीब आदमी के यहां कोई शादी ब्याह होता है या और कोई उत्सव होता है, तो उसकी चीनी उपलब्ध नहीं हो पाती है और आपके बाज़ार में आज भी 7-8 रु० किलो चीनी मिलती है। सब्जी मटर और आलू की हालत को देखिए; सीजन होने की वजह से थोड़ा उत्पादन हुआ है, लेकिन आज भी नार्थ-एवेन्यू और साउथ एवेन्यू में, जहां संसद सदस्य रहते हैं, वहां उनको सब्जी किस भाव पर खरीदनी पड़ती है। प्याज पर तो सरकार को शर्म आनी चाहिए थी। उस समय रामलीला मैदान में रो-रो कर कहा था कि प्याज इतना तेज हो गया है कि लोग कैसे अपना जीवन निर्वाह करेंगे। पिछली सरकार को प्याज की वजह से ही हटना पड़ा था, लेकिन यदि आप में शर्म होती तो सात रु० प्याज होते ही कम से कम आपको इस्तीफा दे देना चाहिए था। चीनी आप 6.50 रु० में दिलाते हैं, लेकिन जनता पार्टी और लोकदल की सरकार में 2.75 रु० या 3.15 रु० के भाव से ज्याद नहीं बिकी थी। कीमतें बढाकर और उसके बाद थोड़ी सी घटाकर आप आंकड़ों से सिद्ध करना चाहते हैं कि कीमतें हमने घटा दी हैं, इससे काम चलने वाला नहीं है।

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं—क्या वह इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे कि जो उत्पादक हैं, किसान हैं, दस्तकार हैं, जो भी इन आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। जब उनका उत्पादन बाजार में बिकने जाता है, तो उनकी कास्ट-आफ-प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यू-

शन-सेल की प्राइस में 10 परसेन्ट से ज्यादा का अन्तर साल में नहीं होगा, ताकि देश शोषण से बच सके और इस देश में एसेन्शल कमाडिटीज की सही कीमत बनी रह सके। आप आज के ही अखबार को देखिए—चना कहीं पर 300 रु० रुपये क्विटल है, कहीं 400 रु० क्विटल है और दिल्ली में तो 500 रु० क्विटल खरीदना पड़ रहा है…

एक माननीय सदस्य : 600 रुपए क्विटल विक रहा है।

श्री जयपाल सिंह कश्यप : हमारे एक माननीय सदस्य कह रहे है कि 600 रु० क्विटल है। आप देखिए, उत्पादक को कितना घाटा हो रहा है, यह पैसा उत्पादक को नहीं पहुंच रहा है। सरकार को कोई ऐसी नीति बनानी चाहिए जिससे उत्पादक को सही पैसा मिल सके। जनता पार्टी और लोकदल की सरकारें जब सत्ता से हटी थीं, कीमतों को उस सीमा तक लाने का प्रयास सरकार को करना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन में व्याप्त भ्रष्टाचार और मिलावट को दूर करने के लिए कोई मजबूत मशीनरी कायम करनी चाहिए।

श्री राव बीरेन्द्र सिंह : आनरेबिल मैम्बर ने जो फरमाया है, मैं उससे इन्कार नहीं करता कि हमारे वितरण के मामले में कुछ खराबियां हैं, धांधली भी चलती हैं, मैल-प्रैक्टिसिज भी हैं। उनको रोकने के लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसी लिए मैंने अर्ज किया था कि हमें मैंम्बर्ज का सहयोग चाहिए। आपकी और हमारी नीति एक ही है कि ये खराबियां दूर हों और सरकार का भी इनको दूर करने के लिए पूरा प्रयास जारी है।

अभी आपने कहा—किसी दुकान से आप को सब-स्टैण्डर्ड गेहूं मिला था, उसको यहां हाउस में लाने से मैं नहीं समझ सकता कि मैं क्या कर सकता हूं। जनरली जो बनेगा वह हम करेंगे, लेकिन आप इसकी इत्तिला हमें पहले दे देते, खामोशी के साथ,……

श्री जयपाल सिंह कश्यप : आप हमारे साथ चलें।

राव बीरेन्द्र सिंह : मैं चलने को तैयार हूं—दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के अफसरों को साथ लेकर, उनकी खिचाई करने को भी तैयार हूं, डिपो वालों के खिलाफ एक्शन लेने को तैयार हूं और देखता हूं कि कहाँ से ऐसा गेहूं मिला था, कहां रुकावट है, क्योंकि एफ० सी० आइ० के गोदामों से ठीक माल मिलता है, इसलिए उसमें अगर खराबी आती है तो कहां की जाती है।

श्री दौलत राम सारन (चूरू) : जहां से यह निकलता है वहीं ज्यादा गड़बड़ होती है। एफ० सी० आई० के गोदामों में फर्स्ट क्वालिटी की कीमत पे करते हैं और बीच वालों से मिल कर गेहूं में मिलावट करदी जाती है, उस गेहूं को खराब कर दिया जाता है। हरियाणा में जो घोटाला हुआ—वह आपको मालूम है।

राव बीरेन्द्र सिंह : एफ० सी० आई० से स्टेट गवर्नमेंट की एजेन्सीज उठाती हैं, अगर गेहूं खराब है तो नहीं उठाना चाहिए, उनको पकड़वाना चाहिए। इस खराबी को दूर करने में आप भी मदद करें।

श्री दौलत राम सारन : हम चिट्ठी लिख सकते है, वहां की कमेटी में इस प्रश्न को उठा सकते है, लेकिन उसके बाद भी कार्यवाही नहीं होती है।

राव बीरेन्द्र सिंह : उसके बाद कार्यवाही नहीं हुई तो मुझे बतलाइये।

श्री दौलत राम सारन : किसको बतलायें, सरकार है कहीं ? प्रशासन है कहीं ?

राव बीरेन्द्र सिंह : फिर आप सवाल किससे पूछ रहे हैं ?

श्री दौलत राम सारन : किसी भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई एक्शन लिया ?

राव बीरेन्द्र सिंह : मैं तो यही समझ रहा था कि आप सरकार से प्रश्न पूछ रहे हैं। अगर आपको सरकार दिखाई नहीं देती है तो बैठ जाता हूं।

श्री दौलत राम सारन : इनके नीचे पैर नहीं हैं।

राव बीरेन्द्र सिंह : कीमतों को हम उससे भी नीचे लाना चाहते हैं जितने नीचे आनरेबिल मैम्बर लाना चाहते हैं। हमारी लगातार यह कोशिश है कि कीमतें कम से कम हों, जगह-जगह पर कीमतों का फर्क न मिले, किसी जगह पर दाम बढ़ जाते हैं, किसी जगह पर कम हो जाते हैं। हिन्दुस्तान के अलग-अलग हिस्सों में कीमतो का फर्क दूर हो। इस सम्बन्ध में हम अपनी एजेन्सी बना रहे हैं, मार्केटिंग के इन्तजाम को तेज कर रहे हैं। ऐसा न हो कि कहीं पर कोई चीज पैदा हो कर सड़ जाय, जैसे प्याज, आलू और दूसरी जगह पर उनके दाम ज्यादा हो जाय। जहां तक इनके मूवमेन्ट को ठीक करने और इनके मार्केटिंग का इन्तजाम करने की बात है, उसकी तरफ हमारा लगातार ध्यान है।

श्री जयपाल सिंह कश्यप : मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। अखबारों में एक न्यूज है कि दिल्ली में राशन और चीनी का कोटा कम किया जा रहा है। मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या सरकार की ऐसी कोई नीति है ?

राव बीरेन्द्र सिंह : हर एक सूबे को हम बड़े हिसाब-किताब से देते हैं और मैं इतना ही कह सकता हूं कि दिल्ली के लोगों को खास तौर से रियायत है, चीनी भी ज्यादा मिल रही है हर शहर के मुकाबले में और गेहूं भी ज्यादा मिल रहा है और चावल भी ज्यादा मिल रहा है। यहां किसी चीज की कमी नहीं है। अगर हमको यह नजर आया कि जरूरत से ज्यादा कोई चीज जा रही है और उससे लीकेज होने की सम्भावना है, तो उसको कन्ट्रोल करना पड़ा है लेकिन जो पहले मिल रहा है, उसे घटा नहीं रहे हैं।

श्री हन्नान मोल्लाह (डलूबेरिया) : सरकार और उनके मृदु भाषी वित्त मंत्री चीनी मंडित मूल्य नीति के माध्यम से जहर देकर इस देश के लोगों को मूर्ख बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे देश के लोग उनके हमारी अर्थ व्यवस्था के विरुद्ध षड़यंत्र के कारण कष्ट झेल रहे हैं। माननीय मंत्री ने नीतियों को स्पष्ट किया या हमारे प्रश्नों का उत्तर दिया, परन्तु उनका कोई भी उत्तर सन्तोषजनक नहीं है। उन्होंने स्वीकार किया है कि वे उपभोक्ता मूल्यों में वृद्धि को रोकने में विफल रहे हैं, उन्होंने यह स्वीकार किया है कि वे जनता शासन काल के स्तर पर मूल्यों को कम करने में विफल हैं।

राव बीरेन्द्र सिंह : हमने कभी स्वीकार नहीं किया।

श्री हन्नान मोल्लाह : आपने कहा था कि आप ऐसा करने प्रयास का कर रहे हैं।

राव बीरेन्द्र सिंह : हम सफल रहे हैं।

श्री हन्नान मोल्लाह : आप उसे उस स्तर तक लाने में विफल रहे हैं।

राव बीरेन्द्र सिंह : सम्भवत: आपके स्तर तक नहीं, बल्कि उस तक जिसकी आप इच्छा करते हैं।

श्री हन्नान मोल्लाह : सरकार सदा ही थोक मूल्यों की आड़ लेने की कोशिश करती है। मंत्री महोदय ने हमें यह समझाने का प्रयास किया कि मूल्यों का पता लगाना बहुत कठिन है। सम्पूर्ण देश से आंकड़े एकत्र करने के बाद लेबर जरनल में उपभोक्ता मूल्य प्रकाशित होता है। यह सरकार द्वारा तैयार किया गया है। अत: इसे प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं है। यह सच है कि मूल्य दिन प्रति दिन बढ़ रहे हैं। वे केवल इस प्रकार के वक्तव्यों से इस प्रकार मीठी बातें कर रहे हैं। परन्तु उनको आभास होना चाहिए कि लोग इन वक्तव्यों से सन्तुष्ट नहीं होंगे। वे जानते हैं क्या हो रहा है। मैं और चीजों पर बात नहीं करना चाहता हूं। हम जानते हैं उनके पीछे क्या हो रहा है। वे देश में तथा देश के बाहर, अपने स्वामियों को सन्तुष्ट करना चाहते हैं। इस बढ़ती हुई मूल्य वृद्धि के पीछे यही कारण है।

इस चर्चा के संदर्भ में, हमारी अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति के संदर्भ में, मैं कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं क्या यह सच है कि वर्ष 1981 से 1983 के इन तीन वर्षों में, भारत सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को वचन दिया है कि उर्वरकों के संबंध में 800 करोड़ रुपये अतिरिक्त संशोधन जुटाये जायेंगे..............

उपाध्यक्ष महोदय : वह इसका उत्तर कैसे देंगे ? वित्त मंत्री को इसका उत्तर देना है।

श्री हन्नान मोल्लाह : पैट्रोलियम पर 340 करोड़ रुपये, रेलवे पर 640 करोड़ रुपये और कोयले पर 300 करोड़ रुपये जुटायेंगे वे इससे इन्कार करें।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें विषय से संबंधित प्रश्न पूछने चाहिए।

श्री हन्नान मोल्लाह : अतिरिक्त संसाधन जुटाने के नाम पर क्या उन्होंने स्वयं को अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ वचन बद्ध किया है ? यदि हां, तो क्या यह सच नहीं है कि तथा कथित ऐसे विशाल अतिरिक्त संसाधन जुटाने से मुद्रास्फीति और बढ़ जाएगी ? जिससे महंगाई और बढ़ जायेगी क्या यह सच नहीं है किइसके परिणाम स्वरूप सभी आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में. भारी वृद्धि हो जायेगी ? यदि हां, तो सरकार ऐसी सम्भावित गम्भीर स्थिति से निपटने के लिए क्या उपाय करने का विचार रखती है ?

राव बीरेंद्र सिंह : महोदय, मैंने काफी विस्तार में यह स्पष्ट कर दिया है कि हम किस हद तक मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करने में सफल हुए हैं। मैं माननीय सदस्य से सहमत नहीं हूं कि हम काफी हद तक मूल्यों को नियंत्रित करने में सफल नहीं हुए हैं। हमने ऐसा किया है। यहां तक कि खुदरा मूल्यों में भी कमी आई है, वे भी कम हुए हैं। और यह अभी-अभी सिद्ध हो गया है। प्याज के बारे में काफी शोर-शराबा हुआ था, परन्तु जब मैंने माननीय सदस्यों के द्वारा बताए गए दिल्ली में किसी भी स्थान पर ट्रक भर कर प्याज भेजने का प्रयास किया तो उन्होंने 1.50 रुपये की दर से

प्याज स्वीकार करने से इन्कार कर दिया और फिर भी वे उसी का राग अलाप रहे हैं। (व्यवधान)

जहां तक अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण तथा उसकी ये पेचीदगियों का सम्बन्ध है, मेरे आदरणीय मित्र, वित्त मंत्री, ने पहले ही दोनों सभाओं में विस्तार से इस बारे में बताया है और मैं नहीं समझता कि मैं उन प्रश्नों पर कुछ कह सकता हूं। परन्तु कोई भी ऐसी विशेष बात नहीं है जिसका उत्तर दिया जाए और जिसका उत्तर माननीय सदस्य चाहते हैं।

तत्पश्चात् लोकसभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बजकर 50 मिनट म०प० 1 तक के लिए स्थागित हुई।

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् 2 बजकर 54 मिनट पर पुनः समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

समिति का निर्वाचन

भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर

उपाध्यक्ष महोदय : श्रीमती शीला कौल समिति के चुनाव के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

श्री मनीराम बागड़ी: मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : उनको प्रस्ताव प्रस्तुत करने दीजिए।

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : मैं प्रस्ताव करती हूं।

'कि भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर, के विनियमों के विनियम 3.1 और 3.1.1 के साथ पठित उक्त संस्थान की सम्पत्तियों और निधियों के प्रशासन तथा प्रबन्ध सम्बन्धी योजना के खंड 9 (1) के उपखंड (ड़) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसाकि अध्यक्ष निदेश दें, भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर की परिषद के 1 जनवरी, 1982 से आरंभ होने वाले अगले कार्यकाल के लिए सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है :

"कि भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर के विनियमों के विनियम 3.1 और 3.1.1 के साथ पठित उक्त संस्थान की सम्पत्तियों और निधियों के प्रशासन तथा प्रबन्ध सम्बन्धी योजना के खंड 9 (1) के उपखंड (ड़) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर की परिषद् के 1 जनवरी, 1982 से आरंभ होने वाले अगले कार्यकाल के लिए सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री मनीराम बागड़ी : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं।

श्री मनीराम बागड़ी : कृपया मेरी बात सुनें भारत का एक हवाई जहाज हाईजैक हो गया है। सुबह मैंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया था। स्पीकर साहब ने कहा था कि पता लगने पर सरकार को कहा जाएगा। रेडियो और टैलीप्रिंटर पर इसके बारे में खबर आ गई है। साउथ अफ्रीका में हमारा हवाई जहाज रुका हुआ है। यह सरकार कैसे चलेगी ? सदन को इत्तिला ही नहीं दे रही है। क्या तमाशा हो रहा है ये क्या करेंगे पता लगना चाहिये। देश के लोग सरकार के बारे में क्या सोचेंगे ?

उपाध्यक्ष महोदय : अब नियम 377 के आधीन मामले लिये जायेंगे श्री चिन्तामणि जैन।

नियम 377 आधीन मामले

(एक) हरित क्रांति के लिए कीटनाशी दवाओं के बढ़ते हुए उपयोग के कारण मलेरिया का फैलना

श्री चिंतामणि जैना : (वालासोर) महोदय, ऐसा प्रतीत होता है कि मलेरिया हरित क्रांति के कारण भी बढ़ रहा है। तृतीय विश्व देशों ने गहन खेती पर बल देने के लिए कीटनाशी पदार्थों का अधिक मात्रा में प्रयोग करने के साथ ही साथ यह बीमारी पुनः फैल रही है।

हाल के वर्षों में स्थानीय पर्यावरण में कीटनाशी दवाओं का प्रयोग अत्यधिक बढ़ गया है। और प्रकृति पर एक रिपोर्ट के अनुसार इससे एनाफ्लीज मच्छर जो मलेरिया के कीटाणु "प्लैसमोडियम' के वाहक हैं, प्रतिरोधी बन गये हैं।

अनुसंधान कर्त्ता जॉर्जेन चैपिन तथा शपर्ट वैसस्ट्रोम के अनुसार, जन स्वास्थ अभियानों में मलेरिया समाप्त करने के लिए प्रयोग किये गये डी० डी० टी० तथा दूसरी कीटनाशी दवाओं के मामूली प्रयोग से कुछ थोड़े से मामलों में मच्छरों के अन्दर जो प्रतिरोध शक्ति आ गयी है, वह मलेरिया के पुनः फैलने के लिए वास्तविक रूप से एक उत्तरदायी घटक नहीं है।

तृतीय विश्व देशों में किसानों ने प्रत्येक वर्ष अधिकाधिक मात्रा में कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करना शुरू कर दिया है क्योंकि कपास में लगने वाले "बोल वोविल" जैसे अधिकाधिक प्रतिरोधी होते जा रहे थे।

अनुसंधान कर्ताओं के अनुसार आज से दस वर्ष पहले गौटेमाला निकारागुओं तथा एल सालवाडोर में जिन खेतों पर मौसम में केवल आठ नौ बार छिड़काव किया जाता था उन पर इस समय पचास बार छिड़काव करने करने की आवयश्कता है।

और यह विनाशकारी हो सकता है, क्योंकि डी०डी० सी० या ऐसी किसी दूसरी कीटनाशी दवा को एक बार छिड़कने से मच्छरों में नाशवानता (अर्थात् बढ़ती हुई प्रतिरोध शक्ति) 80 प्रतिशत तक कम हो जाती है।

यह साबित करने के लिए कि यह समस्या गम्भीर है, एलसाल्वाडोट में विशेषज्ञों ने डी० डी० टी० के प्रयोग के मलेरिया के फैलने से सम्बद्ध किया है और यह अनुमान लगाया है कि वर्तमान हालत में पर्यावरण में मिले प्रत्येक एक किलोग्राम से 105 नये मलेरिया के मामले बढ़ सकते हैं।

एक बार कीटों के अन्दर एक पदार्थ के प्रति प्रतिरोध शक्ति उत्पन्न हो जाने पर उनके साथ ही साथ अन्य बहुत से जहरीली दवाओं के प्रति प्रतिरोधी शक्ति उत्पन्न हो जाती है।

अनुसंधान दल का विचार है कि यदि वर्तमान में कीड़े लगने वाली कीमती फसलों पर केवल कीटनाशी दवाओं से ब्लिटजिंग (हवाई छिड़काव) के स्थान पर समेकित कीट प्रबन्ध तरीकों का प्रयोग किया जाता तो मलेरिया पुनः नहीं फैलता।

हमारे देश में हरित क्रान्ति की सफलता के लिए कीटनाशी दवाओं के प्रयोग के इन पहलुओं को ध्यान में रखते हुए विशेषज्ञों को देश से मलेरिया को समाप्त करने तथा साथ ही साथ हरित क्रान्ति को सफल बनाने के लिए मार्गोपाय खोजने चाहिए। माननीय स्वास्थ तथा कृषि मंत्री इस मामले में अपनी कार्यवाही के बारे में सभा में एक वक्तव्य दें।

(दो) मध्यप्रदेश में जैन प्रतिमाओं का विकृत किया जाना

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : उपाध्यक्ष महोदय, भारत एक प्राचीन सभ्यता का देश है। इसकी प्राचीनता कलात्मक संस्कृति पर ही टिकी हुई है, लेकिन यह अत्यन्त खेद का विषय है कि आये दिन समाचार मिल रहे हैं कि अमुक मूर्तियां चोरी हो गईं या अमुक मूर्तियों को तोड़ा फोड़ा गया है। यह एक बहुत ही गम्भीर विषय है। अभी हाल ही में एक ऐसा वाक्या मध्य प्रदेश में हुआ है। वहां स्थानीय श्री दिगम्बर जैन अतिशय क्षेत्र गोपांचल पर्वत पर तेहरवीं से 15 वीं शताब्दी के बीच निर्मित मूर्तियों को फोड़ कर भारत की प्राचीन संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है और सबसे अत्यधिक खेद का विषय है कि इस कुचेष्टा से पुरातत्व विभाग के कर्मी पूर्णतः अवगत है। जैन समाज के प्रतिनिधि पुरातत्व विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों तथा पुलिस से शिकायतें भी कर चुके हैं।

मेरी सरकार से मांग है कि तुरन्त इस विषय में एक इन्क्वायरी का आदेश दें एवं ऐसा सख्त कदम उठायें जिससे कि प्राचीन भारत की संस्कृति पर कोई आंच नहीं आये और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध तुरन्त कड़ी कार्यवाही की जाये।

(तीन) मैसर्स इण्डो अमेरिकन इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड दुर्गापुर को ताँबे की सप्लाई

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (दुर्गापुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैसर्स इंडो अमेरिकन इलेक्ट्रिकल्स लि०, दुर्गापुर जो पिछले 18 महीनों से बंद था, 1 अगस्त, 1981 को पुनः खोला गया। इस कारखाने को धन के दुर्विनियोग, के प्रबन्ध और कम्पनी के बैंकरों द्वारा काम बन्द करने के कारण बन्द किया गया तथा जुलाई, 79 से जबरन छुट्टी घोषित की गयी और तब से कम्पनी बन्द पड़ी है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने बन्द तथा रूग्ण एककों को पुनः स्थापित तथा पुनः खोलने का कार्य अपने हाथों में लिया। कम्पनी के बोर्ड को पुनर्गठित किया गया और श्री थापर को इसका अध्ययन बनाया गया तथा उनके ग्रुप को दो निदेशक बनाये गये। ये नियुक्तियाँ कम्पनी विधि मंडल की विधिवत् स्वीकृति के बाद की गयी थी। भारतीय औछोगिक विकास बैंक ने 131 लाख रु० को सर्वाधिक ऋण की स्वीकृति दी है और कम्पनी के बैंकरों ने पुराने ऋण को सर्वाधिक कटण में बदल दिया है जो कि बिना ब्याज के हो तथा कम्पनी के दैनिक कार्यों के लिए कार्य चालन पूंजी भी प्रदान की है। इस कारखाने को पुनः खोलने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने 26 जुलाई 1980 को इस कारखाने को एक साल के लिए राहत उपक्रम घोषित किया था और इस अवधि को 25 जुलाई 1982 तक बढ़ा दिया गया।

महोदय कम्पनी को इस कारखाने को अच्छी तरह चलाने के लिए मुख्य कच्चा सामान अर्थात तांबा नहीं मिल रहा है। इसे हर तिमाही लग भग 800 टन तांबे की आवश्यकता होती

है। तांबा मिलने में विलम्ब कम्पनी विधि-मंडल के द्वारा एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अन्तर्गत स्वीकृति न दिये जाने के कारण से होता है।

महोदय, पश्चिम बंगाल सरकार और संसद सदस्यों ने, जिनमें मैं भी सम्मिलित हूं केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है कि इस कारखाने को तुरन्त तांबा आवंटित किया जाये परन्तु अभी तक कुछ नहीं किया गया है।

जब पश्चिम बंगाल सरकार ने इस कारखाने को 25 जुलाई 82 तक राहत उपक्रम घोषित किया है तो एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यहार अधिनियम के अन्तर्गत कम्पनी विधि बोर्ड की अस्वीकृति इसको हर तिमाही में 800 टन तांबे के आवंटन के रास्ते में बाधक नहीं बननी चाहिए। यदि ऐसा शीघ्र नहीं किया जायेगा तो कारखाना बन्द हो जायेगा तथा कर्मचारी पुनः बेरोजगार हो जायेगें।

ऐसी स्थिति में सरकार से निवेदन करता हूं कि इन्डो अमेरिकन इलैक्ट्रिकल्स लि० दुर्गापुर को 800 टन तांबा तुरन्त दिये जाने के लिए अनुदेश जारी करें और कर्मचारियों को मुखबरी से बचाये।

मैं चाहता हूं कि सम्बन्धित मंत्री इस सम्बन्ध में सभा में एक वक्तव्य दें।

(चार) नारियल के तेल, कोको और कोको पाउडर, जायफल, लौंग और रबड़ के आयात पर प्रतिबन्ध लगाने की आवश्यकता

श्री जार्ज जोसफ मुंडाकल (मुवत्तु पूजा) : उपाध्यक्ष महोदय, नारियल के तेल कोको, कोको पाउडर, जायफल, लौंग और रबड़ आदि के आयात से केरल के किसानों की आर्थिक स्थिति पर प्रभाव पड़ा है इन नकदी फसलों के हमारे देश में आयात से किसानों को अपने उत्पादों को उचित मूल्यों पर बेचने में कठिनाई हो रही है। केरल में आयातित औद्योगिक नारियल के तेल को खाद्य तेलों के रूप में बेचने के लिये दिया जा रहा है। ये सभी नकदी फसलें लम्बी अवधि की खेती वाली हैं। यदि किसानों को लाभप्रद मूल्य नहीं मिलते तो वे इनकी खेती नहीं करेंगे। अतः मेरा वाणिज्य मंत्री से अनुरोध है कि वह उक्त वस्तुओं के आयात पर प्रतिबन्ध लगाये और केरल राज्य के किसानों के हितों की रक्षा करें।

(पांच) मदुरै और मद्रास के बीच सुपर फास्ट गाड़ियों में और डिब्बे लगाना

श्री कुमबुम एन० नटराजन् (पेरियाकुलम) : मदुरै और मद्रास के बीच सुपर-फास्ट गाड़ी वैगई के चलाने से तमिलनाडु की यात्री जनता को बड़ी राहत मिली है। पिंक सिटी एक्सप्रैस गाड़ी के पश्चात् यह दूसरी ऐसी गाड़ी है जो कि लगभग 100 किलो मीटर प्रतिघंटा से अधिकत गति से चलने वाली गाड़ी भारतीय रेलवे में शुरू की गई है। यह गाड़ी तामिलनाडु की की जनता में बहुत लोक प्रिय है तथा ऐसा समझा जाता है कि इस गाड़ी में पूरे वर्ष भीड़ रहती है। वस्तुतः ऐसा पता चला है कि इस गाड़ी में विशेष कर मदुरै, दिन्डिगल, त्रिचुरापल्ली तथा विलुपुरम् के लोगों ने इस गाड़ी में अधिक सीटों की मांग की है। अब इस गाड़ी में 8 बोगियां हैं और मदुरै और मद्रास के बीच लगभग साढ़े सात घंटे लेती है। इस गाड़ी की अत्यधिक लोकप्रियता तथा यात्रियों की अधिक कोटे के लिए मांग को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि इस गाड़ी में बोगियों को संख्या बढ़ाकर कम से कम 16 की जाये। यदि बोगियों के बढ़ाने से एक इंजन से इस गाड़ी की गति को बनाये नहीं रखा जा सकता है तो रेल मंत्री इसमें एक अतिरिक्त इंजन लगाने

के प्रश्न पर विचार कर सकते हैं, ताकि 16 बोगियों को बिना गति कम किये चलाया जा सके। बड़ी लाइन पर पहले से ही दूसरी सुपरफास्ट गाड़ी तमिलनाडु एक्सप्रैस को दो इंजिनों से चलाया जा रहा है।

तमिलनाडु की जनता भी वैगई जैसी सुपर फास्ट गाड़ी चाहती है जो मद्रास से सुबह जल्दी चले और उसी दिन वापस आ जाये। दो सुपर फास्ट गाड़ियां पहले ही मदुरै और मद्रास के बीच चल रही हैं। इसके विपरीत दिशा में दो और गाड़ियाँ चलाना कठिन नहीं होगा, क्योंकि नई सेवायें चालू करने के लिए सिर्फ आवश्यक संख्या में सवारी डिब्बों तथा इंजिनों की व्यवस्था की जानी होगी।

गाड़ी की गति तेज होने के कारण इसमें धूल बहुत आ जाती है जिससे यात्रियों को यात्रा के दौरान कठिनाई होती है। अतः इस गाड़ी की कुछ बोगियों को वातानुकूलित किए जाने पर विचार किया जा सकता है ताकि यात्रा धूल रहित तथा सुखद बन जाये। इस गाड़ी की सीटों के डिजाइन में भी परिवर्तन किया जाए ताकि लम्बी दूरी के यात्रियों को अधिक आराम देने के लिए आराम कुर्सियों की व्यवस्था की जा सके। मंत्री जी यात्रियों को लम्बी यात्रा के दौरान संगीत सुविधा की व्यवस्था करके उनके मनोरंजन के लिए प्रबन्ध करने पर भी विचार कर सकते हैं।

मैं रेल मंत्री को तमिलनाडु की जनता को पहले प्रदान की गई सभी सुविधाओं के लिए धन्यवाद देता हूं और यह आशा तथा निवेदन करता हूं कि मेरे प्रस्तावों पर विचार किया जाये और शीघ्र ही उचित कार्यवाही की जाए, ताकि तमिलनाडु की यात्री जनता को फायदा हो सके।

(छः) पटना जिले में कृषि श्रमिकों के विरुद्ध कथित दमनकारी कार्यवही

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : कथित नक्सलपन्थी एवं उग्रवादी अन्दोलन को दबाने के नाम पर केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सी आर पी एफ) और बिहार मिलिट्री पुलिस ने पटना जिले के नौबतपुर, बिक्रम, पालीगंज, पुनपुन, मसौढ़ी और धनरुआ प्रखण्डों में कई बार गोलियां चलायीं। पिछले दिनों उन की गोलियों से एक दर्जन से अधिक लोग मारे जा चुके हैं और डेढ़ दो सौ व्यक्ति घायल हैं। सैकड़ों बेकसूर लोगों को जेलों में डाल दिया गया है।

खेतों में काम करने वाले मजदूर आज सर्वत्र आंदोलित हैं। उनकी मांग है कि उन्हें निम्नतम मजदूरी कानून के अनुसार मजदूरी दी जाय, निम्नतम मजदूरी कानून में संशोधन किया जाय, भूमि हदबंदी कानून को लागू कर भूमिपतियों से जमीन लेकर खेत मजदूरों और गरीब किसानों में बांटी जाय, कर्ज गुलामी को समाप्त किया जाय, बंधुआ मजदूर प्रथा समाप्त की जाय, वासगीत जमीनों का पर्चा दिया जाय, उन के उत्थानों के लिए विशेष कार्यक्रम चालू किया जाय, उन पर होने वाले सामाजिक जुल्मों का अन्त किया जाय, उनकी मां-बहनों को मां-बहन समझ कर उनकी इज्जत-आबरू की रक्षा की जाय और उनकी धान फसल की रक्षा की जाय।

परन्तु, दुःख है कि सरकार ऐसा नहीं दमन का सहारा लेकर उनके आंदोलनों को बराबर के लिए कुचल देना चाहती है। क्या दमन कभी भी सच्चे अन्दोलनों को दबाने में समर्थ हो सका है ? ऐसी स्थिति में नक्सलपंथी तत्व खेत मजदूरों एवं गरीब किसानों के असंतोष का इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं तो आश्चर्य की कौन सी बात है ?

अधिकारियों से मेरा अनुरोध होगा कि वे हठवादिता को छोड़ कर खेत मजदूरों और गरीब किसानों की उपर्युक्त मांगों को अविलम्ब स्वीकार कर उन्हें क्रियान्वित करें। ऐसा कर के ही उन लोगों को नक्सलवादी तत्वों के चंगुल में जाने से बचाया जा सकता है। नक्सलवाद को

दमन से नहीं वरन् राजनीतिक संघर्षों से पराजित किया जा सकता है। नक्सलवाद यानी माओवाद को भूमिपतियों की रक्षा करके नहीं अपितु मजदूर-किसानों की मांगों को स्वीकार कर के हराया जा सकता है।

सरकार से मेरा यह भी अनुरोध है कि वह पुलिस की गोलियों से मृत लोगों के परिवार को मुआवजा देने और निरपराध गिरफ्तार व्यक्तियों को जेल से रिहा करने का आदेश दें।

(सात) भरतपुर किले के चारों ओर सुजान-गंगा नहर का तुरन्त साफ किया जाना

श्री राजेश पाइलट (भरतपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, नियम 377 के अधीन मैं निम्न अविलम्बनीय महत्त्वपूर्ण मामले की ओर सभा का ध्यान आकर्षित करता हूं :

भरतपुर के प्रसिद्ध किले लोहगढ़ के चारों ओर की खाई (सुजान गंगा नहर) की दशा बुरी तरह बिगड़ती जा रही है हालांकि यह केन्द्रीय पुरातत्वीय विभाग के अधीन है।

इसके स्नान करने के घाट तथा इसकी चारदिवारी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हैं। कुछ दुकानदार जानबूझकर अपनी दूकानों के गंदे पानी को इस नहर में डाल रहे हैं। इससे स्वास्थ्य के लिए गम्भीर खतरा पैदा हो रहा है। पिछले वर्ष जब कुम्भी की जो सफाई की गई थी वह पुन: बढ़ने लगी है। पिछले वर्ष शुरू किया गया नहर को साफ करने का कार्य भी समुचित ढंग से पूरा नहीं किया गया है। पुरातत्व विभाग द्वारा इस ओर शीघ्र ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है।

(आठ) उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा की सुविधाओं में सुधार करने के लिए प्रभावकारी उपाय करने की आवश्यकता

श्री बी० डी० सिंह (फूलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, नियम 377 के तहत मैं निम्नलिखित अविलम्बनीय लोकमहत्त्व के विषय की ओर मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं :

भारत के संविधान के अनुच्छेद 45 में यह उपबन्ध किया गया है कि संविधान के लागू होने की तारीख से दस बर्षों की अवधि के अन्दर राज्य 14 वर्ष से कम उम्र वाले सभी बच्चों के लिए अनिवार्य व नि:शुल्क शिक्षा की व्यवस्था करने की कोशिश करेगा। तथापि, संविधान के लागू होने के 30 वर्षों के पश्चात भी सरकार ने उन बच्चों के लिए भी शिक्षा की संतोषजनक व्यवस्था नहीं की है, जो फीस देकर पढ़ना चाहते हैं। देश के अनेक भागों में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था निन्दनीय है। उदाहरणार्थ, उत्तर प्रदेश में 16,000 से अधिक ऐसे प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक कनिष्ठ उच्च विद्यालय हैं जिनके भवन नहीं हैं। जहां कहीं स्कूलों के भवन हैं भी, तो वे जीर्ण-क्षीर्ण अवस्था में हैं। कहीं कहीं चार अथवा पांच कक्षायें एक ही कमरे में लगती हैं। विद्यालयों में फर्नीचर और अन्य शिक्षण उपकरणों की व्यवस्था भी अपर्याप्त है।

शिक्षा का विषय 1977 में संविधान की सप्तम अनुसूची की समवर्ती सूचि में शामिल किया गया था और इसलिए राज्य नीति के निदेशक तत्वों संबंधी अनुच्छेद 45 के अधीन बच्चों को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए केन्द्रीय सरकार उत्तरादायी है। अत: मैं अनुरोध करता हूं कि केन्द्रीय सरकार को उत्तर प्रदेश तथा देश के अन्य भागों में प्राथमिक शिक्षा की स्थिति सुधारने के

लिए कारगर उपाय करने चाहिए। केन्द्रीय सरकार को इस प्रयोजन के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता भी देनी चाहिए।

बीड़ी कर्मकार कल्याण उपकर (संशोधन) विधेयक, 1981

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा 25 नवम्बर, 1981 को श्री पी०वेंकट रेड्डी द्वारा पेश किये गये निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे विचार करेगी :

> "कि बीड़ी कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1976 का संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वेंकट रेड्डी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस वाद-विवाद में भाग लेने वाले सभी सदस्यों को उनके सर्व सम्मति से विधेयक का समर्थन देने के लिए धन्यवाद देता हूं। देश में कल्याणकारी उपायों को लागू करने के लिए उनके द्वारा दिये गये सुझावों के लिए भी मैं आभारी हूं।

सर्वप्रथम मैं सभा से निवेदन करना चाहता हूं कि इस देश के बीड़ी कर्मकारों की उन अनगनित समस्याओं जिनका वे सामना कर रहे हैं सरकार परिचित है अतः सरकार का प्रयत्न है कि उनकी दशा के सुधार के लिए जो कुछ भी संभव हो किया जाये।

कई माननीय सदस्य जानना चाहते थे कि कितना उपकर एकत्र हुआ है तथा उसका उपयोग कैसे किया गया। बीड़ी कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1976, 15 फरवरी, 1977 से लागू हुआ था तथा 1 मार्च, 1979 से इसे बंद कर दिया गया। इस प्रकार दो वर्ष से कुछ अधिक समय में 5.19 करोड़ रुपए एकत्र हुए। शुरू में अर्थात 1977-78 तथा 1978-79 के दो वर्षों में अधिक व्यय नहीं हुआ क्योंकि सलाहकार समितियाँ गठित की जानी थी तथा योजनाएं तैयार की जानी थी। इस प्रकार मार्च, 1981 के अन्त तक केवल 2 करोड़ रुपये ही व्यय हुए। इस वर्ष के लिए अर्थात 1981-82 बजट अनुमान 2.13 करोड़ रुपए के हैं। अतः मार्च, 1982 के अन्त तक अनुमानतः 1.1 करोड़ रुपये इस विधि से बचेंगे। निधि के चलाने के लिए पूरे देश में कल्याण आयुक्त, कल्याण उप-आयुक्त, कल्याण प्रशासक तथा अन्य कर्मचारी हैं जोकि न केवल इस निधि के अपितु इसी प्रकार की अन्य निधियों यथा लौह अयस्क तथा मैंगनीज कर्मकार कल्याण निधि, डोलोमाइट, लाइम स्टोन, माइका आदि कर्मकार कल्याण निधि के कार्य को भी करते हैं। इन सभी निधियों के लिए अधिकारी विद्यमान हैं। मेरे मित्र श्री गिरधारी लाल व्यास ने सुझाव दिया है कि बीड़ी कर्मकारों के लिए पृथक रूप से कर्मचारी होने चाहिए। परन्तु आपको मालूम होना चाहिए कि इससे प्रशासनिक व्यय अधिक होंगे। जिस भी क्षेत्र में कर्मकारों की संख्या अधिक है, उनके लिए पृथक रूप से कुछ प्रशासक अथवा सहायक कल्याण आयुक्त नियुक्त किये गये हैं। अतः इस बारे में कोई समस्या नहीं है।

राज्य स्तर पर राज्य सलाहकार समितियाँ हैं। इस समय देश में 13 बीड़ी उत्पादन करने वाले राज्य सलाहकार समितियां त्रि-दलीय समितियां हैं जिनके सभापति राज्यों के श्रम मंत्री होते

हैं। उनमें सरकार के प्रतिनिधि, नियोक्ताओं के प्रतिनिधि तथा कर्मकारों के प्रतिनिधि भी होते हैं। राज्य सलाहकार समितियों द्वारा योजनाएं तैयार की जायेंगी तथा उनके बारे में सिफारिशें की जायेंगी। केन्द्रीय स्तिर पर केन्द्रीय त्रि-दलीय सलाहकार समिति होती है जोकि राज्य सलाहकार समितियों के कार्यों का समन्वय करती है। इसके पश्चात् सरकार योजनाओं को स्वीकृत करती है।

अभी तक हमने अपने क्रिया-कलापों को तीन प्रकार के कार्यों तक केन्द्रित रखा है, ये हैं चिकित्सा सुविधाएं, (2) आवास तथा (3) शिक्षा चिकित्सा सुविधाओं के अन्तर्गत हमने 71 औषधालय स्थापित किये हैं जिनमें से 21 स्थिर 14 चल तथा 36 स्थिर एवं चल हैं। प्रत्येक औषधालय को औषधियों के लिए 10000 रुपये दिये जाते है परन्तु स्थिर एवं चल औषधालयों को औषधियों के लिए 20,000 रुपये दिए जाते हैं। संभवतः श्री राजन ने यह शिकायत की थी कि वहां पर नियुक्त किये जाने वाले डाक्टर स्थानीय भाषा नहीं जानते हैं। इस समस्या के समाधान के लिए हम राज्य सरकारों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भी डाक्टर लेने का विचार कर रहे हैं।

इन औषधालयों के अलावा दो अस्पताल भी हैं। एक दस बिस्तरों का अस्पताल मैसूर में हैं और दूसरा पश्चिम बंगाल में चेस्ट औषधालय है। इसके अलावा हम टी० बी० अस्पतालों में भी 3600 रुपये प्रति बिस्तर देकर भी स्थान आरक्षित करते हैं खुराक के खर्च भी दिये जा रहे हैं। 50 रुपए का निर्वाह भत्ता भी दिया जाता है। फिर भी उसे बढा कर 150 रुपये करने की मांग आई है। जो कि विचारणीय है अस्पताल जाने के लिये रेल किराया दिया जाता है। चिकित्सा सुविधाओं की दृष्टि से यह व्यवस्थायें की जा रही हैं।

आवास के बारे में दो योजनायें हैं। एक 'अपना मकान स्वयं बनाओं योजना' है जिसके अन्तर्गत 900 रुपए का व्याज मुक्त ऋण तथा 600 रुपए राज सहायता के रूप में दिए जाते हैं। माननीय सदस्य श्री मूलचन्द डागा ने आलोचना की है कि यह राशि बहुत कम है। कोई व्यक्ति इस राशि से मकार का निर्माण नहीं कर सकता। यह सही है......

उपाध्यक्ष महोदय : श्री डागा वह आपको उत्तर दे रहे हैं।

श्री मूल चन्द डागा : मैं शान्ति से सुन रहा हुं।

श्री पी० वेंकट रेड्डी : यह योजना उनके साधन बढ़ाने के उद्देश्य से बनाई गई है। इसका यह अर्थ नहीं है कि यह राशि मकान बनाने के लिए पर्याप्य है। इस राशि का उपयोग मकानों की मरम्मत के लिए भी किया जा सकता है।

दूसरी योजना बीड़ी कर्मकारों में से आर्थिक दृष्टि से कमजोर व्यक्तियों के लिए आवास योजनाओं के लिए हैं राज्य सरकारों ने इस योजना को बड़े पैमाने पर हाथ में लिया है। वे कमजोर वर्गों के लिए मकान बनाते हैं। राज्य सरकारों की आवास बोर्ड जैसी एजेंसियां हैं। वे मकानों का निर्माण करती हैं। प्रति आवास पर 1500 रुपए राज-सहायता के रूप में दिये जाते हैं। यह राशि राज्य सरकारों को दी जाती है। परन्तु इस राशि के बढ़ाये जाने की मांग है तथा मुझे उम्मीद है कि स्थिति का मूल्यांकन करके हम इस पर विचार करेंगे।

आवास योजनाओं के लिए अभी तक हमने अब तक 4.95 लाख रुपए पश्चिम बंगाल को, 15 लाख रुपये मध्य प्रदेश को, 1.87 लाख रुपये आंध्र प्रदेश को तथा 2.25 लाख रुपये तमिलनाडु को दिये हैं।

शिक्षा के अन्तर्गत हम केवल उन कर्मकारों के बच्चों को छात्रवृत्तियां देते हैं जिनकी आय 600 रुपए मासिक से कम है, इसमें पांचवी और छठी कक्षा के लिए 10 रुपए, सातवीं और आठवीं कक्षा के लिए 25 रुपए तथा कालेज की शिक्षा के लिये 75 रुपए प्रति मास तक दिये जाते हैं। श्रीमान, यह अत्यन्त ही लोकप्रिय योजना है तथा इस राशि के बढ़ाये जाने की मांग की गई है।

हम राज्य सरकारों द्वारा चलाये जा रहे मनोरंजन केन्द्रों को भी अनुदान देते हैं। माननीय सदस्य श्री नर सिम्हा रेड्डी ने कर्मकारों के लिए कार्य स्थल के रूप में आम कक्ष बनाने का सुझाव दिया है। यह बहुत अच्छा सुझाव है क्योंकि बहुत से कर्मकारों को बैठने तथा काम करने के लिए कोई आम कक्ष नहीं है। श्री जगपाल सिंह ने सुझाव दिया है कि जो कार्मिक केन्द्र पत्तों को एकत्र करते हैं उन्हें भी इस अधिनियम के अन्तर्गत लिया जाये। यह भी बहुत अच्छा सुझाव है समिति जिस पर सलाहकार समिति से परामर्श कर विचार किया जायेगा।

कुछ सदस्यों ने बीड़ी कर्मकारों को भविष्य निधि का लाभ देने का सुझाव दिया है। यह अधिनियम 31.5.1977 से बीड़ी कर्मकारों पर यह लागू किया गया था। परन्तु बाद में कुछ कर्मचारियों ने उच्चतम न्यायालय में अपील की तथा स्थगनादेश प्राप्त किया। इसे इन कर्मकारों पर लागू करने के लिए हम इस स्थगन आदेश को समाप्त कराने की चेष्टा कर रहे हैं।

लगभग सभी सदस्यों ने सुझाव दिया है कि ब्रान्ड रहित बीड़ियों को दी गई छूट वापस ली जाए। यह इसके पीछे तर्क यह था कि कुछ कदाचारों द्वारा इसका दुरुपयोग किया जा रहा है जिससे दुराचरण होता है मैं भी उनसे इसमें सहमत हूं परन्तु वित्त विभाग को भी इसमें सहमत होना है। इसलिए मैंने कहा है कि हम इस सुझाव को वित्त मंत्रालय को विचारार्थ भेज देंगे।

श्री मूल चन्द डागा : माननीय वित्त मंत्री उपस्थित हैं।

श्रीमती राम दुलारी सिन्हा : वह पहले ही इसे सुन चुकी हैं।

श्री पी० वेंकट रेड्डी : साथ ही श्रीमान, हमारे पास बहुत सी जगह से इन कदाचारों के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं। जिनके कारण कर्मकार पीड़ित हैं। मैं समझता हूं कि इस पर वित्त मंत्रालय विचार कर सकता है।

बहुत से सदस्यों ने न्यूनतम वेतनों पर अपने विचार रखे हैं तथा उनकी क्रियान्वति के लिए सुझाव दिये हैं दृढता पूर्वक राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन पर कई मंचों में कई वार चर्चा हुई है। परन्तु उसे व्यवहार्य नहीं समझा गया। अभी हाल ही में राज्य श्रम मंत्रियों की स्थायी समिति की बैठक में ऐसा ही निर्णय लिया गया था। बीड़ी उत्पादन करने वाले राज्यों के श्रम मंत्रियों की सितम्बर, 1981 में हुई बैठक में बीड़ी कर्मकारों के वेतनों में राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित की जाने वाली मजदूरी में असमानता पर विचार किया गया था। एक सुझाव यह था। कि राज्य सरकार 1 जनवरी, 1982 तक न्यूनतम वेतनों के संशोधन करे तथा इसे 7-8 रुपये के बीच रखा जाये। परिवर्तशील महँगाई भत्ते का सूत्र स्वीकार किया जाना चाहिए और यदि इसमें कठिनाई हो तो

कम से कम वर्ष में एक बार वेतन में संशोधन किया जाना चाहिए। ये निर्णय लिए गये हैं। दूसरी निर्णय न्यूनतम वेतन अथवा निर्वाह योग्य वेतन के बारे में किया गया है। इसकी भी सिफारिश की गई है अर्थात यह औसत दैनिक आय का 5% होगा। राज्य श्रम मंत्रियों द्वारा की गई ये तीन महत्त्वपूर्ण सिफारिशें हैं।

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : इसका अर्थ है कि राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन के विचार को छोड़ दिया गया है क्योंकि आपने बताया है कि यह व्यवहार्य नहीं है। कोई भी पहले से अनुमान नहीं लगा सकता। परन्तु आपने यही सोचा है कि इस विचार को ही छोड़ दिया जाये।

श्री पी० वेंकट रेड्डी : मैंने कहा है कि इस समय यह व्यवहार्य नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने इसका उल्लेख केवल इस विशेष उद्योग के बारे में किया था।

श्री मूल चन्द डागा : आपने "अपना मकान स्वय बनाओ योजना" का उल्लेख किया है। क्या इसे सर्वत्र लागू किया जायेगा ?

श्री पी० वेंकट रेड्डी : अभी हाल ही में हमारे पास पश्चिम बंगाल सरकार से सूचना प्राप्त हुई है कि इस उद्देश्य के लिए निर्धारित राशि का 5% व्यय इस योजना पर किया गया है। हम इस योजना से संतुष्ट नहीं हैं। इसे कारगर बनाये जाने की आवश्यकता है।

साथ ही, श्रीमान् कुछ सदस्यों ने सुझाव दिया है कि कर्मकारों को सहकारी संस्थाएं बनाने के लिए प्रोत्साहन दिया जाये। यह बहुत अच्छा सुझाव है। इससे बीड़ी कर्मकारों की सभी कठिनाइयां दूर हो जायेंगी। इस समय बिचौलिए अथवा ठेकेदार बहुत सी समस्यायें पैदा कर रहे है तथा कर्मकारों को उनके चुंगल से बचाने के लिए यही एकमात्र समाधान है। उन्हें सहकारी संस्थाएं बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए सुझाव कर्मकारों से आने चाहिए। सरकार जो भी सहायता आवश्यक होगी, सहर्ष देगी।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : मैंने आपको सुझाव दिया था कि वेलफेयर आफीसर्स को पेमेंट आफ वेजिज का अधिकार दें, क्या आप इस सम्बन्ध में कुछ बतायेंगे ?

श्री पी० वेंकट रेड्डी : यह एक राज्य का विषय है। माननीय सदस्य श्री बालानन्दन ने केरल में सहकारी क्षेत्र की दिनेश बीड़ी का जिक्र किया है। मैं इस कारखाने में गया था। सचमुच यह सारे सहकारी क्षेत्र के लिये एक आदर्श माना जाना चाहिये। इसकी बहुत सराहना हुई है। उस कारखाने में बहुत अच्छा चेयरमैन है। वह सेवानिवृत आई० ए० एस० अधिकारी हैं। एक हजार बीड़ियों के लिये 9.50 रुपये दिये जा रहे हैं और इसके अतिरिक्त 5000 रुपयों की मृत्यु राहत निधि के रूप में व्यवस्था की गई है। चेयरमैन ने मुझे कहा कि इस वर्ष 10.7 प्रतिशत की दर से बोनस दिया जा रहा है जो इस वर्ष कुल 75 लाख रुपये का बनता है। हम उन लोगों की सेवाओं का उपयोग करने पर विचार कर रहे हैं जिन्होंने दिनेश बीड़ी के श्रमिकों को संगठित करने में सहायता प्रदान की थी।

मुझे इस बात की खुशी है कि लगभग सभी सदस्यों ने सुझाव दिया है कि दर में वृद्धि की जाये। एक माननीय सदस्य श्री चन्द्रजीत यादव ने सुझाव दिया कि यह कम से कम एक

रुपया होना चाहिये । हमें इस बात पर विचार करना होगा क्योंकि यह बीड़ी उद्योग के लिये भार बन सकता है । इस पर सरकार अधिसूचना जारी करने के समय विचार करेगी कि इसमें कितनी वृद्धि की जा सकती है ।

अन्त में, मैं सभी से विधेयक पर विचार करने का अनुरोध करता हूं ।

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : मन्त्री महोदय ने बहुत अच्छा उत्तर दिया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि बीड़ी कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम 1976 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप खंड-बार चर्चा आरम्भ करेंगे । खण्ड २ तथा ३ के बारे में कोई संशोधन नहीं है । प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 तथा 3 विधेयक के अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड 2 तथा 3 विधेयक में जोड़ दिये गये ।

खण्ड 4

श्री सुधीर गिरि (कंटई) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"पृष्ठ 2, पंक्ति 6 और 7,—

"दस पैसे से अन्यून या पचास पैसे से अनधिक" **के स्थान पर** "अधिक से अधिक दस पैसे ।"

प्रतिस्थापित किया जाये ।

(2)

उपकर, उत्पाद-शुल्क के रूप में है । यह एक अप्रत्यक्ष कर है । अर्थशास्त्र के सभी विद्यार्थी जानते हैं कि किसी भी प्रकार के अप्रत्यक्ष कर से मूल्यों में वृद्धि होती है । यदि उपकर बढ़ता है तो बीड़ी के मूल्यों में भी वृद्धि होगी । हमारी पूंजीवादी प्रणाली वाली अर्थव्यवस्था में व्यापारी इतने ईमानदार नहीं कि वे लोगों के हितों को पूरा करने में सहायक बनें । बीड़ी का उपयोग गरीबी के स्तर से नीचे रहने वाले लोग ही करते हैं । अतः मैं यह संशोधन लाया हूं कि इसके लिये केवल 10 पैसे की अधिकतम सीमा होनी चाहिये । यदि उपकर की वृद्धि पचास पैसे तक की जायेगी तो आम आदमी द्वारा खरीदी जाने वाली बीड़ियों का मूल्य अधिक बढ़ेगा । अतः मैं आशा रखता हूं कि सभा इस संशोधन को स्वीकार करेगी ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री गिरि, श्री यादव तो इसे एक रुपये तक बढ़ाना चाहते हैं जबकि आप इसे दस पैसे तक घटाना चाहते हैं ।

अब मन्त्री महोदय उत्तर देंगे ।

श्री पी० वेंकट रेड्डी : श्री गिरि को छोड़कर, सभी माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया है कि उपकर की दर में वृद्धि की जाये। यदि इसे केवल दस पैसे तक लाया जायेगा तो हम कल्याण निधि तथा कर्मकारों के कल्याण कार्यों के बारे में कुछ नहीं कर पायेंगे। मुझे आशा है कि माननीय सदस्य अपना संशोधन वापिस ले लेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप इसे वापिस ले रहे हैं ?

श्री सुधीर गिरि : जी, नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है। मैं इनके संशोधन को सभा के मतदान के लिये रखता हूं।

संशोधन संख्या 2 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 4 विधेयक का अंग बने ."

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया

खण्ड 5 तथा 6 विधेयक में जोड़ दिये गये।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये

श्री पी० वेंकट रेड्डी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

अब तीसरा वाचन। श्री रामावतार शास्त्री। कृपया अपना भाषण संक्षिप्त रखें।

श्री रामावतार शास्त्री : उपाध्यक्ष जी, मैं बिल का समर्थन करता हूं लेकिन समर्थन करते हुए कुछ बातों पर जोर डालना चाहता हूं ताकि सरकार इस पर ठीक से ध्यान दे सके।

अभी इस बहस के दौरान कहा गया कि 35 से 50 लाख तक बीड़ी मजदूर हमारे देश में हैं। मेरे खयाल से इससे भी ज्यादा होंगे। शहरों की संख्या का अन्दाज तो सरकार ने लगा लिया, लेकिन देहातों में खासतौर पर जहां मुसलमानों की आबादी हैं, वहां आप बीड़ी बनाने वाली औरतें और बच्चे अवश्य पाएंगे। इस प्रकार यह धंधा जो देहातों में फैला हुआ है और लोग इससे रोजी-रोटी कमाते हैं, इसमें लगे मजदूरों की संख्या का सरकार को ठीक से पता लगाना चाहिए।

अगर इतनी संख्या भी मान ली जाए तो भी डेढ़-दो करोड़ लोग तो इस उद्योग पर निर्भर होंगे। इस प्रकार इतना बड़ा उद्योग है और इतने लोग काम करते हैं, उन सब को एक समान मजदूरी पूरे देश भर में मिले, इस बात की कोशिश सरकार को करनी चाहिए। यह ठीक है कि ये मजदूरी राज्य सरकारें तय करती हैं, लेकिन उनको आप सलाह तो दे सकते हैं।

श्रीमती राम दुलारी सिन्हा : माननीय सदस्य को मालूम है कि लेबर मिनिस्ट्री में कोई भी चीज हम तय नहीं करते हैं, बल्कि त्रिपक्षीय आधार पर तय होती है और अभी जैसा कि वेंकट रेड्डी साहब ने बतलाया है कि सेंन्ट्रल लेबर एडवाइजरी बोर्ड में नेशनल मिनिमम वेज पर एकमत नहीं हो सके हैं । यह तय हुआ कि इतनी अधिक डिसपेरिटी नहीं होनी चाहिए नहीं तो इसके उद्योगपति एक राज्य से दूसरे राज्य में अपना उद्योग लेकर चले जाएंगे ।

श्री रामावतार शास्त्री : यह बात तो मैंने समझ ली है, इसके बावजूद निवेदन है कि फिर से इस पर विचार किया जाए ।

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : जरूर विचार किया जाएगा और अभी भी सरकार के विचाराधीन है ।

श्री रामावतार शास्त्री : एक और बात की तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं । औरतों को कुछ मजदूरी मर्दों को कुछ और बच्चों को कुछ और मजदूरी मिलती है । सब के लिए मजदूरी की दर एक सी होनी चाहिए और इसका एक समान मापदंड होना चाहिए ।

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : सब के लिए मज़दूरी की दर एक सी है ।

श्री रामावतार शास्त्री : लगता है आप समाज में नहीं रहती हैं । क्या आप नहीं जानती कि बच्चों को, औरतों को पुरुषों के समान मजदूरी नहीं मिलती है ।

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : कोई स्पैसेफिक बात हो तो मेरे समाने लाइये ।

श्री रामावतार शास्त्री : मैं अपना अनुभव आपको बताता हूं । पिछले साल मुझे वैद्यनाथ धाम के निकट एक गांव में जाने का मौका मिला था । वहां मैं कर्ज के सिलसिले जो जुल्म हुआ था उसको देखने के लिए गया था । वहां पूरा गांव बीड़ी बना रहा था । मैंने पूछा तो पता चला कि तीन रुपया मिलती है । इस लिए मैं कहता हूं एक समान सब को मजदूरी मिलनी चाहिए । इस बात का ध्यान सरकार को रखना चाहिए । यह बहुत बड़ा सवाल है ।

बिहार में बहुत ज्यादा बीड़ी मजदूर हैं । बिहार शरीफ में, झाझा में चक्रधरपुर में इसके बहुत बड़े बड़े केन्द्र हैं और लाखों मजदूर उन केन्द्रों में काम करते हैं । बीमारी सब को होती है । लेकिन सब से ज्यादा टी बी के मरीज अगर आपको कहीं मिलेंगे तो बीड़ी मजदूरों में मिलेंगे । बिहार में ही नहीं भारत भर मे सबसे ज्यादा टी बी के मरीज आपको बीड़ी वकर्ज में मिलेंगे । आप सर्वे करें तो आपको पता चलेगा कि बिहार शरीफ में हर घर में जहां बीड़ी बनती है, आपको टी बी का मरीज कोई न कोई मिल जाएगा । उनकी वर्किंग कंडिशंन ठीक नहीं है । एक तो वे बहुत गरीब हैं और दूसरे स्लम्ज में वे झोपड़ियों में रहते हैं और दिन भर बीड़ियों के बंडल लपेटते रहते हैं । इस वास्ते इस तरफ भी आपका ध्यान जाना चाहिए । आप उपकर जरूर लगाएं । दस पैसा नहीं बल्कि ज्यादा लगाएं । 40,50 या 75 पैसे लगाएं । श्री विजय कुमार यादव ने 75 पैसे कहा है । वह इस वक्त यहां नहीं हैं । उपकर जरूर लगाएं लेकिन इस बात का जरूर खयाल रखें कि बीड़ी की कीमत न बढ़े । यह सही है कि गरीब लोग बीड़ी पीते हैं वह जवाब देही सरकार की होनी चाहिए ।

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : यह जबावदेही सरकार लेती है ।

श्री रामावतार शास्त्री : उपकर से आप अधिक पैसा लें ताकि उनके कल्याण के काम हो सकें । बीड़ी की दर बढ़े नहीं और मजदूरों की दर घटे नहीं, इसको देखना भी जरूरी है । जो पैसा आप लेना चाहते हैं उसको आप बड़े बड़े कारखानेदारों से लें, मोनोपोलिस्ट जो लोग हैं, उनकी जेबों में से आप लें । उनके पास पैसों की कमी नहीं है । कलकत्ता के बड़े बड़े बीड़ी गोदामों के लोग बिहार शरीफ में आ कर आसन जमाए हुए हैं । मेरा निवेदन है कि बीड़ी के दाम भी न बढ़ाइये और मजदूरी भी कम मत कीजिए और बड़े बड़े मौनोपोलिस्ट्स से आप पैसा लीजिये और मजदूरों का कल्याण कीजिये ।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तुत बिल के सम्बन्ध में अपने कुछ विचार सदन के समाने रखना चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : मननीय सदस्यों ने जिन प्रश्नों को उठा लिया है, उन्हें न दोहरायें

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : मैंने बहुत गहरा मनन इस बिल का किया तो यह पाया कि इस उद्योग जो में जितना ज्यादा विस्तार किया जाय उतना ही राष्ट्र के लिये हानिकारक है, यह राष्ट्र के हित में नहीं है इस उद्योग का विस्तार । क्योंकि जितने सदस्य बोले सब ने यही कहा कि इस उद्योग में जो मजदूर काम करते हैं उनका स्वास्थ्य निम्न कोटि का है । वह लोग अधिकतर टी० बी०, ऐस्थमा, कैंसर आदि बीमारियों से पीड़ित हैं । तो जिन मजदूरों की ऐसी स्थिति हो ऐसे उद्योग का विस्तार करना राष्ट्र के हित में नहीं है । इस उद्योग के प्रचार और प्रसार के लिये लाखों, करोड़ रु० खर्च किया जाता है । हमारे यहां राजस्थान में लंगर छाप, देसाई छाप बीड़ी का प्रचार जैसलमेर और बाड़मेर जिलों के प्रत्येक मेले में किया जाता है । और लोगों को बीड़ी पीने का आदी बनाया जाता है । इस प्रकार बीड़ी पीने वालों की संख्या बढ़ रही है । और जो मजदूर बीड़ी बनाते हैं उनमें 75 परसेंट बीड़ी पीते हैं । 10 घंटे वह काम करते हैं तो चार, पांच बार तो चाय पीते हैं, बीड़ी पीते हैं और रात को शराब भी पीते हैं । इस प्रकार उनका सारा जीवन नष्ट हो जाता है । तो राष्ट्र के हित में नहीं है कि इस उद्योग का विस्तार किया जाय । जैसे सिगरेट के लिए इंस्ट्रक्शन्स हैं कि सिगरेट पीना हैल्थ के लिए इंजूरियस है, उसी प्रकार तमाम ब्रान्डेड बीड़ियों पर भी लिखा जाना चाहिए ताकि सब को मालूम पड़े कि बीड़ी पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकर है । इस बात का सरकार को रेडियों तथा अन्य माध्यमों से प्रचार करना चाहिए कि जितनी भी नशीली चीजें हैं वह हानिकारक हैं और लोगों को उन चीजों के सेवन से बचना चाहिये, उसकी आदत नहीं डालनी चाहिए ।

श्री पी० वेंकट रेड्डी : मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूं कि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है लेकिन इसके साथ ही मैं यह भी कहूंगा कि यदि चेतवानी के तौर पर कोई लेबल भी दिया जाये, तो भी उससे भी कोई लाभ नहीं होगा जब तक बीड़ी और सिगरेट पीने वाले रहेंगे, उस समय तक इसके उद्योग भी बना रहेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब प्रश्न यह है:
"कि विधेयक को पारित किया जाय"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

———

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक विधेयक, 1981

वित्त मन्त्री (श्री आर० वेंकटरामन) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि समेकित ग्रामीण विकास की वृद्धि करने और ग्रामीण क्षेत्र की उन्नति को सुनिश्चित करने की दृष्टि से कृषि, लघु उद्योगों, कुटीर और ग्रामीण उद्योगों, हस्त-शिल्पों और अन्य ग्रामीण शिल्पों और ग्रामीण क्षेत्र में अन्य सहयोगी आर्थिक क्रियाकलापों की उन्नति के लिए उधार देने के लिए और उनसे सहबद्ध और उनसे आनुषंगिक विषयों के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के नाम से एक बैंक की स्थापना करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

माननीय सदस्य इस बात को जानते हैं कि कृषि सम्बन्धी राष्ट्रीय आयोग ने 1976 में कृषि और ग्रामीण विकास के लिये वित्त उपलब्ध करने के लिये नीचे से लेकर ऊपर तक के समग्र ढांचे को समन्वित करके एक शीषर्क संगठन के रूप में भारतीय कृषि विकास बैंक स्थापित करने का सुझाव दिया था। 1977 में तत्कालीन सरकार ने ऐसे बैंक की स्थापना को सिद्धान्त रूप में स्वीकार किया और उसकी इच्छा यह थी कि निर्धारित मोटे कायक्रमों के आधार पर एक योजना बनाने तथा कानून का प्रारूप तैयार करने का कार्य 15 मार्च, 1977 तक कर लिया जाये। सरकार वदलने के फलस्वरूप जुलाई, 1977 में समूचे प्रस्ताव पर पुनर्विचार किया गया और यह निर्णय किया गया कि सरकार को सिद्धान्ततः भी कृषि विकास बैंक की जरूरत स्वीकार नहीं करनी चाहिये। फिर भी कृषि ऋण के लिये एक राष्ट्रीय स्तर की संस्था की मांग बार-बार उठाई जाती रही। मार्च, 1979 में भारतीय रिजर्व बैंक से कृषि ऋण के लिये किये गये तत्कालीन प्रबन्धों की समीक्षा करने का अनुरोध किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक ने कृषि और ग्रामीण विकास के लिये संस्थागत ऋण सम्बन्धी व्यवस्था का पुनर्वलोकन करने के लिए एक समिति का गठन किया। समिति ने कृषि और ग्रामीण विकास के लिये के एक राष्ट्रीयकृत बैंक स्थापित करने की सिफारिश की। हमारी सरकार जिसने पहले 1977 में सिद्धान्ततः इस प्रकार का बैंक स्थापित करने का निर्णय लिया था, अब कृषि और ग्रामीण विकास के लिये एक राष्ट्रीय बैंक स्थापित करने पर विचार कर रही है।

माननीय सदस्यों ने विधेयक के विभिन्न खण्डों, सम्बन्धी विस्तृत नोट को पढ़ा होगा जिनमें बैंक के सामान्य ढांचे, इसके प्रबन्ध, संसाधनों और कार्यकलापों के सम्बन्ध में प्रावधानों की व्याख्या की गई है। मैं उनका ध्यान विधेयक की कुछ और मुख्य बातों की ओर दिलाना चाहूंगा।

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक एक सांविधिक निगम के रूप में स्थापित किया जा रहा है और इस पर सरकार तथा रिजर्व बैंक दोनों का संयुक्त रूप में स्वामित्व रहेगा। इस बैंक का भारतीय रिजर्व बैंक से अंगीय सम्बन्ध रहेगा। हमारी यह इच्छा है कि ग्रामीण ऋणों से रिजर्व बैंक को जो निकट सम्पर्क है वह बना रहे और मुद्रा तथा ऋण प्रणाली पर एक केन्द्रीय बैंक के रूप में उसे जो अधिकार है वह किसी भी रूप में कम न किया जाये। कृषि पुनर्वित्त तथा विकास निगम का समूचा उपक्रम नये बैंक में विलीन कर दिया जायेगा।

राष्ट्रीय बैंक एक निधि स्थापित करेगा जो कि राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण निधि के नाम से जानी जायेगी और इसमें से ऋणों तथा अग्रिम राशियों के जरिये वित्तीय सहायता दी जायेगी।

इसके अतिरिक्त यह बैंक एक राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्थिरीकरण) निधि भी स्थापित करेगा ताकि प्राकृतिक विपत्ति आदि के समय अल्पकालीन ऋणों को परिवर्तित किया जा सके।

इस बैंक का सामान्य प्रबन्ध बैंक के निदेशक बोर्ड में निहित होगा जिसमें केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों, भारतीय रिजर्व बैंक तथा वाणिज्यिक बैंकों और सहकारी बैंकों के नुमायंदे होंगे। ग्रामीण अर्थव्यवस्था, ग्रामीण विकास, दस्तकारी, छोटे स्तर के उद्योगों तथा किन्हीं अन्य मामलों के विशेषज्ञों, और ऐसे विशेष ज्ञान अथवा व्यावसायिक अनुभव सम्पन्न व्यक्ति भी, जिसे केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय बैंक के लिये उपयोगी समझे, निदेशक बोर्ड में नियुक्त किये जायेंगे।

बैंक कृषि तथा ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिये राज्य सहकारी बैंकों, प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों या इस सम्बन्ध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मान्यता प्राप्त वित्तीय संस्थानों को अल्पकालीन वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। इसी प्रकार, यह बैंक कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिये विभिन्न बैंकों को पुनर्वित्त भी प्रदान करेगा। केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था को सीधे ऋण देने का प्रावधान भी इस विधेयक में किया गया है।

इस बात का ध्यान रखा गया है कि बैंक को अपने कार्यकलापों को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराये जायें। प्रदत्त पूंजी के अतिरिक्त, यह केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संगठन या संस्थान से भी ऋण ले सकेगा।

विधेयक में यह व्यवस्था की गई है कि यह बैंक अनुसंधान और विकास निधि भी स्थापित करेगा। इस निधि का कृषि कार्यों और ग्रामीण विकास से सम्बन्धित महत्वपूर्ण विषयों, जिसमें प्रशिक्षण और अनुसंधान भी शामिल है, के लिये इस्तेमाल किया जायेगा।

हम कृषि, लघु उद्योगों, कुटीर और ग्रामीण उद्योगों, हस्तशिल्पों और अन्य ग्रामीण शिल्पों तथा ग्रामीण क्षेत्र में अन्य सहयोगी आर्थिक क्रियाकलापों की उन्नति के लिये उधार देने के सम्बन्ध में नीति, आयोजना और कार्यान्वयन सम्बन्धी सभी प्रकार के मामलों के लिये शीर्षस्थ संगठन राष्ट्रीय बैंक की स्थापना करना चाहते हैं। कृषि और ग्रामीण विकास की सभी प्रकार की ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति करने तथा छठी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित नीतियों और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में मदद के लिये यह नया बैंक एक समेकित एजेन्सी के रूप में कार्य करेगा। मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे इस नये संस्थान की स्थापना करने में अपना पूर्ण समर्थन दें।

महोदय, मैं अब यह प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक पर विचार किया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि समेकित ग्रामीण विकास की वृद्धि करने और ग्रामीण क्षेत्र की उन्नति को सुनिश्चित करने की दृष्टि से कृषि, लघु उद्योगों, कुटीर और ग्रामीण उद्योगों, हस्त-शिल्पों और अन्य ग्रामीण शिल्पों और ग्रामीण क्षेत्र में अन्य सहयोगी आर्थिक क्रियाकलापों की उन्नति के लिए उधार देने के लिए और उनसे सहबद्ध और उनसे आनुषंगिक विषयों के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के नाम से एक बैंक की स्थापना करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में श्री चन्द्रजीत यादव का एक संशोधन है। क्या वह इसे प्रस्तुत कर रहे हैं ?

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : महोदय, मैं इसे पेश करना चाहता हूं, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पर 10 फरवरी, 1982 तक राय जानने के लिये उसे परिचालित किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : अब यह संशोधन सभा के सामने है। माननीय सदस्यगण, इस विधेयक के लिये 4 घण्टे दिये गये हैं—इसमें तीन घण्टे बहस के लिये और एक घण्टा खण्ड-वार विचार के लिये निर्धारित किया गया है। मेरा विचार है कि सभा इससे सहमत है।

श्री जायनल आबेदिन : आपकी पार्टी को 14 मिनट का समय आवंटित किया गया है।

***श्री जायनल अबेदिन** (जंगीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, कृषि और ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक की स्थापना कर सरकार कृषि, लघु उद्योग, कुटीर और ग्रामीण उद्योगों, हस्तशिल्पों और अन्य ग्रामीण शिल्पों की उन्नति करना चाहती है, और सारांश में, वे एकीकृत ग्रामीण विाकस की वृद्धि और ग्रामीण क्षेत्र की उन्नति करना चाहते हैं।

यह स्पष्ट है कि यह उनका एक अच्छा और ईमानदार प्रयास है। पिछले तीन दशकों तथा उससे अधिक अवधि के दौरान हमने यह देखा है कि किस प्रकार ग्रामीण जनता के आर्थिक विकास के नाम पर सरकार ने उन्हें बरबाद किया है, हमने यह भी देखा है कि उन्होंने भूमि-सुधार लागू करने के नाम पर जमीदारों का एक नया वर्ग बना दिया है और इस प्रकार से उन्होंने अपने वर्ग-हितों को बनाये रखा है। इस पृष्ठभूमि में जब हम यह देखते हैं कि सरकार ग्रामीण जनता के आर्थिक उत्थान के लिये कदम उठाने का प्रयास कर रही है तब स्वाभाविक तौर पर हमारे दिमाग में एक प्रश्न उठता है कि क्या सरकार एक बार फिर ग्रामीण जनता के शोषण के लिए एक नया प्रलोभन दे रही है और वास्तव में माननीय मन्त्री महोदय द्वारा सभा में अभी पेश किये गये प्रस्तावित विधान के माध्यम से यही किया जा रहा है।

इस विधेयक में सरकार कृषि तथा ग्रामीण ऋण—अन्य बैंकों पर प्रशासनिक नियन्त्रण तथा उन्हें दिशा देने सम्बन्धी रिजर्व बैंक की शक्तियों का अन्तरण करना चाहती है। किन्तु ऐसा क्यों किया जाना चाहिये ? उद्देश्यों और कारणों के कथन में माननीय मन्त्री जी ने कहा है कि एक एकल समेकित अभिकरण के माध्यम से समेकित ग्रामीण विकास और ग्रामीण क्षेत्रों की उन्नति करने के लिये कार्यवाही आरम्भ कर दी गई है। किन्तु इस बात को समझाना बहुत कठिन है कि समेकित ग्रामीण विकास के उद्देश्य की पूर्ति सरकार नियन्त्रण, जांच, निरीक्षण और प्रशासन सम्बन्धी शक्तियों को एक संगठन से दूसरे संगठन में अन्तरित कर कैसे सकती है। संस्थागत ऋण के सम्बन्ध मे वास्तविक कमी ऋण सम्बन्धी ढांचे में ही निहित है और यदि हम इस क्षेत्र में वास्तव में सुधार लाना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले तो ऋण नीति और उसकी संस्थागत व्यवस्था

*बंगला में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

में परिवर्तन करना होगा किन्तु दुर्भाग्य की बात तो यह है कि इस विधेयक में संस्थागत ऋण व्यवस्था में निहित कमियों को दूर करने का कहीं प्रयास नहीं किया गया है और एक नये बैंक की स्थापना कर देने से ही कृषिकों को परामर्श और सहायता के रूप में कोई लाभ नहीं पहुंचेगा। मेरी राय में इस विधेयक के कारण उन लोगों को और कठिनाईयों और उलझनों का सामना करना पड़ेगा जिनके लिये इसे लाया जा रहा है।

(श्री हरिनाथ मिश्र पीठासीन हुए)

इस सन्दर्भ में एक अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार करना होगा। कृषि और सहकारिता राज्य सूची में शामिल विषय हैं और हमारे देश में विभिन्न राज्यों ने इस सम्बन्ध में भिन्न-भिन्न कानून बनाये हैं। क्या हमें इस पर विश्वास करना होगा कि समेकित रुख के नाम पर केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार से सभी शक्तियां लेकर एक केन्द्रीय अभिकरण में निहित करना चाहती है? जब लोग राज्यों को अधिक शक्तियां देने की मांग कर रहे हैं और जब हमारे देश के सर्वोच्च कार्यकारी प्राधिकार भी राज्यों को अधिक शक्तियां देने की आवश्यकता की उपेक्षा नहीं कर सके हैं तो ऐसे समय में केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों की शक्तियों में कमी करने के प्रयास को जनता सहन नहीं करेगी। वास्तव में यह बड़ा गम्भीर मामला है और मुझे विश्वास है कि केन्द्रीय सरकार इस पर पर्याप्त ध्यान देगी।

इस बैंक की स्थापना के परिणाम स्वरूप, कृषिकों और ग्रामीण दस्तकारों पर जिनके लिए इसे बनाया जा रहा है, और अधिक वित्तीय भार पड़ेगा। आर्थिक क्षमता के लिए इस बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक, केन्द्रीय सरकार तथा खुले बाजार से उधार लेना पड़ेगा। बैंक को बांड और ऋण-पत्र बेचने पड़ेंगे जिनपर उसे ऊंची ब्याज-दर देनी पड़ेगी। ऐसा करना अपरिहार्य हो जायेगा क्योंकि बैंक के प्रतिष्ठान और उसकी विभिन्न शाखाओं को चलाने के लिये पैसा एकत्रित करना पड़ेगा। स्पष्ट है कि ब्याज की ऊंची दर कृषिकों और ग्रामीण दस्तकारों से वसूल की जायेगी। यदि सरकार यह रास्ता नहीं अपनाती तो उसके पास यही विकल्प है कि इस घाटे को पूरा करने का दायित्व स्वयं अपने ऊपर ले। इसके परिणामस्वरूप नये कर लगाये जायेंगे, घाटे का बजट होगा और इससे मुद्रास्फीति पैदा होगी और आवश्यक वस्तुओं में मूल्य वृद्धि होगी। अतः इस विधेयक को पारित करने से पहले सरकार को यह बात ध्यानपूर्वक सोचनी होगी कि क्या इससे ग्रामीण जनता की आर्थिक भलाई होगी। अथवा नहीं। इस सम्बन्ध में मैं यह भी कहना चाहता हूं कि रिजर्व बैंक ऋणों पर जो ब्याज की दर लेता है, वह खुले बाजार में चल रही ब्याज दर पर आधारित नहीं होती है। कृषि सम्बन्धी ऋणों पर रिजर्व बैंक जो ब्याज की दर लेता है वह कम होती है किन्तु ऐसे अनेक मध्यस्थ बैंकिंग संगठन होते हैं जो अन्तिम ऋण लेने वाले और रिजर्व बैंक के बीच में आते हैं और इस कारण रिजर्व बैंक जो कम ब्याज दर का लाभ देता है वह ग्रामीण जनता को नहीं मिल पाता और इस कारण से इनमें निराशा फैली हुई है। इस बैंक की स्थापना से और उलझनें पैदा होंगी और उनकी निराशा और बढ़ेगी।

इस मामले के बारे में ध्यान देने की एक और बात भी है। इस बैंक की स्थापना के परिणामस्वरूप वित्तीय क्रिया कलाप ग्रामीण आधारित बैंकों, नये बैंक और रिजर्व बैंक के बीच होने से और पेचीदे हो जायेंगे और महत्त्वपूर्ण योजनाओं में, जिनके लिए ऋण लिया जाता है, अना-

वश्यक रूप से विलम्ब हो जायेगा। आर्थिक अध्ययन एक अनुसन्धान कार्य विभाग रिजर्व बैंक के पास रहेगा और कुल मिलाकर अन्य बैंकों के कार्य-निरीक्षण और कुछ अन्य महत्त्वपूर्ण कार्य करने का दायित्व रिजर्व बैंक को ही निभाना होगा। हम देखते हैं कि नये बैंक को वही दायित्व निभाने होंगे और वही कार्य भी करने होंगे। नई व्यवस्था के अन्तर्गत ग्रामीण और सहकारी बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में तभी खोले जा सकते हैं जब उसके लिए पहले प्रस्तावित राष्ट्रीय बैंक को आवेदन पत्र दिया जाये और उस पर उसकी विधिवत् सिफारिश के पश्चात उसे अन्तिम निर्णय के लिए रिजर्व बैंक को भेजा जाता है। वर्तमान में तो यह प्रक्रिया सरल है क्योंकि आवेदन पत्र विचार और निर्णय के लिए सीधा रिजर्व बैंक को भेजा जाता है। इससे अतिरिक्त, ग्रामीण आधारित बैंकों को इसके पश्चात एक ओर तो अपनी विवरणियों और विवरण रिजर्व बैंक को और दूसरी ओर राष्ट्रीय बैंक को भेजने होंगे। इसमें यह कहने की आवश्यकता नहीं कि इससे अनावश्यक विलम्ब होगा और इन ग्रामीण बैंकों को रिजर्व बैंक और राष्ट्रीय बैंक दोनों के प्रति निष्ठ होना पड़ेगा जिसके परिणाम स्वरूप उनके कार्य और लागत में वृद्धि हो जायेगी।

उद्देश्यों और कारणों के कथन में मन्त्री महोदय ने कहा है, "प्रस्थापित बैंक रिजर्व बैंक का एक अंग होगा। आशय यह है कि रिजर्व बैंक का ग्रामीण प्रत्यय के साथ घनिष्ट सम्बन्ध बना रहना चाहिए और धनीय और उधार संविकास के सम्बन्ध में सैन्ट्रल बैंक के रूप में इसके अधिकार को किसी भी रीति में कम नहीं किया जाना चाहिए।"

प्रस्ताविक विधेयक में यह उपबन्ध किया गया है कि नये बैंक के निदेशक मंडल में रिजर्व बैंक के तीन प्रतिनिधि शामिल किए जायेंगे। मैं इस बात को नहीं समझ सका कि नये बैंक के निदेशक मंडल में रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि शामिल कर इन दोनों बैंकों में आंगिक सम्बन्ध कैसे बनाया जा सकता है। वास्तव में जब हम रिजर्व बैंक से कृषि सम्बन्धी ऋण विभाग और कृषिक पुनर्वित्त अधिकार लेकर नये बैंक को देते हैं तो इसका अर्थ यह होगा कि हम दोनों संस्थानों को अलग-अलग कर रहे हैं और इससे किसी प्रकार का आंगिक सम्बन्ध नहीं बन सकेगा जो इस विधेयक के माध्यम से बनाने का प्रयास किया जा रहा है। मेरी राय यह है कि इन दोनों को पृथक-पृथक करने से कुछ लाभ नहीं होगा।

नये बैंक की स्थापना से, विभिन्न राज्यों में विभिन्न संवर्गों के अन्तर्गत कार्यरत भारतीय रिजर्व बैंक में 4000 कर्मचारियों में अराजकता और अनिश्चय की स्थिति पैदा हो जायेगी। यह स्वाभाविक ही है कि ये कर्मचारी रिजर्व बैंक में ही रहना चाहेंगे, नये बैंक में नहीं क्योंकि वहां वे स्वयं को सुरिक्षत अनुभव नहीं करेंगे। रिजर्व बैंक के कुछ विभागों के नये बैंक में अन्तरण के परिणामस्वरूप वहां कर्मचारी फालतू हो जायेंगे और इसमें 2000 पदोन्नति पद भी शामिल होंगे, चूंकि रिजर्व बैंक के कुछ विभाग अन्तरित हो जायेंगे, शेष कर्मचारियों की पदोन्नति की सम्भावनाएं खतरे में पड़ जायेगी। मैं यह समझता हूं कि इस समस्या का केवल यही समाधान कि रिजर्व बैंक और नये बैंक के कर्मचारियों का एक संयुक्त पूल बनाया जाये और ऐसे उपबन्ध किये जायें जिनके अन्तर्गत एक समान वरीयता के आधार पर स्थानान्तरण अन्तःसंस्थान और पदोन्नति की जाये। दुर्भाग्यवश इस विधेयक में कर्मचारियों की कठिनाइयों का ध्यान नहीं रखा गया है। उन्होंने इसके लिए विशिष्ट उपबन्ध करने की कोई परवाह नहीं की है।

'उद्देश्यों और कारणों के कथन' में कहा गया है:

'मार्च, 1979 में सरकार ने ग्रामीण प्रत्यय की संस्थागत व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित करने के दृष्टिकोण से उनके पुनर्वलोकन की व्यवस्था करने का भारतीय रिज़र्व बैंक से अनुरोध किया था। सरकार के उक्त अनुरोध के अनुसरण में भारतीय रिजर्व बैंक ने कृषि और ग्रामीण विकास के लिए संस्थागत प्रत्यय की व्यवस्थाओं के पुनर्वलोकन के लिए समिति का गठन किया था।''

महोदय, अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण पुनरीक्षण समिति ने जो सुझाव दिया था वह सरकार द्वारा किये गए कार्य से पूर्णतया भिन्न है। समिति की राय थी कि कृषि के लिए संस्थागत ऋण देने का कार्य इतना व्यापक है कि इसे एक संगठन नहीं कर सकता और इसलिए समिति ने सिफारिश की थी कि भारतीय रिजर्व बैंक के अन्तर्गत एक कृषि ऋण बोर्ड की स्थापना की जाए जिसे यह उत्तरदायित्व सौंपा जाये। सिफारिश को कार्यान्वित किए जाने की बजाए सरकार इस विधेयक के द्वारा राष्ट्रीय बैंक की स्थापना करने जा रही है। इसलिए मैं इस विधेयक का सख्त विरोध करता हूं, क्योंकि सरकार ग्रामीण लोगों के अति महत्वपूर्ण मामले में शीघ्रता से काम कर रही है। जब तक इस मामले के पक्ष-विपक्ष की सावधानी से जांच नहीं की जाती, इसके परिणामस्वरूप अत्यधिक कठिनाइयां हो सकती हैं और इन लोगों को परेशानी होंगी जिनके लिए यह विधेयक लाया जा रहा है। अतः मैं निवेदन करता हूं कि इस विधेयक को प्रवर समिति के पास भेजा जाए और इस विधेयक के उपबन्धों पर सावधानी पूर्वक विचार करने के पश्चात् ही इस मामले में अगला कदम उठाना बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य होगा।

श्री वाई० एस० महाजन (जलगांव) : सभापति महोदय, प्रस्तावित राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक विधेयक बहुत ही व्यापक है। इसमें ग्रामीण विकास और समृद्धि के दृष्टिकोण से किसी भी महत्वपूर्ण बात को छोड़ा नहीं गया है।

इस विधेयक में कृषि, लघु उद्योगों, कुटीर और ग्रामोद्योगों हस्तशिल्प तथा अन्य ग्रामीण दस्तकारी और ग्रामीण क्षेत्र की अन्य संबद्ध आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देने हेतु ऋण देने के लिए एक संस्था की स्थापना का उपबन्ध किया गया है। इसमें प्रारम्भ में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके माध्यम से समेकित ग्रामीण विकास और ग्रामीण क्षेत्र की समृद्धि में वृद्धि की आशा की गई है। धारा 2 में दी गई 'कृषि' शब्द की परिभाषा में पशु पालन, वनरोपण मुर्गी पालन, मछली पालन तथा अन्य संबद्ध विषय सम्मिलित किए गए हैं।

राष्ट्रीय कृषि आयोग ने इस प्रकार की सिफारिश की थी। इसने. सिफारिश की थी कि सभी प्रकार के ऋण एक समेकित एजेंसी के माध्यम से दिए जाएं जो अंतत राष्ट्रीय स्तर पर एक शीर्ष बैंक का काम करेगा।

इस विचार का शिवरामन समिति ने, जिसे कृषि और ग्रामीण विकास के लिए संस्थागत ऋण की व्यवस्था की पुनरीक्षा करने हेतु नियुक्त किया गया था। इसने एक नए शीर्ष बैंक अर्थात राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की, जिसे संक्षेप में रा० कृ० ग्रा० वि० बैंक कहा जा सकता है, समेकित ग्रामीण विकास से उत्पन्न होने वाली ऋण समस्याओं की ओर पूरा ध्यान देने

सशक्त दिशा निर्देश देने निश्चित लक्ष्य की ओर इंगित करने के एक संगठनात्मक उपाय के रूप में स्थापित करने की सिफारिश की थी ।

इस विधेयक की एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम को समाप्त करने का प्रस्ताव है और इसकी परिसम्पत्तियां, देवदारियां नए राष्ट्रीय बैंक को सौंप दी जाएँगी । इस प्रकार इस विधेयक की धारा 16 में बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं की संभावित पुनरावृति को रोकने का प्रावधान किया गया है।

इसके प्रति पूर्ति संबन्धी उपबन्ध युक्तिसंगत है क्योंकि कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम के अंशधारियों को निगम की कुल चुकता पूंजी के बराबर राशि का भुगतान किया जाएगा । धारा 16 की उपधारा (1) में निर्धारित तारीख तक अर्थात उस तारीख तक, जिस तारीख को कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम समाप्त होगा, अंशधारियों ने निगम की चुकता पूंजी में जितना अंशदान किया था उसी के अनुपात में यह भुगतान किया जायेगा ।

इस विधेयक में भारतीय रिजर्व बैंक से राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घ कालीन कार्य) निधि और राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थायित्व) निधि की सम्पूर्ण परिसम्पत्तियां और देनदारियां इस सम्पूर्ण राष्ट्रीय बैंक में स्थानांतरित करने का प्रावधान है । राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा स्थापति तथा संपोषित राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घ कालीन कार्य और स्थायित्व) निधि का अंग हो जांएगे ।

इन सभी परिवर्तनों के बावजूद प्रस्तावित राष्ट्रीय बैंक रिजर्व बैंक के साथ सभी संगठनात्मक संबन्ध बनाए रखेगा । भारतीय रिजर्व बैंक के ग्रामीण से सभी संबन्ध यथावत बने रहेंगे और धन तथा दिए गए ऋण को नियन्त्रित करने वाली शक्तियों सहित केन्द्रीय वित्त संस्थान के रूप में इसके प्राधिकारों में किसी प्रकार की कभी नहीं की जाएगी । इसके अतिरिक्त रिजर्व बैंक के तीन निदेशक राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के निदेशकों के रूप में भी कार्य करेंगे ।

राष्ट्रीय बैंक का प्रबन्ध अर्थात् सामान्य निरीक्षण, दिशा निर्देश, बैंक कार्यों का प्रबन्ध और कामकाज एक निदेशक मंण्डल देखेगा जिसमें अध्यक्ष सहित 15 सदस्य होंगे ।

विधेयक में कहा गया है कि तीन निदेशक केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों में से होंगे और दो राज्य सरकारों के अधिकारियों में से होगें । विधेयक में यह नहीं कहा गया है कि उनका चयन कैसे होगा । मेरे विचार से उनके चयन के लिये कोई तारीख निर्धारित किया जाना चाहिए था जिससे राज्यों और सभवत: केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों के बीच उत्पन्न होने वाली गलत फहमी से बचा जा सके ।

संभवत: वित्त मंत्री यह कहें कि 'उन्होंने तीन व्यक्ति कहे हैं ।' कृषि मंत्रालय भी कह सकना है कि "निदेशक मंण्डल में उन्हें तीन निदेशक भेजने का अधिकार है ।"

जहाँ तत्रैंक क के कार्यों का संबन्ध है, धारा 21 से 41 में बहुत ही व्यपाक ढंग से उनका उल्लेख कर दिया गया है । इसमें तीन उपबन्ध ऐसे हैं जो विशेषरूप से महत्वपूर्ण और स्वागत योग्य हैं ।

इनमें से दो में किसी भी राज्य सहकारी बैंक, या ऐसी ही वित्तीय संस्था को, जो सूखे, अकाल, सैनिक कार्यवाही अथवा शत्रु की कार्यवाही के कारण कठिनाई में पड़ गई है, वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रावधान किसी भी बैंक के संविधान में नहीं है। दूसरा उपबन्ध भी महत्वपूर्ण है। जब इन बैंकों द्वारा कारीगरों, लघु उद्योगों अथवा हस्तशिल्प में लगे व्यक्तियों को ऋण दिए जाते हैं, तो इन्हें अप्रत्याशित स्थितियों के कारण पुनर्निर्धारित करना होगा। तब 'नफेड' उनकी सहायता करेगा। यह सहायता 18 महीनों से कम या सात वर्षों से अधिक नहीं हो सकती।

तीसरा महत्वपूर्ण उपबन्ध बैंक को किसी सहकारी समिति अथवा अन्य किसी व्यक्ति से मिलने वाली पूंजीगत वस्तुओं की खरीद के संबन्ध आस्थगित भुगतानों की प्रतिभूति देने का अधिकार प्रदान करना है बशर्ते इसी स्वीकृति या प्रतिभूति रिजर्व बैंक, भारत सरकार या राज्य भूमि विकास बैंक दे।

बैंक ग्रामीण ऋण के माध्यम से समाज के विभिन्न वर्गों को, जो कि हमारी जनसंख्या का 75 प्रतिशत होते हैं, एक समेकित सेवा प्रदान करना चाहता है। यह एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है और इसके महत्व को आंकना बहुत ही कठिन है ग्रामीण ऋण समितियां देश में सहकारी आन्दोलन की अग्रणी रही हैं। इस समय 18 राज्यों में लगभग 95,000 प्राथमिक कृषि ऋण समितियां 337 केन्द्रीय सहकारी बैंक और, 26 राज्य सहकारी बैंक और 102 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं।

ये सब मिलकर लगभग 12,000 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान करते हैं जो कि 30 वर्ष है पहले 25 करोड़ रुपये था। इससे पिछले 30 वर्षों में देश में सहकारी ऋण क्षेत्र में हुई भारी वृद्धि का पता चलता है। ग्रामीण ऋण पद्धिति हमारी आबादी के 75 प्रतिशत लोगों की समृद्धि पर प्रभाव डालती है इसलिए यह बैंक अपने कार्य के कारण 20 सूत्री कार्यक्रम को सफल बनाने में एक महत्वपूर्ण शक्ति सिद्ध होगा।

परन्तु इन उद्देश्यों को प्राप्त करने में बैंक को कुछ सावधानियां रखनी होंगी। यह बता देना आवश्यक है कि राष्ट्रीय बैंक को उन बुराइयों से बचाना होगा जो सहकारी ऋण प्रणाली में घुस गई हैं। राष्ट्रीय बैंक और अन्य संस्थाओं को यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऋण प्रदान करने में बाधा न आए और ऋण सीधे निर्धन वर्ग तक पहुंचे कुछ उपाय निकालने होंगे। दूसरे, अति देय के अनुपात में कमी लानी होगी। अधिकांश सहकारी समितियों के मामले में इस अनुपात में पिछले कुछ वर्षों से वृद्धि हुई है। तीसरी बात यह है कि हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि ऋण बड़े किसान न समेट लें, क्योंकि सहकारी आन्दोलन पर उनके हावी होने की संभावना है। यदि ये सावधानियां बरती जाती हैं तो मेरे विचार से इस बैंक की स्थापना एक बहुत ही प्रगतिशील कदम है और हमारे 20 सूत्री कार्यक्रम की उपलब्धियों को सफल बनाने का एक बहुत ही अच्छा तरीका समझा जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ में विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री चन्द्रजीत यादव : सभापति महोदय, मैं विधेयक के पेश किए जाने का स्वागत करता हूं और मेरे विचार से इस बैंक की स्थापना का निर्णय लेकर सरकार ने बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य किया है. क्योंकि हमारी 70 प्रतिशत से भी अधिक आबादी अब भी गांवों में रहती है। गांव में रहने वाले लोग छोटे किसान, कारीगर और भूमिहीन मजदूर हैं। गरीबी की रेखा के नीचे रहने

वाले लोगों में अधिसंख्यक लोग यही हैं। ये लोग वास्तव में गांवों में रहने वाले हैं और ये सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं और ये आज भी सामाजिक और आर्थिक शोषण के शिकार हैं।

मेरे विचार से सरकार को काफी विलम्ब से इस बात का अहसास हुआ है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की ओर पूर्ण ध्यान नहीं दिया गया है और यह देश तब तक निर्धन ही बना रहेगा जब तक गांव में रहने वाले लोग निर्धन रहेंगे, क्योंकि वे हमारी आबादी के दो-तिहाई हैं। आज भी ये लोग सामन्तवादी प्रथा और अफसरशाही के शिकार हैं। ये लोग उन व्यक्तियों के गलत दृष्टिकोण के शिकार हैं जो विकास कार्यों के लिए उत्तरदायी हैं, क्योंकि इन वर्गों के कल्याण और प्रगति को आज भी प्राथमिकता नहीं दी जा रही है। मेरे विचार में अब बिल्कुल उचित समय है जब वित्तीय संस्थानों और आयोजना के सम्पूर्ण दृष्टिकोण में आमूचूक परिवर्तन किया जाए ताकि इन लोगों, किसानों और कारीगरों को उच्च प्राथमिकता दी जा सके।

आज यह सर्वविदित तथ्य है कि हमारे गांव सड़कों से नहीं जुड़े हैं और देश के सैकड़ों और हजारों गांवों में पीने के पानी की सुविधा भी उपलब्ध नहीं करायी गई है। प्रत्येक गांव या बस्ती में बिजली, स्कूल अथवा अस्पताल की सुविधा प्रदान करने की बात करना भी व्यर्थ है। वह सब नहीं हो रहा है। हमारे देश का यह विषम विकास ही इस बात के लिए उत्तरदायी है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के 35 वर्षों के पश्चात् भी हमारी आधी से अधिक आबादी गरीबी की रेखा से नीचे रह रही है।

मेरे विचार में हमारी अर्थव्यवस्था और विकास सम्बन्धी दृष्टिकोण की एक दुःखद बात यह है कि आज विश्व में सबसे अधिक निर्धन और बेरोजगार लोग भारत में हैं।

अभी हाल में ही एक संसदीय शिष्ट मंडल चीन गया था। बहुधा यह कहा जाता है कि भारत कोई छोटा देश नहीं है, यह 68 करोड़ लोगों का देश है और इस देश की समस्याएं विशाल हैं। चीन भारत से कहीं बड़ा है और इसकी जनसंख्या लगभग 100 करोड़ है। परन्तु चीन ने अपने लोगों की भोजन, वस्त्र, मकान आदि जैसी प्रमुख आवश्यकताओं को हल कर लिया है। चीन उद्योग, प्रौद्योगिकी के मामले में पिछड़ा हुआ हो सकता है, परन्तु जहाँ तक मूलभूत आवश्यकताओं का सम्बन्ध है, चीन ने अपने नागरिकों की समस्याओं को सफलतापूर्वक हल कर लिया है, क्योंकि उन्होंने इन समस्याओं को उच्च प्राथमिकता प्रदान की, और हमारे नीति निर्धारकों की समग्र पकड़ और रवैये में यह एक गम्भीर कमी है—मुझे इसे कमी न कहकर गम्भीर कमजोरी कहना चाहिए—और अब मैं आशा करता हूं कि वह समय आ गया है कि यथासम्भव शीघ्र इन कमजोरियों को दूर कर दिया जाना चाहिए। अन्यथा देश को एक गम्भीर स्थिति का सामना करना पड़ेगा और आक्रोश बढ़ता जायेगा। असंतोष बढ़ रहा है। जनता प्रतिक्रिया व्यक्त कर रही है और इससे एक अत्यन्त ही गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो जायेगी, चाहे वह असम-आन्दोलन के रूप में हो या किसी अन्य आन्दोलन के रूप में उठे, परन्तु इन बातों पर ध्यान तो देना होगा।

मेरे विचार से इस बैंक की स्थापना में हुए इस विलम्ब के कारण अनावश्यक रूप से तीन, चार वर्षों के अमूल्य समय की हानि हुई है। मैं इस मत से सहमत नहीं हूं कि इस राष्ट्रीय बैंक

की स्थापना किसी प्रकार किसानों के मार्ग में बाधा बनेगी या हमारे कृषकों के लिए समस्याएं पैदा करेगी और किसी न किसी प्रकार भारतीय रिजर्व बैंक की स्थिति से संघर्ष करेगी। मेरे विचार से इस देश के किसानों और शिल्पकारों की अनेकानेक समस्याओं पर विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है और इसी बात को ध्यान में रखकर इस बैंक की स्थापना की जा रही है और मुझे आशा है कि जिस उद्देश्य को लेकर बैंक की स्थापना की जा रही है वह सफल होगी।

मेरे विचार से वित्त मन्त्री महोदय ने इस बैंक और उस राष्ट्रीय कृषि आयोग की कुछ प्रमुख विशेषताएं बता दी होंगी जो कि वस्तुतः इसकी स्थापना के लिए एक मुख्य आधार बना—इसकी सिफारिशें मुख्य आधार बनीं। उनका क्या कहना था ? उन्होंने उस कच्चे-माल या उन सेवाओं की पूर्ति हेतु कोई वास्तविक हल नहीं बताया था, जो कि हमारे किसानों के विकास और प्रगति की मुख्य समस्याएं हैं, मुख्य बाधाएं हैं। मैं मानता हूं कि जहां तक ऋण सम्बन्धी पहलू का सम्बन्ध है, यह बैंक उस महत्वपूर्ण पहलू को पूरा करेगा। परन्तु, आप गाँव के रहने वाले हैं, आप जानते हैं, हममें से अधिकाँश लोग गाँवों से आए हैं तो हम जानते हैं कि गाँवों की क्या समस्यायें हैं। आज उनकी क्या स्थिति है ? क्या यह बैंक स्थिति के सुधार में सहायता करेगा ? क्या यह हमारे किसानों को खेती के काम आने वाली वस्तुएं उचित दरों पर उपलब्ध कराने की सुविधाएं जुटायेगा ? आज हालत क्या है ? इस तथ्य के बावजूद कि वित्त मन्त्री महोदय मुद्रास्फीति को रोकने में कुछ सीमा तक सफल रहे हैं और यह दावा किया गया है कि मुद्रास्फीति कम कर दी गई है, आम खरीददार को इसका कोई लाभ नहीं मिला है। गत वर्ष यूरिया की कीमत प्रति बोरी 50/- रुपये थी और आज यह 125 रुपये की बेची जा रही है, जो कि यूरिया की कीमतों में 200 प्रतिशत से भी अधिक की वृद्धि है। इसी प्रकार गत वर्ष डी० ए० पी० की कीमत प्रति बोरी 105 रुपए थी और आज यह 185 रुपए और 190 रुपए तक बेची जा रही है। 5 हार्सपावर के नलकूप के लिए एक किसान को बिजली के खर्चे के रूप में 60 रुपए देने पड़ते थे, जिसे अब बढ़ाकर 85 रुपए कर दिया गया है। सीमेंट, इस्पात, कीटनाशकों और अन्य कच्चे-माल की यही स्थिति है। किसान को एड़ी-चोटी का दम लगाकर इसका भुगतान करना पड़ता है। कृषि मूल्य आयोग ने कहा है कि किसानों को कृषि के काम आने वाली वस्तुएं उचित मूल्य पर उपलब्ध करानी चाहिए। क्या यह बैंक इस दिशा में कुछ करेगा ? मेरे विचार से इसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त इस बैंक को अपने विशेषज्ञों द्वारा ग्रामीण भारत के विशेष क्षेत्रों में कुछ अध्ययन कार्य कराने का काम भी अपने हाथ में लेना पड़ेगा। और केन्द्रीय सरकार या अन्य अभिकरणों को इसका प्रतिवेदन तैयार मिलेगा। इसका सेवा भाग सबसे निकृष्ट है। यदि कोई नलकूप खराब हो जाता है तो सारे मौसम या सीजन में किसान उसकी खराबी को दूर नहीं करवा पाएगा। अपने नेक इरादों के बावजूद भी सरकार कृषक समाज को या ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराने में पूर्णतया असफल रही है। आप हमारे शिल्पकारों, हथकरघा बुनकरों, विद्युत-चालित करघों के बुनकरों की हालत को देखिए। उनकी हालत बद से बदतर होती जा रही है अन्य शिल्पकारों को सताया जा रहा है। मैं वित्त मन्त्री महोदय को बता देना चाहता हूं कि केवल ऋण प्रदान करके ही आप उनकी समस्याओं को हल नहीं कर सकते हैं। आपको अपनी औद्योगिक नीति में कुछ विशिष्ट परिवर्तन करने होंगे। एकाधिकार गृह तथा बहु-

राष्ट्रीय निगमें इस देश के कुटीर उद्योग तथा लघु उद्योग को पूरी तरह नष्ट कर रही हैं इससे बचने की कोई व्यवस्था नहीं है। लघु तथा कुटीर उद्योग क्षेत्र अत्यन्त आधुनिक तकनीक के साथ प्रतिस्पर्द्धा नहीं कर सकता। सरकार को अपनी नीति में कुछ परिवर्तन करने ही होंगे। वित्त मंत्री महोदय कहेंगे कि सरकार कुटीर और लघु-उद्योग क्षेत्र के लिए पहले ही कुछ मदों को आरक्षित कर चुकी है। परन्तु उससे स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है।

भारत इस सम्बन्ध में एक बहुत ही भाग्यशाली देश है। विश्व भर में, कुटीर उद्योग, हथकरघा उद्योग और शिल्पकार समाप्त होते जा रहे हैं। आज हाथ से बनी वस्तुओं की भारी मांग है। भारत में शायद पीढ़ी-दर-पीढ़ी से चली आ रही कौशल की दीर्घ परम्परा के कारण ही यहाँ कुछ सर्वोत्तम शिल्पकार और अति दक्ष कर्मकार मौजूद हैं।

मेरे विचार से यही वह सही समय है जबकि हमें उनको संरक्षण प्रदान करना चाहिए। यदि आवश्यक हो तो आरक्षण द्वारा या बड़े घरानों पर, एकाधिकार व्यापार मुद्दों पर तथा बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों पर कुछ पाबन्दिया लगाकर सरकार को सभी प्रकार के प्रयत्न करने चाहिए। जिससे कि इन लोगों को वास्तविक सुविधाएं प्राप्त हो सकें।

मैं अनुभव करता हूं कि वह समय आ गया है जबकि इस देश में नीति तन्त्र को बदल दिया जाना चाहिए। क्योंकि जब तक हम यह निर्णय नहीं करते कि हमारी जनसंख्या के 70 प्रतिशत के साथ उच्च प्रायमिकता के आधार पर व्यवहार किया जाना चाहिए, तब तक वास्तविक विकास नहीं हो सकता है और गत पाँच वर्षों में जो असन्तुलन पैदा हो गये है. जो कि हमारे नगरों को अधिक आबादी वाले बनाने के लिए जिम्मेवार हैं, वे निरन्तर बने रहेंगे। विगत में हमने अपना सम्पूर्ण ध्यान बड़े नगरों के विकास और उन्हें और अधिक आधुनिक बनाने तथा उन्हें सुविधाएं जुटाने में लगाया। इस नीति को बदला जाना चाहिए।

यह अनुपयुक्त बात नहीं होगी यदि मैं यह मांग करूं कि आगामी तीन पंचवर्षीय योजनाओं में, ग्रामीण क्षेत्रों में, गाँवों में, जनसख्या के अनुपात के अनुसार ही पूंजी निवेश होना चाहिए। इससे न केवल मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने में सहायता मिलेगी, अपितु गाँवों की ओर से नगरों की ओर जनसंख्या का प्रवाह भी रुक जाएगा और गांव लोगों के रहने लायक स्थान बन जायेंगे। यदि मूलभूत सुविधाएं गांवों में उपलब्ध करा दी जाएं तो फिर पढ़े-लिखे लोग, सरकारी कर्मचारी तथा अन्य लोग गाँवों में जाने से नहीं कतरायेंगे।

मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आपको आधारभूत उद्योग नहीं लगाने चाहिये। आधारभूत उद्योग तो हमें रखने ही होंगे। परन्तु जहाँ तक सड़कों का विकास, पानी का प्रबन्ध, सिंचाई सुविधाएं, विद्यालय और अस्पताल जैसे कार्यक्रमों का सम्बन्ध है, उनमें गांवों को उनका उपयुक्त भाग मिलना ही चाहिए। यह अनेक स्थानीय स्रोतों की व्यवस्था हो सकेगी और ग्रामीण लोगों के रोजगार के भी अनेक मार्ग खुल जाएंगे।

मैं यह कहूंगा कि राष्ट्रीयकरण के पश्चात बैंकों ने अच्छा कार्य किया है अतः उनका राष्ट्रीयकरण करने का निर्णय सही था। उन्होंने गांवों तक पहुंचाने और समाज के कमजोर वर्गों को पहचानने का प्रयास किया है। परन्तु अब बहुत सी अड़चने पैदा हो रही हैं। भ्रष्टाचार, जो कि

बैंकिंग प्रणाली में कभी था ही नहीं, अब उस क्षेत्र में भी घुस रहा है। दस दिन पूर्व मैं अपने गाँव में था। अनुसूचित-जाति के दस-बारह ग्रामीण मेरे पास आए और उन्होंने शिकायत की कि यद्यपि उन्होंने बैंक से ऋण प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र दिए थे। परन्तु पिछले छह मास में वह ऋण उन्हें नहीं दिया गया है। उनमें से प्रत्येक ने भैंस आदि खरीदने के लिए 5,000/- रुपये के ऋण के लिए आवेदन किया था। मैंने बैंक के प्रबन्धक को एक पत्र लिखा कि इन गरीब लोगों को गत छह मास से क्यों तंग किया जा रहा है। यह कोई किसी एक बैंक का किस्सा नहीं है, यह स्थिति तो लगभग सभी बैंकों की है। उनके कमीशन की दर निर्धारित होती है। जब तक आप उस निर्धारित कमीशन की राशि बैंकों और अन्य सम्बद्ध लोगों को दे नहीं देते, तब तक आपका इस प्रकार का ऋण मंजूर नहीं किया जाता। यह एक गम्भीर मामला है। बैंकों को इन लोगों की सहायता करनी चाहिये, क्योंकि ये उनके लिए ही तो हैं। इन लोगों में से अधिकांश के अशिक्षित और असहाय होने के कारण बैंकों को उन्हें लूटने के बजाय, उनकी सहायता के लिए आगे आना चाहिए। वित्त मंत्री महोदय को इस पहलू पर विशेष ध्यान देना चाहिए और देखना चाहिये कि ये ऋण सुविधाएं सही व्यक्तियों के पास पहुंचें।

गत दो या तीन वर्षों के दौरान गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे लोगों का पता लगा लिया गया है। आपके पास सूची है। अब लोगों को उनकी सहायता के लिए आगे आना चाहिए। ऋण का प्रावधान करना ही पर्याप्त नहीं होगा। उन लोगों के पास जाकर, इन ऋण-सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए, उन लोगों का मार्ग-दर्शन करना चाहिए। यह करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब तक यह नहीं किया जाता है तब तब इस बैंक का प्रशंसनीय उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

महोदय एक अन्य बात में यह करना चाहता हूं कि, जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं, अच्छा यही होगा कि वित्त मंत्री महोदय भी राष्ट्रीय कृषि आयोग की तरह यह सोचें कि ऋण के अतिरिक्त कृषि के काम आने वाले पदार्थ और सेवा सुविधाएं किस प्रकार प्रदान की जा सकती हैं और क्या यह बैंक अपने अधीन कुछ विशेष विभाग यह अन्य अधिकरण खोल सकता है जिसके द्वारा यह बैंक विभिन्न क्रियाकलाओं में समन्वय स्थापित कर सके। यह केवल ऋण देने के लिए ही नहीं है। यदि वे सुविधाएं और कृषि के काम आने वाली वस्तुएं नहीं दी जाती हैं तो ऋण निरर्थक रह जायेगा। अतः कृषि के काम आने वाली वस्तुएं और अन्य सेवाएं प्रदान करने के लिए जिम्मेवार उन अधिकरणों के सम्बन्ध में मैं यह कहूंगा कि उनसे, निदेशकों और सलाहकार परिषदों की नियुक्ति करते समय, कुछ सम्बन्ध स्थापित रखा जाना चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि बैंकों के प्रतिनिधि भी उनमें सम्मिलित किए जाएं। (व्यवधान) मैं यह कह रहा हूं कि इस पहलू पर भी विचार किया जाना चाहिये।

मैं वित्त मन्त्री महोदय के विचार के लिए तीन-चार बातें रखूंगा। मेरे विचार से कुछ ऐसा भय है कि आप कुछ ऐसा संगठन बनाने जा रहे हैं जिसको समान सुविधाएं और प्रशासनिक उच्चाधिकारी मिलेंगे। मेरे विचार से इस सम्बन्ध में सावधानी बरती जानी चाहिए और ये कम से कम होने चाहिए। आपको यह कह कर यह भय दूर कर देना चाहिए कि आप एक अन्य अभिकरण स्थापति करने नहीं जा रहे हैं और विद्यमान अभिकरणों की सेवाएं ही ली जायेंगी। परन्तु

मैं आपका ध्यान इस तथ्य की ओर भी खींचना चाहूंगा कि सहकारी संस्था में वास्तव में, धनी किसानों और एक नये प्रकार के वर्ग, जोकि शोषक-वर्ग है, के हाथ का खिलौना मात्र बन गई हैं। देश के अधिकांश भागों में सहकारी संस्थाएं अधिकतर शोषक वर्ग सामन्तवादी वर्ग और धनी लोगों के हाथों में हैं और वे इन निर्धन लोगों को लाभ नहीं पहुंचने देना चाहते जिनके लिए ये काम किये जा रहे हैं। इसलिए यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ये ऋण सुविधाएं इस बैंक के माध्यम से निर्धन लोगों तक पहुंचें और मैं समझता हूं अब समय आ गया है जब कि इसे अधिक लोकतान्त्रिक होना चाहिए, निर्धन लोगों को अधिक प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। चुनाव प्रणाली को इस प्रकार बदला जाना चाहिए कि लोगों के कमजोर वर्गों को सम्बद्ध संस्थाओं में स्थान मिल सके ताकि वे अपने हितों की स्वयं देखभाल कर सकें।

मुझे आशा है कि अन्य बैंकों की तुलना में इसके अधिक ब्याज होने का डर भी दूर कर दिया जाएगा। यदि ब्याज की दर अधिक कर दी जाती है तो समूचा उद्देश्य विफल हो जाएगा। मुझे आशा है कि यह बैंक उन वर्गों की सेवा के लिए एक महत्वपूर्ण साधन बन जाएगा जिनके लिए इसे बनाया गया है और किसी प्रकार की अतिव्याप्ति नहीं होगी। अतः वह बात जिस पर विचार किया जाना चाहिए यह है कि अनावश्यक अतिव्याप्ति नहीं होनी चाहिए।

भारतीय रिजर्व बैंक के कर्मचारियों ने एक अभ्यावेदन भेजा है। मैं उनके कर्मचारियों के अभ्यावेदन पर विचार कर रहा हूं। उन्होंने इस बैंक की स्थापना का विरोध किया है मैं उनके अभ्यावेदन से सहमत नहीं हूं। मूल उद्देश्य बैंक की स्थापना करना है। परन्तु एक आशंका व्यक्त की जा रही है कि सम्भवतः 2000 लोगों को पदोन्नति नहीं मिल पाएगी। उनका कहना है कि उनकी वेतन वृद्धि रुक जाएगी और उनके पदोन्नति के अवसर समाप्त हो जाएंगे। मेरा विचार है कि इस आशंका पर विचार किया जाना चाहिए।

अभी मैंने कुछ बातों को नोट किया है और मुझे आशा है कि वित्त मंत्री उन पर विचार करेंगे। उदाहरणार्थ, खण्ड 5 में आपने कहा है कि प्रबन्ध निदेशक की नियुक्ति के लिए बोर्ड से परामर्श किया जाएगा। मैं नहीं समझता कि यह बहुत व्यवहारिक होगा पूरा बोर्ड ही नहीं, बल्कि रिजर्व बैंक के अध्यक्ष तथा राष्ट्रीय बैंकों के अध्यक्ष से भी इस संबन्ध में परामर्श किया जाना चाहिए। मैं समझता हूं कि प्रारम्भ से ही इस बैंक के लिए एक प्रबन्ध निदेशक होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रबन्ध निदेशक की नियुक्ति बाद में जाकर की जाए। उससे कतिपय समस्याएं पैदा होंगी। परामर्शदात्री परिषद् का गठन मेरी समझ में नहीं आया है कि उसमें कितने सदस्य होंगे आदि। मैं समझता हूं कि केन्द्रीय सरकार ने कुछ मार्ग दर्शी सिद्धान्त बनाए होंगे। इसमें वकीलों और अन्य संस्थाओं को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए ताकि यह वास्तव में परामर्शदाता निकाय बन सके और समस्याएं राष्ट्रीय बैंक के ध्यान में लाई जा सकें।

खंड 19 (3) : "सरकार से या किसी अन्य स्रोत से दान, अनुदान, संदान या उपकृति प्राप्त कर सकेगा।"

मैं इसे समझ नहीं सका।

खंड 20 विदेशी मुद्रा में ऋण लेने के विषय में है। मुझे आशा है कि "किसी अन्य स्रोत" की व्याख्या "किसी विदेशी स्रोत" के रूप में नहीं की जाएगी। यदि विदेशी स्रोत और अनुदान

की अनुमति दी जाये तो ऐसा रिजर्व बैंक की अनुमति के बिना नहीं किया जाना चाहिए। इसे इस रूप में प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए जिसमें कि विदेशी एजेंसियां इस बैंक के माध्यम से हस्तक्षेप कर सकें।

मेरे पास कुछ और मुद्दे भी हैं। मुझे अधिक समय देने के लिए मैं आपको धन्यावाद देता हूं। मैं सभा का अधिक समय नहीं लूंगा। मुझे विश्वास है कि वित्त मंत्री इस विधेयक को विचारार्थ प्रस्तुत करते समय इन सभी बातों पर विचार करेंगे और यह भी सुनिश्चित करेंगे कि, चूंकि हम पहले ही तीन या चार वर्ष गंवा चुके हैं, हमें और समय नहीं गंवाना चाहिए और ग्रामीण क्षेत्रों में लोग इस बैंक में अपनी भावात्मक दिलचस्पी दिखायें—ऐसा समझें कि यह उनके लिए बनाया गया एक राष्ट्रीय बैंक है, उनकी प्रगति के लिए है और यदि वे इस बैंक में आते हैं तो उन्हें यह महसूस नहीं होना चाहिए कि यह नौकर शाहों का एक और संगठन है बल्कि उनमें यह भावना पैदा होनी चाहिए कि उनके साथ सहानुभूति पूर्वक व्यवहार किया जाएगा। इस बैंक के कर्मचारियों में वहां पर रह रहे लोगों की सहायता करने की भावना होनी चाहिए। धन्यवाद

एयर इंडिया के विमान के अपहरण के बारे में वक्तव्य

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंदूलाल चंद्राकर) : एयर इंडिया का बोइंग जहाज 707 फ्लाइट संख्या 224 जो सेल्सबरी और सेशिलिस से बम्बई आ रहा था गत रात्रि को (स्थानीय समय) सेशिलिस हवाई अड्डे पर उतरा। ज्ञात हुआ है कि कुछ व्यक्तियों ने जो कि एयर स्वाजी विमान सेवा द्वारा कुछ घंटे पहले सेशिलिस में उतरे थे हवाई अड्डे को अपने नियंत्रण में ले लिया और एयर इंडिया के उक्त विमान को बलात् अपने कब्जे में लेकर विमान चालक को दक्षिण अफ्रीका में डरबन के लिए उड़ान भरने के लिए मजबूर कर दिया। बाद में मिली जानकारी से पता चला है कि उक्त विमान डरबन में आज प्रातः 8.50 बजे (भारतीय मानक समय) पर उतारा गया। इस जहाज पर कैप्टेन सक्सेना, 13 अन्य विमान कर्मचारी और 65 यात्री तथा विमान अपहरणकर्त्ता सवार थे। इस जहाज को डरबन हवाई अड्डे पर रनवे के अन्तिम छोर पर खड़ा किया गया और स्थानीय विमानन तथा सुरक्षा अधिकारियों ने आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था की।

दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने इसमें हस्तक्षेप किया और स्थिति को सावधानी के साथ संभाला गया और इस तरह अपहरण हुए विमान के सभी यात्रियों को विमान से निरापद बाहर निकाला जा सका और उन्हें आज जोहान्सबर्ग से विमान द्वारा लाने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने उन्हें सर्वप्रथम उड़ान से बम्बई तक पहुंचाने की व्यवस्था की है। विमान पर सवार कर्मचारी भी सुरक्षित हैं और डरबन शहर में तब तक के लिए रखे गये हैं जब तक कि उक्त विमान में मरम्मत न हो जाये। दक्षिण अफ्रीका के अधिकारियों ने तमाम अपहरणकर्त्ताओं को गिरफ्तार कर लिया है। एयर इंडिया ने इन यात्रियों को बम्बई तक वापस पहुंचाने में मदद के लिए आवश्यक कर्मचारी भेजे हैं।

समय-समय पर अध्यक्ष महोदय को स्थिति के बारे में सूचना दी जाती रही।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ) : मैं अपहरणकर्त्ताओं की राष्ट्रीयता के विषय में जानना चाहता हूं। क्या वे भारतीय थे या विदेशी थे ? इस संबंध में आपके पास क्या सूचना है ? वे कौन लोग थे ?

श्री चन्दू लाल चन्द्राकर: तीन कारणों से विस्तृत सूचना उपलब्ध नहीं है। एक यह कि हमारे दक्षिण अफ्रीका के साथ राजनैतिक संबंध नहीं हैं ······

श्री चन्द्रजीत यादव: आपको इसके अलावा सभी सूचनाएं मिल गई हैं कि वे कौन लोग थे ? उनकी राष्ट्रीयता क्या थी ? आपने यह जानने की भी परवाह नहीं की।

सभापति महोदय: पहले माननीय मंत्री को अपना कथन पूरा कर लेने दें फिर यदि कोई बात रह जाती है तो आप पूछ सकते हैं।

श्री चन्दू लाल चन्द्राकर: आप जानते हैं चूंकि हमारे उस देश के साथ राजनैयिक संबंध नहीं हैं, इसलिए हमें किसी अन्य एजेंसी के माध्यम से बात करनी पड़ती है। तथ्यों का निर्णय डरबन के बजाय प्रीटोरिया में, जो दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है, किसी तीसरी एजेंसी के माध्यम से किया जाएगा वास्तव में, हम सुबह ही वक्तव्य देना चाहते थे, परन्तु देर होती जा रही थी और सम्पर्क कायम करने में भी देर हो रही थी इसलिए हमने सोचा कि इसे और अधिक नहीं टालना चाहिए। हमने अनेक प्रकार की सूचनाएं मांगी थी, परन्तु उनमें से कुछ अभी भी हमारे पास नहीं आई हैं। इसीलिए हमने देर की। परन्तु, इसे लम्बित रखने और इसमें कल या आगे तक देरी करने के बजाय, हमने सोचा कि जो भी सूचना हमारे पास है वह सभा को दे देनी चाहिए।

श्री चन्द्रजीत यादव : यह सब ठीक है। परन्तु यह बहुत गम्भीर ············

श्री बापू साहिब परूलेकर (रत्नागिरी) : विमान के एक यात्री पर गोली चलाई गई थी, या मार डाला गया था। क्या यह सच है ? यदि हां, तो क्या मैं जान सकता हूं कि वह व्यक्ति विमान कर्मचारी था या कोई यात्री था ? (**व्यवधान**) टेलीप्रिंटर पर यही समाचार था। आपने उसका कोई उल्लेख नहीं किया है। यह बहुत गम्भीर मामला है। कम से कम एक व्यक्ति तो मारा ही गया है। वह कौन है ? क्या वह यात्री था या विमान कर्मचारी था ? आपको हमें यह बताना चाहिए।

श्री चन्दूलाल चंद्राकर : जहां तक हमारे सम्पर्क कायम करने और एजेन्सियों से सम्पर्क करने का सम्बन्ध है, उन्होंने हमें नहीं बताया है कि कोई व्यक्ति मारा गया है।

श्री चन्द्रजीत यादव : यह वास्तव में एक अत्यधिक गम्भीर मामला है। इस सन्दर्भ में, माननीय मन्त्री को कम से कम यह तो पता होना ही चाहिए कि अपहरणकर्ता कौन थे ?

सभापति महोदय : साधारणतया, जब सरकार स्वयं वक्तव्य देती है तो कोई प्रश्न नहीं छे जाते हैं। परन्तु यहां पर स्थिति स्पष्ट रूप से असाधारण है और जो मुद्दे उठाए गए हैं वे ाश्चित रूप से प्रासंगिक और अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। हम सभी आशा करते हैं कि सरकार सतर्क

रहेगी और ऐसी घटनाओं के सम्बन्ध में गम्भीर रहेगी और जो घटना घटी है उससे सम्बन्धित सभी संगत सूचनाएँ प्राप्त करेगी तथा सभा को ऐसी सूचनाएं तथा स्थिति की नवीनतम सूचना देती रहेगी।

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक विधेयक 1981 (जारी)

श्री उमा कान्त मिश्र (मिर्जापुर) : सभापति महोदय, मैं राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक विधेयक का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस देश में 80 प्रतिशत के आस-पास लोग गांवों में रहते हैं। इस देश में जो लोग गरीबी की रेखा के नीचे रहते हैं, उनमें से 80 प्रतिशत लोग गांवों में रहते हैं। महात्मा गांधी और पण्डित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में स्वाधीनता की लड़ाई के जमाने में ही जब इस देश में एक राज्य-प्रणाली और आर्थिक व्यवस्था की स्थापना के बारे में विचार हो रहा था, तो यह धारणा बन गई थी कि देश का विकास करते हुए गांवों के विकास को प्राथमिकता दी जायेगी। स्वाधीनता-प्राप्ति के बाद पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने, जो एक युग-पुरुष थे, देश के सर्वांगीण विकास का एक कार्यक्रम बनाया, एक ढांचा तैयार किया। पांच-साला योजनाएं बनीं और लागू की गईं। निस्सँदेह पंच-वर्षीय योजनाओं से इस देश की आर्थिक व्यवस्था को बड़ी मजबूती मिली। कृषि और उद्योग के क्षेत्र में महान् विकास हुआ। 1952 से लेकर 1962 तक दस वर्षों के अन्दर खाद्यान्नों और बुनियादी उद्योगों के मामले में देश को बहुत आगे ले जाया गया। उस अवधि में विकास-दर में 44 प्रतिशत की वृद्धि हुई। खाद्यान्नों के सम्बन्ध में देश आत्म-निर्भरता की ओर बढ़ा और साथ-साथ इस देश में बड़े-बड़े बुनियादी उद्योगों की स्थापना की गई।

मान्यवर, जिस देश में सिंचाई के साधन न हों, सड़कों की कमी हो, इस्पात न बनता हो, उस देश में दस वर्षों के अन्तर्गत बड़े पैमाने पर विकास के काम हुए। भाखड़ा, नांगल, दामोदर घाटी और रिहन्द डैम आदि बड़े-बड़े बिजली के डैम बनाए गए, जिससे सारा देश विकास की प्रगति से प्रभावित हुआ और साथ-साथ देश में सड़कें बनाई गईं, नहरें बनाई गई जिससे राष्ट्रीय सम्पत्ति बढ़ी और राष्ट्रीय विकास आगे बढ़ा। उस समय स्व० पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने यह महसूस किया कि एक तरफ राष्ट्रीय सम्पत्ति तो बढ़ रही है, देश की संम्पत्ति तो बढ़ रही है, खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ रहा है, उद्योग का उत्पादन बढ़ रहा है, लेकिन देश में जो नीचे तबके के लोग हैं, छोटे लोग हैं, गरीब लोग हैं, उन तक इस विकास का लाभ नहीं पहुंच पा रहा है। उन तक विकास का लाभ पहुंचाने की बात सोची गई और इस बात को सोचकर आवड़ी इण्डियन नेशनल कांग्रेस सोशियलिस्टिक पैट्रेन सोसाइटी में एक प्रस्ताव हुआ था, उसके बाद भी जब कामयाबी प्राप्त नहीं हुई तो 1963 में डैमोक्रेटिक सोशियलिज्म का नारा दिया गया और प्रस्ताव पास किया गया कि ऐसे कदम उठाये जायें कि धन तो बढ़े, मगर धनियों के पास न जाए, सम्पत्ति तो बढ़े लेकिन गरीबों के पास जाए। देश का विकास जरूरी था, लोहे का उत्पादन जरूरी था, कपड़े का उत्पादन जरूरी था, सड़कों को बनाना जरूरी था, बिजली का उत्पादन बढ़ाना जरूरी था, मगर यह महसूस किया गया कि देश के जो गरीब लोग हैं, जो गांवों में रहते हैं, उनके स्तर को ऊंचा उठाने के लिए कार्यक्रम चलाये जायें, ताकि उनको स्तर ऊँचा उठ सके। इस बारे में स्व०

पण्डित जवाहरलाल नेहरू सोचते थे, कदम उठाना चाहते थे, वे युग-पुरुष थे, उनके दिमाग में सारी बातें रहती थीं, मगर उस समय देश में कुछ ऐसे लोग थे, जो उन कदमों को उठाने नहीं देना चाहते हैं, देश के विकास में बाधा उत्पन्न करते थे। उस समय कॉमर्शियल बैंकों का पैसा पूंजिपतियों की पूंजी बनाने में खर्च किया जाता था, गरीवों के काम में नहीं आता था, उससे गरीब लोगों का विकास नहीं होता था। 1969 में एक महान क्रान्ति आई, हमारी महान नेता, श्रीमती इन्दिरा गांधी ने, एक झटके में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। जो काम पण्डित जवाहरलाल नेहरू नहीं कर पाए थे, उस काम को हमारी महान नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी ने एक झटके में कर दिया। बैंकों का पैसा जो पूंजीपतियों के काम में आता था, वह पैसा गरीब लोगों के काम में आने लगा। 1969 के बाद यह एक ऐतिहासिक कदम था। 1969 के पहले जितना पैसा ग्रामीण विकास में खर्च होना चाहिए था, उनको मिलना चाहिए था, वह नहीं मिलता था और 1969 के लोकसभा के चुनाव के बाद, श्रीमती इन्दिरा गाँधी को अपार बहुमत मिला और उसके बाद गांवों के विकास का काम शुरू हुआ और उन बैंकों को पैसा ग्रामीण विकास पर खर्च किया जाने लगा।

सन् 1795 में हमारी महान नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी ने बीस सूत्री कार्यक्रम ग्रामीण विकास के लिए शुरू किया, जिसका उदाहरण आपको इतिहास में नहीं मिलेगा। उन कार्यक्रमों के अन्तर्गत उन बैंकों का पैसा और तेजी से विकास के काम में आने लगा। मैं एक निवेदन यह कहना चाहता हूं कि 1971 के बाद जो ग्रामीण क्षेत्रों में पैसा दिया जाता था, वह उनको दिया जाता था, जिनके पास जमीनें थीं, जिनके पास मकान थे और वे बैंकों से पैसा लेकर ट्रैक्टर लेते थे, पम्पिग सैट लेते थे, कुएं बनवाते थे और खेतों की तरक्की करने थे, लेकिन जिनके पास जमीनें नहीं थीं, जिनके पास मकान नहीं था, वे पैसे का उपयोग कैसे करते, उनका स्तर कैसे ऊपर उठता और यह काम अभी भी होना था। 20 सूत्री कार्यक्रम गरीब लोगों के उत्थान के लिए बनाया गया था, भूमिहीन मजदूरों, जो लैण्डलैस लेबरर्स हैं, जो आदिवासी हैं, जो हरिजन हैं, जिनके पास जमीन नहीं हैं, मकान नहीं है, उनके स्तर को ऊपर उठाने के लिए 20 सूत्री कार्यक्रम में पैसे की आवश्यकता थी। यह महसूस किया जाता था कि कामर्शियल बैंक्स ने गाँवों के लिए पैसा देना तो शुरू कर दिया, लेकिन अभी भी उनका ज्यादा पैसा बड़े उद्योगों के लिए, पूंजीपतियों के लिए खर्च होता था। गांवों में सिर्फ उन के लिए खर्च होता था जिन के पास जमीन है, मकान है, जो जमानत दे सकते थे। गांवों के आदिवासी, हरिजन और गरीब लोगों के लिए, लघु उद्योगों के लिए, कुटीर उद्योगों के वह पैसा नहीं मिल पाता था। वास्तविकता यह है कि जब तक ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर छोटी-छोटी काटेज इण्डस्ट्रीज, कुटीर उद्योग, ग्रामीण उद्योग, लघु उद्योगों की स्थापना नहीं होगी तब तक ग्रामीण क्षेत्रों का विकास नहीं होगा, गरीबों का जीवन स्तर ऊंचा नहीं उठ सकेगा।

इसलिए, श्रीमन्, हमारे वित्त मन्त्री जी ने जो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की घोषणा की है और इस सम्बन्ध में जो विधेयक पेश किया, उस के लिए वे बधाई के पात्र हैं। यह बात बहुत दिनों से महसूस की जाती थी कि ग्रामीण विकास के लिए इस तरह की एक अलग संस्था होनी चाहिए, अभी तक इस तरह की कोई संस्था नहीं थी जो केवल गांवों के लिए पैसे की

आवश्यकता को पूरा करे, वहां की जनता को ऋण दे। इस लिए इस विधेयक का बड़ा महत्व है। हमारी छठी योजना में ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए जो विशाल कार्यक्रम बनाया गया है, उस में हमने देखा है कि हमारी केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारें इस बार इस योजना में ग्रामीण क्षेत्र के गरीबों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए कटिबद्ध हैं और उस कार्यक्रम को बड़े पैमाने पर चलाना चाहते हैं। छठी योजना में उनके विकास के लिए जो विशाल कार्यक्रम दिया गया है, हमें उसकी प्रशंसा करनी चाहिए और उस योजना को कार्यान्वित करने की दृष्टि से जो कृषि और ग्रामीण बैंक स्थापित होने जा रहा है, यह बहुत सराहनीय प्रयास हैं, इस दृष्टि से यह विधेयक अवश्य पास किया जाना चाहिये।

इन शब्दों के साथ मैं इस बैंक विधेयक का समर्थन करता हूं, परन्तु इस सम्बन्ध में कुछ सुझाव भी पेश करना चाहता हूं। मैंने इस विधेयक में देखा है कि बैंक के संचालन के लिये एक बोर्ड आफ डायरैक्टर्स होगा तथा एक एडवाइजरी कान्सिल होगी। बोर्ड आफ़ डायरैक्टर्स में आपने ऐसी व्यवस्था की है कि उन में दो डायरैक्टर्स ऐसे होंगे जो अर्थ-व्यवस्था के विशेषज्ञ होंगे। मेरा यह निवेदन है कि बोर्ड में अर्थ-व्यवस्था के विशेषज्ञों का होना बहुत जरूरी है, परन्तु ऐसे विशेषज्ञ जो केवल किताबों को पढ़ कर विशेषज्ञ बन गये हैं, ऐसे लोगों को रखने से कोई लाभ नहीं होगा। विशेषज्ञ के रूप में ऐसे लोगों को रखा जाना चाहिए जिन को ग्रामीण क्षेत्र की कठिनाइयों का अनुभव हो, जो खुद गावों में रह रहे हों, वहां के विकास में जिस तरह की दिक्कतें आती हैं उसका उनको अनुभव हो। ऐसे लोगों को बोर्ड में विशेषज्ञ के रूप में रखा जाये।

(श्री के० राजामल्लू पीठासीन हुए।)

मेरा दूसरा निवेदन यह है कि जो ऋण ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योगों के लिए या कुटीर उद्योगों के लिये या स्वालम्बी बनाने के लिये, बेरोजगारी दूर करने के लिये दिया जाता है, उस में एक बड़ी भारी दिक्कत यह आती है कि जो लोग ऋण लेकर कोई काम करना चाहते हैं, उन को उस काम के टैकनीकल-नो-हाऊ की जानकारी नहीं होती है। कैसे फॉर्म भरा जाता है, कौन-सा उद्योग ठीक है, कहां उसका रा-मैटीरियल मिलता है, इन सब बातों की जानकारी ऋण लेने वाले को नहीं होती है। मेरा सुझाव है कि बैंक अधिकारी को इन सब बातों की जानकारी होनी चाहिये, ऐसे लोगों को इस काम पर नियुक्त किया जाय जो इन बातों के बारे में गांवों के नौजवानों को सलाह दे सकें कि फलां उद्योगों लगाओ, फलां जगह एपलीकेशन दो, फलां जगह कच्चा माल मिलता है, अगर यह तरीका अख्तियार किया गया तो निःसंदेह इस योजना का लाभ ग्रामीण क्षेत्रों को पहुंच सकेगा।

मैंने देखा है कि इस में काटेज इण्डस्ट्रीज के लिये 2 लाख रुपये तक और स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज के लिये 20 लाख तक की ऋण सुविधा दिये जाने का प्रावधान है। यह बहुत बड़ी धनराशि है, अगर इसके अन्तर्गत गांवों में उद्योग धन्धे स्थापित हो जायं, तो ग्रामीण क्षेत्रों की बेकारी दूर हो सकती है, मगर आवश्यकता इस बात है की है कि जो पैसा जिस काम के लिये ऋण के रूप में दिया जाय, वह उसी काम पर खर्च हो और उस काम की जानकारी लोगों को दी जाय। हमारे कामर्शियल बैंकों ने भी इस क्षेत्र में काफी काम किया है, किसी किसी क्षेत्र में तो बहुत अच्छी प्रगति हुई

है, लोगों की हालत में सुधार हुआ है, मशीनों का उपयोग होने लगा है। लेकिन अब यह आशा की जा सकती है कि इस बैंक से यह काम और ज्यादा तेजी से आगे बढ़ेगा।

श्रीमन्, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जो यह राशि रखी गई है, वह धनराशि काफी होगी बशर्ते कि इस काम को देखने वाले अच्छे लोग हों और वे गांवों के लोगों को बताएं और रास्ता दिखाएं। अगर रास्ता दिखाया गया और उनको ठीक तरह से बताया गया, तो इस बैंक के रहते हुए मुल्क के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, उनकी बड़ी तरक्की होगी। कृषि क्षेत्र में काफी काम हुआ है लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि गांवों की गरीबी को दूर करने के लिए, वहां पर बेरोजगारी को दूर करने के लिए छोटे-छोटे काम शुरू किए जाएं। इससे हम उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठा सकते हैं। इस बैंक के द्वारा इस तरह के कार्यक्रमों को बहुत बड़े पैमाने पर चलाना चाहिए। लोन तो पहले भी गांवों के लोगों को दिया जाता था 1969 से पहले। कोओपरेटिव्ज के द्वारा गांवों के लोगों को 200-200 और 300-300 रुपये का लोन दिया जाता था लेकिन क्या होता था कि उस पैसे को कहीं शादी में, कहीं जाड़े में कपड़े बनाने में और कहीं दूसरे फंक्शनों में खर्च कर दिया जाता था लेकिन 1969 के बाद जो किसानों को ऋण दिया गया, उससे खेती की तरक्की हुई और उससे कृषि का विकास हुआ और उत्पादन भी बढ़ा। अब यह बैंक जो गांवों के लोगों की मदद के लिए बनाया जा रहा है, तो उसमें सबसे ज्यादा आवश्यकता अगर है, तो वह बेरोजगारी को दूर करने की है और गाँवों में आर्थिक विकास करने की है और इसके लिए वहां पर छोटे-छोटे उद्योग लगवाने की आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में एक निवेदन मैं यह करना चाहता हूं कि इस बैंक के लिए कैपिटल की 1 करोड़ मिनीमम और 5 करोड़ रुपए की मैक्सीमम लिमिट रखी गई है, उससे क्या होगा यह तो आप जानें लेकिन मैं यह समझता हूं कि गांवों की आवश्यकताओं को देखते हुए यह कम है और इनको और ज्यादा बढ़ाना चाहिए।

एक बात और निवेदन करना चाहूंगा कि इस देश में बहुत से ऐसे इलाके हैं, जो बहुत पिछड़े हुए हैं, बहुत बैकवर्ड हैं। देश में बहुत बड़े पैमाने पर डैवलपमैंट हुआ है लेकिन जो विकास हुआ है, उसमें एक असन्तुलन भी हो गया है। आप उत्तर प्रदेश को ही लें। उत्तर प्रदेश में पूर्वी उत्तर प्रदेश, पहाड़ी इलाके गढ़वाल, कुमायूं और बुन्देलखण्ड का जो इलाका है, वह बहुत पिछड़ा हुआ है। मिर्जापुर, गाजीपुर, बस्ती, जौनपुर, गोरखपुर बनारस और बलिया आदि जो इलाके हैं, ये सारे पूर्वांचल के इलाके बहुत पिछड़े हुए हैं। इस सम्बन्ध में मुझे एक बात यह याद आ गई कि पं० जवाहरलाल नेहरू जब देश के प्रधान मंत्री थे, तो हमारे गाजीपुर के एक संसद सदस्य श्री गहमरी थे। उन्होंने पं० नेहरू को पूर्वांचल के लोगों की करुण कथा सुनाई और उन्हें बताया कि पूर्वांचल के लोग कलकत्ता जा कर, बम्बई जा कर और अफ्रीका के देशों में जा कर अपना जीवन निर्वाह करते हैं और वहाँ के करोड़ों लोग अपने घरों को छोड़ कर बाहर चले गये हैं ताकि अपना पेट पाल सकें। वे रोटी-रोजी की तलाश में अपने घरों को छोड़कर चले गये। उस करुण कथा से प्रेरित होकर पं० नेहरू ने पटेल आयोग की स्थापना की थी लेकिन पटेल आयोग की जो रिपोर्ट पूर्वी उत्तर प्रदेश के बारे में थी, वह खटाई में पड़ गई और पूर्वी उत्तर प्रदेश जहां का तहां पड़ा रहा। मेरा निवेदन यह है कि उस आयोग का जो कार्यक्रम था, वह बड़ा अच्छा था और उससे पूर्वांचल का विकास होता लेकिन वह रिपोर्ट खटाई में पड़ गई।

हम ने छटी योजना को देखा है। उसमें यही है कि विकास के असन्तुलन को दूर किया जाएगा। मैं किसी क्षेत्र का नाम नहीं लेता, मैं सारे देश की बात करता हूं और उसमें खास तौर पर उत्तर प्रदेश की बात करता हूं। उत्तर प्रदेश के जो पिछड़े हुए इलाके हैं, पुर्वी उत्तर प्रदेश, पर्वतीय क्षेत्र और बुन्देलखण्ड का क्षेत्र, ये बहुत ही पिछड़े हुए इलाके हैं, जहां पर गरीबी अपना नग्न नृत्य कर रही है। मेरा कहना यह है कि इस गरीबी को दूर करने के लिए विशेष कार्यक्रम बनाए जायें और इस बैंक का रुपया जो विकास के लिए खर्च किया जाएगा, उस का ज्यादा हिस्सा उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्सों, बुन्देलखण्ड और पर्वतीय क्षेत्रों पर ही और मध्य प्रदेश के जो पिछड़े हिस्से हैं या राजस्थान के जो पिछड़े हिस्से हैं, ऐसे इलाकों में इस बैंक का ज्यादा रुपया खर्च होना चाहिए। देश में जहां भी विकास का इम्बैंलेंस है, उसको दूर किया जाए, यह मेरा कहना है।

अभी यादव जी ने कहा था कि नीचे के स्तर पर बैंक से जो ऋण देने का कार्यक्रम है, उस में कुछ ऐसे स्वार्थी लोग होते हैं, जो इस कार्यक्रम को असफल बनाना चाहते हैं। इसलिए मेरा कहना यह है कि उन लोगों पर निगरानी रखनी होगी और अगर कड़ी निगरानी रखी गई और जिस काम के लिए लोगों को ऋण दिया जाए, उसमें वह खर्च होगा, तो इस बैंक से बड़ा लाभ होगा, बड़ा फयादा होगा और देश का विकास होगा। ग्रामीण क्षेत्रों पर आप ने ध्यान दिया है यह इस बात का प्रतीक है कि हमारी सरकार गांवों के लोगों को लाभ पहुंचाना चाहती है। महात्मा गांधी पहले गांवों का विकास चाहते थे, जवाहरलाल नेहरू गांव का विकास चाहते थे। लेकिने हमने देखा है कि गांवों के विकास की तरफ अगर बहुत तेजी से किसी ने कदम उटाया है तो वह श्रीमती इन्दिरा गाँधी ने उठाया है और उस दिशा में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है।

मैं इस विषय पर बहुत बोल सकता हूं। मगर इस बात को ध्यान में रखते हुए कि और दूसरे महानुभाव भी बोलने वाले हैं इसलिए अपनी बात यहीं पर समाप्त करता हूं।

मैं माननीय वित्त मंत्री जी को हार्दिक धन्यवाद और बधाई देता हूं कि वे यह बिल लाए हैं। मैं सभापति जी को भी अपना धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : आदरणीय सभापति जी, इस में संदेह नही कि भारत एक गांवों का देश है और भारत के प्रत्येक चार आदमियों में से तीन आदमी गांवों में रहते हैं। गाँवों में रहने वाला आदमी शिल्पकला, कृषि और छोटे-छोटे उद्योग धन्धों पर निर्भर करता है।

मान्यवर यदि हम आज के भारत के तीस वर्ष पुराने काल मे जाएं या आजादी के पहले वाले काल में जाएं तो हम देखेगें कि अपने मुल्क मे जो प्राचीन बर्तन बनाये जाते थे, जो कपड़ा यहाँ तैयार होता था, जो जेवर, गहने सुनार बनाते थे या गांवों के अन्दर जो छोटे-छोटे सामान तैयार किये जाते थे वे आज की तुलना में बहुत ज्यादा अच्छे थे और देश में उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी। आज वे वस्तुएं राज्यों के संग्रहालयों में रख दी गयी हैं जिन्हें बहुत गौरव के साथ हम देखते हैं।

आजादी के बाद हमारे मुल्क में एक बड़ी अजीब सी स्थिति आयी और दिन-प्रति-दिन लघु उद्योग धन्धों का विकास कम होने लगा। महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बड़ी अच्छी कल्पना की थी। हमें आज इस बात का भी गर्व हो रहा है कि महात्मा गांधी और पंडित नेहरू की श्रेणी में हमारे वर्तमान माननीय वित्त मंत्री भी आ गये हैं। उन्होंने भी वह स्थान प्राप्त कर लिया है। किन्तु महोदय यह बिल देखने में जितना बढ़िया है, पढ़ने में जितना बढिया है, यहां पर भाषाण देने में बढ़िया है, प्रशंसा करने में जितना बढ़िया है किन्तु उतना ही यह बिल काल्पनिक है। इस बिल को देखने से ऐसा लगता है कि जिस भावना से इस देश में उद्योगों की आवश्यकता थी, उस भावना को पूरा करने में यह बिल पूरा काल्पनिक है और यह मात्र काल्पनिक और कोरा ही सिद्ध होगा।

श्रीमन्, आज मुल्क में जितने भी बड़े-बड़े उद्योग हैं उनके सुधार के लिए बड़ी-बड़ी सुविधाएं उपलब्ध हैं। कच्चे माल, धनराशि और ऋण आदि की छोटी से छोटी सुविधा भी छोटे उद्योगों को नहीं दी जाती है।

माननीय वित्त मंत्री जी ने इस बिल को प्रस्तुत करते हुए अपनी भूमिका में कहा कि देश में इसकी आवश्यकता समझी गयी है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक विधेयक के रूप में यह विधेयक 1981 में रखा गया है। आपने इसका लक्ष्य बताया है पशुपालन, मत्स्य पालन और कृषि का विकास करना। ये आपके उद्देश्य है। लेकिन इसके पहले भी बहुत बैंक आपने हमारे देश में इसी उद्देश्य से कार्यरत किये हैं। अब आपको देखना होगा कि उन बैंकों में क्या कठिनाइयाँ हैं जिनकी वजह से इस बैंक की स्थापना करने का यह विधेयक लाने की आपको जरूरत हुई। जो बैंक ऋण देने में कार्यरत हैं उनसे ऋण प्राप्त करने में हमेशा विलम्ब हुआ करता था।

मेरे क्षेत्र में 17 ब्लाक हैं और 17 ब्लाकों में करीब 350 प्रार्थना-पत्र पंपिंग सैटों के लिए दिए गए हैं, जिनमें काफी प्रार्थना-पत्र हरिजनों के और ग्रामीण क्षेत्रों के हैं और अन्य लोगों के हैं, लेकिन मैं यह देखता हूं कि ये जो प्रार्थना-पत्र दिए गए हैं, आज यदि दिए गए हैं तो उनका भुगतान 2-3 वर्ष के बाद होगा। उसका प्रासेस इतना उलझा हुआ है कि कभी पटवारी की जरूरत पड़ती है, कभी तहसीलदार से लिखवाना पड़ता है और सारी की सारी प्रक्रिया पूरी कर दी गई। तब भी भ्रष्ट अफसरशाही उनको ऋण देने नहीं देती। कभी बी. डी. ओ. का आब्जेक्शन आता है और कभी बैंक वालों का आब्जेक्शन आता है। इन अफसरों को ग्रामीण बैंकों में ग्रमीण कास्तकारों को ऋण देने के लिए नियुक्त किया जाता है, लेकिन प्रायः इन अफसरों का व्यवहार ग्रामीणों के साथ पूरी तरह से सौतेला होता है। ऋण देते समय ऐसा प्रतीत होता है कि यह कार्य इनका नहीं है या इस कार्य के लिए इनको रखा ही नहीं गया है।

ये 4-5 कारण थे, जिनको देखते हुए इस बिल को रखा गया है, लेकिन मैं देखता हूं कि यह बिल केवल काल्पनिक ही है। हमने इसको पढ़ा है। ऋण की अदायगी किस ढंग से होगी, यह जानकारी इसके अन्दर नहीं दी गई है।

आज हम गांवों में देखते हैं कि यदि बैंक से लोन लिया है और किसी कारणवश या दैवी वेपत्ती वश ऋण की अदायगी समय पर नहीं की जा सकी है तो तुरन्त समय खत्म होते ही

सामान नीलाम होने लगता है, जो चीजें बंधक रखी गई होती हैं, उनको जप्त कर लिया जाता है, छोटे-छोटे उद्योगों में ताले लगा दिए जाते हैं और अन्य तरह-तरह की दिक्कतें हमारी अफसरशाही द्वारा पैदा की जाती हैं।

मान्यवर, इन सब कठिनाइयों को दूर करने के लिए यह बिल यहां पर लाया गया था, लेकिन इस बिल में कहीं की इन कठिनाइयों को दूर करने की कोशिश नहीं की गई है। मुझे तो ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से सरकारी अधिकारी ग्रामीणों को हतोत्साहित करते हैं उसमें कोई कमी नहीं आएगी। मैं कुछ उदाहरण भी दूंगा। मान्यवर इस बिल में पेज 39 पर उद्देश्यों और कारणों के कथन में बताया गया है—

1. ग्रामीण क्षेत्र में आर्थिक क्रियाकलापों की उन्नति करना।
2. कृषकों को ऋण देने में होने वाला कठिनाइयों को दूर करना।
3. ग्रामीण शिल्पों की उन्नति के लिए ऋण के क्षेत्र में नीति योजना और क्रियात्मक पहलुओं के संबन्ध में सभी विषयों के लिए शीर्षस्थ संगठन होगा।

उद्देश्य तो इसके बहुत बढ़िया हैं और समय के मुताबिक ये ठीक भी है, किन्तु मुझे शंका है कि ये उद्देश्य पूरे होंगे या नहीं।

इस बिल के पेज 44 में खण्डों पर टिप्पणी में लिखा गया है खंण्ड 14-एक प्रतिनिधिमण्डल होगा और उसमें एक सलाहकार परिषद् के गठन का उपबन्ध है। जिसमें उतने निदेशक और ऐसे अन्य व्यक्ति होंगे, जिन्हें बोर्ड की राय में कृषि, कृषिक प्रत्यय, सहकारिता और ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था लघु उद्योगों और हस्तशिल्पों तथा अन्य ग्रामीण शिल्पों का विशेष ज्ञान है।

यह इसमें लिखा गया है।

जैसा कि अभी हमारे एक मित्र ने कहा कि इसमें यह नहीं बताया गया है कि क्या यह रूरल क्षेत्र में चलने वाली इंडस्ट्री का व्यक्ति इसमें होगा या स्कूलों में कागजी ज्ञान प्राप्त करने वाला किसी बैंक में नौकरी करने वाला व्यक्ति होगा।

मान्यवर आज हम देखते हैं कि आज यदि कोई व्यक्ति किसी उद्योग में लगा हुआ है तो उस उद्योग को चलाते समय उसको जितना ज्ञान होता है, जितनी कठिनाइयां होती हैं, कच्चे माल के बारे में और माल तैयार करके बेचने के बारे में, उन सब का ज्ञान उसको होता है। चूंकि उनको असली ज्ञान नहीं होता है, व्यावहारिक ज्ञान नहीं होता है, केवल कार्यालयों में बैठकर वे काम करते हैं इस वास्ते हमारी अर्थ-व्यवस्था निरन्तर फेल होती जा रही है। उसका एक कारण यह भी है कि हम लोग एयर कंडिशन कमरों में बैठ कर काम करते हैं, दफ्तरों में और कुर्सियों पर बैठ कर काम करते हैं, व्यावहारिक ज्ञान हमको नहीं होता है, केवल कागजी ज्ञान होता है, इस वास्ते जो हमारा उद्देश्य होता है उसको हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जो बोर्ड बनाने की बात इस बिल में कही गई है उसकी कतई कहीं कोई व्याख्या नहीं की गई है और यह नहीं बताया गया है कि कहां से उस बोर्ड में बैठने वाले आदमी आएंगे, एयर कंडिशन कमरों में बैठकर काम

करने वाले वे आदमी होंगे या गांवों में जो कुटीर उद्योग धंधे चलाते हैं, उन पर अपना गुजर बसर करते हैं, वे व्यक्ति होंगे ।

इस में एक और बात लिखी गई है । यह कहा गया है कि प्रस्ताविक बैंक रिजर्व बैंक का एक अंग होगा । यह चीज मेरी समझ में नहीं आई है । क्या रिजर्व बैंक अपने उद्देश्य में फेल हो गया है कि उसको एक और अंग की जरूरत पड़ रही है ? इस चीज को स्पष्ट किया जाना चाहिये । क्यों यह जोर दिया गया है कि यह रिजर्व बैंक के रूप में काम करेगा । वैसे बैंक रिजर्व बैंक के अंग हैं ।

मैंने आपको प्रतिनिधित्व के विषय में बता दिया था । मैं चाहता हूं कि यह प्रतिनिधित्व रूरल एरियाज से होना चाहिये ।

अध्यय़ाय 9 में कर्मचारियों की बात कही गई है । राज्यों से डायरेक्टर चुनने की बात कही गई है । हमारे देश में अनेक राज्य हैं । राज्यों से तीन ही डायरेक्टर लिए जाएंगे । मैं पूछना चाहता हूं कि किन-किन राज्यों से इनको लिया जाएगा ? कौन से लोग लिए जाएंगे ? उनको चुनने का क्राइटीरिया क्या होगा ? इस चीज को भी इस बिल में दर्शाया जाना चाहिये था ।

इस बिल में एक और बात होनी चाहिये थी । आम तौर पर लघु उद्योग धन्धे गांवों में होते हैं । वहां सामान तैयार किया जाता है । डिमांड और सप्लाई का जो फार्मूला चलता है । उस में कभी-कभी सामान बाजार में बिक नहीं पाता है । सामान ज्यादा तैयार कर लिया जाता है और वह बिक नहीं पाता है । कच्चा माल भी कभी-कभी अचानक बहुत महंगा हो जाता है । बिल में इस बात की भी व्यवस्था होनी चाहिए थी कि बैंक को इस सब की इत्तिला रखनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि इम्बैलेंस की स्थिति उद्योगों में पैदा न होने पाए । साथ ही माल को बैंक को अपने यहां रख कर उस पर लोन देने की भी कोशिश करनी चाहिए ताकि उद्योग धन्धे कुशलता पूर्वक चल सकें और इस बैंक का मक्सद पूरा हो ।

इन शब्दों के साथ मैं कहता हूं कि वित्त मंत्री जी पंडित नेहरू और महात्मा गांधी बनने के चक्कर में न रहें बल्कि वास्तविकता के समुद्र में आएं और ग्रामीण भारत के उत्थान के लिए जो इस बिल को रख रहे हैं, उस उद्देश्य को पूरा करने की कोशिश करें ।

श्री प्रताप भानु शर्मा (विदिशा) : मैं वित्त मंत्री जी को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण उद्योग विकास बैंक विधेयक लाने के लिए बधाई देना चाहता हूं । इस बिल के माध्यम से हम भारत में आर्थिक विकास क्रान्ति लाने के लिए जो संकल्पित हुए हैं उसके लिए वह निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं । इस प्रकार के बैंक की कई वर्षों से अपेक्षा की जा रही थी । आज वह समय आ गया है जब इस संसद के माध्यम से हम अपनी भावनाओं के द्वारा, अपने सुझावों के द्वारा उसको अन्तिम रूप देने जा रहे है और इस काम में माननीय वित्त मंत्री जी को अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं ।

गांवों के विकास की योजना हमारे देश में प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने इस क्षेत्र में जब से चलाई है उसकी पहली कड़ी के रूप में 1975-76 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का विकास किया गया था और उन के माध्यम से इस देश के ग्रामीण अंचलों तक पहुंचाने की कोशिश की गई थी । उस

वर्ग के लोगों को आर्थिक मदद पहुंचाने का प्रयास किया गया जिनको कभी-कभी किसी आर्थिक संस्था से कोई मदद नहीं मिलती थी। इसके बाद जैसे-जैसे प्रगति हुई ग्रामीण विकास की तरफ केन्द्रीय सरकार का ध्यान निरन्तर बढ़ता गया। यह इस बात से साफ जाहिर है कि आज देहात के विकास की जो योजनायें लागू की जा रही हैं मेरे ख्याल में आजादी के बाद इतनी सारी योजनायें कभी भी नहीं लागू की गई। जैसे आई० आर० डी० प्रोग्राम, डी० आर० डी० (जिल विकास अधिकरण) एन० आर० ई० पी० प्रोग्राम और ट्राइसेन की योजना जो युवक रोजगार योजना के नाम से जानी जाती है इस तमाम कड़ी में इस विधेयक के जरिये एक और महत्वपूर्ण कड़ी जोड़ी जा रही है जो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के नाम से होगी जो एक ऐपैक्स बोडी के रूप में एक उपयोगी संस्था साबित होगी।

आप जानते हैं कि ग्रामीण रोजगार और उत्पादन के कार्यक्रम में छठी योजना के केन्द्रीय सरकार ने लक्ष्य रखा है कि हम इसके माध्यम से गांवों की 48 फीसदी आबादी को जो गरीबी की सीमा के नीचे रहती है, चाहे शोषित वर्ग के लोग हों, हरिजन हों या कमजोर वर्ग के हों, उनकी राष्ट्रीयकृत बैंक के माध्यम से और आई० आर० डी० विकास योजना के अन्तर्गत सब्सिडी दे कर आत्म निर्भर बनाने और स्वयं रोजगार स्थापित करने में और गांव और खेती के विकास में आत्म निर्भर बनाने के लिए जो केन्द्रीय सरकार की योजनायें हैं उनको पूरी क्षमता से लागू करने में इस बैंक से काफी मदद मिलेगी। अभी 1981 में जो जनगणना हुई है उससे साबित होता है कि आज भी 76 फीसदी आबादी कृषि पर आधारित है और देहात में रहती है यदि यह कहा जाय कि यह राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ऐसे वर्ग के लोगों के उत्थान के लिए ही है और उनके लिये वरदान साबित होगा तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्योंकि जहां 70 प्रतिशत लोगों के विकास की योजनायें इससे जुड़ी हुई हैं और इसको नैशनल बैंक के संक्षित नाम से जाना जा रहा है तो मेरे विचार से यही इसका सही नाम है। क्योंकि इससे सही एवं जरूरत मंद लोगों को ही आर्थिक मदद मिलेगी छठी योजना में कहा गया है कि हम आई० आर० डी० प्रोग्राम के माध्यम से करीब 1500 करोड़ रु० अनुदान और सहायता से गांवों के सीमान्त एवं लघु कृषक, आर्टिजन्स और छोटे कुटीर उद्योग स्थापित करने वाले और स्वयं रोजगार स्थापित करने वाले लोगों को उपलब्ध कराना चाहते हैं तो यदि 1500 करोड़ अनुदान और सब्सिडी के माध्यम से देना चाहते हैं तो सोचना होगा कि बाकी ऋण कितने तादाद में उनको उपलब्ध करायेंगे ? जैसा कहा गया है 1500 करोड़ रु० के अनुदान के लिये लगभग 3,000 करोड़ रु० की आवश्यकता होगी। यदि हम इस योजना को ग्रामीण अंचल में लागू करना चाहते हैं तो आवश्यक है कि ऐसे बैंक को स्थापित करें जो गांवों की विकास योजनाओं को आर्थिक मदद दे और आत्म निर्भरता में पूरी मदद का मुझे विश्वास है कि यह बैंक अपने उद्देश्य में सफल होगा और गरीब वर्ग के लोगों को और विशेष तोर से जो 20 सूत्री कार्यक्रम को योजनायें हैं जिन्हें श्रीमती इन्दिरा गांधी ने इस देश के शोषित और उपेक्षित वर्ग के लिए बनायी हैं और हम उनको आत्म निर्भर बनाना चाहते हैं और उनकी तरक्की करना चाहते हैं और उनमें एक सबसे महत्वपूर्ण कड़ी यह बैंक साबित होने वाला है।

जहां तक स्वयं रोजगार, सहकारिता और आत्म निर्भरता का सवाल है यह सब उपलब्धियां बैंक के सहयोग और ऋण से उपलब्ध होंगी और गांव वालों में एक आत्म समान जागृत होगा तथा देश में सहकारिता आन्दोलन को एक नई दिशा मिलेगी।

जहाँ तक अन्य उप-विधियां और इस विधेयक में दर्शायी गई हैं, उनके बारे में भी मैं कुछ व्यावहारिक सुझाव अपनी ओर से देना चाहता हूं।

माननीय वित्त मंत्री जी ने प्रस्तावित किया है कि इसको 100 करोड़ की शेयर कैपिटल से प्रारम्भ करना चाहते हैं। यदि इस बैंक की पूरी कार्य-सीमा देखी जाये और इसका ब्राड-स्कोप देखा जाये तो मेरा यह स्पष्ट अनुमान है कि 100 करोड़ रुपए की राशि इसके लिए बहुत कम होगी। उन्होंने 500 करोड़ रुपये का जो प्रावधान आगे चलकर करने की बात कही है उसको अभी से बढ़ाना चाहिए और इस राशि को 500 करोड़ करना चाहिये, तभी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं और उम्मीद कर सकते हैं कि जो छठी योजना चल रही है और 1985 तक पूर्ण होगी, उसमें हम 3 हजार करोड़ रुपये ग्रामीण बैंकों के माध्यम से ग्रामीण उपलब्ध करा पायेंगे।

जहां तक इसमें सलाहकार परिषद के गठन की बात है, सिर्फ एक ही सलाहकार परिषद के गठन की बात कही गई है, जो केन्द्र में एपेक्स बाड़ी के लिए सलाह देगी। यदि हम सलाहकार परिषद राज्य स्तरों पर और राज्य स्तर से हटकर जिला स्तर पर भी बनायें तो मैं यह मानता हूं कि यह ज्यादा व्यावहारिक और उपयोगी सिद्ध होगी। क्योंकि सलाहकार परिषद् में स्थानीय जन प्रतिनिधि होते हैं और स्थानीय अधिकारी भी होते हैं अथवा वहां के स्थानीय कर्मचारी उसको एटेन्ड करते हैं, चाहे ब्रांच मैनेजर हो चाहे ब्रांच का एजेन्ट हो, तब वहां पर क्षेत्रीय समस्याएं ज्यादा डिस्कस हो सकती हैं और जो कठिनाइयां हमारे यादव जी और श्री मिश्रा जी ने बताई हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में लोग ऋण के लिए महीनों चक्कर लगाते हैं और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से या राष्ट्रीयकृत कार्मशियल बैंक से उतनी सुविधाओं के साथ जल्दी समय में उनको ऋण की स्वीकृति नहीं मिलती जितनी जल्दी मिलनी चाहिये। मेरा सुझाव है कि अगर ऐसी सलाहकार परिषद आप जिला स्तर पर बनायेंगे जो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंकों के एजेन्टों की स्थानीय प्रतिनिधियों के साथ बैठकर वहां की समस्याए हल करने में सहायक होंगी तभी हम व्यावहारिक हल अपने सब लोगों के साथ बैठकर निकाल सकते हैं और प्रत्येक प्रकरण पर योग्यता के अवसर पर निर्णय कर सकते हैं।

कर्मचारियों और अधिकारियों के बारे में कुछ बातें हमारे माननीय सदस्यों ने कही हैं, वह भी व्यावहारिक हैं। हम जो अधिकारी और कर्मचारी ग्रामीण क्षेत्रों में रखना चाहते हैं उनको हमें ग्रामीण क्षेत्र से ही हमरे शिक्षित बेरोजगार चुनना चाहिए क्योंकि लोग जो गांव में शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी अपनी उस शक्ति और जानकारी का उपयोग राष्ट्रीय कार्य क्रम में नहीं कर पाते हैं, ऐसे युवा साथियों को ऐसे ग्रामीण बैंकों में रखकर हमें उन्हें प्राथमिकता के आधार पर नौकरी देनी चाहिए।

अन्त में मैं दो सुविधाओं के बारे में सुझाव देना चाहता हूं। जिस तरह से उद्योगों को राष्ट्रीयकृत बैंक या अन्य बैंक केश-क्रैडिट की लिमिट देते हैं, यह अपनी कार्यशील पूंजी पर तथा अपने कच्चे माल पर या अपने तैयार किये हुए माल पर कार्यशील पूंजी ले लेते हैं जोकि कैश-क्रैडिट लिमिट के नाम से जानी जाती है, अगले उसी तरह की कोई सुविधा हम कृषि एवं ग्रामीण बैंकों के माध्यम से भी गांव वालों को दें जो कि अपने गहने, अपने साधन अपनी जमीन या घर

गिरवी रखकर रुपए पैसे लेने साहूकार के पास जाते हैं और अपनी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं तो उससे उनका छुटकारा मिल सकता है। ऐसी कैश क्रैडिट लिमिट हम उनको अपने बैंकों के माध्यम से या बैंक अन्तर्गत जो संस्था काम करे, उसके माध्यम से उपलब्ध करा सकें तो यह बहुत व्यावहारिक बात होगी तथा ग्राम वासियों की आकस्मिक धन आवश्यकता की पूर्ती भी कर सकेंगे।

अन्त में मैं यह कहना चाहूंगा कि इस बैंक विधेयक का जो उद्देश्य है कि गांव में कृषि का विकास हो, गांवों का विकास हो और गांवों में रोजगारी का स्कोप बढ़े और लोगों को आत्मनिर्भरता की ओर पहल करने का मौका मिले, उसमें दूसरी बात एक और जुड़ती है कि गांव में जो बचत की प्रवृत्ति आम लोगों में पाई जाती है गांव वाले गहने, सोने चांदी और प्रापर्टी के रूप में रखते हैं, उस भावना को भी बदलने का हमें प्रयास करना होगा और हमें यह प्रयास करना होगा कि गाँव के लोग जो पैसा जोड़ते हैं या कृषि की उपज की उनकी आमदनी होती है, वह उसे डिपाजिट के रूप में बैंक में रखें जिससे यह राष्ट्रीय निर्माण के कार्यों में भी काम आये और लोगों को भी उसका लाभ भी मिले।

अन्त में आपने जो समय दिया, उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूं और वित्त मंत्री जी का आभारी हूं कि वह एक इतनी महत्वपूर्ण योजना इस देश में लागू करने जा रहे हैं।

श्री टी० आर० शर्मा (बंगलौर दक्षिण) : सभापति महोदय, यह एक बहुत महत्त्वपूर्ण विधेयक है और चूंकि यह 7 लाख गांवों और इस देश के 45 करोड़ लोगों के उत्थान से सम्बद्ध है, हममें से कोई भी यह नहीं कहेगा कि यह लोगों के हितों के विरुद्ध है। निःसन्देह हम इस विधेयक का स्वागत करते हैं, परन्तु फिर भी कुछ बातों के विषय में मुझे सरकार को सावधान करना है।

पैंतालीस वर्ष पूर्व जब रिजर्व बैंक शुरू किया गया था तो इसका मुख्य उद्देश्य इसके कृषि ऋण विभाग के माध्यम से कृषि को वित्तीय सहायता प्रदान करना तथा इसी उद्देश्य के लिए दूसरे बैंकों को सहायता प्रदान करना था। अब बहुत से राज्यों में तीन संस्थायें है। अर्थात सहकारी शीर्ष बैंक, सहकारी भूमि विकास बैंक तथा औद्योगिक सहकारी बैंक इन बैंकों या एजेन्सियों के होते हुए भी राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक शुरू किया जा रहा है। यह एक परीक्षण किया जा रहा है। सरकार ने 20 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया है। भारतीय इम्पीरियल बैंक को भी भारतीय स्टेट बैंक बना दिया गया था और उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। ये बैंक अच्छी तरह स्थापित हैं तथा आर्थिक रूप से मजबूत हैं। अतः जिन गतिविधियों को नये प्रस्तावित बैंक को सौंपने का विचार है यदि वे कार्य इन बैंकों को सौंप दिए गये होते तो कोई कठिनाई नहीं थी। परन्तु फिर भी सरकार ने मुख्य रूप से कृषि और ग्रामीण विकास के लिए नया बैंक शुरू करना उचित समझा है।

सबसे पहले तो यह आवश्यक है कि इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि इस बैंक को धन की कमी नहीं होनी चाहिए इसके लिए काफी बड़ी राशि की आवश्यकता पड़ेगी। जब रिजर्व बैंक को शुरू किया गया था तो उसकी चुकता पूंजी केवल पांच करोड़ थी और इस बैंक की चुकता पूंजी एक सौ करोड़ है। यद्यपि अब यह एक सौ करोड़ उस समय के पांच करोड़ के बराबर ही है। रिजर्व बैंक के पास सरकार का काफी धन है तथा राष्ट्रीयकृत एवं दूसरे बैंकों

की काफी राशि भी इसके पास सुरक्षित है। अत: इसके लिए इस नये बैंक को पर्याप्त मात्रा में धन उपलब्ध कराना मुश्किल नहीं होगा। इस बैंक को नये सिरे से शुरू किया जाता है। अत: इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि इसे मजबूत आधार पर शुरू किया जाये तथा यह सुचारू ढंग से कार्य करें।

यह बैंक निश्चित रूप से ग्रामीण जनता की आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक होगा। इस सम्बन्ध में बिना विस्तार में गये पहली बात तो मैं यह कहना चाहूंगा कि धन का वितरण आवश्यकताओं के आधार पर न्याय संगत होना चाहिए। दूसरे इस बैंक से निहित स्वार्थों द्वारा अनुचित लाभ नहीं उठाया जाना चाहिए। जिनके पास ताकत है वे सभी लाभ उठाते हैं और जिन व्यक्तियों को वास्तव में सहायता की आवश्यकता है। वे लाभों से वंचित रह जाते हैं। अत: ऐसे विनियम बनाये जाने चाहिए जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि उन्हीं लोगों की सहायता की जाये जिनको वास्तव में इसकी आवश्यकता है।

एक और महत्त्वपूर्ण बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए इस बैंक की ब्याज दर यथा संभव कम से कम होनी चाहिए। ब्याज की दर अत्याधिक हुई तो लोग इसका पूरा उपयोग नहीं कर सकेंगे तथा वांछित सीमा तक गांवों का पुर्ननिर्माण या लोगों का उत्पादन सम्भव नहीं होगा। अत: इस बात का पूरा-पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए कि ब्याज की निम्नतम दर ली जाए। ताकि जरूरत मंद लोगों को लाभ हो सके। यदि ब्याज की दर 14 या 15% हुई तो ग्रामीण जनता के लिए इससे लाभ उठाना बहुत कठिन होगा। अत: मैं बड़े जोरदार शब्दों में वित्त मंत्री से निवेदन करूंगा कि ब्याज की दर असामान्य नहीं हो। इसके अतिरिक्त यह बहुत आवश्यक है कि यह संस्था, रिजर्व बैंक, केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारें तथा सभी राष्ट्रीयकृत बैंक एक एक समन्वित ढंग से कार्य करें। ग्रामीण पुनर्निर्माण के लिए बहुत सी निधियां हैं—उदाहरणार्थ खादी एवं ग्रामीण उद्योग निधि और बहुत सी अन्य। यह आधिक अच्छा होगा कि ये सभी निधियां इसी बैंक के माध्यम से हो जायें। यदि एक ही कार्य के लिए विभिन्न एजेन्सियां होंगी तो स्पष्ट है कि कार्य वांछित तरीके से नहीं किया जायेगा।

सरकार ने एक बड़ा जोखिम लिया है तथा एक चुनौती स्वीकार की गयी है। अत: में वित्त मंत्री से निवेदन करूंगा कि इसकी आधारशिला मजबूत आधार पर रखी जाये। इस बात का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए ताकि बैंक का कार्य सुचारू रूप से चल सके। नियम तथा विनियम बनाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यह बैंक अच्छी तरह स्थापित किया जाये और जब इस बैंक की स्थापना हो जाये तो रिजर्व बैंक के ग्रामीण पुनर्निर्माण विभाग, खादी तथा ग्रामीण उद्योग निधि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण तथा उत्थान सम्बन्धी अन्य सभी निधियों को इस संस्था को हस्तान्तरित कर दिया जाना चाहिए। अत: इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि बैंक अच्छी तरह कार्य करें।

मैं वित्त मंत्री से यह भी निवेदन करूंगा कि बीच के समय के लिए जब दूसरे बैंकों से ब्याज इस बैंक को हस्तान्तरित किया जाये उचित अन्तरित व्यवस्था की जाये क्योंकि इस संस्था में बहुत सी संस्थाओं को मिला दिया गया है ताकि यह बैंक सुचारू ढंग से कार्य कर सके। यह अन्तरिक व्यवस्था भारतीय स्टेट बैंक या भारतीय रिजर्व बैंक की सहायता से की जानी चाहिए। जब

भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गयी थी तो पन्द्रह वर्ष तक इम्पीरियल बैंक ने इसके एजेन्ट के रूप में कार्य किया था।

एक और महत्वपूर्ण बात जो आपके ध्यान में लायी जानी है। वह यह है कि किसी बैंक की सफलता विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित तथा सही ढंग से की गयी वसूली पर निर्भर करती है।

पहले ही एक भद्दा उदाहरण प्रस्तुत है जहां पर आदमी बैंक से उधार ले लेते हैं और बाद में यह कहते पाये गये हैं कि "यह बैंक का धन नहीं है, यह मेरा अपना धन है, माता इन्दिरा गांधी ने दिया है। मैं इसे क्यों लौटाऊं" यदि वसूली नहीं की जाती तो बैंक लोगों की भलाई नहीं कर पायेगा।

एक और बात यह है कि रिजर्व बैंक के कर्मचारियों ने यह शिकायत की है कि उनकी पदोन्नति के अवसर तथा उनकी शक्तियां समाप्त हो जायेंगी। मैं नहीं समझता कि यह मान्य आपत्ति है। मुझे पूरा विश्वास है कि रिजर्व के पास पर्याप्त संसाधन हैं तथा करने के लिए पर्याप्त कार्य है। अतः मैं नहीं समझता कि इससे कोई गम्भीर कठिनाई होगी। परन्तु फिर भी मैं कहता हूं कि यदि यह अनुमान सच्चा है तो उनके हितों की निश्चित रूप से उचित रक्षा की जानी चाहिए।

महोदय, श्री वेंकट रामन तमिलनाडु में बहुत ही सफल और प्रतिष्ठित मंत्री रहे हैं और यहां भी उन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य किया है। मुझे निश्चय है कि यदि वह इसको गम्भीरता से लें तो वे इस बैंक को अच्छी तरह स्थापित करने में सफल होंगे। यह नितान्त आवश्यक है कि इसका शिलान्यास उचित ढंग से हो ताकि हम सब ग्रामीण पुनर्निर्माण होता देखकर खुश हो सकें। स्वतन्त्रता के पश्चात भी हमारे ग्रामीण पुनर्निर्माण के तथा दूसरे नारे केवल कागज पर ही रहे हैं। हम यह देखना चाहते हैं कि ग्रामीण लोगों को वास्तव में लाभ पहुंचाया जा सके और ये नारे केवल कागजी योजना ही न रह जायें। मुझे विश्वास है कि वित्त मंत्री अपने अनुभव से ऐसे तरीके तथा साधन खोजने में सफल होंगे जिससे यह संस्था अच्छी तरह विकसित हो और देश को लाभ हो।

श्री चक्रधारी सिंह (सरगुजा) : सभापति महोदय, वित्त मन्त्री द्वारा जो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक विधेयक, 1981 सदन में विचार के लिए प्रस्तुत किया गया है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

हम देखते हैं कि हमारी सरकार की पिछले पच्चीस-तीस वर्षों की नीति की वजह से ही आज गांवों में उन्नत कृषि देखने को मिल रही हैं। जो पैदावार को बढ़ाने का कृषि का तरीका है, उसमें विकास हुआ है और किसानों की जो पहले माली-हालत थी, उसमें भी परिवर्तन हुआ है। हमारा देश कृषि के क्षेत्र में प्रगति करता रहा है। आज गांवों में कृषि के उपकरणों और मशीनरी का उपयोग होने लगा है जिससे किसानों की काफी तरक्की हुई है।

लेकिन एक बात मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं—इस देश में और हर प्रदेश में बैंक पहले भी कार्य करते रहे हैं और कृषि का विकास होता रहा है, किसानों को कर्ज मिलते रहे हैं,

पैदावार भी बढ़ी है, लेकिन यदि हम इसकी गहराई में जायें तो पता लगेगा कि किसानों ने बैंकों के माध्यम से जो ऋण लिया है, वह उनके खातों में पड़ा हुआ है, उसकी अदायगी नहीं हो पा रही है। यह ठीक है कि देश को बहुत फायदा हुआ है, पैदावार बढ़ी है, लेकिन किसानों की माली हालत में कोई अन्तर नहीं हो पाया है। ऐसी हालत में मेरा सुझाव है कि हम बैंक की स्थापना होने के बाद जो ऋण इन बैंकों के द्वारा किसानों को दिया जायगा, हमें उसके पहले यह देखना चाहिये कि जो ऋण अभी तक किसानों को दिया गया है, वे उसकी अदायगी क्यों नहीं कर पाये हैं। ऐसा कौन सा विकार या व्यवधान या रोड़ा उनके रास्ते में है जिसके कारण वे अपने ऋण की अदायगी ठीक समय पर नहीं कर पाये हैं। आज उस ऋण की अदायगी न होने से किसानों की जमीन और जायदाद नीलाम हो रही है।

हम यह भी देखते हैं कि सरकार के माध्यम से किसानों को जो ऋण खाद, बीज, पम्प आदि के रूप में दिया जाता है उसकी कीमत किसानों के नाम खातों में लिख दी जाती है। यह ठीक है कि इस तरह के ऋण देकर कृषि को इण्डस्ट्रीयल बेस के आधार पर मकेनाइज्ड कर दिया गया है, लेकिन इस मकेनाइजेशन का लाभ किसान को नहीं हो रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारा किसान अशिक्षित है, मकेनाइज्ड खेती की पद्धति से वह पूरी तरह से परिचित नहीं है, उस माध्यम से कितनी पैदावार होनी चाहिये, मशीनों का उपयोग कैसे करना चाहिये, खादों का सही ढग से कैसे उपयोग किया जाय—इन सब बातों की पूरी जानकारी न होने से पूरी पैदावार नहीं हो पा रही है। ऐसी स्थिति में जो कर्ज उसने लिया है, वह ब्याज के साथ बढ़ता ही जायगा, जिससे किसान बहुत बड़ी परेशानी में फंसता जा रहा है। वास्तव में इस परेशानी के लिये वह स्वयं जिम्मेदार नहीं है, बल्कि जो वहां पर अधिकारी हैं, जैसे कृषि विस्तार अधिकारी हैं, ग्राम-सेवक हैं, सभिति सेवक हैं, ये लोग उसके लिये जिम्मेदार हैं। इन लोगों का भी यह फर्ज है कि वे लोन दिलवाने के साथ-साथ उसे हर तरह की जानकारी दें ताकि वह खाद, बीज, उपकरणों का सही तरीके से उपयोग कर सके। हमारा अब तक का अनुभव यही है कि हमारा किसान उस ऋण की अदायगी इसलिये नहीं कर पाया है कि उसे इन सुविधाओं के उपयोग का सही ज्ञान नहीं हो सका है। इस किस्म की हालत रही तो जो बैंक स्थापित होने जा रहा है और इस विधेयक के माध्यम से और जो बैंक खोले जाएँगे, अगर उनका सही उपयोग नहीं हुआ, तो जिस प्रकार से पहले लोग बैंकों से ऋण लेकर 30-30 साल से ऋण ग्रसित हो रहे हैं और उनकी अदायगी नहीं हो रही है, उसी प्रकार से इन बैंकों के माध्यम से किसान, जो गाँव का रहने वाला है, ऋण से ग्रसित होकर कहीं ऐसा न हो कि ऋण की अदायगी न कर पाए और फिर उसकी जमीन जायदाद नीलाम हो जाए। इसके बारे में मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगा।

प्रथम सुझाव तो यह है कि जब हम यह देखते हैं और यह लिटरेचर में है कि एक एकड़ जमीन में 50 मन अनाज पैदा होना चाहिए और जब सरकार की सारी मशीनरी है, सब स्तरों पर कृषि और बैंक के सारे अधिकारी हैं और सब साधन किसानों को दिये जाते हैं, तो निःसंदेह एक एकड़ में 50 मन अनाज पैदा होना चाहिए। अगर उतना अनाज पैदा नहीं होता है, तो किसान को ऋण का भुगतान करने के लिए अपनी जमीन नीलाम में देनी पड़ती है। मेरा सुझाव यह है कि जिस प्रकार से अन्य चीजों का, मकान, बिल्डिंग, मोटर-साईकल, मोटर आदि का बैंक के द्वारा इंश्योरेंस किया जाता है, उसी प्रकार से जब हम सब तरफ से आश्वस्त हैं कि एक

एकड़ में 50 मन अनाज पैदा होना चाहिए, तो उस फसल के लिए जो किसानों को ऋण दिया जाता है, जो खेती करने के लिए कर्ज दिया जाता है, तो उस फसल का बीमा कर दिया जाए ताकि अगर उतना अनाज खेत में पैदा नहीं हो, तो किसान नुकसान से बच जाए । जब फसल का बीमा हो जाएगा, तो किसान ऋण की अदायगी भी कर देगा और जो किसान का परिश्रम होगा, उसका फल उसको मिलेगा । इस तरीके से अगर हमारे बैंक कार्य करेंगे, तो इससे किसानों को भी फायदा होगा और हमारे देश को भी फायदा होगा । अगर ऐसा नहीं किया गया, तो हो सकता है कि किसान फिर से ऋण-ग्रस्त हो जाए ।

दूसरे इन बैंकों के माध्यम से वहां पर जो शिल्प-कला और हस्त-कला के छोटे-छोटे उद्योग हैं, उनके लिए भी ऋ देने की व्यवस्था है । वास्तविक अनुभव हमें गांवों में यह मिलता है और हम यह देखते हैं कि किसान कर्ज लेने के बाद उसका सही उपयोग नहीं कर पाता और ऐसा शिक्षा की कमी के कारण भी है । जो शिक्षित लोग होते हैं, वे उसका फायदा उठा ले जाते हैं और गरीब किसान उसका सही उपयोग न करने के कारण ऋण ग्रसित रहता है । इससे उसको मानसिक, आर्थिक, शारीरिक दृष्टि से परेशानी हो जाती है । कर्ज के भार में वह इतना दब जाता है कि वह अपने जीवन को सही दिशा देने में लाचार होता है और ठीक से अपना जीवन-यापन नहीं कर पाता है । ऐसी स्थिति में मेरा सुझाव यह था कि उपकरणों के लिए, छोटे-छोटे लघु उद्योग लगाने के लिए, शिल्प कला आदि के लिए उनको अगर बैंक के माध्यम से कर्ज दिया जाता है, तो सरकार को यह भी देखना चाहिए कि जो कच्चा माल है, उसको उनको उपलब्ध कराया जाए । इसके लिए उनको आश्वासन या गारन्टी देनी चाहिए क्योंकि एक बार जब छोटा सा उद्योग-धंधा स्थापित किया जाता है, तो उसमें 10-20 हजार रुपया उन लोगों का लग जाता है । इसके लिए किसान अपने अनाज को बेचकर पैसा उस काम में लगाएगा । मान लीजिये उसको कोई रा-मेटीरियल नहीं मिलता, कच्चा माल नहीं मिलता, जिसके कारण उसके उद्योग में कोई प्रोडक्शन नहीं होता है या कुछ प्रोडक्शन हुआ भी तो उसका माल सही जगह पर जाकर नहीं बिका, तो इससे किसान फिर से निराश हो सकता है । उसने जो ऋण लिया है, उसकी राशि बढ़ती जाएगी और वह उसकी अदायगी नहीं कर पाएगा । इससे उसका जीवन दुःखी हो सकता है । इसलिए मैं चाहूंगा कि इन सारी बातों को देखा जाए ।

इन शब्दों के साथ मैंने जो सुझाव दिये हैं, उनको माना जाए और यह जो बिल लाया गया है, उसका मैं समर्थन करता हूं और आपने जो मुझे समय दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं ।

श्री कमला मिश्र मधुकर (मोतीहारी) : सभापति जी, सिद्धान्त रूप से मैं इसका समर्थन करता हूं । जब देश में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था उनका समर्थन करते हुए उस वक्त भी मैंने कुछ शंकाएं व्यक्त की थीं कि इसमें क्या-क्या खामियां हैं या होने वाली हैं । जिन खामियों के बारे में मैंने शंकाएं व्यक्त की थीं वे सही साबित हुई हैं ।

अभी रिजर्व बैंक के कर्मचारियों ने अपना मांग पत्र दिया कि दो हजार कर्मचारियों की पदोन्नति रुक रही है और चार हजार कर्मचारी और प्रभावित होंगे । उन लोगों को जो कठिना-

इयां आ रही हैं वे इस विषय के साथ जुड़ी हुई हैं। माननीय वित्त मन्त्री जी इसका जबाव देते हुए इन कर्मचारियों की स्थिति पर भी प्रकाश डालें।

आपके जो ग्रामीण बैंक हैं, उनके बारे में लोक सभा में कई बार जानकारी की गयी है और आपको जानकारी दी गयी है। ग्रामीण बैंक आजकल भ्रष्टाचार का अखाड़ा बने हुए हैं। दो हजार रुपये का कर्ज लेने के लिए आपके एक गरीब और मझौले किसान को चार सौ रुपये घूस के देने पड़ते हैं। यह बात मैं जानता हूं क्योंकि मैं अपने क्षेत्र में जब जाता हूं तो ये सारी बातें हमारे सामने आती हैं। अगर एक भूमिहीन किसान दो हजार का कर्ज लेने पर चार सौ रुपया घूस का दे तो उसे सोलह सौ रुपये ही कर्ज का मिलेगा। उस भ्रष्टाचार को दूर करने की दिशा में आप क्या कदम उठाने जा रहे हैं यह बताइये ? अपना जवाब देते हुए इस बात की सफाई दीजिए।

मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। हमारे चम्पारण जिले के मोतीहारी में क्षत्रिय ग्रामीण बैंक का चेयरमैन है। वह कहता है कि मैं न इन्दिरा गांधी को कुछ समझता हूं और न किसी और को कुछ समझता हूं। वह यूनियन को भी कुछ नहीं समझता। वहां के कर्मचारियों के बारे में कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। अब उनका केस सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है। इस बारे में हमने यहां पर ध्यान दिलाने की कोशिश की है। वहां के चेयरमैन ने कर्मचारियों को विक्टिमाइज किया है। इसको आपको दूर करना है।

क्या आप यह समझते हैं कि बैंकों के ऋण देने से ही किसानों गरीब लोगों की समस्या हल हो जाएगी ? इससे ही यह समस्या हल होने वाली नहीं। जब तक आप भूमि सुधार नहीं करेंगे तब तक यह समस्या हल नहीं होगी। अगर गांवों का किसान दरिद्र है और उसके पास भूमि नहीं है तो वह ऋण लेकर क्या करेगा ? आवश्यकता इस बात की है कि उसके समग्र जीवन में परिवर्तन लाया जाए। आपको करना यह चाहिए कि कैसे ग्रामीण जनता का सुधार हो। अगर उनका समग्र जीवन बदलेगा तभी वे ऋण का भी सही उपयोग कर सकेंगे। किसी किसान को ऋण दे दिया जाए लेकिन उस किसान को फसल का दाम नहीं मिले तो वह ऋण कैसे चुकाएगा। एक चमार या मोची है। अगर वह जूता बनाता है और ऋण लेकर अपना काम करता है लेकिन उसका बनाया हुआ माल बाटा के सामने कम्पटीशन में नहीं ठहरता है तो वह आपका रुपया कैसे वापस कर सकेगा ? आपका रुपया डूब जाएगा। आप ग्रामीणों का समग्र विकास करने की दिशा में क्या सोच रहे हैं ? यह समस्या केवल ऋण दे देने से हल नहीं होगी।

रिजर्व बैंक ने अपनी सर्वेक्षण रिपोर्ट में कहा है कि राष्ट्रीयकरण होने के बाद बैंकों द्वारा जो ऋण दिये गये वे ऋण छोटे किसानों को या मझौले किसानों को बहुत कम मिले हैं। गांवों के जो भूमिपति, सेठ लोग थे वे ही अधिकतर ऋण ले गये। ग्रामीण क्षेत्रों का जमा किया हुआ ऋण कामर्शियल सेक्टर में गया, वह कमजोर वर्गों के लाभ के लिए नहीं गया। इसके लिए भी आपको कोई व्यवस्था करनी होगी। किसान अपनी गाढ़ी कमाई का रुपया जमा कराएं और वह दूसरों के काम आये।

इसी प्रकार ग्रामीण बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण पर 13-14 प्रतिशत ब्याज लिया जाता है, जिससे ऋण चुकाने में गरीब लोगों को कठिनाई होती है। इस समस्या को हल किया जाए।

इसी प्रकार से इन बैंकों के कर्मचारियों और राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारियों के वेतनों में असमानता नहीं होनी चाहिए, ताकि ये लोग ठीक प्रकार से कार्य कर सकें। कर्मचारियों की यूनियनों की गतिविधियों पर रोक भी नहीं लगानी चाहिए।

इसी प्रकार से आप ये जो बैंक खोलने जा रहे हैं, इसमें जितना भी पैसा होगा, उस सबका ग्रामीण विकास के लिए ही उपयोग किया जाए, इसकी भी गारंटी होनी चाहिए। दूसरे क्षेत्रों में इस राशि को नहीं लगाया जाना चाहिए।

इस बैंक में 5 अरब रुपए कैपिटल रखा गया है जबकि सर्वे के अनुसार 1985 तक ग्रामीण क्षत्रों में ऋण की मांग 1600 करोड़ रुपया होने की संभावना है। यह राशि और बढ़ेगा, कम नहीं हो सकती। जो इस 1600 करोड़ को देखते हुए 5 अरब रुपए की राशि बहुत कम है, इसको बढ़ाया जाना चाहिए।

एडवाइजरी बोर्ड में एडवाइजर्स रखने का प्रावधान है, इन पदों पर अपने चहेतों की भर्ती न हो, इस प्रकार की व्यवस्था की जानी चाहिए, नहीं तो इन बैंकों का काम सुचारू रूप से नहीं चल सकेगा। इसी प्रकार से जिस प्रकार अन्य मित्रों ने कहा कि इनको सिर्फ किताबी ही नहीं बल्कि कृषि के बारे में व्यावहारिक अनुभव होना चाहिए। अनुभव की बात की गई है, लेकिन कितने समय का अनुभव होगा, यह बात साफ नहीं की गई है। इसे स्पष्ट किया जाना चाहिए।

ऋण की अदायगी का समय सात वर्ष बताया गया है, लेकिन अगर कोई दैवी विपत्ति आ जाती है, सूखा पड़ जाता है, बाढ़ आ जाती है तो उस ऋण की अदायगी इतने समय के अंदर कैसे हो सकती है, इसलिए इस कठिनाई को दूर करने के बारे में विचार किया जाना चाहिए।

इस बैंक में पहले की तरह भ्रष्टचार की पुनरावृत्ति न हो, इस बात का पूरा खयाल रखा जाना चाहिए, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों का सुचारू रूप से विकास हो सके।

इन सब सुझावों के साथ मोतिहारी के क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक के चेयरमैन के विरुद्ध जांच बैठाई जानी चाहिए, ताकि उस क्षेत्र के ग्रामीणों को राहत मिल सके।

इन शब्दों के साथ में इस बिल का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि मेरे सुझावों और शंकाओं की ओर ध्यान दिया जाएगा।

श्री जेवियर अराकल (एर्णाकुलम) : महोदय, किसी भी विपक्ष के सदस्य ने माननीय वित्त मंत्री पर यह दोष नहीं लगाया कि यह विधेयक भी अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष के आदेशानुसार प्रस्तुत किया गया है। दूसरी ओर इस सभा ने विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए वित्त मंत्री तथा सरकार की सर्वसम्पति से प्रशंसा की है।

भारत एक ग्रामीण देश है और मुझे खुशी है कि वित्त तथा कृषि दोनों मंत्री यहां पर उपस्थित हैं। बैंकों के राष्ट्रीकरण के बाद, जहां तक ऋण का सम्बन्ध है, यह विधेयक बहुत से कारणों से एक मील है जिनका उल्लेख में बाद मैं करूंगा।

आपको याद होगा कि 1977 में एक कार्यकारी समूह की स्थापना की गयी थी । 1977 में ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण सुविधायें प्रदान करने का निर्णय लिया गया था । अतः यह स्वाभाविक है कि 1979 में भारतीय रिजर्व बैंक को ग्रामीण ऋण संस्थागत व्यवस्था पर विचार करना चाहिये था तथा कृषि विकास बैंक की स्थापना के बारे में सोचना चाहिए था ।

जहां तक ग्रामीण ऋण प्रणाली का सम्बन्ध है, यह मंजिल ग्रामीण अर्थ व्यवस्था के उत्थान के लिए एक प्रस्तावना के समान है । हमें यह भी स्मरण रखना चाहिये कि कांग्रेस पार्टी ने जो ग्रामीण उत्थान के लिए वचनवद्ध है, 20 सूत्रीय कार्यक्रम तैयार किया था । इन सभी कार्यक्रमों का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों का उत्थान करना था । लघु कृषक विकास एजेन्सी, सूखा सम्भावित क्षेत्र कार्यक्रम, कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम, समोकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, खादी तथा ग्रामोद्योग कार्यक्रम आदि जैसी योजनायें बनायी गयी थीं तथा इन क्षेत्रों को अधिक से अधिक धन आवंटित किया गया तथा अधिक से अधिक जनशक्ति दी गयी । सरकार के इन प्रयत्नों के फल स्वरूप हम ऐसी स्थिति में पहुंच गये हैं जहां इन क्षेत्रों को उचित संस्था बद्ध तथा केन्द्रीय कृत ऋण सुविधाएं प्रदान की जा सकती हैं । मैं कामना करता हूं कि अब यहाँ पर स्वर्गीय जोन मथाई उपस्थित होते क्योंकि उन्होंने अपनी युवावस्था में इसी बात पर बल दिया था ।

यदि आप माननीय वित्त मंत्री का 1981 का वजट भाषण देखें तो आप देखेंगे कि उन्होंने हमारी अर्थव्यवस्था के दो महत्त्वपूर्ण पहलुओं को सुलझाने का प्रयत्न किया है । एक तो भारतीय आयात-निर्यात बैंक की स्थापना जो कोई छोटी उपलब्धि नहीं है । अब उन्होंने संगठित क्षेत्र के लिए इस बैंक की स्थापना के लिए यह विधेयक प्रस्तुत किया है । उसी बजट भाषण के 47 पैरा में उन्होंने स्पष्ट रूप से सरकार के इस कार्यक्रम के विचार तथा दर्शन का प्रतिपादन किया है ।

वह कहते हैं:

"हमारी अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका बहुत प्रभाव शाली है और कृषि के विकास की गति समूची अर्थव्यवस्था की गति का निर्धारण करती है ।"

सभापति महोदय : वह अपना भाषण कल जारी रख सकते हैं।

राज्य सभा से सदेश

सचिव : मुझे राज्य सभा के मद्ध सचिव से प्राप्त निम्न संदेश की सूचना सभा को देनी है—

"राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के उपबन्धों के अनुसरण में मुझे राज्य सभा द्वारा 29 नवम्बर, 1981 को अपनी बैठक में पारित चीनी उपक्रम (प्रबन्ध अधिग्रहण) संशोधन विधेयक 1981 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है ।"

चीनी उपक्रम (प्रबन्ध अधिग्रहण) संशोधन विधेयक

(राज्य सभा द्वारा पारित रूप में)

सचिव : महोदय, मैं राज्य सभा द्वारा पारित चीनी उपक्रम (प्रबन्ध अधिग्रहण) संशोधन विधेयक 1981 सभा पटल पर रखता हूं :

6.01 म० प०

तत्पश्चात लोक सभा 27 नवम्बर 1981/6 अग्रहायण 1903 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।